राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 5] तेरहवीं विधान सभा के पंचम सत्र का दूसरा दिवस [संख्या : 2

मंगलवार;

31 अगस्त, 2010

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री राजेन्द्र सिंह गुढ़ा, सदस्य, विधान सभा ने उदयपुरवाटी से रामदेवरा की पैदल यात्रा में जाने के कारण दिनांक 30 अगस्त, 2010 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, यह जीरो आवर का विषय है। अध्यक्ष महोदय, यह इस समय का प्रश्न नहीं है, आप प्रश्न काल से पहले इसको नहीं रख सकते। आपको इसको उस समय रखना होगा ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पहले प्रश्न काल कर लें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, आप जीरो आवर में रखिए।

श्री अध्यक्ष: कहां है वह? यह देना चाहिए न मेरे को, यह काहे को दिया फिर?

श्री ज्ञानचन्द पारख।

तारांकित प्रश्नोत्तर

पाली जिले की पंचायत समिति रोहट की शैक्षिक व्यवस्था

1. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला पाली की पंचायत समिति रोहट के किस-किस उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालय में कितने-कितने छात्र अध्ययनरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

(2) उक्त जिले के किस-किस विद्यालय में किस-किस श्रेणी के अध्यापकों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा इनमें से किस-किस विद्यालय में कितने-कितने पद, कितने-कितने समय से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विद्यालयों में से किस-किस विद्यालय के शिक्षक अन्य विद्यालयों में अथवा कार्यालयों में कितनी-कितनी अवधि से कहां-कहां पर प्रतिनियुक्ति पर हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महाहोदय खण्ड (1) जिला पाली की पंचायत समिति रोहट में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र -छात्राओं का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'क' पर अंकित है तथा माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ख' पर अंकित है।

(2) जिला पाली में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में अध्यापकों के श्रेणीवार स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ग' पर अंकित है तथा माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में अध्यापकों के श्रेणीवार स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण संलग्न परिशिष्ट 'घ' पर अंकित है।

(3) उक्त विद्यालयों के शिक्षक अन्य विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था के तहत लगाये गए हैं, इन्हें सत्रांत तक के लिए लगाया गया है। प्रारम्भिक शिक्षा अन्तर्गत लगाए गए शिक्षकों का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ड.' पर अंकित है तथा माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत लगाए गए शिक्षकों का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'च' पर अंकित है।

(4) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही (i-ग्रेड एवं ii-ग्रेड) के रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा। इसके साथ ही तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु राजस्थान पंचायत राज अधिनियम एवं नियमों में संशोधन की कार्यवाही होने के पश्चात् ही भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रश्न के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह भी जानना चाहा था कि जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक में कौन-कौन से अध्यापक शिक्षण व्यवस्था में या प्रतिनियुक्ति पर कहीं लगे हुए हैं? यह सूची इन्होंने इस उत्तर में पेश नहीं की है और जो परिशिष्ट 'ग' पर इन्होंने लिखा है कि परिशिष्ठ 'ग' पर अंकित है, उसमें प्रारम्भिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में जो अध्यापक कार्यरत हैं वह किसी अन्य कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर हैं, उसकी सूची पेश की है, इन्होंने। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे वह सूची भी दिलवा दें कि जो प्रारम्भिक शिक्षा के अध्यापक अन्य विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति या शिक्षण व्यवस्था में लिप्त हैं। यह अधूरा जवाब है।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो रोहट पंचायत समिति के रिक्त पदों की सूची मुझे इस उत्तर में मिली है, उसमें 13 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें जितने पद स्वीकृत हैं, वह सारे के सारे रिक्त राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भीलों की ढाणी, पाचपदरिया 6 पद स्वीकृत और 6 ही रिक्त हैं, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय सिहाणा 6 पद स्वीकृत 6 ही रिक्त, जानरू की ढाणी, मानावास 5 पद स्वीकृत हैं, 5 ही रिक्त हैं, 13 विद्यालय ऐसे हैं जहां जितने पद स्वीकृत हैं, सारे के सारे रिक्त तो उन रिक्त पदों के जरिए आप बच्चों को पढ़ा कैसे रहे हैं, इसका भी जवाब माननीय मंत्री महोदय दें। 18 विद्यालय ऐसे हैं जहां अध्यापकों के पद तो 5 और 6 स्वीकृत हैं पर अध्यापक कार्यरत मात्र एक है, 5 के अगेंस्ट में मात्र एक। यह इन्होंने सूची पेश की है, यह कोई मेरी नहीं है, इनके उत्तर में आई है और बाकी एक भी विद्यालय ऐसा नहीं है ......(व्यवधान) रोहट पंचायत समिति में अध्यापकों के जितने पद स्वीकृत हैं, उनमें से 70 प्रतिशत से ज्यादा रिक्त हैं तो माननीय मंत्री महोदय, यह बता दें कि आप किस प्रकार वहां बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था कर रहे हैं, इन रिक्त पदों के जरिए? माननीय मंत्री महोदय, इसका भी जवाब दे दें मुझे।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, यह पूरे राजस्थान का मामला है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य का जवाब आ जाने दीजिए, आपको अवसर दूंगा मैं।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि कई विद्यालय ऐसे हैं जिनके अन्दर जितने पद स्वीकृत हैं, उतने उनके अध्यापक नहीं हैं।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): नहीं, सारे के सारे रिक्त हैं, यह आपकी सूची है 17 की।

श्री अध्यक्ष: पहले जवाब आने दीजिए, जवाब आने दीजिए ...... (व्यवधान) आप जवाब तो आने दीजिए पूरा एक बार।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): मैंने जवाब लिखित में दिया है और हर स्कूलवाइज दिया है, छात्रवाइज दिया है। मैंने कोई छिपाया नहीं है इस बात के लिए कि विद्यालय के अन्दर कितने अध्यापक हैं, कितने रिक्त पद हैं, मैंने छिपाया नहीं है, बात तो सुन लें ......(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): बता करके आप एहसान क्या कर रहे हैं? आप बता क्या रहे हैं, यह तो आपकी ड्यूटी है, जानकारी देना ...... (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में इस बात को छिपाया है, प्रारम्भिक शिक्षा में कितने अध्यापक प्रतिनियुक्ति पर हैं तथा शिक्षा व्यवस्था में शहरी क्षेत्रों में लगे हुए हैं, इस बात को छिपाया है इन्होंने। सूची में मैंने पूछा है उसका जवाब नहीं दिया है।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई भी किसी भी खण्ड के अन्दर कुछ छिपाया नहीं है ......(व्यवधान) आप सुन तो लें ......(व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): आप उत्तर दिलवा दें न।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): उत्तर तो सुन लें पहले। पाली के अन्दर पंचायत समिति रोहट, आपने पंचायत समिति रोहट के बारे में पूछा है। पंचायत समिति रोहट में आपने कहा कि इतने विद्यालय, मैं मानता हूं इस बात को कि विद्यालय के अन्दर अध्यापक नहीं है लेकिन वहां शिक्षा मित्र लगाकर वह विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय मंत्री महोदय यह भी गलत जवाब दे रहे हैं ......(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अध्यक्ष महोदय, उनको प्रतिनियुक्ति भी नहीं दी गई, शिक्षा मित्रों में प्रतिनियुक्ति नहीं दी गई, जो पहले से कार्यरत हैं वहां पर ......(व्यवधान)

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): पहले सुन तो लें कितने लगाये हुए हैं, सुन तो लें। पाली जिले में 1025 विद्यार्थी मित्र अध्यापकों के

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

अगेंस्ट में लगाये गये हैं, हमने जो विद्यार्थी मित्र लगाये हैं उसके अन्दर अध्यापकों को हमने रिक्त माना है, जो अध्यापक लगे हुए हैं वहां पर, 1025 विद्यार्थी मित्र, 51 पैरा-टीचर और इनमें से 77 विद्यार्थी मित्र और 3 पैरा-टीचर रोहट पंचायत समिति में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि विद्यालय बिलकुल जीरो हैं और ताला लगा हुआ है, खाली है। पाली जिले की रोहट पंचायत समिति के अन्दर 77 विद्यार्थी मित्र और 3 पैरा-टीचर आज की तारीख में लगाये गये हैं और 1025 विद्यार्थी मित्र पूरे जिले के अन्दर कार्यरत हैं। जहां तक सवाल है इसका खाली जगह का, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा कि पिछले एक साल में प्रयास हमने किया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग भर्ती करे लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग ने हमारी अभ्यर्थना वापस भेज दी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): भेज दी नहीं आपने मंगवाई है। भेजी नहीं है, मंगवाई है आपने।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आप अधूरे हैं, आपने अधूरी जानकारियां दी हैं। आपकी इच्छा नहीं है, आपने अधूरी जानकारियां दी हैं आरपीएससी को। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपके मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई उसमें निर्णय हुआ कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती आप विभाग से करवायेंगे। आपने खुद ने अभ्यर्थना मंगवाई है, यह अन्याय आपने किया है। (व्यवधान)

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): माननीय सदस्य, मैं आपको कहना चाहूंगा कि पिछले डेढ़-पौने दो साल से आरपीएससी जब भर्ती करे ही नहीं......

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, आरपीएससी कर रही थी, आरपीएससी कर रही थी लेकिन सरकार ने आरपीएससी पर दबाव डालकर वापस मंगवाई कि हमको भर्ती नहीं करनी है। आपने मंगवाई है इसको। (व्यवधान) आपने किया है यह काम।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): सरकार ने कोई दबाव नहीं डाला, सरकार ने कोई दबाव नहीं डाला, यह बात बिल्कुल असत्य है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): जून में बैठक हुई थी अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यह असत्य है, यह सदन को गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बहस हो रही है या प्रश्नोत्तर हो रहा है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यह प्रश्नकाल है और प्रश्न पूछें एवं उसका उत्तर ले लें, ये तो बहस कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। मंत्री जवाब दे रहे हैं, कृपया विराजें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पांच हजार स्कूलें नई खुली हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, कृपया विराजें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, सरकार राजनीतिक आधार पर नियुक्तियां देना चाहती है, योग्यता के आधार पर नहीं देना चाहती इसलिए वापस मंगा रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने आपको अलाऊ नहीं किया है। माननीय सदस्य, कृपया आप विराजें। (व्यवधान)

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): राजस्थान की सरकार ने लोक सेवा आयोग को किसी प्रकार का कोई पत्र नहीं लिखा, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाला। राजस्थान लोक सेवा आयोग पिछले दो साल से भर्ती नहीं कर पा रहा है और उन्होंने स्वयं ने ही अभ्यर्थना वापस लौटाई है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पहले कैसे कर रहा था और अब क्यों नहीं कर रहा है? (व्यवधान)

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): अभ्यर्थना लोक सेवा आयोग ने वापस लौटाई है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): राजस्थान लोक सेवा आयोग पहले भर्ती क्यों कर रहा था और अब क्यों नहीं कर रहा है? (व्यवधान)

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): यह अभ्यर्थना वापस लोक सेवा आयोग के चेयरमैन ने लौटाई है विभाग को और मैं आश्वस्त करना चाहूंगा.....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह आपने मंगवाई है और राजस्थान के लोगों के साथ अन्याय किया है आपने। (व्यवधान)

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): मैं आश्वस्त करना चाहूंगा सदन को कि हम तत्काल पंचायती राज एक्ट में प्रावधान करके नये सिरे से भर्ती करवायेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पहले कृपया जवाब आने दें। कृपया जवाब आने दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी के स्तर पर 16 जून को फैसला हुआ और उसके बाद मुख्य सचिव के स्तर पर 18 जून को फैसला हुआ है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पहले जवाब आने दें कृपया। पहले जवाब आने दें, विराजें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब तो आ जायेगा लेकिन राजस्थान के उन लाखों बेरोजगारों को जवाब कौन देगा जो दु:खी हैं और शासन का मुंह देख रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इसी का जवाब दे रहे हैं। प्रश्न का जवाब तो देने दीजिये पहले। शिक्षा मंत्री जी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, वो जवाब नहीं दे रहे हैं, वो तो उनका गला काट रहे हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आप तो यह बतायें कि आरपीएससी पहले तो क्यों कर रही है और अब क्यों नहीं कर रही है?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहूंगा कि......

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मंत्री जी, मुख्य मंत्रीजी ने 16 तारीख को फैसला किया कि आरपीएससी से वापस मंगाया जाए और यह सारा का सारा पाप आपके और मुख्य मंत्रीजी के सिर पर आयेगा जो आपने उन बेरोजगारों का गला काटा है। (व्यवधान)

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): हम हर सूरत में नौकरी देंगे। मैं कहना चाहूंगा कि आपके समय के अन्दर भारत की सरकार ने एक लाख 14 हजार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत दी लेकिन आपने भर्ती नहीं की। आपकी नैग्लीजेंसी की वजह से ये अध्यापक नहीं लग पाये। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): लोक सेवा आयोग भर्ती करने के लिए है और भर्ती कर रहा था। (व्यवधान)

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): अब चूंकि हाई कोर्ट का स्टे आ गया और हाई कोर्ट के स्टे की वजह से भर्ती नहीं कर पाये। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि आने वाले समय में भर्ती करते रहेंगे।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भर्ती हुई है और नियमों से भर्ती हुई है, लाखों युवक लगे हैं। (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): इन्होंने गला काटा तो ये भी काट देंगे, यह कोई जवाब हुआ? इन्होंने यह किया तो आप भी यही करोगे? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप कोई पूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं? कोई पूरक प्रश्न है क्या आपका?

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मेरा पूरक प्रश्न है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक लाख 88 हजार भर्ती हो गये और 60 हजार की भेजी हुई थी। 20 महीने में इस विभाग में यह करेंगे, वो करेंगे, 60 हजार का गला घोंट दिया। भारत सरकार का पैसा नहीं लिया और जो बेरोजगार लोग हैं उनकी नौकरी नहीं लगाई। आपकी तो फितरत है, पिछले पांच साल में भी एक मास्टर को नौकरी पर नहीं लगाया था और 20 महीनों में भी एक को नौकरी नहीं दी। ये बेरोजगार आपको छोड़ेंगे नहीं। विधान सभा में आप चाहे जो कुछ बोल दो। (व्यवधान)

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप नेता महोदय से कहना चाहूंगा कि शिक्षा विभाग के पांच साल के पिछले पीरियड में एक लाख 14 हजार जो टीचर भर्ती करने के लिए भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान से दिया था उनमें 23 हजार बैकडोर एंट्री से इन लोगों ने प्रबोधक लगा दिये जो पहले लगे हुए थे। आपकी नैग्लीजेंसी की वजह से आज राजस्थान का वो बेरोजगार शिक्षक, वो बेरोजगार बी.एड., बीएसटीसी, एम.एड. किये हुए थे वो लग नहीं पाये और बैक एंट्री से आपने उनको कर दिया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): पैरा टीचर को नियमित किया उसके विरोध में बोल रहे हो आप? (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 40 हजार पैरा टीचर्स को जिनको 1200-1200, 1500-1500 में आपने रगड़ा था प्रबोधक बनाकर के, बीजेपी की सरकार ने उनको पे देकर नियुक्त किया है। यह काम बीजेपी की सरकार ने किया है, हमने लगाया है उनको।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): माननीय उप नेता महोदय, आपने राजस्थान के उन 23 हजार शिक्षकों का गला काटकर के नान प्लान के अन्दर उनको लगाना चाहिए था और आपने सर्व शिक्षा अभियान की पोस्टों के अगेंस्ट में लगाया था वह गलत काम किया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पूरे देश में एकमात्र राजस्थान की सरकार थी जिसने एससी, एसटी का बैकलाग शिक्षा में पूरा किया। वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में थी।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जितनी दुर्गति शिक्षा विभाग की हुई, उसको हमने सुधारने की चेष्टा की है, यह मैं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे आने के बाद, हमारी सरकार आने के बाद शिक्षा का जिस प्रकार से हमने सही तरीके से काम करना चालू किया है, वो ऐतिहासिक काम किया है। आज तक इतिहास के अन्दर जिस प्रकार से आपके समय में......

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अध्यक्ष महोदय, ये अधिकारियों के पास ट्रांसफर की लिस्ट..... (व्यवधान)

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): सड़कों के ऊपर आपने एक-एक स्कूल के अन्दर 10-10, 20-20 टीचर लगा दिये।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड। माननीय मंत्री जी, यह वाद-विवाद का विषय नहीं है। विषय यह है कि आज 20 महीने गुजर जाने के बाद भी वह बच्चा शिक्षक के अभाव में रो रहा है और शिक्षक नौकरी के अभाव में रो रहा है। एक सैकण्ड, आप 5 कहो या 10 इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। शिक्षा का बंटाधार किसने किया, किसने नहीं किया इसका फैसला.... (व्यवधान) चिल्लाने से तो आप सब खड़े हो जाओ तो भी फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन वास्तविकता को कोई समझेगा या नहीं समझेगा.... (व्यवधान)

श्री नगराज (धरियावद): पांच साल तक कहां गये थे? (व्यवधान) आपने व्यवस्था क्यों नहीं की। अध्यक्ष महोदय, इनसे यह तो पूछो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आप और हम सब जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के लिए आते हैं, बालकों के लिए आते हैं, शिक्षा के लिए

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आते हैं और जो अव्यवस्था है उसको ठीक करने का प्रयत्न आपको निश्चित रूप से करना चाहिए। (व्यवधान) 20 महीने गुजर गये और आज की तारीख में मैं केवल एक पंचायत समिति सलूम्बर का बताता हूं कि उसमें मैंने और मेरे कार्यकर्ता ने 40 विद्यालयों पर ताला लगाया कि एक भी अध्यापक वहां पर मौजूद नहीं था, एक भी पोस्ट नहीं थी। यह मैं एक ही पंचायत समिति का कह रहा हूं। आप हल्ला करके भले ही कह दें। (व्यवधान)

श्री नगराज (धरियावद): ताला ही लगाया है आपने, आपने वहां पर भर्ती नहीं की 5 साल में। केवल ताला ही लगाया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): लेकिन वो बच्चा जो रो रहा है, वो बच्चा और उसका पेरेंट्स रो रहा है वह आपको और मेरे को माफ नहीं करेगा। आप भले ही यहां वाद-विवाद करके जोर से बोल दें, हम भी जोर से बोल देंगे लेकिन उस बच्चे का भला नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पूरक प्रश्न क्या है आपका?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सवाल यह है कि आज की तारीख में बच्चों को किताबें पहुंच गई? पहला टैस्ट हो गया, नवीं और ग्यारहवीं की किताबें गई हैं क्या? आपने अध्यापकों का समानीकरण..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपका पूरक प्रश्न क्या है? भाषण नहीं, पूरक प्रश्न क्या है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): इसलिए घोर अव्यवस्था है। पूरक प्रश्न यह है कि यह सरकार 20 महीने गुजर जाने के बाद भी उस बच्चे को अध्यापक दे पायेगी या नहीं? लाखों अध्यापकों के जहां पद रिक्त पड़े हैं उनको नौकरी दे पायेगी या नहीं? उस बच्चे को दो महीने गुजर जाने के बाद भी किताब दे पायेगी या नहीं? उसका टेस्ट होगा उसके पहले तक पुस्तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की है या नहीं है? 20 महीने से आप काम क्या कर रहे हो? अब हमारे काम को रोने से आपकी समस्या का हल नहीं होगा। एक-दो महीना होता तो आप हम पर आरोप लगाते पर 20 महीने आपको झक मारने के लिए नहीं मिले हैं। वो बच्चा रो रहा है, अध्यापक के बिना और आप उसके बाद भी हेकड़ी कर रहे हैं। हम उन बच्चो के ऊपर इतरा रहे हैं, अभी आप कोई इस बात पर अभिमान कर रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम कर दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिये, मंत्रीजी की तरफ से जवाब आ रहा है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सारा समानीकरण में शिक्षा का सत्यानाश कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब आ रहा है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): जहां अध्यापक नहीं चाहिये वहां अध्यापक लगा रहे हैं और जहां लगने चाहिए वहां नहीं लगा रहे हैं। क्या अव्यवस्था है, घोर अव्यवस्था है। मुख्य मंत्रीजी, अगर उन बच्चों पर रहम आता है तो इस आदमी को हटा दो, शिक्षा का सत्यानाश करके रख दिया है इस आदमी ने। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक मिनट। किसको मंत्री रखें, किसको नहीं रखें यह अधिकार तो मुख्य मंत्रीजी का है, निर्देश देने का काम आपका कैसे चलेगा?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, उन्होंने आपको तो कहा नहीं, उन्होंने मुख्य मंत्रीजी को ही कहा है। जिनको अधिकार है उनको ही कहा है।

श्री अध्यक्ष: आपकी राय से चलते हैं क्या? (व्यवधान)

श्री नगराज (धरियावद): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हटाने का पावर, माननीय सदस्य को ये सुझाव देंगे?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके उस समय के शिक्षा मंत्री, एक बदले, दो बदले, तीन बदले, चार बदले, एक्सपेरिमेंट किया। मैं जवाब दे रहा हूं। (व्यवधान) जवाब सुनने की क्षमता रखो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजिये।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): जवाब सुनने की क्षमता रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें। जवाब सुनें माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, अभी विधायक दल के अन्दर...

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं, अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। आप विराज जायें।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन 20 महीनों के पीरियड के अन्दर...

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): विधायक दल में कोई खीझ नहीं थी, क्या बात कर रहे हो? हमारे विधायक दल में...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यह खीझ तो आपके मन से पूछो, आप मन से पूछो कि वहां बैठना चाहते हो, बैठ क्यों नहीं पा रहे हो। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप इतनी व्यवस्था नहीं करा सकते क्या? आप सारे, इतनी बड़ी व्यवस्था कराते हो, गृह मंत्री भी हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, कानून मंत्री भी हैं, इतनी सी व्यवस्था भी करा दो। (व्यवधान)

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस प्रकार से यहां पर बात रखी है, मैं कहना चाहूंगा कि पिछले पांच साल के पीरियड के अन्दर राजस्थान में एक चौथाई ऐसे सीनियर सैकण्डरी स्कूल थे जिनमें इन्होंने प्रिंसिपल नहीं लगाये प्रमोट करके, दुर्भाग्य की बात है और मुझे यह कहते हुए खुशी है कि आज राजस्थान में 90 प्रतिशत सीनियर सैकण्डरी स्कूल में, आज की तारीख में प्रिंसिपल लगे हुए हैं, यह मायने रखता है। दूसरा, राजस्थान के अन्दर... (व्यवधान) आप जवाब सुनिये, उत्तर सुनिये। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): पातेय वेतन पर लगाये हैं, पातेय वेतन पर लगाये हैं। (व्यवधान)

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): उत्तर सुनिये आप, उत्तर सुनिये। आप उत्तर सुनिये।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): पातेय वेतन पर लगाये हैं आपने, पातेय वेतन पर। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ...आपने रेग्युलर कहां लगाये हैं, एक ही बता दो। छह-छह महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के शिक्षा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जगत की जितनी दुर्गति समानीकरण के नाम से इन्होंने की है... (व्यवधान) उसके बाद भी... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न क्या है आपका? भाषण नहीं। पूरक प्रश्न क्या है? भाषण नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...और ये विद्वान शिक्षा मंत्री हैं। इस शिक्षा जगत को कितना नुकसान पहुंचाया है, गर्त में ले गये राजस्थान की शिक्षा को और रो रहे हैं हमारे पांच साल के कार्यकाल को। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आपका क्या लेना-देना है शिक्षा से?

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न क्या है? पूरक प्रश्न क्या है?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सुनने की क्षमता तो रखो।

श्री अध्यक्ष: श्री अमरा राम जी।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के बेरोजगार जानते हैं कि बेरोजगारों के साथ में धोखा किया जिसकी वजह से सामने बैठने की नौबत आई। स्कूलों में अध्यापक नहीं लगाये उन्होंने और उनके माननीय पूर्व शिक्षा मंत्रीजी, हमारे माननीय शिक्षा मंत्रीजी भंवर लाल जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, पूरक प्रश्न।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मैं पूरक प्रश्न ही पूछ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूरक प्रश्न ही पूछूंगा कि इससे काम नहीं चलेगा, यह 1960 का दशक नहीं है, राजस्थान में विद्यार्थी आज अध्यापक मांग रहा है और अध्यापक की ट्रेनिंग किये हुए विद्यार्थी स्कूल मांग रहे हैं। अब इससे काम नहीं चलेगा कि आपने क्या किया, आपने क्या किया?

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न क्या है आपका?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): नहीं, मैं पूरक प्रश्न ही कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, इससे काम नहीं चलेगा कि आपने क्या किया, आपने क्या किया। सवाल आज यह है कि राजस्थान के सरकारी विद्यालय में जाने वाले विद्यार्थी को पढ़ाने वाले टीचर की कब आप व्यवस्था करेंगे? अभी यह

(श्री अमराराम)

जोगीवाड़ा एक स्कूल है कोटड़ा तहसील में, जिसमें 600 विद्यार्थी हैं और मात्र तीन अध्यापक हैं। यह सैकण्डरी स्कूल है जिसमें 600 विद्यार्थी हैं, वह आदिवासी विद्यार्थी, बालक-बालिकाएं हैं, जहां मात्र तीन अध्यापक हैं। राजस्थान के 33 जिलों में रोज कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन अभिभावक और विद्यार्थी मिलकर स्कूलों के ताला नहीं लगाते हैं। मंत्री महोदय से मेरा तो एक ही निवेदन है, इन अध्यापकों की व्यवस्था आप कितने समय के अन्दर कर देंगे जिससे ताले नहीं लगे और जो शिक्षा को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, कम्पल्सरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वह पूरी हो। आप तो यह बता दें कि कितने प्राथमिक विद्यालयों को एकीकरण के नाम से, अनार्थिक के नाम से, हजारों स्कूलों को बंद करने का काम किया है इसमें। आप वह शब्द कह दें, मैं समझता हूं कि राजस्थान में शिक्षा विभाग पर कलंक लगाने का काम शिक्षा मंत्रीजी ने किया है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये विराजिये विराजिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यापक चाहते हैं उनके...

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा। माननीय मंत्रीजी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, माननीय मंत्रीजी। विराजिये विराजिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक पूरक प्रश्न है, उसका जवाब भी साथ में दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष: आखिरी? आखिरी पूरक है ना आपका? बोलिये बोलिये। चलिये दो मिनट।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय मंत्री महोदय जी, रोहट पंचायत समिति में जिन अध्यापकों को अन्य सरकारी कार्यालय या शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति या शिक्षण व्यवस्था में लगाया गया है, उनको आप वापस रोहट पंचायत समिति के विद्यालयों में कब तक भिजवा देंगे? लगभग 200 अध्यापकों की सूची है जो शहरी क्षेत्र में हैं। यहां सरकारी कार्यालयों में

(श्री ज्ञानचन्द पारख)
काम कर रहे हैं और वहां स्कूल बंद पड़े हैं, ये कब तक भिजवा देंगे, यह भी बता दो आप और रिक्त पद कब तक भर देंगे ये?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन अध्यापकों को एक शाला से दूसरी शाला के अन्दर शिक्षण व्यवस्था में लगाया गया है, वह तो अलग चीज है...

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शहरी क्षेत्र की कह रहा हूं कि शहरी क्षेत्र में या अन्य सरकारी कार्यालयों में हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूं, उसी तहसील में करो, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अब आप जवाब तो आने दीजिये। आप जवाब सुनिये।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): मैं जवाब दे रहा हूं ना। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की माननीय मुख्य सचिव महोदय कुशल सिंह जी थीं, उस समय हमने उनसे ये राजस्थान के समस्त, जितने भी जिला कलक्टर्स थे, संभागीय आयुक्त थे, हमने 19 अगस्त, 2009 को एक चिट्ठी लिखवाई और ये निर्देश जारी किये कि एक भी अध्यापक को, जो दफ्तर होता है, उसके अन्दर नहीं लगाया जाये और उसके बाद में अभी 20 जुलाई, 2010 को एक चिट्ठी प्रमुख शासन सचिव महोदय ने पूरे राजस्थान के अन्दर इस बात के लिए भेजी कि किसी भी अध्यापक को शिक्षण कार्य के अलावा दूसरे कार्यों में न लगाया जाये, यह उन्होंने चिट्ठी लिखी है और आपके... (व्यवधान) एक मिनट सुन तो लीजिये। हमने राजस्थान में अब पुनः इस बात के निर्देश जारी कर दिये हैं समस्त जिला कलक्टर्स, एस.डी.ओज., संभागीय आयुक्त को और समस्त डी.ई.ओज. को कि कोई भी अध्यापक प्रतिनियुक्ति पर नहीं लगाया जाये शिक्षण कार्य के अलावा और मैं आश्वस्त करना चाहूंगा, माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपकी रोहट पंचायत समिति में अगर कोई टीचर पाली शहर में लगा हुआ है तो उसको वापस रोहट पंचायत समिति में उसी विद्यालय के अन्दर भेज दिया जायेगा, यह मैं कहना चाहूंगा।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): कब तक? कब तक? कितने समय में भिजवा देंगे वापस? कितने समय में भिजवा देंगे आप?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): बहुत जल्दी भेज देंगे। बहुत जल्दी भेज देंगे। (व्यवधान) जल्दी से जल्दी भेज देंगे।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अगर अध्यापक को स्कूल नहीं भेजोगे तो आपको घर भेजने का काम कर देगी जनता।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): अध्यक्षजी, अध्यक्षजी,... (व्यवधान)

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): ...और जहां कहीं भी लड़कियों की संख्या है, वहां एक भी पद खाली नहीं रहना चाहिए, ऐसे आदेश निकालो। सारी जगह लड़कियों की स्कूलों में खाली पद पड़े हैं। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अब मेरा एक छोटा सा सवाल है।

श्री अध्यक्ष: अब आपने आखिरी पूछ लिया? कितनी देर चलाना चाहते हो इसको? आपने पूछ लिया।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि माननीय मुख्य सचिव या अन्य अधिकारियों ने निर्देश दे रखे हैं कि किसी भी अध्यापक को अन्य कार्यालयों में नहीं लगाया जायेगा। यह आदेश तीन बार सरकार ने जारी किये। उसके बाद में उन्होंने खुद ने सूची पेश की है कि कौन-कौनसे अध्यापक किस-किस कार्य में कहां-कहां लगे हुए हैं? कोई बाढ़ नियंत्रण में लगा हुआ है, कोई चुनाव कार्यालय में लगा हुआ है, कोई पंचायत समिति में लगा हुआ है या बी.ई.ई.ओ. आफिस में लगा हुआ है। ये अलग-अलग कार्यों में लगे हुए हैं। उन्होंने खुद ने सूची पेश की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है कि जब तीन-तीन बार सरकार ने निर्देश दे दिये, उसके बावजूद भी आपके निर्देश की पालना नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध आप क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री अध्यक्ष: केवल एक प्रश्न, केवल एक प्रश्न।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): अध्यक्षजी।

श्री अध्यक्ष: केवल एक प्रश्न।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): अध्यक्षजी।

श्री अध्यक्ष: राधेश्याम जी, बैठिये बैठिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष: आप ही पूछ रहे हैं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अध्यक्षजी, समानीकरण की प्रक्रिया डेढ़-दो साल चली और लाखों-करोड़ों रुपये खर्च हुए। हमारे अधिकारी

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

थे, मंत्रीजी थे, पूरी सरकार थी। ये जानते थे कि थर्ड श्रेणी अध्यापक को एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में नहीं लगा सकते और गरीब जनता के करोड़ों रुपये इसमें खर्च हो गये तो मुख्य मंत्रीजी, वह करोड़ों रुपये जो खर्च हुए गरीब जनता के, उनकी भरपाई कर पायेंगे, यह सरकार कर पायेगी?

श्री अध्यक्ष: बैठिये बैठिये। विराजिये विराजिये। आप बिराजिये। मंत्रीजी।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): ...जिसने सत्यानाश कर दिया पूरे शिक्षा जगत का।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। अब आप विराजिये। माननीय मंत्रीजी, जवाब दे रहे हैं। कितना समय चाहते हैं? (व्यवधान) नहीं, मैं अलाऊ नहीं करूंगा। माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। मैं अलाऊ नहीं करूंगा। माननीय मंत्रीजी।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्ता ने मेरे से पूछा कि यह जो दूसरे विभागों के अन्दर लगे हुए हैं, कार्यालयों में लगे हुए हैं, आदेश देने के बावजूद भी वह वापस शिक्षण व्यवस्था में नहीं गये, मैं उनको आश्वस्त करना चाहूंगा कि एक महीने के अन्दर-अन्दर तत्काल, इसी महीने के अन्दर, आने वाला जो सितम्बर महीना है, सारे जितने भी दूसरी व्यवस्था में लगे हुए हैं, सब को आपके पंचायत, जहां-जहां शिक्षण व्यवस्था के अलावा काम कर रहे हैं, उनको लगा दिया जायेगा।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): वह किसकी भूल से, समानीकरण की प्रक्रिया किसकी भूल से चली डेढ़ साल तक।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): जो शहरी क्षेत्र में प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए हैं उनको भी मेहरबानी करके आप वापिस उस पंचायत समिति में भिजवा दें।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): यह इतनी बड़ी गलती सरकार से हुई जो करोड़ों रुपये खर्च हुए हैं डेढ़ साल तक..

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, एक मिनट। देखिये, एक प्रश्न में और वह पाली जिले की रोहट पंचायत समिति का मामला था जिसमें आधा घंटा समय समाप्त हो गया।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): बच्चों के भविष्य का सवाल है, शिक्षा का नाश हो गया है।

श्री अध्यक्ष: इस प्रकरण को आप समाप्त करिये, माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप पटाक्षेप कर दें।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): राज्य के बच्चों का भविष्य बरबाद हो गया है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह शिक्षा और शिक्षकों से संबंधित, वैसे तो रोहट पंचायत समिति या विधान सभा क्षेत्र तक सीमित है पर वास्तव में यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस रूप में, कि सरकार चाहे हमारी हो, चाहे आपकी हो...

श्री अध्यक्ष: कृपया शांति।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): हमेशा यह डिस्कशन रहता है कि गांवों में टीचर नहीं जाते हैं, अधिकांश गांवों में टीचर्स के अभाव में, कहीं एक टीचर, कहीं दो टीचर का अभाव रहता है, कहीं-कहीं खाली एकल टीचर की स्कूलें चल रही हैं, आपके वक्त में करीब पन्द्रह हजार स्कूलें ऐसी होंगी, एकल टीचर रहा। स्कूलें प्रमोट आपने की, पर टीचर आप लगा नहीं पाये। मेरे कहने का, माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही सबमिशन है कि यह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण चिंता का विषय भी है क्योंकि अगर स्कूलें हम खोलते जायें, सर्व शिक्षा अभियान यूपीए गवर्नमेंट आई तब से शुरू किया, सेकण्ड फेज उसका शुरू हो गया, हम सब की चिंता है कि समानीकरण हो, एकीकरण हो, हमने खुद ने इन्टरेस्ट लिया, कि आपने भी प्रयास किये होंगे, हमारी गवर्नमेंट थी तब हमने भी प्रयास किये, तब भी हम लगा नहीं पाये, हमारी मजबूरी अलग थी उसको आप कभी नहीं समझ पाओगे, फिर भी हम लोग भर्ती नहीं कर पाये और जब भर्ती करने का वक्त आया तीस-चालीस हजार टीचर्स का, हाई कोर्ट का स्टे हो गया या स्टे करवा दिया गया। फिर आप सरकार में आये, आपने बड़ी कृपा करके सर्व शिक्षा अभियान का फायदा उठाकर के, जैसा माननीय मंत्रीजी कह रहे थे, आपने बाकायदा भर्ती शुरू की, अच्छा मैसेज गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और घनश्याम तिवाड़ीजी ने बड़ा फैसला किया, आरपीएससी के माध्यम से भर्ती शुरू की, अच्छा फैसला हुआ, जो कुछ भी हुआ, हुआ। हमें उम्मीद थी कि अब कम से कम टीचर हर गांव में पहुंच जायेगा। तो यह बात स्वीकार करनी चाहिए ईमानदारी से सब को, फिर भी गांव में टीचर नहीं पहुंच पाये। आज भी गांव में टीचर्स नहीं पहुंचे हुए हैं यह

(श्री अशोक गहलोत)

हमारे लिए सब का चिंता का विषय बना हुआ है। हमें सबसे पहला काम यह करना चाहिए कि किस प्रकार हम हर गांव में प्राइमरी, मीडिल, सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी स्कूल में टीचर की संख्या, अगर हम या तो खोलें नहीं वाहवाही लेने के लिए, खोलें तो टीचर की संख्या वहां पूरी होनी चाहिए। अब अगर आजादी के 62 साल के बाद में भी अगर यह रहेगा, हम कभी छात्र-विद्यार्थी, विद्यार्थी मित्र, कभी शिक्षा कर्मी, कभी प्रबोधक के नाम से, आपने भी क्या-क्या फैसले किये होंगे, आपका दिल जानता है, मेरे वक्त में भी एक ऐसा मामला आया, मेरा दिल बहुत दुखा कि लेना हमें सिर्फ उन्हीं को जो हमारे विद्यार्थी मित्र हैं या शिक्षाकर्मी हैं, उसके नाम से हम विज्ञापन निकालते हैं पूरा, हजारों छात्र उसमें एप्लाई करते हैं और एक को हम ले नहीं पाये क्योंकि हमें सिर्फ उन्हीं को लेना है जो पहले से तीन साल से काम करते आ रहे हैं, इससे बड़ा धोखा कोई गवर्नमेंट खुद किसी को दे सकती है? बच्चों को, यह धोखे भी दिये हैं हम लोगों ने, तो कृपा करके, कटारियाजी बोल रहे थे, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि आज भी यह प्रोब्लम है, हमें इसका निराकरण करना है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, हमारा पूरा प्रयास रहेगा किस प्रकार से टीचर्स गांव में स्कूल में मौजूद रहें। आपके सात जिले डार्क जोन आपने बना रखे हैं और जो हमारे जयपुर डिवीजन के जो जिले हैं चाहे वह भरतपुर हो, चाहे वह अलवर हो, चाहे सीकर हो, चाहे झुंझुनूं हो, चाहे दौसा हो, चाहे सवाईमाधोपुर हो, वहां के बच्चे जब वहां पर टीचर्स बने हुए हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, आदमी हो या औरत हो, वह चाहते हैं हम अपने जिले में आयें, वह चाहते हैं। हमारी स्कूलें फिर खाली हो जायेंगी, तो एक बड़ा इश्यू बना हुआ है, इसलिए मैं लम्बी बात नहीं करते हुए इतना ही कहना चाहूंगा क्योंकि आपने, नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया है कि सरकार के आदेश से, मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, वहां फैसला हुआ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, हमने इस सेंस में फैसला किया कि जो-जो विभाग की भर्तियां हैं, विभाग स्तर पर जो आरपीएससी के केडर की नहीं है वह विभाग खुद भर्ती करे, अपनी प्रक्रिया अपनाये, आउटसोर्स करे, कुछ भी करे, पर समय पर भर्तियां शुरू हो जाय, हमें भी चिंता लगी हुई है कि चार बार चुनाव की आचार संहिता आ गई, पहले गुर्जर का जो आपने एक्ट पास किया, वह पास किया वह तो एक लम्बी कहानी है, उसके कारण से फिर हाई कोर्ट से स्टे हो गया। स्टे हो गया तो फिर वापिस जब आरक्षण उसमें दिया हुआ था, वह अपने आप ही स्टे हो गया,

(श्री अशोक गहलोत)

उसके बाद नया फैसला हुआ, तो फिर नये आदेश जारी हुए। करते-करते और वास्तव में भर्ती जिस रूप में होनी चाहिए, मैं स्वीकार करता हूं, वह भर्ती नहीं हो पाई। वह हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। हम चाहते हैं कि, अभी इसीलिए मैंने मीटिंग बुलाकर के यह तय किया है, एक तो आपको जानकर, अध्यक्ष महोदय, प्रसन्नता होगी, यूपीएससी की तरह हम चाहते हैं आरपीएससी भी स्टेट लेवल की सर्विसेज, आरएएस, एलाइड सर्विस, सब का कलैण्डर बना दें कि किस मंथ में तो भर्ती निकलेगी, किस मंथ में एग्जाम होंगे, किस मंथ में रिजल्ट आयेंगे, यह आज 22 महीने लगते हैं आपको स्टेट लेवल की सर्विसेज को पूरा करने में, हमने उनको कहा है कि आप इसको 14 महीने के अन्दर-अन्दर, 12 महीने के अन्दर-अन्दर पूरा प्रोसीजर पूरा करने का प्रयास करें। तो कुछ सुधार करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको इस हाउस में, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहूंगा कि वह प्रक्रिया हम ठीक करने के लिए और विकेन्द्रीकरण करने के लिए, एक तरफ हम कहते हैं पंचायतों को अधिकार देना चाहते हैं, तो यह आपके वापिस टीचर्स की भर्ती जो आई है, पंचायतें जब भर्ती करेंगी, उसमें आप लोगों को किसी को एतराज होना नहीं चाहिए, मैं समझता हूं थर्ड ग्रेड टीचर्स की भर्ती पंचायतें करें, हर विभाग की जो वैकेंसी है, वह खुद करे और यह हमारा पार्ट है, हमने वादा किया है कि हम पंचायतों को सशक्त करेंगे, उसके अन्तर्गत हमने फैसला किया है।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त। चर्चा समाप्त।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, इतना ही कहना चाहूंगा कि पहले भी...

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त। श्री दिगम्बर सिंह।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पहले भी पंचायतों के माध्यम से हुआ, कोर्टों में स्टे हुआ, सुप्रीम कोर्ट में स्टे हो गया। 98 का भी स्टे हुआ। उसके बाद आपने निकाला वह भी स्टे हुआ।

श्री अध्यक्ष: श्री दिगम्बर सिंह।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आरपीएससी के माध्यम से जो भर्ती की थी...

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): क्वेश्चन नम्बर 2 ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उस पर कहा कि यही काम इसी प्रकार होना चाहिए। अर्जुन सिंहजी ने पत्र निकाला सारे राज्य में कि उसी प्रकार से भर्ती की जाय।

श्री अध्यक्ष: काहे से संबंधित...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अब आप पुन: उसको चेंज करोगे, फिर कोर्ट में स्टे होगा, आप एक भी भर्ती नहीं कर पायेंगे, मुख्य मंत्रीजी।

डीग के प्राचीन किले का जीर्णोद्धार

2. **डा. दिगम्बर सिंह** (डीग-कुम्हेर): क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि डीग के प्राचीन किले के चारों तरफ की दीवार एवं किले का रास्ता काफी क्षतिग्रस्त है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त किले की दीवार एवं रास्ते के जीर्णोद्धार हेतु बजट स्वीकृत हुआ था? यदि हां, तो कब-कब और कितना-कितना?

(3) क्या सरकार उक्त जीर्ण-शीर्ण दीवार एवं रास्ते का जीर्णोद्धार करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती बीना काक): (1) जी हां। किले की दीवार तथा रास्ता लगभग दस वर्षों से क्षतिग्रस्त है।

(2) जी नहीं। वर्ष 2006-07 में राज्य आयोजना मद से स्वीकृत राशि रुपये 6.97 लाख से किले में अवस्थित क्षतिग्रस्त एक भवन की मरम्मत, प्लास्टर, छतें, दरवाजे आदि कार्य करवाये गये हैं।

(3) जी हां। डीग किले की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट वास्तुविद सलाहकार से तैयार करवायी जाकर बजट की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से जीर्णोद्धार के कार्य करवाये जाने पर विचार किया जायेगा।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के खण्ड एक में लिखा है कि किले की दीवार तथा रास्ता लगभग दस वर्षों से खराब है। मैं डीग में पढ़ता था क्लास सेवंथ में, 66-67 की बात है, तब से स्थिति उस किले की खराब होती आ रही है और आज तो बिल्कुल बदतर है। अध्यक्ष महोदय, डीग के किले पर आज..(व्यवधान) आप सुनें एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: कृपया व्यवस्था बनाये रखें।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आज भी हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी

(डा. दिसम्बर सिंह)

तोप लाखा तोप के नाम से जो है वह डीग के किले पर लाखा बुर्ज पर रखी हुई है परन्तु बुर्ज पर जाने तक का रास्ता भी आज बंद है, उसकी सीढ़ियां भी खतम हो चुकी हैं। चारों तरफ एक डीग कैनाल डीग में बनी हुई है, डीग की कैनाल के चारों तरफ पानी इतनी बुरी तरह सड़ा हुआ है कि उसमें महामारी फैलने की डीग में पूरी-पूरी संभावना है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यह इस डीग के किले के चारों तरफ जो कैनाल बनी है उसकी दीवार और कैनाल की सफाई करने का इरादा रखते हैं क्या? नम्बर एक। और आपने जो इसमें उत्तर दिया है कि वास्तुविद सलाहकार से तैयार करवा कर विस्तृत परियोजना और चरणबद्ध तरीके से इसका हम जीर्णोद्धार करेंगे, तो अभी तक सरकार ने किसी वास्तुविद को इसके लिए एंगेज किया है, कोई आदेश सरकार ने दिये हैं क्या, क्योंकि केवल विधान सभा को टालने तक का ही अगर मामला हो तो, अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा दुखद है क्योंकि मोन्यूमेंट्स के संरक्षण के अपन भाषण तो बहुत लम्बे-चौड़े देते हैं, आज डीग का ऐतिहासिक किला, डीग के ऐतिहासिक महल, डीग में छह तारीख से मेला शुरू होने जा रहा है पहली सरकार होगी जिसमें रंगीन फव्वारे जो डीग में चलते थे इस बार नहीं चल पाएंगे। क्योंकि पानी की व्यवस्था अभी तक महल में नहीं हो पाई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि उस मेले में क्या रंगीन फव्वारे उन महलों में चलवाने की आपकी कोई योजना है? क्योंकि हर साल उसमें चलते हैं, लोग देखने आते हैं और आप कब तक इसकी विस्तृत, रिपोर्ट तैयार करने की कह रहे हैं यह कब तक आप तैयार कर लेंगे और उस कैनाल की सफाई की कोई योजना और बाउण्ड्रीवाल की पूरी रिपेयरिंग की कोई योजना आपकी है तो यह मुझे बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष: यह प्रश्न तो दीवार ढहने से है, फव्वारों से संबंधित नहीं है।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ...(व्यवधान) डीग से आने वाले माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, वह सही है माननीय अध्यक्ष महोदय और यह जो डीग के महल हैं और किला है यह बहुत ही महत्वपूर्ण किला है और इसमें जो नहर आसपास खुदी हुई है, भिति चित्र भी हैं, कुछ काम तो हुए उसमें करीब सात लाख के करीब के और ए.एस.आई. की तरफ से भी महलों

(श्रीमती बीना काक)

में काम हुए हैं। लेकिन इस किले के ऊपर ज्यादा काम नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूं कि राजस्थान भर में ऐसी बहुत ही पुरा संपदा बिखरी हुई हैं, चाहे वह गांवों और ढाणियों में इस तरह के अवशेष मिलेंगे, मंदिर, बावड़ियां, किले, राउले मतलब हर जगह बिखरी हुई है यह पुरा संपदा और अगर राजस्थान सरकार का पूरा ही धन अगर इनको समेटने में लग जाए तो भी वह कम पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको यह आश्वासन देना चाहती हूं, आपसे मैंने पहले भी कहा था कि मैं स्वयं आकर के उसको देखूंगी और जो कंसल्टेंट आर्किटेक्ट हैं उनको बुलाकर के मैं बात करती हूं। जहां तक नहर की सफाई का सवाल है वह तो नगरपालिका या नगर निगम जो भी वहां है उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे। साथ ही इर्रिगेशन मंत्री जी जो नहर का महकमा देखते हैं उनसे भी मैं बात करके इसकी सफाई के लिए बात करती हूं और कलक्टर से जो आपने फव्वारे चलाने की बात की, उसकी क्या वस्तु स्थिति है मुझे इस वक्त ध्यान में नहीं है, वह रंगीन फव्वारे किस स्थिति में हैं तो मैं आपको वह बता दूंगी।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, फव्वारे तो बिलकुल सही स्थिति में हैं केवल पानी...

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): आप पधारोगे तो अपने आप रंगीन हो जाएंगे।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आप पधार जाए तो रंगीन हो ही जाएंगे अपने आप ही, उसमें केवल पानी की व्यवस्था करने की बात है। एक तरफ तो यमुना फ्लड के कारण से बहुत बुरी हालत हो रही है दूसरी तरफ भरतपुर की जो फ्लड वाटर को लाने की व्यवस्था है, वह व्यवस्था खराब हो रही है तो पानी यमुना से लाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है और यह पहली बार होगा कि रंगीन फ़व्वारे डीग के मेले में नहीं चले हैं। इसलिए मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं और अध्यक्ष महोदय, आपके सामने इसी सदन में माननीय मंत्री महोदय ने मेरे को कहा था कि मैं आपके साथ चलूंगी डीग और मैं खुद देखूंगी, मैंने कहा जब तक मेरे साथ चलोगी नहीं तब तक सवाल लगते रहेंगे और मैं पूछता रहूंगा और आप यह आश्वासन यहां देती रहेंगी। इसलिए केवल आश्वासन से अध्यक्ष महोदय काम नहीं चलने वाला है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप यह पूछना चाहते हैं आपके साथ कब चलें?

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): बात आपके सामने है, आप तय कर दीजिए कौनसी तारीख को आप मेरे साथ डीग चलने के लिए तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष: आपके साथ कब जाएं?

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मेरे साथ चलने के लिए, मेरे साथ जाने की बात हुई थी, आप कार्यवाही निकलवा के देख लीजिए।

श्री अध्यक्ष: अगर किसी को एतराज नहीं होगा इसमें?

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): नहीं, नहीं कोई एतराज नहीं है ... (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): डीग से आने वाले माननीय सदस्य को मैं यह कहना चाहती हूं कि अगर मेरे आने से ही रंगीनियत आती है तो मैं 6 तारीख को आऊंगी, 6 तारीख को आपके मेले में आकर शिरकत करूंगी और आप मेरा फिर उसी तरह से स्वागत करेंगे जिस तरह से एक भाई बहिन का स्वागत करता है तो 6 तारीख को आऊंगी।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): बिलकुल स्वागत मैं उसी तरह से करूंगा और मेरे साथ हमारे घनश्याम जी भी जाएंगे।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): बिलकुल पूरा मान सम्मान के साथ।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती दीपा जी।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई): अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही दुःख की बात होगी अगर डीग में रंगीन फव्वारे हमारे नहीं चले तो, दुनिया भर के लोग आते हैं वहां पर, माननीय इर्रिगेशन डिपार्टमेंट के मंत्री जी यहां बैठे ही हैं यूपी मंत्री से बात कर लें और आगरा कैनाल से होते हुए हातिया होकर के पानी भेज दें डीग के तालाब में और आपके फव्वारे चल जाएंगे।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): मैंने कह ही दिया है मैं इनसे बात करके, मैं आकर के देखूंगी, फिर आप और मैं यह साथ में है, दिगम्बर सिंह जी साथ में है फिर काई को चिंता कर रही हो।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई): यह पानी का राग है, पानी जल्दी आ जाएगा।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): हो जाएगा, सब हो जाएगा काम, आपका, हमारा सबका।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, हमने तो पिछली विधान सभा में भी कहा था साथ चलने के लिए लेकिन मंत्री लोग सेक्रेटेरिएट के कमरों से तो बाहर निकलो तब जाकर के पहुंचेंगे वहां पर।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): आ रही हूं 6 तारीख को।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ...(व्यवधान. मुख्य मंत्री जी राजस्थान की जनता त्रस्त हो रही है सेक्रेटेरिएट के कमरों से बाहर निकालो इनको।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): एक मिनट बिरला जी।

श्री अध्यक्ष: मतलब आपको तकलीफ यह है कि मंत्री सेक्रेटेरिएट के कमरों में क्यों घुस गए?

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री विराजमान हैं सदन में, मैंने कल भी कलक्टर भरतपुर से टेलीफोन पर बात की। कलक्टर भरतपुर तो मुझे लगता है कि आपने शायद अगर वहीं लगे रहे तो मेरे हिसाब से तो हमारे लिए तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं परन्तु आपके लिए ऐसी खाई खोद जाएंगे वो निश्चित बात मान लें आप। तो मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं आपने पिछले परिणाम देखे भरतपुर संभाग में स्थानीय निकाय में जिले में ही नहीं, संभाग में अभी तक कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया है और अगर यही हाल रहा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं अभी दिसम्बर में चुनाव होंगे खाता कांग्रेस का भरतपुर में नहीं खुलेगा।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): छोड़ो-छोड़ो इन बातों को।

श्री अध्यक्ष: आपका प्रश्न क्या है? भाषण नहीं, पूरक प्रश्न क्या है?

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): दो तारीख से मेला है, रंगीन फव्वारे चलाने की व्यवस्था तुरन्त करवायें नम्बर एक और नम्बर दो रिपेयर की व्यवस्था, उसके बजट का प्रावधान माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, यह चलेंगे तो निश्चित रूप से वहां की कोई डीपीआर बनेगी तो काम होगा।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त। श्री विजय बंसल।

भरतपुर विधान सभा क्षेत्र के पुलिस थानों में निरीक्षक स्तर के अधिकारियों का पदस्थापन

3. **श्री विजय बंसल** (भरतपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में कितने पुलिस थाने संचालित हैं और कितने थानों पर निरीक्षक स्तर के अधिकारी तैनात हैं?

(श्री विजय बंसल)

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के कितने थाने ऐसे हैं, जिन पर निरीक्षक नहीं हैं और उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी ही थाने को संभाल रहे हैं?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सभी थानों के रिकार्ड के अनुसार वर्ष 2009 के मुकाबले वर्ष 2010 में अपराधों में वृद्धि हुई है? यदि हां, तो गत आठ माह का अपराधों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि जिन थानों में उप निरीक्षक तैनात हैं, वहां निरीक्षक स्तर के थानों के मुकाबले अपराधों की संख्या ज्यादा है?

(5) क्या यह भी सही है कि निरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी पुलिस लाइन भरतपुर में पदस्थापित हैं? यदि हां, तो कितने?

(6) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के सभी थानों में निरीक्षक स्तर के अधिकारी लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(7) उक्त विधान सभा क्षेत्र में संचालित थानों में कितने निरीक्षक और उप निरीक्षक ऐसे हैं जिनको किसी न किसी मामले में दोषी करार दिया हुआ है और कितनों के विरूद्ध जांच लंबित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या निरीक्षक और उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों के ऊपर यह नियम लागू है कि दागी अधिकारी को फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जायेगी? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के थानों में ऐसे कौन-कौनसे अधिकारी लगे हुए हैं?

(9) क्या सरकार उक्त थानों से दागी अधिकारियों को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

गृह मंत्री (श्री शांती कुमार धारीवाल): (1) विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में कुल 7 थाने संचालित हैं। इन थानों में से 5 थानों कोतवाली शहर, मथुरागेट, अटलबंद, सेवर, उद्योग नगर पर पुलिस निरीक्षक स्तर के थानाधिकारी तैनात हैं एवं 2 थानों महिला थाना, चिकसाना पर उप निरीक्षक स्तर के थानाधिकारी तैनात हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के अन्तर्गत आने वाले थानों पर स्वीकृत पद के अनुरूप ही पुलिस निरीक्षक एवं उप निरीक्षक स्तर के थानाधिकारी तैनात हैं। विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में पुलिस निरीक्षक पद के किसी भी थाने को थानाधिकारी की हैसियत से उप निरीक्षक स्तर का कोई भी अधिकारी नहीं संभाल रहा है।

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

(3) उक्त सभी थानों में वर्ष 2009 के मुकाबले वर्ष 2010 में अपराधों की स्थिति बाबत् गत आठ माह का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	नाम थाना	वर्ष 2009 में माह अगस्त तक दर्ज अपराधों की संख्या	वर्ष 2010 में दिनांक 24.8.2010 तक दर्ज अपराधों की संख्या	अपराधों में हुई वृद्धि की संख्या	अपराधों में हुई कमी की संख्या	बढ़ोतरी / कमी प्रतिशत
1	कोतवाली शहर	395	470	75	-	18.98
2	मथुरागेट	545	598	53	-	09.72
3	अटल बंद	194	158	-	36	18.55
4	उद्योग नगर	172	203	31	-	18.02
5	सेवर	343	327	-	16	04.66
6	चिकसाना	210	235	25	-	11.90
7	महिला थाना	131	158	27	-	20.61
8	**कुल योग**	**1990**	**2149**	**271**	**52**	**-**

उक्त अवधि में 219 अपराध बढ़े हैं जो लगभग 10 प्रतिशत हैं।

(4) जी नहीं। अपराधों की स्थिति बाबत् उत्तर के बिन्दु संख्या 3 पर तालिका में अंकित है।

(5) जी हां। निरीक्षक स्तर के 8 पुलिस अधिकारी पुलिस लाइन भरतपुर में पदस्थापित हैं।

(6) विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के थाना चिकसाना व महिला थाना भरतपुर में निरीक्षक स्तर के अधिकारी लगाने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन है।

(7) विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में संचालित थानों में पदस्थापित तीन निरीक्षकों एवं आठ उप निरीक्षकों को दी गई सज़ा व दो उप निरीक्षकों के विरूद्ध लंबित जांचों का विवरण परिशिष्ट ''क'' एवं ''ख'' पर संलग्न है।

(8) जी हां। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ-4(6) डीओपी/ए-3/78 दिनांक 6.12.2001 के तहत दागी अधिकारी की परिभाषा दी

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

गई है कि जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को आपराधिक प्रकरणों में अथवा 16 सीसीए नियम के तहत सरकार को हानि पहुंचाने/सरकारी धन का दुरूपयोग करने या उसका गबन करने अथवा गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं करने जैसे आरोपों के लिए दण्डित किया जा चुका है अथवा इस प्रकार के मामले उनके विरूद्ध लंबित हैं तो उन्हें फील्ड पोस्टिंग से हटा लिया जाए तथा भविष्य में उन्हें फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाए...

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): फिर भी लगे हुए हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): हां, वो आपके यहां होंगे ये भरतपुर का मामला है।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): राजस्थान का ही है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप पूछ लेना तब बता देंगे।

विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में उक्त परिभाषा के तहत कवर होने वाले किसी भी अधिकारी को फील्ड पोस्टिंग नहीं दी गयी है।

(9) विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के अन्तर्गत उक्त परिभाषा के तहत कवर होने वाला कोई भी अधिकारी थानाधिकारी के पद पर पदस्थापित नहीं है। पदस्थापित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध जो जांच जैरकार है या शिकायत प्राप्त होने पर, जांच में यदि परिपत्र दिनांक 23.07.2003 में वर्णित आरोपों में दोषी प्रमाणित होने पर पदों से हटाने की कार्यवाही सम्भव है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री विजय बंसल (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि भरतपुर विधान सभा क्षेत्र के अलावा भरतपुर जिले में ऐसे कितने थाने हैं जो निरीक्षक स्तर के हैं और वहां उप निरीक्षक तैनात हैं? नंबर-2 – आपने खंड-5 में बताया कि निरीक्षक स्तर के 8 पुलिस अधिकारी पुलिस लाइन में पदस्थापित हैं तो ऐसे क्या कारण हैं कि उनको खाली थानों पर नहीं लगाया जाता? नंबर-3 – जैसा कि आपने खंड-6 में बताया कि भरतपुर के थाना चिकसाना एवं महिला थाने में पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारी लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है तो ये विचाराधीन खत्म होकर कब तक लगा दिया जाएंगे? नंबर -4 भरतपुर जिले में बढ़ते हुए क्राइम में पिछले एक महीने में आठ मर्डर हुए हैं दो कुम्हेर, दो कामां, एक नदबई, एक भरतपुर तो ऐसे क्या कारण हैं कि

(श्री विजय बंसल)
पुलिस संभाग मुख्यालय पुलिस महानिरीक्षक के होते हुए भी थाने के बीस मीटर दूरी पर दिनदहाड़े मर्डर और डकैतियां हो रही हैं? कृपया जवाब दें।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): कुम्हेर में तीन हैं।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): तीन हो गये क्या? एक आज बढ़ गया होगा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा कि भरतपुर जिले में जो निरीक्षक स्तर के थाने हैं वो ऐसे कितने थाने हैं जहां पर निरीक्षक का पद स्वीकृत है और लगा रखा है उप निरीक्षक। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि भरतपुर विधान सभा क्षेत्र में एक भी थाना ऐसा नहीं है।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): भरतपुर जिले की पूछ रहा हूं, साहब।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): हां, जिले की पूछ रहे हैं मैं वो भी बता रहा हूं और सवाल आपका भरतपुर शहर के बाबत था लेकिन जिले के लिए पूछ रहे हैं तो जिले के लिए भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुल मिला कर 24 थाने भरतपुर जिले में मौजूद हैं जिनमें 12 थानों में निरीक्षक का पद स्वीकृत है और 12 ही थानों में उप निरीक्षक का पद स्वीकृत है। कुल मिला कर सिर्फ दो थाने ऐसे हैं आउट आफ 24 एक तो कुम्हेर और एक थाना वैर जहां पर कि निरीक्षक का थाना है लेकिन उप निरीक्षक लगा रखा है उसके भी कई कारण हैं दूसरी बात आपने पूछा कि निरीक्षक जो हैं वो ...

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): वो कई कारण हैं वो भी बता दें आप।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): वो कारण मैं बता दूंगा आपको। आपने दूसरा सवाल यह पूछा कि भरतपुर की पुलिस लाइन में 8 पुलिस निरीक्षकों को क्यों पदस्थापित कर रखा है। चार पद तो वहां पर सैंक्शंड पोस्ट के अगेंस्ट में लगा रखे हैं एक आर.आई. होता है और तीन सी.आई. जिनकी सैंक्शंड पोस्टें हैं वो लगा रखे हैं। चार ऐसे हैं जो शिकायतन लगा रखे हैं। यह आम तौर पर एक परम्परा है कि जिसकी शिकायत हो जाती है उसको या तो जिला दूसरा दे दिया जाता है या पुलिस लाइन में भेज दिया जाता है तो चार हैं मैं आपको नाम बता देता हूं महेश कुमार, दिनेश वशिष्ठ, हजारीराम और गिरधारी लाल। ये चार तो वहां पर सैंक्शंड पोस्ट के अगेंस्ट में लगे हुए हैं और चार ऐसे निरीक्षक हैं कैलाश चंद मीणा, रवीन्द्र कुमार, परमाल सिंह और

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

अश्विनी कुमार जिनके खिलाफ कुछ न कुछ शिकायतें थी। इन शिकायतों के कारण उनको थानों से हटा करके पुलिस लाइन में पदस्थापित कर दिया गया है। इनके खिलाफ क्या-क्या शिकायतें थीं वो भी मैं आपको बता देता हूं। कैलाश चंद मीणा के खिलाफ एसीबी द्वारा ट्रेप किया गया था ये उस पर निलम्बन चल रहा है इसका। निलंबन के दौरान इसको पुलिस लाइन में भेज दिया गया है। दूसरा रवीन्द्र कुमार ये भी एसीबी के द्वारा ट्रेप किया गया है और एसीबी के ट्रेप करने के कारण ये अनुसंधानाधीन है और उक्त पुलिस निरीक्षक दिसम्बर, 2009 से स्वेच्छा से गैर हाजिर चल रहा है लेकिन इसकी पोस्टिंग पुलिस लाइन में कर रखी है। परमाल सिंह, महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर के द्वारा इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत नियम 16 सी.सी.ए. के तहत चल रही है। चौथा है अश्विनी कुमार, महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर के द्वारा इनके विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है और 16 सी.सी.ए. के तहत ही कार्यवाही जैरकार है। ये आठ आदमी हैं जो पुलिस लाइन में मौजूद हैं। चार सैंक्शंड पोस्टों के और चार शिकायतन वहां पर भेजे गये हैं। तीसरा प्रश्न आपने यह पूछा था कि चिकसाना और महिला थाना इन दोनों में ये जो दोनों थाने सब इंस्पेक्टर के हैं इन पर सी.आई. लेवल के अफसर कब तक लगा दिये जाएंगे तो मैंने आपको पहले उत्तर में भी अर्ज किया है कि ये विचाराधीन हैं और जल्दी ही इस पर फैसला ले लिया जाएगा। चौथा आपने यह पूछा है कि आठ मर्डर हो गये, मैंने आपको खंड-3 में पूरी टेबल दी है और इस टेबल में मैंने आपको पूरा बताने की कोशिश की है वर्ष 2009 माह अगस्त तक दर्ज अपराधों की जो संख्या थी वो कुल मिला कर 1990 थी और 2010 में जो अपराधों की संख्या आयी 24.8.10 तक वो कुल मिला कर 2139 आयी इसका मतलब यह है कि 271 के करीब-करीब अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है लेकिन दो थानें ऐसे थीं जिनमें कि अपराधों में कमी भी आयी है। वो कमी आयी है 52 की तो कुल मिला करके ये जो अपराध बढ़े हैं मैं स्वीकार करता हूं कि निश्चित तौर पर अपराध बढ़े हैं लेकिन इनका प्रतिशत दस प्रतिशत के आस-पास बैठता है।

एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो चिकसाना के बाबत आपने बताया है तो ये चिकसाना में जो अपराध बढ़े हैं वो अपराध इस वजह से नहीं बढ़े कि ये सब इंस्पेक्टर का थाना था ठीक इसी तरीके से महिला थाने में भी जो अपराध बढ़े हैं वो इस वजह से नहीं बढ़े हैं कि ये सब इंस्पेक्टर का थाना था लेकिन इनका एरिया बहुत बड़ा है। महिला थाने का पूरा जिला एरिया

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

है शहर के अलावा पूरे जिले में आता है और चिकसाना का भी जो एरिया है उसका क्षेत्रफल भी काफी बड़ा है और जनसंख्या भी काफी बड़ी है तो इसलिए इसमें कुछ बढ़ोतरी जरूर हुई है इसमें कोई दोराय नहीं है। लेकिन जो आपने यह बात उठायी कि आठ मर्डर हो गये निश्चित तौर पर मैं यह मान करके चलता हूं कि ये हुए हैं और इसमें अनुसंधान जारी है और कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं और निकट भविष्य में मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं कि ये सारे मर्डर खोल दिये जाएंगे और जितने भी मुल्जिम हैं, उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही और वक्त पर चालान पेश किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो आपने दो थाने निरीक्षक स्तर के खाली बताये हैं इन पर निरीक्षक स्तर के कब तक लगा दिये जाएंगे? नंबर-1, नंबर-2 जो दागी अफसर पुलिस लाइन में मौजूद हैं क्या भरतपुर ही ऐसा चरागाह है जहां जितने दागी अफसर जिस किसी डिपार्टमेंट के हों, सज़ा देनी हो तो उनको उठाकर के भरतपुर फेंक दिया जाता है उन दागियों को लाइन से हटाकर के कहीं अन्यत्र करके फ्रेश लगाने का क्या सरकार कोई विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: श्री दिगम्बर सिंह।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो अभी कहा कि ये दो थाने हैं एक तो महिला थाना और चिकसाना थाना इनका क्षेत्रफल भी ज्यादा है। शायद हमारे विधायक बंसल जी इस बात को थोड़ा सा भूल गये हैं, चिकसाना थाने का क्षेत्रफल ज्यादा नहीं है। महिला थाने का तो निश्चित रूप से पूरे जिले का एरिया है। परन्तु चिकसाना थाने में तो नया थाना बना था उसका क्षेत्रफल मेरे ख्याल से बाकी थानों से भी छोटा है।

श्री अध्यक्ष: शोर्ट करें, शोर्ट करें, टाइम समाप्त हो गया है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): परन्तु उसका क्राइम बढ़ने का कारण है क्योंकि वह बार्डर पर है। यू.पी. के बार्डर पर चिकसाना थाना स्थापित है।

श्री अध्यक्ष: शोर्ट करें, माननीय सदस्य।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): इसलिये बहुत इम्पोर्टेण्ट है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो क्राइम रेट भरतपुर में बढ़ रही है कि एक थाने में नहीं पूरे जिले में, उधर हरियाणा बार्डर लग रहा है, इधर यू.पी. बार्डर लग

(डा. दिगम्बर सिंह)

रहा है। तो क्राइम रेट जिस तरह से बढ़ रही है वह बहुत चिन्ता का विषय है। मैं आपकी जानकारी के लिये बताना चाह रहा हूं कि आजकल भरतपुर में व्हीकल थेफ्टनिंग तो...

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें, समाप्त करें।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): एक मिनट, सर, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं मंत्रीजी।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): एक मिनट, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट नहीं, टाइम हो चुका है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): व्हीकल थेफ्ट की तो रिपोर्ट लेना बंद कर दिया, एफ.आई.आर. ही दर्ज नहीं करते व्हीकल थेफ्ट की तो। ट्रैक्टर चोरी का पूरा इतना बड़ा वहां पर नेटवर्क काम कर रहा है कि ट्रैक्टर चोरी होने के बाद पुलिस वाले भी पैसे देकर ही ट्रैक्टर को वापस लाते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी। विराजें, विराजें, विराजें। मंत्रीजी, एक मिनट में समाप्त करें।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): कभी आज तक किसी को बुलाया नहीं। तो मैं आपको भी निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें थोड़ी सी सतर्कता रखने की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): जैसा आपने बताया कि चिकसाना का क्षेत्रफल बड़ा नहीं है। चिकसाना का क्षेत्रफल बड़ा है। चूंकि इसमें गांव का पूरा इलाका लगता है, शहर के साथ-साथ। इसमें जनसंख्या भी बढ़ी है। और तीसरी बात मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान) डाक्टर साहब, एक मिनट, तीसरी बात मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अपराध बढ़े हैं यह तो मैं स्वीकार करता हूं लेकिन 2009 के माह अगस्त तक यहां पर कुल अपराधों की संख्या 210 थी और 2010 में जाकर यह 235 हुए हैं, कुल मिलाकर 15 अपराध जरुर बढ़े हैं। और जैसी आपने शिकायत की है कि यह एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की जाती है, यह नहीं की जाती है, कई बार आप मिलते रहते हैं लेकिन आपने कभी यह शिकायत नहीं की है। आप मुझे लिख कर दें, क्या-क्या है, मैं निश्चित तौर पर उस पर गौर करवा करके उस पर कार्यवाही करवाने की कोशिश करुंगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त।

(शेष तारांकित एवं अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे पृष्ठ संख्या-168 पर देखें)

(श्री अध्यक्ष)

अनुपस्थिति अनुमति

राजेन्द्र सिंह गुढा, श्री, सदस्य को 30 अगस्त, 2010 से सत्रांत तक अनुपस्थित रहने की अनुमति

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री राजेन्द्र सिंह गुढा, सदस्य, विधान सभा ने उदयपुर वाटी से रामदेवरा की पैदल यात्रा में जाने के कारण दिनांक 30 अगस्त, 2010 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

भवानीसिंह राजावत, श्री, सदस्य को 30 अगस्त, 2010 से सत्रांत तक अनुपस्थित रहने की अनुमति

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री भवानी सिंह राजावत, सदस्य, विधान सभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण 30 अगस्त, 2010 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

गणेश सिंह परमार, श्री, सदस्य को 30 अगस्त, 2010 से सत्रांत तक अनुपस्थित रहने की अनुमति

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री गणेश सिंह परमार, सदस्य, विधान सभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण 30 अगस्त, 2010 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

(श्री अध्यक्ष)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री ओम बिरला एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से धौलपुर स्थित राजस्थान एक्सप्लोसिव एण्ड कैमिकल लिमिटेड से अन्य राज्यों को भेजे गये विस्फोटकों के ट्रकों के बीच में ही गायब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
2. श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से धौलपुर की राजस्थान एक्सप्लोसिव एवं कैमिकल्स फैक्ट्री से सागर (मध्य प्रदेश) की फर्म को भेजे गये बारूद के ट्रक रास्ते से गायब हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह देश की सुरक्षा से सम्बन्धित प्रश्न है। ऐसे मत करो, साहब।

श्री अध्यक्ष: व्यवस्था बनाये रखें, व्यवस्था बनाये रखें। (व्यवधान) कृपया व्यवस्था बनाये रखें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): यह देश की सुरक्षा से जुड़ा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: कृपया व्यवस्था बनाये रखें।

3. श्री अमराराम एवं एक अन्य सदस्य की ओर से राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
4. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से पाकिस्तान से जुड़ी राजस्थान की सीमा पर पाक जासूसों की अवैध रूप से बसावट से राष्ट्रीय सुरक्षा को उत्पन्न हो रहे खतरे के सम्बन्ध में।
5. डा. दिगम्बर सिंह एवं 10 अन्य सदस्यों की ओर से वर्ष 2008-09 के बजट में भरतपुर सम्भाग में मेडिकल कालेज एवं महाराज सूरजमल विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा पर अमल करने के सम्बन्ध में।
6. श्री कालीचरण सराफ एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से जयपुर शहर में सड़कों पर हो रहे गढ्ढों की वजह से आये दिन होने वाली दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में।
7. श्री राधेश्याम गंगानगर एवं दस अन्य सदस्यों की ओर से पाकिस्तान जा रहे सतलुज व्यास के पानी को रोकने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

8. श्री प्रभुलाल सैनी एवं छह अन्य सदस्यों की ओर से महानरेगा योजना के अन्तर्गत टोंक व बूंदी जिलों में निर्धारित मजदूरी से कम राशि का भुगतान करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

9. श्री राव राजेन्द्र सिंह एवं एक अन्य सदस्य की ओर से रावतभाटा परमाणु बिजली घर के लिए बरते जा रहे सुरक्षा उपायों का नई तकनीक से नवीनीकरण करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

10. श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से पाली जिले की रोहट तहसील के गांवों में 50 प्रतिशत से अधिक खरीफ फसल में किसानों को दिये गये आदान अनुदान के सम्बन्ध में।

11. श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं 10 अन्य सदस्यों की ओर से खाद्य निगम के गोदामों में सड़ रहे अस्वास्थ्यकर अनाज व आटे का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कर गरीबों के स्वास्थ्य के साथ हो रहे खिलवाड़ के सम्बन्ध में।

12. श्री पेमाराम, सदस्य की ओर से शेखावाटी क्षेत्र के सीकर, झुंझुनूं व चूरू के विद्यार्थियों के लिए शेखावाटी विश्वविद्यालय की स्थापना करने के सम्बन्ध में।

13. श्री छोटूसिंह भाटी एवं 6 अन्य सदस्यों की ओर से श्री भादरियाराय मंदिर क्षेत्र की गौशाला के ओरण से गौवंश को आदतन अपराधियों द्वारा वध के लिए ले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाये। अत: अनुमति देने में तो असमर्थ हूं, फिर भी माननीय सदस्य श्री ज्ञानचन्द पारख, श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री पेमाराम एवं श्री छोटूसिंह भाटी को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

1. श्री बाबूसिंह राठौड़, सदस्य की ओर से मरुस्थलीय क्षेत्रों हेतु नवीन ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन के लिए निर्धारित हिस्सा राशि 7.00 लाख रुपये को न्यूनतम 3.00 लाख रुपये व जनसंख्या 5000 के स्थान पर 3000 करवाने की शिथिलता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

2. श्री रामनारायण मीणा, सदस्य की ओर से कोयला वाश करने वाली कम्पनी मैसर्स आर्यन वेनिफिकेशन कोल लिमिटेड द्वारा घटिया कोयले की आपूर्ति कर राज्य सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाने की जांच सी.बी.आई. से करवाने के सम्बन्ध में।

3. श्री ओटाराम देवासी, सदस्य की ओर से सिरोही विधान सभा क्षेत्र के मनादार, कैलाशनगर तथा इन गांवों से लगती आबादी में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति के सम्बन्ध में।

4. श्री पवन दुग्गल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के बी.ई.ई.ओ. कार्यालय द्वारा समानीकरण व एकीकरण प्रक्रिया में निर्देशों की अवहेलना किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

5. श्री दौलतराज, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में राष्ट्रीय ग्रामीण योजना (नरेगा) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लघु एवं सीमान्त किसानों को सिंचाई सुविधा हेतु बड़ी डिग्गियों का निर्माण कार्य अधूरा रहने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

6. श्री अमराराम, सदस्य की ओर से विद्याधर नगर डिपो की जयपुर से कुचामन बसों को वाया करड, नौसाल, डांसरोली, सुरेरा, राजलिया, मुआणा होकर संचालित करने के सम्बन्ध में।

7. श्रीमती निर्मला सहरिया, सदस्य की ओर से राज्य बीमा विभाग, बारां में मृत अध्यापकों के आश्रितों को राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि के क्लेम भुगतान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

8. श्री अब्दुल सगीर खां, सदस्य की ओर से राजस्थान वक्फ बोर्ड एवं उसकी करोड़ों रुपये की सम्पत्तियों की बदहाली के सम्बन्ध में।

9. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से जोधपुर शहर में सड़कों की दुर्दशा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

10. श्री कानसिंह कोटड़ी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना में वर्षा से बाधित रहे स्थानों/रास्तों को सुधारने के सम्बन्ध में।

11. श्री बंशीधर खण्डेला, सदस्य की ओर से सीकर शहर में शेखावाटी विश्वविद्यालय की स्थापना करने के सम्बन्ध में।

12. डा. गोपाल जोशी, सदस्य की ओर से इंदिरा गांधी नहर परियोजना में बी.एफ.सी. द्वारा पदों को समाप्त करने की सिफारिश किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री ज्ञानचन्द पारख।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान को 20 हजार.........(व्यवधान) 15 दिन से लोग हड़ताल पर हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सदन की कार्यवाही चलने दें।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): 15 दिन से लोग वहां पर बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया आप विराज जाएं। (व्यवधान) माननीय सदस्य, कृपया आप विराज जाएं। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): भूखे-प्यासे बैठे हैं। पाकिस्तान को पानी जा रहा है। (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): पूरे राजस्थान के अन्दर इतनी जबरदस्त बरसात हुई है। हमारे इलाके के अन्दर....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कृपया विराजें। (व्यवधान) श्री ज्ञानचन्द पारख। (व्यवधान) श्री ज्ञानचन्द पारख के अलावा किसी भी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) किसी भी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा। श्री ज्ञानचन्द पारख। (व्यवधान) श्री ज्ञानचन्द पारख के अलावा किसी भी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री विजय बंसल (भरतपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें। आसान पांवों पर है। उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य और एक अन्य सदस्य ने जो मामला उठाया है, मैंने भी गम्भीरता को इग्नोर नहीं किया है। सरकार के पास जवाब देने के लिये भेजा है। आप धैर्य तो रखें। श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जवाब आने दें। अंकित नहीं होगा। किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा, केवल ज्ञानचन्द पारख।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ×××

श्री अध्यक्ष: जवाब तो आने दीजिए, जवाब तो आने दीजिए पहले। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानचन्द पारख को मैंने अलाऊ किया है और सब माननीय सदस्य कृपया विराज जाएं। श्री ज्ञानचन्द पारख । कृपया माननीय सदस्य, विराजें। केवल ज्ञानचन्द पारख। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, हाउस को आर्डर में लाइये। हाउस को आर्डर में लाइये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ×××

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री अध्यक्ष: मैंने रिजेक्ट नहीं किया है। मैंने रिजेक्ट नहीं किया है। मैंने सरकार को भेजा है। अगर गम्भीर नहीं मानता तो सरकार को भेजता ही नहीं सीधा रिजेक्ट कर देता। कृपया व्यवस्था बनाये रखें और विराजें। आप कृपया विराजिये। श्री ज्ञानचन्द पारख। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानचन्द पारख। माननीय सदस्य, कृपया आप विराजिये। कृपया आप विराजिये। श्री ज्ञानचन्द पारख। श्री ज्ञानचन्द पारख, आपको नहीं बोलना है क्या? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप विराजें। माननीय सदस्य, गम्भीरता देखते हुए तो मैंने सरकार को भेजा है वरना रिजेक्ट कर देता।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप बहुत वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं कृपया आप विराजें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानचन्द पारख। श्री ज्ञानचन्द पारख, आप शुरू करिये। माननीय सदस्य, आप बोलना नहीं चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): आप हाउस को आर्डर में लाइये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप शुरू करिये। आप शुरू करिये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, हाउस को आर्डर में लाइये साहब, नहीं तो मैं क्या बोलूं? हाउस को आर्डर में तो लाओ। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप शुरू करिये। माननीय सदस्य, मैंने सरकार को भेजा है जवाब के लिए। रिजेक्ट नहीं किया है। उस पर सरकार का जवाब आना है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: सदन में आप ...(व्यवधान) यदि मैं इसकी गम्भीरता नहीं मानता तो सरकार को नहीं भेजता आउटराइट रिजेक्ट करता। मैंने रिजेक्ट नहीं किया है। यानी केवल दो मिनट, केवल दो मिनट ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: क्या आप चाहते हैं कि रिजेक्ट करके दो मिनट आपको बुलवाया जाए? क्या आप केवल इतना ही चाहते हैं? आपकी गम्भीरता किसमें है? दो मिनट बोलने में है या जवाब आने में है? आप केवल दो मिनट बोल कर समाप्त करना चाहते हैं इस प्रकरण को? आप चाहते क्या हैं? क्या रिजेक्ट करूं, दो मिनट बोलने का मौका दूं और आप भाषण करके चर्चा समाप्त कर दें क्या इससे गम्भीरता होगी इस सदन में? मैंने जवाब के लिए ही कहा है। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: मैंने जवाब के लिए ही कहा है। (व्यवधान) उसके लिए ही कहा है। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): ×××

श्री अध्यक्ष: कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, कृपया आप विराजें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, हाउस को आर्डर में लाइये।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: आपको जवाब आने तक का इन्तजार नहीं है? जवाब आने तक का इन्तजार नहीं है? क्या जवाब के लिए समय नहीं दूं सरकार को? (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ×××

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्षजी, ...(व्यवधान) रामनारायणजी, ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): ×××

श्री अध्यक्ष: विराजये-विराजिये। आप तो विराजिये।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): ×××

श्री अध्यक्ष: बैठे नहीं हो, खड़े हो। आप विराजो ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्षजी, मैं इतना ही कह रहा था, इतना ही आग्रह कर रहा था आपसे कि माननीय गुलाबजी ने जो मुद्दा उठाया है, आप समय तय करा दें। आज नहीं तो कल, जब भी आप चाहें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: तो मैं बात करूंगा न। आने तो दीजिए जवाब तो। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बात करके आप समय तय करा दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपने तो यह कह दिया कि अभी इसमें यह चाहते हैं कि दो मिनट में भाषण कराके समाप्त कर दो चर्चा को। यदि मैं इतना गम्भीर नहीं मानता तो सरकार के पास भेजता ही क्यों?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मान ली आपकी बात। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वरिष्ठ सदस्य हैं, इनका सम्मान करते हुए, दूसरे सदस्यों ने भी लिखा है इसलिए मैंने सरकार से जवाब की बात कही है। आप यह चाहते हो कि प्रकरण समाप्त करूं, दो मिनट भाषण हो जाए, अगर इतना ही गम्भीर मानते हो तो आपकी मर्जी की बात है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, वे यह नहीं कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: तो फिर आप इन्तजार करिये। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह प्रकरण समाप्त नहीं चाहते, एक इसी प्रकार यह देवीसिंहजी भाटी ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: विराजिये आप। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: फिर आप चाहते क्या हो? जवाब नहीं आने दूं?

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री अध्यक्ष: केवल माननीय सदस्य ज्ञानचन्द पारख को मैंने अलाऊ किया है। केवल माननीय सदस्य ज्ञानचन्द पारख को मैंने इजाजत दी है। (व्यवधान) माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ×××

श्री अध्यक्ष: आप नियमों के तहत उठाइये। ऐसे नहीं अलाऊ करेंगे। (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इतना ही तो, माननीय देवीसिंहजी भाटी सबसे वरिष्ठ मैम्बर हैं। राधेश्यामजी आये हैं। यह इतना ही तो कह रहे हैं कि हमारा 35 हजार क्यूसेक्स पानी पाकिस्तान में जा रहा है और जिस प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं हम पहले पानी न होते हुए भी मरे, अब पानी होते हुए भी मरेंगे, तो इस सरकार से यही तो जानकारी चाहते हैं कि सरकार इस संबंध में बात करे और उनके साथ जो हजारों लोग बैठे हैं धरने पर उसकी व्यवस्था करें। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

यह दोनों प्रश्न ही माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण हैं। बारूद वाला और यह सिंचाई वाला, मेरा आपसे यह विनीत आग्रह है कि आप राज्य सरकार से समय तय करा दें और समय तय करा कर इन दोनों पर राज्य सरकार का वक्तव्य आप सदन में दिलाएं ताकि इसमें बहस हो सके।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाईमाधोपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण यह है कि आपने जो व्यवस्था दी है उस व्यवस्था को माना जा रहा है या नहीं माना जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाईमाधोपुर): उस व्यवस्था के खिलाफ 10-10 मिनट तो बोल लिये यह। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजें-विराजें।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाईमाधोपुर): और फिर व्यवस्था की बात कर रहे हैं सब मिलकर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कह रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): ज्ञानदेवजी, माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): एक मिनट, व्यवस्था दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अभी चर्चा केवल, जिनको मैंने अलाऊ किया है, उस पर होगी। भारतीय जनता पार्टी के उप नेता ने पानी की चर्चा की है, तत्काल तो मैं यह कहने की स्थिति में नहीं हूं, आप यहां से समाप्त होने के बाद में आ जायें। चैम्बर में बैठकर मंत्रीजी को बुलाकर जो भी बात करनी होगी, कर लेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): दोनों विषयों पर, बारूद वाले पर और इस पर भी?

श्री अध्यक्ष: मैंने बारूद वाला इश्यू तो सरकार के पास भेज दिया है। उस पर बात करने की आवश्यकता इसलिये नहीं है कि जवाब आने के बाद बात हो, पहले कोई मतलब नहीं और पानी वाला इश्यू मैंने सरकार को नहीं भेजा है, इसलिये आपके साथ बैठकर बात कर लेंगे। बी.ए.सी. की मीटिंग अभी आज होगी कार्यक्रम के बाद में, उसके तत्काल बाद अपन बैठ जायेंगे। श्री ज्ञानचन्द पारख।

रोहट तहसील के गांवों में 50 प्रतिशत से अधिक खरीफ फसल में किसानों को दिये गये अनुदान के संबंध में

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, गत दो वर्षों में राजस्थान में जो अकाल पड़ा और उसके कारण जिन-जिन काश्तकारों की खरीफ की फसल में 50 प्रतिशत से ज्यादा खराबा हो गया, जिनके पास दो हैक्टेयर से लेकर पांच हैक्टेयर तक कृषि भूमि थी, केन्द्र सरकार ने उनको

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

सहायता देने की नीयत से आदान अनुदान की राशि राज्य सरकार के पास भेजी। जिन-जिन काश्तकारों के 50 प्रतिशत से ज्यादा खराबा हुआ है, राहत के रूप में वह राशि उन तक पहुंचाई जाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, राशि आने के बाद भी सरकारी तंत्र की लापरवाही कह दूं या निष्क्रियता कह दूं कि हजारों काश्तकार, जो अनुदान प्राप्त करने की पात्रता रखते थे, पटवारी, आर.आई. और तहसीलदार की लापरवाही से उनको अनुदान नहीं मिल पाया। जब पटवारी, तहसीलदार से बात की तो कहा बहुत कम समय मिला था हमें सूची बनाने का और उस कम समय के कारण हम पूरी तरह से जांच नहीं कर सके और वाकई में हमसे बहुत भारी भूल, बहुत भारी गलती हो गयी। कई लोगों ने ज्ञापन दिये जिला कलक्टर महोदय को, तहसीलदार को, एस.डी.एम. को कि हमारे पास पांच हैक्टेयर से भी कम भूमि है और हमारे भी दो वर्ष तक लगातार फसल का खराबा हुआ है और बाद में पटवारी ने वापस जांच की तो उन्होंने खुद ने माना कि हमसे बहुत भारी भूल सर्वे के दौरान हो गयी। मैं एक पटवारी की रिपोर्ट सदन को पढ़कर सुनाना चाहता हूं जिसमें लिखा है पटवार मण्डल डोलेरिया क्षेत्र के अधीन ग्रामों की पूर्व में पेश की गयी सूची से वंचित रहे कृषकों की सूची। लगातार दो वर्ष संवत् 2065-66 में 50 प्रतिशत से अधिक खराबा फसल खरीफ में अभावग्रस्त आदान अनुदान हेतु कृषकों की सूची में धारित रकबा दो से पांच हैक्टेयर है, जो वंचित रह गये हैं, उनकी सूची निम्न है। एक ग्राम पंचायत में सवा सौ काश्तकार, जिनका हक बनता था केन्द्र सरकार से वह राहत पाने का, जिसको केन्द्र सरकार ने उसको भेजा था, वह उससे वंचित रह गया। 23 ग्राम पंचायतों में लगभग 1700 ऐसे काश्तकार हैं, जो पात्रता रखते थे, उसके बावजूद भी उनको आदान अनुदान की राशि प्राप्त नहीं हुई। मेरा राहत मंत्रीजी से आग्रह है जब पैसा केन्द्र सरकार ने भेजा है तो उनको मिलना चाहिये। अब आप कह रहे हो इसकी तारीख खतम हो गयी तो उसमें उस किसान की गलती नहीं है। वह किसान तो पात्रता रखता था। तहसीलदार या पटवारी की गलती है कि उसने सूची सही नहीं बनाई। मेरा राहत मंत्रीजी से आग्रह है कि जो-जो कृषक इस अनुदान को प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं उन सबको वह आदान अनुदान दे दिया जाये, यह मेरा सरकार से आग्रह है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि आप माननीय राहत मंत्रीजी को निर्देश दें कि ऐसे पात्र किसानों को उस अनुदान की राशि दिलवायें। माननीय राहत मंत्रीजी, आप कुछ कहें।

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): अध्यक्ष महोदय, हजारों काश्तकार वंचित रह गये। आप कम से कम सरकार से पैसा दिलाने के लिये कुछ न कुछ तो करायें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपसे सम्बन्धित नहीं है। अंकित नहीं होगा।

श्री बाबूसिंह राठौड़ : ×××

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : ×××

श्री हरजीराम बुरडक (पशुपालन राज्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हालांकि यह राहत विभाग से सम्बन्धित है, लेकिन मुझे जो जानकारी है, उस हिसाब से मैं माननीय सदस्य की बात का उत्तर देना चाहता हूं। माननीय सदस्य को कहना तो यह चाहिये था कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनने के बाद पहली बार अकालग्रस्त क्षेत्रों के लिये अनुदान स्वीकृत हुआ है, आज तक नहीं हुआ और यह अनुदान इस सरकार की पहल से 800 करोड़ का अनुदान स्वीकृत हुआ है, वह सब जगह बंट गया। आप जो कह रहे हो उसमें थोड़ी बहुत कोई तकनीकी खराबी के कारण या गलती के कारण से हो सकता है पर पूरे प्रदेश में आदान बंटा है। जैसे कोई काश्तकार है उसकी मृत्यु हो गयी, म्यूटेशन नहीं हुआ, या खातेदार राजस्थान से कहीं बाहर है, सर्विस में है या बिजनैस है, उनका नहीं हुआ होगा, लेकिन जो वंचित है उनके लिये वह राशि उस क्षेत्र की बैंक में जमा है, जब भी वह लेने के पात्र होंगे, तब वह ले लेंगे। इसलिये माननीय सदस्य से निवेदन है कि इस बात के लिये आपको सरकार की सराहना करनी चाहिये कि माननीय गहलोत साहब की सरकार ने पहली बार राजस्थान में किसानों को यह लाभ दिया है।

श्री अध्यक्ष: हो गयी बात कृपया विराजें। श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में कभी सरकार से नाराजगी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: कृपया बिराजें। श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : पर सरकार इस सच्चाई को भी समझे कि वाकई में हजारों काश्तकार पात्रता रखते हैं, वह वंचित रह गये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपको नहीं बोलना, आगे चलूं? राजेन्द्र जी राठौड़, आपको नहीं बोलना?

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : जो सूची तहसील कार्यालय में मौजूद है, उनमें कई वंचित रह गये। माननीय मंत्री महोदय यह बात भी कह दें। पटवारियों ने बाद में सूची भेजी। उनको भी अनुदान मिल जायेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़। श्री पेमाराम जी। अब अंकित नहीं होगा।

गरीबों को खराब अनाज व आटे का वितरण

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान राज्य के गरीब और बी.पी.एल. परिवार के उन लोगों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिनके साथ खाद्य सुरक्षा के नाम पर सरकार खिलवाड़ कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति में जाते हैं, खाद्य सुरक्षा कानून की पैरवी करते हैं। वर्ष 2009-10 के बजट के अन्दर घोषणा करते हैं कि हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाकर गरीब और बी.पी.एल. परिवार तक शुद्ध अनाज पहुंचाने का काम करेंगे। वर्ष 2010-11 में बजट में घोषणा करते हैं कि केन्द्र और राज्य सरकार के मंहगाई नियन्त्रण कदम उठाने पर अब मंहगाई नियन्त्रित होने लगी है। यह सब चीजें मृग-मरीचिका साबित हुई है। अध्यक्ष महोदय, 4 अगस्त को देश की संसद के अन्दर देश के वित्त मंत्री कहते हैं मंहगाई के लिये केन्द्र सरकार को दोष देना उचित नहीं है, इसकी जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है, क्योंकि मंहगाई नियंत्रण के अधिकतर अधिकार उन्हीं के पास हैं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों को कड़ाई से लागू कर गरीब किसान बी.पी.एल. को शुद्ध अनाज सरकार मुहैया कराये और इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, इसी 26 अप्रेल को देश के खाद्य मंत्री कहते हैं कि उन्होंने राजस्थान को 1945 हजार मीट्रिक टन अनाज आबंटित किया पी.डी.एस. सिस्टम के लिये और राज्य सरकार ने 1759.62 हजार मीट्रिक टन अनाज उठाया। यानि दो हजार मीट्रिक टन अनाज, जो राजस्थान के बी.पी.एल. और गरीब के पेट तक पहुंचता, इस राजस्थान की निरंकुश सरकार ने नहीं उठाया और अध्यक्ष महोदय इसी बीच के अन्दर हमारे मुख्य मंत्रीजी 10 मई को टोंक जाते हैं। नरेगा के कामगारों के बीच में मुख्य मंत्री अन्न सुरक्षा योजना का उद्घाटन करते हैं और गरीब बी.पी.एल. को जो 35 किलो गेहूं मिलना चाहिये था, उसकी कटौती करके यह सरकार 25 किलो करती है और माया देवी को कट्टा उठवाकर पहले बी.पी.एल. परिवार को लाभान्वित करने का ढोंग रचते हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनको 35 किलो अनाज मिलता था चार रुपये सत्तर पैसा पर किलो के हिसाब से, और योजना आयोग के विशेषज्ञों की एक टीम बनी थी, पूरे देश में उन्होंने अध्ययन किया कि एक परिवार में यदि पांच यूनिट हैं तो उनको एक महीने में कितने अनाज की आवश्यकता है। उस विशेषज्ञों की समिति ने कहा कि 35 किलो अनाज चाहिए। इन्होंने घटाकर 25 किलो कर दिया और पहले जो 164 रुपये 50 पैसे में 35 किलो गरीब को मिलता था, बी पी एल को मिलता था, अब दो रुपये का ढोंग रचने के बाद 185 रुपये में मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, अब किस तरह का आटा और अनाज ये वितरित कर रहे हैं?

खाद्य मंत्रीजी, आपको याद होगा, 12 अगस्त को आपने भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। उन्होंने उस बैठक में यह स्वीकार किया कि अगस्त माह में राज्य के पास पी डी एस सिस्टम से वितरित करने के लिए 21 लाख टन से ज्यादा अनाज की आवक हुई और कुल भण्डारण क्षमता साढ़े अठारह लाख है। यानी खाद्य निगम के अधिकारी यह कहकर कि ढाई लाख टन अनाज को रखने के लिए भण्डारण की व्यवस्था हमारे पास नहीं है और इसी 11 अगस्त को हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री किरीट सौमैया के साथ हमारे विधायकों की टोली गांधीनगर के एक गोदाम में जाती है और वहां सात लाख बोरियां गेहूं की बारिश में भीगती हुई देखते हैं और 63 हजार बोरियां, यह बहुत लौहमर्षक बात है, 63 हजार बोरियों में गेहूं भीगकर अंकुरित हो गया। इससे ज्यादा बुरी बात और क्या हो सकती है। जुलाई के अन्तिम सप्ताह में हरियाणा से एक लाख गेहूं की बोरियां बीकानेर में आयीं। 90 हजार से ज्यादा गेहूं की बोरियां आज खुले में पड़ी हैं। चित्तौड़ में चन्देरिया स्थित गोदाम में भण्डारण क्षमता है, पचास हजार टन गेहूं वहां पड़ा है 72 हजार टन यानी 22 हजार मीट्रिक टन वहां खुले में पड़ा हैं। कोटा के अन्दर एक लाख बाइस हजार मीट्रिक टन गेहूं खुले में पड़ा है। बूंदी में चार हजार बोरियां पड़ी हैं और डूंगरपुर में कोई गोदाम नहीं है। वहां 450 मीट्रिक टन गेहूं खुले में पड़ा है। इसी तरह से नागौर में 52 हजार गेहूं की बोरियां जो पंजाब की मलोट मण्डी से आयीं, वे आज प्लास्टिक से ढकी हुई स्टेशन पर पड़ी हैं। उदयपुर में राणा प्रताप स्टेशन पर दस हजार बोरियां पड़ी हैं इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये सारी बातें हो रही हैं और ये किस तरह का अनाज वितरित कर रहे हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम 26 साल से मुनाफे में चल रहा है। आप बहुराष्ट्रीय कम्पनी शुभम लाजिस्टिक को आय बढ़ाने के नाम पर व्हेयर हाउसिंग कारपोरेशन एक्ट 1962 के नियमों के विपरीत आप एम ओ यू करके क्यों सौंपना चाहते हैं एक हजार करोड़ की सम्पदा? आप पिछले दरवाजे से किसके दबाव में राजस्थान व्हेयर हाउसिंग सम्पदा को आप बहुराष्ट्रीय कम्पनी शुभम लाजिस्टिक को सौंपना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वोच्च न्यायालय की उन बातों का जिक्र नहीं करूंगा। मैं एक निवेदन करके अपनी बात समाप्त करूंगा। मुझे कहना तो बहुत था। पूरा काबीना चलता है संविधान के प्रावधानों के अनुसार और संविधान के प्रावधानों में आर्टिकल 164(2) यह कहता है कि सरकार के मंत्रिमण्डल का सामूहिक दायित्व विधान सभा के प्रति है। यह किस तरह का उत्तरदायित्व है? किस तरह की बयानबाजी हो रही है?

28 जून, 2010 को जयपुर के अन्दर बिड़ला सभागार में हमारे विद्वान शिक्षा मंत्रीजी जाते हैं और उनके साथ यातायात मंत्रीजी भी थे और शिक्षा राज्य मंत्रीजी भी थे और बयान देते हैं कि राज्य में महंगाई है ही नहीं, बाहर जाकर देखो, इतने सारे लोग आये हैं, गरीब तो दिन में चार बार कपड़े बदलता है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य, इससे ज्यादा उपहास गरीब का हो नहीं सकता।

दूसरी तरफ 13 जून, 2010 को राज्य की खादी राज्य मंत्री श्रीमती गोलमा देवीजी मुख्य मंत्रीजी को डाक्टर किरोड़ी लालजी का पत्र सौंप कर आती हैं और यह कहती हैं कि कोटड़ा के अन्दर 26 लोग भूख से काल कलवित हो गये और यहां तक कहती हैं कि आजादी के इतने वर्ष बाद भी आदिवासी को खाने को रोटी नहीं मिल रही, इससे ज्यादा बड़ा कलंक इस सरकार के लिए दूसरा हो नहीं सकता।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): उसकी ड्राफ्टिंग आपने की होगी।

श्री अध्यक्ष: अब आप समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिला कलक्टर, उदयपुर यह कहते हैं कि हमने सांसद किरोड़ी लालजी की ओर से दी गयी सूची के परिवार वालों के बयान लिये हैं। एक परिवार का एक सदस्य भूख से मर गया। अध्यक्ष महोदय, इससे बुरी बात क्या हो सकती है। जिस शासन के अन्दर लोगों को सड़ा हुआ अनाज मिले,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जिस शासन के अन्दर आदिवासी भूख से मर रहे हों, जिस शासन के अन्दर लाखों बोरियां गेहूं आज खुले में पड़ी हों और उसी शासन के अन्दर अनाज वितरण के नाम पर ढाई रुपये प्रति किलो पिसाई दी जा रही है। लघु फ्लोर मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि मैं डेढ़ रुपये में करने को तैयार हूं। यह सब क्या हो रहा है?

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इससे बड़ा कोई मंच नहीं अध्यक्ष महोदय, हमें आपका संरक्षण चाहिए।

श्री अध्यक्ष: श्री पेमाराम।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं चाहता हूं, राज्य के खाद्य मंत्री महोदय बैठे हैं, वे इस पर जबाव दें कि आप राजस्थान के अन्दर किस तरह का खाद्य वितरण कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: विराज जाएं। अंकित नहीं होगा। श्री पेमाराम।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

शेखावाटी विश्वविद्यालय खोले जाने विषयक

श्री पेमाराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, मैं शेखावाटी इलाके में शेखावाटी विश्वविद्यालय की बात रखना चाहता हूं। शेखावाटी इलाका वह इलाका है जहां से पिछले दिनों कारगिल की लड़ाई में सबसे ज्यादा नौ-जवानों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अग्रणी भूमिका निभायी। शेखावाटी वह इलाका है जिसने आज राजस्थान की विधान सभा को अध्यक्ष के पद को सुशोभित किया है। शेखावाटी इलाका ही है जहां से विपक्ष के नेता श्री घनश्यामजी बैठे हैं, अमरा रामजी बैठे हैं और माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी भी हमारे शेखावाटी इलाके से ही हैं। शेखावाटी इलाका जहां आज लाखों विद्यार्थी सीकर, झुन्झुनूं और चूरू के नियमित विद्यार्थी के रूप में और इतने ही विद्यार्थी प्राइवेट कालेजों में अध्ययन कर रहे हैं। उस इलाके का दुर्भाग्य है क्योंकि पिछले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब इन्होंने शेखावाटी विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की थी और एक ओ एस डी भी लगाया था। लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि शेखावाटी इलाके का आम विद्यार्थी स्कूल और कालेजों में हड़ताल करके वहां सड़कों पर आ गया है। राजस्थान में अशोकजी गहलोत की सरकार आने के बाद ओ एस डी को

(श्री पेमाराम)

हटाकर उन्होंने उस इलाके की उपेक्षा की है। उपेक्षा का काम जो इन्होंने किया है उसके खिलाफ वहां का विद्यार्थी ही नहीं, सीकर, झुन्झुनूं और चूरू के तमाम बाजार बन्द हुए हैं और जनता सड़कों पर आयी है और आज शेखावाटी की जनता इस बात को लेकर राजस्थान की सरकार, मुझे बताओ कि मुख्य मंत्रीजी के इलाके में तीन-तीन यूनिवर्सिटी खोली जाएंगी और शेखावाटी का वह इलाका जो काश्तकारी में एक नम्बर पर, कुर्बानी में एक नम्बर पर और खेती में एक नम्बर पर तथा अध्ययन में एक नम्बर पर है। राजस्थान की सरकार जानबूझकर शेखावाटी के लोगों के साथ उपेक्षा कर रही है।

इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शेखावाटी के क्षेत्र की जनता की आवाज आपकी मार्फत रखना चाहता हूं और मांग करता हूं कि शेखावाटी की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय शेखावाटी इलाके के हैं, इसलिए आज शेखावाटी विश्वविद्यालय की घोषणा करें जिससे वहां की जनता को राहत मिले। जो आज तक कुर्बानी देने में आगे रहा है, वहां की जनता को और विद्यार्थी को राहत मिले और वहां की जनता की मांग और समस्या का समाधान हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, पूरा इलाका आन्दोलन की राह पर है। एक के बाद एक सारे जिले बन्द हुए हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने अध्यादेश जारी किया था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख। श्री बाबू सिंहजी राठौड़।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): वहां की जनता आन्दोलन कर रही है। सड़कों पर है और मैं समझता हूं कि राजस्थान की सरकार के कानों में तेल है, कान बन्द हैं, आंखों पर पट्टी बांध रखी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री छोटू सिंहजी। अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्य। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्य। श्री छोटू सिंह भाटी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़):

धरना

(मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में धरना)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री छोटू सिंह भाटी।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में धरना व नारेबाजी)

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियमों के नियम 50 के अन्तर्गत इस स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सदन में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरा जिला जैसलमेर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने छोटू सिंह भाटी का नाम पुकारा है। श्री छोटू सिंह भाटी। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष: उनसे कहो, वो बैठे हैं। इनको पता ही नहीं है। (व्यवधान) इनसे लो, भाई।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में धरना व नारेबाजी)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह कर रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जब तक आपके माननीय सदस्य वैल में रहेंगे जब तक मैं कुछ नहीं सुनने वाला। माननीय सदस्य, वैल में जब नारे होंगे तो क्या सुनें।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, एक मिनट। (व्यवधान) एक बार स्थान पर आ जाओ ...(व्यवधान) या वहीं रहना है? (व्यवधान) हां, आ जाओ, आ जाओ एक बार।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा धरना समाप्त)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपको भी ध्यान में होगा। एक मिनट, रामनारायणजी।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आप तो मैच फिक्सिंग में शामिल नहीं हो न स्थगित कराने में?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप विराजो। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको पता है कि अभी माननीय सदस्य, श्री पेमारामजी ने एक मामला उठाया है, आपको स्वयं जानकारी है, आप अभी इस क्षेत्र के दौरे पर जाकर आये हैं लगातार, एक-एक करके सारे कस्बे बंद हुए हैं, सारे के सारे विद्यार्थियों ने आन्दोलन किया है, एक बहुत बड़ा अभियान शेखावाटी के क्षेत्र में चल रहा है।

श्री जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): साहब, अलवर में भी ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बोल रहा हूं न तो ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: यह तो सीकर के रहने वाले हैं, अलवर के नहीं हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जी हां। (व्यवधान) जब यह मामला उठा उसके बाद में एक नारा यहां लगा कि घोषित विश्वविद्यालय खोले जाएं। स्थिति, अध्यक्ष महोदय, यह थी कि हमारे समय में हमने तीन विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा कर दी, एक-एक करोड़ रुपया उनका जमा करा दिया और तीनों जगह ओ.एस.डी. की नियुक्ति कर दी। सीकर, शेखावाटी विश्वविद्यालय के लिए कटराथल की जमीन भी सेटअपार्ट करा कर जमीन भी अलग करा दी। इसके बाद में राज्यपाल महोदय ने सरकार से कुछ इन्क्वायरी चाही थी, बिल के अन्दर कोई संशोधन चाहे थे, उनकी इच्छा अनुसार मंत्रिमण्डल की मीटिंग करके वो संशोधन करके भी राज्यपाल महोदय को भेज दिये गये थे और उसके बाद में नयी सरकार बनने तक वहां ओ.एस.डी. काम कर रहे थे और सरकार को काम करना चाहिए था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन तीनों जगह पर आज वो स्थिति है कि भरतपुर में आज महारानी जया कालेज में कितनी बड़ी संख्या छात्रों की है, आठ हजार, दस हजार लोग हैं। अलवर में राजऋषि कालेज की स्थिति आपको पता है। सीकर में एस.के. कालेज में जहां आप पढ़ कर इस गरिमामय पद पर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पहुंचे हो, उसकी स्थिति में आज दस हजार विद्यार्थी वहां खड़े रह कर सांस लेने की स्थिति में नहीं हैं।

यह तीनों विश्वविद्यालय सरकारी स्तर पर खोले जाने बहुत आवश्यक थे। इसके लिए सरकार ने विश्वविद्यालय खोले थे। अब इन तीनों जगहों पर आन्दोलन चल रहा है, कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है, लोग सड़कों पर आ रहे हैं।

इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से आग्रह है उच्च शिक्षा मंत्रीजी से, कि वो भी उस क्षेत्र को अच्छी तरह से जानते हैं, वो अब दोनों को सुन रहे हैं, उनका सौभाग्य यह है कि वो शेखावाटी की भी सुन लेते हैं और अलवर भी पास में है, तो उनकी भी सुन लेते हैं। तो आप सुन रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इस बात पर सरकार अपना वक्तव्य दे और इस विश्वविद्यालय को अगर अब चालू नहीं करेंगे तो वहां अराजकता की स्थिति पैदा हो जायेगी। वो विद्यार्थी कहां पढ़ने जाएं? इतनी कालेजों का विस्तार हो गया, इतनी शिक्षा का विस्तार हो गया, अब वहां पर इन कालेजों की, विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और मैं चाहूंगा कि आप अगर अनुमति दें और उच्च शिक्षा मंत्रीजी से इस पर वक्तव्य दिलवाएं।

श्री अध्यक्ष: पहले मेरे को एक जानकारी आपसे भी लेनी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जी, जी।

श्री अध्यक्ष: भा.ज.पा. विधायक दल के नेता का चुनाव हो चुका है क्या विधायक दल के नेता के रूप में?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठे जब ही मेरे को भ्रम हुआ, मुझे सूचना नहीं थी अधिकृत।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ऐसे नहीं बैठते। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, चुनाव से क्या लेना है, बात तो वो बताओ न।

श्री अध्यक्ष: यह आपके कहने से नहीं मानेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह आये थे कागज देने के लिए

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लेकिन आसन को पैरों पर देख कर बैठ गये हैं, इसलिए बैठ गये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह यहां बैठे हैं तो भी आपको एतराज है क्या? (व्यवधान)... चलिये, श्री छोटू सिंहजी भाटी।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी प्रभूलाल जी को नेता बना देती है तो मैं सब को पार्टी दूंगा, दावत दूंगा, यह मेरे क्षेत्र के रहने वाले हैं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय को आप ...

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): प्रभूलाल जी, मैं दावत दूंगा आपको नेता बना दिया जाए तो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): श्रवण कुमारजी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय को आपने सुना, आपने कृपापूर्वक यह प्रस्ताव लगवाया, सारे सदन के बीच में यह प्रश्न आ गया, अब मेरा आपसे आग्रह है कि आप इनसे कहें, मंत्रीजी, आपने भी सुना है और इस विषय पर रिएक्ट करना बहुत जरूरी है। मैं आग्रह करूंगा कि सारे जो बने हैं, तीनों के कानून बने हुए हैं, तीनों के एक्ट भी बन गये, तीनों की सारी व्यवस्था भी हो गयी, तीनों जगह जमीन की भी व्यवस्था हो गयी, अब इन विश्वविद्यालयों के लिए आपको कुछ न कुछ सरकार की ओर से निश्चित रूप से कहना चाहिए। मेरा आपसे आग्रह यही है।

आपके एक मंत्रीजी, राजकुमारजी तो यह आन्दोलन चला कर ही यहां पर आये हैं, कई लोगों का आपने नाम का उल्लेख किया है और आपने भी इसका समर्थन किया और अध्यक्ष महोदय का भी आशीर्वाद इनके लिए मिलता ही रहता है इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस पर अपना कुछ वक्तव्य दें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, शेखावाटी को और कुछ तो दिया ही नहीं, केवल शहीदों की अर्थियां दी हैं, तो शेखावाटी में एक यूनिवर्सिटी तो खोल दो, यह तो आप कर दो, आप अध्यक्ष हो, मंत्री भी वहीं के हैं, मुख्य मंत्रीजी की इच्छा है, हमारी भी इच्छा है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मुख्य मंत्री शेखावाटी के नहीं हैं ... (व्यवधान) शेखावाटी के होते तो खुलाते, अब बनाओ।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): कोटा में तो मेडिकल कालेज है, इन्जीनियरिंग कालेज है, यूनिवर्सिटी है शेखावाटी को तो एक ही चीज मांगी है जो दे दो आप और आप कोशिश करो, आप भी शेखावाटी के हैं।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): जोधपुर में राठौड़ी है?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): शेखावाटी तो बेचारा प्रदेश है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मंत्रीजी कहां से हैं ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कुछ तो कहो, मंत्रीजी। कुछ तो कहो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह मेरा आपसे पुरजोर शब्दों में आग्रह है कि शेखावाटी विश्वविद्यालय खुले और आज ही घोषणा हो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब सरकार की तरफ से मंत्री नहीं बनने का मतलब है कि ...(व्यवधान) सरकार राजनीतिक विद्वेषतावश शेखावाटी के साथ विश्वविद्यालय इसलिए नहीं खोल रही है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया चर्चा समाप्त करें। अब चर्चा समाप्त करें। श्री छोटू सिंहजी भी बाकी हैं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): म्यूनिसिपैलिटी में, छात्रसंघ में पूर्ण रूप से जो कांग्रेस को धक्का लगा है, मैं समझता हूं निश्चित रूप से ...

श्री अध्यक्ष: श्री छोटू सिंहजी भाटी। ...(व्यवधान)...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अगर शेखावाटी में विश्वविद्यालय नहीं खोलती है, उसकी अगर मंत्रीजी घोषणा नहीं करते हैं ...(व्यवधान)

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के नियमों के नियम 50 के अन्तर्गत ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री छोटू सिंहजी भाटी। (व्यवधान) कृपया विराजें, नहीं नहीं होगा। (व्यवधान) श्री छोटू सिंहजी भाटी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के नियमों के नियम 50 के अन्तर्गत ...(व्यवधान) सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये, विराजिये। माननीय सदस्य, आप विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह सरकार अभी भी राजनीतिक द्वैषतावश अगर नहीं खोलना चाहती तो मैं और मेरे दल के तमाम सदस्य इसके विरोध में वाक आउट करते हैं।

बहिर्गमन

(मा.क.पा. के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, तीनों घोषित विश्वविद्यालयों पर सरकार की मौन घातक है और इसलिए हम विरोध स्वरूप सारा प्रतिपक्ष इसका एक बार बहिर्गमन करते हैं और हम मांग करते हैं कि यह होने चाहिए तीनों विश्वविद्यालय।

बहिर्गमन

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष: श्री छोटू सिंह भाटी।

आदतन अपराधियों द्वारा गौ-वध के लिए गायों को ले जाने विषयक

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के नियमों के नियम 50 के अन्तर्गत इस स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, मेरे जिले जैसलमेर में, विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में आज से पांच रोज पूर्व भादरिया राय मंदिर के पास भादरिया गांव के पास पन्द्रह हजार करीबन एरिया ओरन विचरण में है। उस जगह इस बरसात के सीजन में वहां पशु विचरण करते हैं। मंदिर के ट्रस्ट की गायें पन्द्रह हजार हैं और पास पड़ौस के गांवों की गायें भी वहां पन्द्रह हजार के तकरीबन विचरण करने आती हैं। जब ग्वालों ने उन गायों को संभाला तब आज से पांच रोज पूर्व की यह घटना है, उनमें 120 बछड़े कम

(श्री छोटू सिंह भाटी)

पाये गये। जब ग्वालों ने वहां ढूंढा तो वह बछड़े वहां नहीं मिले। फिर भी एक दिन के पश्चात चांदन गांव के सौजिया की ढाणी, नवली नाड़ी के पास कुछ बछड़े वहां बंधे हुए पाये गये और कुछ निशानदेही, ट्रकों के टायरों के निशान, वहां पाये गये। उससे उन ग्वालों ने आकर गांव में इत्तला दी, भादरिया में और कुछ गांव वाले कैमरा लेकर वहां गये। गांव वालों ने उस कैमरे से उन सभी बंधे हुए पशुओं के फोटो लिये अलग-अलग। कुछ आदतन अपराधी तस्कर वहां गौवंश के बछड़ों को बूचड़खानों में ले जाने के लिए वहां ट्रकों में भरकर ले जाते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि इस प्रकार हमारे गौ-बहुल क्षेत्र जैसलमेर में गौपालकों के साथ इस वर्षा ऋतु के अन्दर गायों को सुरक्षित नहीं रहने देते हैं और आये दिन इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। इस घटना की जानकारी जब गांव वालों को मिली तब गांव वालों ने मिल कर इसकी एफ आई आर दर्ज करवाई। पुलिस ने साथ में सभी गांव वालों ने जैसलमेर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करके ज्ञापन भी दिया गया। इसके साथ ही जब यह सब देने के बावजूद भी आज सरकार इसको यह कह रही है कि गौ वंश की तस्करी नकारा है, तस्करी नहीं हो रही है। जबकि हम देख रहे हैं आज से चार महीने पहले बाड़मेर में भी ऐसी ट्रकें पकड़ी गयीं और जैसलमेर में भी पूर्व में कई बार ट्रकें पकड़ी गयीं और यहां से बूचड़खाने के लिए गौ वंश के पशु ले जाते हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह से हमारे जैसलमेर में सीमावर्ती जिले की जन भावनाओं को भड़काना और साम्प्रदायिक सद्‌भावना को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। गौ-वंश की तस्करी को सरकार नकार रही है इससे क्षेत्र में भारी असन्तोष व्याप्त हो रहा है तथा तनाव बढ़ रहा है। यह विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का है अतः इस सदन की कार्यवाही को रोक कर इस पर विचार किया जाए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, भादरिया गौशाला ....(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेवात में भी भारी गौ तस्करी हो रही है ...(व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, भारी गौ तस्करी हो रही है ...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): पुलिस की जीप को तोड़ दिया, खैरथल थाना क्षेत्र में पुलिस को मारा है ...(व्यवधान) पुलिस ने भाग कर के जान छुड़ाई है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव के जरिये अपनी बात रख दी है। सरकार के ध्यान में बात आ गई है। कृपया बैठें।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): (व्यवधान) इस प्रकार से ले जाते हैं, यह भी घटना हुई और बड़ा गम्भीर मामला है। सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, आपस के अन्दर इतना सद्‌भाव बिगड़ रहा है ...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): भारी गौ तस्करी है मेवात में और गौ तस्करी की कितनी घटनाएं हैं ...(व्यवधान) मेवात में भारी गौ-तस्करी के साथ गौवंश की हत्या के साथ खैरथल थाने पर हमला किया गया। खैरथल थाने की जीप को जला दिया, खैरथल थाने की पुलिस ने भाग कर के जान छुड़ाई ...(व्यवधान) मेवात में भारी गौ-तस्करी है। जैसलमेर की तर्ज पर मेवात में भी गौ तस्करी को, गौ का शिकार रुकवाया जाए ...(व्यवधान) पुलिस ने भाग कर अपनी जान छुड़वाई है। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): गायों की तस्करी हो रही है अध्यक्ष जी...(व्यवधान) हजारों की तादाद में गायें। (व्यवधान) तस्कर गाड़ियों से निकाल कर ले जाते हैं, रोजाना का काम है। पुलिस की मिलीभगत है।

श्री अध्यक्ष: श्री घनश्याम जी तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, माननीय छोटू सिंह जी भाटी ने एक बहुत ही संवेदनशील प्रश्न इस सदन में उठाया है। वह एक सामान्य ग्रामीण परिवार से जुड़े हुए माननीय सदस्य हैं और आपमें से जो भी माननीय सदस्य वहां गये होंगे, भादरिया जी का स्थान देखा होगा। भादरिया जी के स्थान में एक व्यक्ति ने समझ लीजिए इतना बड़ा काम करके गौ वंश के संरक्षण में पशुपालकों के लिए, शिक्षा के लिए और पुस्तकालय के लिए जितना बड़ा काम भादरिया जी में हुआ है, मैं समझता हूं हिन्दुस्तान में बहुत कम उदाहरण हैं। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय अगर मैं कहूं तो भादरिया जी में, उस छोटे से गांव में अण्डरग्राउण्ड मीलों की संख्या में उस व्यक्ति ने अपने प्रयत्नों से बनाकर खड़ी की। अपने प्रयत्न से बहुत बड़े ट्यूबवैल बनाकर बहुत बड़े स्थान पर गायों के संरक्षण की व्यवस्था की और बहुत बड़ा काम उस व्यक्ति ने किया। आज उनका स्वर्गवास हो गया, हम उनके कृतज्ञ हैं। लेकिन फिर भी वह संस्था वहां पर बहुत बड़ा काम कर रही है। जैसलमेर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जिला हमारा सीमा से लगा हुआ जिला है। आज तक उसमें साम्प्रदायिक सद्‌भाव रहा है लेकिन जिस प्रकार की रिपोर्टस लगातार दर्ज होती जा रही हैं जिस प्रकार के लोग वहां पर पकड़े गये हैं और जिस प्रकार से गौ वंश की तस्करी भी हो रही है और जिस प्रकार से लाकर बछड़ों को काटने के लिए भेजा जा रहा है उससे वहां साम्प्रदायिक तनाव पैदा हो गया। सैजियों की ढाणी का मामला हो, चाहे बहुत से मामलों में एफ आई आर दर्ज, पुलिस के सामने मामले पड़े हुए हैं और वहां पर आपस में इतना भंयकर तनाव पैदा हो रहा है कि सरकार अगर इस मामले में कार्यवाही नहीं करेगी, सरकार जवाब नहीं देगी तो हमारा जो सीमान्त क्षेत्र है, राजस्थान का एकमात्र सीमान्त क्षेत्र है जिसको आज सुरक्षित कह सकते हैं। आज बंगाल के सीमान्त क्षेत्र में, अन्य सीमान्त क्षेत्रों में हमारे लिए बहुत बड़ी खतरे की स्थिति है। यह हिन्दुस्तान की सुरक्षा का भी सवाल है। इस सवाल में अगर सरकार चुप रहती है, सरकार जवाब नहीं देती है तो बहुत बड़ा गम्भीर प्रश्न है। उन गौ तस्करों को, वहां से चुराने वाले लोगों को गिरफ्तार नहीं करती और इस प्रकार से वहां तनाव पैदा हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनीत आग्रह करना चाहूंगा, मैं वर्णन नहीं करना चाहता, आप उस ट्रस्ट से बहुत वर्षो तक सम्बन्धित रहे हो, आपको उनकी सारी जानकारी है। मैं चाहूंगा कि सरकार इसको गम्भीरता से ले और सरकार सदन को आश्वस्त करे कि इन सभी लोगों के खिलाफ जिन्होंने इस प्रकार की कार्यवाही की है, जो इस देश में साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, जो हमारे सीमान्त क्षेत्र को अशान्त करना चाहते हैं, जो गौ वंश की तस्करी करना चाहते हैं। भारत सरकार ने तो बहुत बड़ी योजना प्रारम्भ की है, घोषणा की है, मुख्य मंत्रीजी बता रहे थे कि थारपारकर नस्ल की और उन सभी गायों की बीड को उन्नत करने के लिए भारत सरकार बहुत बड़ा पैसा देना चाहती है। अगर भारत सरकार इस काम को करना चाहती है, राजस्थान सरकार इस काम को करना चाहती है उसके बाद इतना बड़ा यह गलत काम हो रहा है, उस पर इतना बड़ा प्रश्न जो माननीय सदस्य ने उठाया है उस पर सरकार का न बोलना गलत बात है।

इसी प्रकार से मैं कहना चाहूंगा इस विषय के साथ जोड़कर जो मेवात की गौकशी का मामला उठा है, वह भी बार-बार उठता रहता है। वह भी बहुत महत्वपूर्ण मामला है, अलवर का मामला, सारा यह मामला। राजस्थान बिल्कुल

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

साम्प्रदायिक सौहार्द का प्रदेश है। मोहनलाल जी के प्रति मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगा कि वह एकमात्र पहले व्यक्ति थे हिन्दुस्तान में किसी भी प्रदेश में और भारत में कानून नहीं बना था। सबसे पहले कानून हिन्दुस्तान में गौ संरक्षण, गौ हत्या निषेध के लिए स्वर्गीय श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया ने यहां पर बनाया था। उसके बाद स्वर्गीय श्रीमान् भैरोंसिंह जी शेखावत की सरकार के समय यह कानून बना था और राजस्थान में हमको उसका सौभाग्य प्राप्त है।

अध्यक्ष महोदय, आप उन सबको देख चुके हैं इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि आप सरकार को निर्देशित करें कि इस विषय पर सरकार गम्भीर हो, सरकार सदन में कुछ कहे और इस विषय पर कार्यवाही हो। यह मेरा आपसे विनीत आग्रह है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो गौ-तस्करी कर रहे हैं उनको नहीं पकड़ा जा रहा है ...(व्यवधान) पूरे जैसलमेर में ही नहीं, पूरे राजस्थान में ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह जो बातें हैं। सरकार की यह अज्ञानता रही है ...(व्यवधान)

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): अधिकांश जो गौशालाएं हैं वह ...(व्यवधान) जैसलमेर ही नहीं पूरे राजस्थान के..(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, यह वह सरकार है जो..(व्यवधान) यह बहुत..(व्यवधान)

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): सोजिया की ढाणी में जो घटना हुई वह घटना वास्तव में ...(व्यवधान) वहां के ग्रामीणों ने पुलिस थाना जैसलमेर में और सूचना दी गयी कि हमारी कुछ गौशालाओं की...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): और वहां गौ तस्करों को संरक्षण दे रहे हैं। वहां गौ तस्करों को संरक्षण दे रहे हैं इससे बड़ी बात इस प्रदेश के लिये हो नहीं सकती...(व्यवधान)

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): हमारे क्षेत्र में की जा रही हैं इनको गौशालाओं में वापस डाला जाए। वहां पुलिस थाने के लोगों ने कोई कार्यवाही नहीं की और वहां गौशालाओं में इन्होंने कोई सूचना नहीं दी कि उनकी खेती नष्ट की जा रही है और इनको पाबन्द किया जाए। जबकि जब तक गौशालाओं को अनुदान मिल रहा था तब तो अकाल की स्थिति में भी सब

(श्री शाले मोहम्मद)

गाय पशु गौशाला में थे जब बारिश अच्छी हो गयी, वहां पूरा फील्ड फायरिंग रेंज एरिया है तो सब पशु वहां चले जाते हैं और वहां भारी संख्या में पशु हैं। वास्तव में सोजिया की ढाणी में जो घटना हुई, वहां पर खेती जो नष्ट की जा रही थी उससे पूरे 5 दिन पहले वहां ग्रामीणों द्वारा पुलिस थाना के सी आई को सूचना दी गयी थी कि यहां पर हमारी खेती नष्ट की जा रही है और गौशालाओं को पाबन्द किया जाए कि इन पशुओं को गौशाला में रखा जाए। पर उसके बावजूद भी वहां कोई कार्यवाही नहीं हुई तब जाकर कुछ वहां के लोगों ने उन गौशाला पशुओं को बांधा जरूर है और वह जैसलमेर में जो गांव बता रहे हैं..(व्यवधान) जो गांव आप बता रहे हैं..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): शर्म की बात है..(व्यवधान)

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): जो गांव आप बोल रहे हैं कोई..(व्यवधान) राजनीति नहीं की इस मामले में..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): +++ (व्यवधान) यह गृह मंत्रीजी, करवा कर रहो आप..(व्यवधान)

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): हमारा पूरा जैसलमेर जिला..(व्यवधान) आप आपत्ति नहीं करें। आपसे कह रहा हूं। हमारे लोग करते हैं वहां पर आप यह चीज नहीं कह सकते हो। यह जो आप बात कह रहे हो, गलत कह रहे हो..(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): +++ (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): वह शर्मनाक है वहां पुलिस कुटी है और..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य..(व्यवधान) माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है। कृपया आप विराजिये। कृपया आप विराजें माननीय सदस्य..(व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): अध्यक्ष महोदय, यह जो घटना है..(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): यह खुद गौ तस्करी करवा रहे हैं..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर है। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य आसन पांवों पर है।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजिये आसन पांवों पर है। अंकित नहीं होगा। आसन पांवों पर है। आसन पांवों पर है। माननीय सदस्य कृपया विराजें।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: जिस प्रश्न पर अभी जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया और भारतीय जनता पार्टी के उप नेता माननीय घनश्याम जी तिवाड़ी ने इसमें अपने विचार रखे, इसको वाद-विवाद का विषय मैं नहीं बनाना चाहता। एक बात सामने आयी है और चूंकि भाजपा के उप नेता ने इस बात को गम्भीरता से उठाया है तो मैं आज तो नहीं लेकिन निवेदन करूंगा सरकार से कल स्पष्ट कर दें।

295-श्री बाबूसिंह राठौड़।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

मरुस्थलीय क्षेत्रों हेतु नवीन ग्राम सेवा सहकारी समिति गठन के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलता

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मरूस्थलीय क्षेत्रों हेतु नवीन ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन के लिये निर्धारित मापदण्ड 7.00 लाख रुपये की हिस्सा पूंजी राशि को न्यूनतम 3.00 लाख रुपये हिस्सा राशि व जनसंख्या 5000 के स्थान पर 3000 करवाने की शिथिलता प्रदान करवाने हेतु प्रक्रिया नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय जी, उपरोक्त विषयान्तर्गत मैं तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर से सम्बन्धित स्थिति से आपको अवगत कराना चाहता हूं। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति मुख्यत: मरूस्थलीय क्षेत्र है। क्षेत्र की अधिकतम आबादी कृषि एवं पशुपालन व्यवसाय पर निर्भर है जो मुख्यत: वर्षा पर निर्भर है। शेरगढ़ क्षेत्र में 65 ग्राम पंचायत हैं जिसमें केवल 31 ग्राम सेवा सहकारी

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

समितियां कार्यरत हैं। कार्यरत ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्य क्षेत्र में 2 से 4 ग्राम पंचायत सम्मिलित हैं जिसका भौगोलिक रूप से बहुत ही विस्तृत होने के कारण ग्रामीणों को समिति कार्य क्षेत्र मुख्यालय पर पहुंचने में बहुत अधिक समय लगता है। महानरेगा अन्तर्गत श्रमिकों का भुगतान प्राप्त करने के लिये भी श्रमिकों को बहुत अधिक कठिनाई होती है। विशेषकर महिलाओं को जिनको कि भुगतान प्राप्त कर वापस घर पहुंचने में पूरा दिन लग जाता है। राज्य सरकार की ग्रामीणों को निकटतम स्थान पर सुविधा देने की नीति अनुसार ग्रामीण विकास एवं उपभोक्ता व्यवसाय वर्तमान में अधिकतम गाम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से किये जाने को प्राथमिकता दी जाती है ऐसे में एक ग्राम सेवा सहकारी समिति के कार्य क्षेत्र में एक से अधिक ग्राम पंचायतें एवं उनके कार्य क्षेत्र के दूरस्थ गांवों एवं ढाणियों में रहवास करने वाले गरीब काश्तकारों/श्रमिक महिलाओं की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन करने का निर्णय स्वागत योग्य है एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर नवीन ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन अत्यन्त आवश्यक है।

ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पुनर्गठन सम्बन्धी आदेश जारी होने के पश्चात् मेरे क्षेत्र में केवल एक नयी समिति बारनाऊ ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. के नाम से गठित हुई है। शेरगढ़ क्षेत्र में समितियों के पुनर्गठन नहीं होने का मुख्य कारण मरूस्थलीय क्षेत्र के काश्तकारों की आर्थिक स्थिति जिसमें प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है एवं आय के साधन सीमित हैं तथा आय का मुख्य स्रोत खेती एवं पशुपालन मुख्यतः वर्षा पर ही निर्भर है। ऐसे ग्रामीण नवगठित समिति के लिये निर्धारित 7.00 लाख रुपये न्यूनतम हिस्सा पूंजी अंशदान इकट्ठा करने में वित्तीय रूप से सक्षम नहीं है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मरूस्थलीय क्षेत्र एवं वर्तमान ग्राम सेवा सहकारी समितियों के विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए एवं राज्य सरकार की नीति के अनुरूप कृषकों को सहकारी ऋण, ग्रामीण कुटीर एवं उद्योग ऋण, महानरेगा श्रमिकों के कार्ड खोलना व भुगतान करना, महिलाओं के स्व-सहायता समूह खाते खोलना व ऋण उपलब्ध करवाना एवं ग्रामीणों को उपभोक्ता सामग्री प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपलब्ध करवाने की दृष्टि से नवीन ग्राम सेवा सहकारी समिति गठन के लिये निर्धारित हिस्सा पूंजी राशि 7.00 लाख रुपये को कम करते हुए न्यूनतम 3.00 लाख रुपये करने व

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

जनसंख्या 5000 के स्थान पर 3000 की करवाने का आदेश जारी कर ग्रामीणों को सम्बल प्रदान करेंगे। धन्यवाद।

(समय : 13.07 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: श्री रामनारायण मीणा।

विद्युत उत्पादन निगम को घटिया कोयले की आपूर्ति की जांच

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): सभापति महोदय, मैं विद्युत उत्पादन निगम में भारी घोटाले और भ्रष्टाचार की तरफ नियम 295 के तहत..

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): आपके राज में।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): मैं चूंकि प्रस्ताव को पढ़ने के लिये खड़ा हुआ हूं लेकिन माननीय भाटी साहब मेरे मन के लीडर हैं। यह बदकिस्मती से बी जे पी में हैं। माननीय भाटी साहब, मैं अब पढ़ूं उसको सुनना। यह 2005 में भारतीय जनता पार्टी के राज में भ्रष्टाचार प्रारम्भ हुआ। आप कर सको तो इसकी सी बी आई से जांच करा दो, बहुत से नेता सींखचो में होंगे, जेल में होंगे। मैं सदन में ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, जिसकी जांच होनी चाहिये। सरकार को भी करानी चाहिये और पूरे सदन को इसकी जांच करानी चाहिये।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): एक जांच तो आपकी करायी थी.. (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): मैं यह नहीं कहता। आप तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे तब भी मिलता रहता था और रास्ते में बहुत से रोकते थे। आपसे शिकायत करता रहता था क्यों रेट बढ़ गयी थीं ? लेकिन मैं कहना चाहता हूं खुले मन कि जितना विद्युत उत्पादन निगम में हो रहा है, मंत्रीजी बैठे हैं, जांच हो जायेगी तो बहुत से जेल के सींखचो में होंगे। होनी चाहिये। सौ करोड़ रुपये महीना लग रहा है। मैं पढ़कर सुना रहा हूं, आप सुनना 295 में.. (व्यवधान) हां, वह नियम पढ़ूंगा, अभी तो नया-नया बना हूं..(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: क्या ?

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): जिस दिन यह जवान आदमी, जब यह पैदा हुए होंगे तब मैं वकालत करता था। माननीय सभापति

(श्री रामनारायण मीणा)

महोदय, मैं नियम 295 के तहत प्रस्ताव पढ़ रहा हूं। आप ऐज देख लीजिये, मेरी ऐज देख लीजिये। मैं दुबला पतला दिखता हूं, सफेद बाल नहीं आए, आपके काकाजी की उम्र का होंगा मैं।

सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि मई, 2005 तक राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने तापीय विद्युत गृहों के लिए कोल इंडिया के कोयले से प्लांट चलाकर बिना विघ्न उत्पादन कर केन्द्रीय सरकार से प्रशस्ति पत्र तथा इनाम प्राप्त किया था। मई, 2005 में मैसर्स आर्यन वेनिफिकेशन कोल लि. एवं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के प्रबन्ध निदेशक के मध्य प्रभावी दबाव से 36 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत नमी वाले एफ ग्रेड से कोल को धोकर 30 प्रतिशत राख व 10 प्रतिशत नमी वाला पचास-पचास हजार मैट्रिक टन कोयला कोटा तथा सूरतगढ़ थर्मल में वाश कोल के रूप में लेने का जन हित विरोधी अनुबंध किया। अधिक राख या नमी होने पर 30 रेक का एक लोट तैयार कर जुर्माना आरोपित किया जाना था। सेम्पल का विश्लेषण थर्मल के रसायन विभाग द्वारा सही करने से कोल कंपनी पर जुर्माना आरोपित होने पर सीनियर केमिस्ट को आपराधिक षड्यंत्र से इस जांच से पृथक कर अधीक्षण अभियंता की अध्यक्षता में कमेटी बना दी। स्वार्थ साधने वाले मुख्य अभियंता एवं प्रभावी अधिकारियों के दबाव एवं मौखिक निर्देशानुसार विश्लेषण संबंधी गलत रिपोर्ट तैयार कर फर्म को फायदा पहुंचाने से कोयला वाश करने वाली कंपनी करोड़ों के जुर्माने से बचने तथा प्लांटों को प्रतिमाह नुकसान होने के बाद भी विद्युत उत्पादन निगम मैनेजमेंट द्वारा वर्ष 2007 से एक लाख मैट्रिक टन कोयला कोटा तथा सूरतगढ़ थर्मल के लिए वाश करवाना प्रारम्भ करने से दोनों थर्मलों को 50 करोड़ रुपये मासिक का नुकसान होने लगा। वाश कोल में 35 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक राख एवं 11 प्रतिशत से 15 प्रतिशत नमी आने पर भी विश्लेषण रिपोर्ट गलत बनाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया। वर्तमान में तीनों थर्मलों में दो-दो लाख मैट्रिक टन वाश कोल की आपूर्ति होने से प्रतिमाह 100 करोड़ का नुकसान हो रहा है। पिछले चार माह के रिकार्ड एवं विश्लेषण रिपोर्ट की बारीकी से जांच कर सही जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यूनिटों में आये दिन ट्रिप होना ही कोयले का निर्धारित से घटिया होना प्रमाणित है। कोटा थर्मल के मई, 2010 के लोट नंबर 55 की विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर 2

(श्री रामनारायण मीणा)

करोड़ 25 लाख रुपये का जुर्माना लगने पर रिपोर्ट को पुन: बनवाकर बिना जुर्माना लगाये बिल पास कर बेजा फायदा पहुंचाया। जून, 2010 के लोट नंबर 56 पर 6 करोड़ तथा लोट नंबर 57 पर 2 करोड़ का जुर्माना आरोपित होगा। कोटा थर्मल के मुख्य अभियंता द्वारा लोट को बदलवा कर नयी विश्लेषण रिपोर्ट बनवाकर फर्जी दस्तावेज तैयार करवाये हैं। काली कमाई के लिए कोटा थर्मल से 10 जुलाई, 2010 को संशोधन आदेश जारी कर जांच कमेटी के 5 सदस्यों में से 3 के हस्ताक्षर होने पर विश्लेषण रिपोर्ट सही होने का आधार बना लेने से किन्हीं 3 को किसी तरह राज़ी कर गलत रिपोर्ट पर भी हस्ताक्षर करवा लिये गये।

कोयला वाश का अनुबंध वाली मैसर्स आर्यन वेनिफिकेशन कोल लि. के सहभागीदार ऊंची पहुंच वाले होने से कंपनी द्वारा नमी व राख के नाम पर बचाये कोयले की कालाबाजारी की जांच करने में राज्य की पुलिस सक्षम नहीं है। इस घोटाले की पारदर्शी जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से करायी जाने पर सैकड़ों करोड़ का बड़ा घोटाला साबित होगा। सरकार एवं विद्युत उत्पादन निगम को हुए भारी नुकसान की वसूली की जावे एवं दोषी व्यक्तियों/अधिकारियों को दंडित किया जावे।

मंत्री जी, कम से कम 5 हजार करोड़ का घोटाला हो चुका है। मैं सदन में जितनी मेरी क्षमता है उसके मुताबिक कह रहा हूं। आप इसको ठीक करायें, मैंने आपके सामने ही कहा था कि प्रबन्ध निदेशक भ्रष्ट है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, जो आपके पास लिखा हुआ हो वह पढ़ें।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): मैं सभापति जी की भावना की कद्र करता हूं। मैं सदन में जो कुछ कह रहा हूं वह राजस्थान के हित में कह रहा हूं। बिजली उत्पादन के हित में कह रहा हूं और मंत्री जी इसकी जांच करवायें और जवाब देंगे। मैं स्वयं इनके साथ जाकर के साबित करवाऊंगा। इस बात को मैं एश्योर करता हूं।

सिरोही के कतिपय गांवों में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति

श्री सभापति: श्री ओटाराम देवासी।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत

(श्री ओटाराम देवासी)

निवेदन करना चाहता हूं कि सिरोही विधान सभा क्षेत्र के मनादर व कैलाश नगर गांवों में पिछले एक वर्ष से चोरी, लूट व हत्या की वारदातें हो रही हैं। जिसके कारण आम जन में अपने जानमाल तथा घरेलू सम्पत्ति को लेकर भारी असुरक्षा का वातावरण उत्पन्न हो रहा है।

सिरोही विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति शिवगंज में कैलाश नगर, मनादर तथा इन गांवों से लगती आबादी क्षेत्र में पिछले एक वर्ष से हो रही चोरियों तथा इनके राजफाश में नाकाम रही पुलिस की कार्यशैली से लोगों में जानमाल की सुरक्षा को लेकर भारी समस्या उत्पन्न हो गयी है तथा आम जन में रात्रिकाल में भय का वातावरण बनता जा रहा है।

अतः सिरोही जिले में पुलिस प्रशासन की शिथिल कार्यशैली के कारण चोरी, लूट, हत्या तथा पारिवारिक क्राइम की घटनायें बढ़ रही हैं। जिले में एक वर्ष में हुए चोरी, हत्या, लूट की घटनाओं का राजफाश नहीं होने से आतंकी आज भी घटनाओं को बेरोक-टोक वारदात पर वारदात को अंजाम देते हुए खुले आम आजादी से घूम रहे हैं। वहीं क्षेत्र की जनता भय के वातावरण में जीवन जी रही है।

अतः कैलाश नगर तथा मनादर गांव में विगत एक वर्ष से हुई दर्जनों चोरियों का राजफाश रेंज स्तर पर विशेष जांच दल गठित कर करवाया जावे ताकि क्षेत्र की जनता में पुलिस के प्रति उत्पन्न नाकामी की भावना को समाप्त किया जा सके। वहीं घटनाओं को अंजाम देने वालों पर वारदात नहीं करने का दबाव बने।

श्री सभापति: श्री पवन दुग्गल।

अनूपगढ़ बी.ई.ई.ओ. कार्यालय द्वारा समानीकरण के निर्देशों की अवहेलना

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा अपनायी जा रही समानीकरण व एकीकरण प्रक्रिया के तहत दिशा-निर्देशों की अवहेलना करते हुए, किसी मापदंड को नहीं अपनाते हुए गलत सूची भेजकर राज्य सरकार, प्रशासन व शिक्षा विभाग को गुमराह किया है। बहुत सारे विद्यालय कम छात्र संख्या की आड़ में अनार्थिक कर दिये हैं, जबकि उनमें शेष विद्यालयों से छात्र अधिक हैं। अतः

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

अनार्थिक विद्यालयों की जांच करवायी जाये। अनेकों विद्यालयों में प्रतिनियुक्त मामलों में प्रतिनियुक्त कार्मिकों को वर्तमान में मानते हुये बिना वरीयता के किसी भी कार्मिक को अधिशेष कर प्रभावित किया है। जैसे राजकीय प्राथमिक विद्यालय 3/4 एनएम, राजकीय प्राथमिक विद्यालय 67 जीबी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय 4/6 एमएसआर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय 35 जीबी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय 6 जीबी बी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय नई आबादी मसानीवाला, राजकीय प्राथमिक विद्यालय 10 एमडी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामसिंहपुर आदि।

अनेकों विद्यालयों में कार्मिकों की संख्या अधिक होते हुए भी अधिशेष नहीं किये गये हैं जैसे राजकीय प्राथमिक विद्यालय 89 जीबी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय 87 जीबी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय 17 एलएम, राजकीय प्राथमिक विद्यालय 10 के, राजकीय प्राथमिक विद्यालय 71 जीबी मोगी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय 7 एमडी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय 3 बीएलएम, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, रामसिंहपुर।

अनेकों विद्यालयों में छात्र संख्या के आधार पर समानीकरण के मानदंडों के अनुरूप अधिक पदों की आवश्यकता होने पर भी कम पदों की आवश्यकता मानते हुए कार्मिकों को अधिशेष कर पीड़ित किया है एवं रिक्त पद नहीं मानते हुए जान-बूझकर पदों में कटौती की है। जैसे राजकीय प्राथमिक विद्यालय 4 के ए, राजकीय प्राथमिक विद्यालय 10 केडी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय 10 आरजेडी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय 5 जीबी बी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय 13 जीएम, राजकीय प्राथमिक विद्यालय 7 जेएम, राजकीय प्राथमिक विद्यालय 17 एलएम, राजकीय प्राथमिक विद्यालय 2 केएएम, राजकीय प्राथमिक विद्यालय 81 जीबी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय 11/13 ए, राजकीय प्राथमिक विद्यालय 71 जीबी मोगी।

अनेकों विद्यालयों में समानीकरण हेतु प्रेषित सूचना के अनुसार अध्यापक/प्रबोधक/विद्यार्थी मित्र पदस्थापित नहीं होते हुए भी पदस्थापन बताकर झूंठी सूचना प्रेषित की गयी है। जैसे राजकीय प्राथमिक विद्यालय 17 एलएम, 3/4 एनएम, 7 जेएम, 7 एमडी, 81 जीबी, 10 के, 4/6 एमएसआर, 2 केएस, 6 एलएम, रामसिंहपुर, 55 जीबी, 11/13 ए, 6 पी, 18 पी, 8 पीएसडी, 19 एमडी, 1 एसटीआर, 20 एमडी, 21 एमडी, 19 जीडी बी, 1 जीएम ए, 2 एमएलडी ए, 1 जीडी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 4/5 एलएसएम, 4

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

एमएलडी ए, 7 एमएलडी, 7 जीडी, 2 जीएम बी, 5 एमएलडी बी, 22 एमडी, 3 जीडी, 9 डीडी, 2 एसटीवाई, घड़साना, 12 पी, 15 एच, 13 एमडी इत्यादि।

अनेकों विद्यालयों को अनार्थिक मानते हुए उनका एकीकरण नजदीक विद्यालयों को छोड़ते हुए दूरस्थ विद्यालयों में किया है, जैसे राजकीय प्राथमिक विद्यालय 14 के, को राजकीय प्राथमिक विद्यालय 22 पी में। उक्त तथ्यों के आधार पर बेवजह प्रभावितों को राहत देने एवं दोषियों के विरुद्ध प्रशासनिक एवं विभागीय कार्यवाही की जावे।

श्री सभापति: श्री दौलतराज नायक।

श्रीगंगानगर में 'नरेगा' के तहत अधूरे डिग्गी निर्माण

श्री दौलतराज नायक (रायसिंहनगर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वर्ष 2008 में राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण योजना (नरेगा) के अन्तर्गत जिला श्रीगंगानगर के अनुसूचित जाति के लघु एवं सीमान्त किसानों को सिंचाई सुविधा हेतु बड़ी डिग्गियों का निर्माण करवाया जाना था किन्तु आज दिवस तक लगभग 168 डिग्गियां अधूरी हैं। बार-बार किसानों द्वारा इनको पूर्ण करने हेतु निवेदन किया गया परन्तु प्रशासनिक कारणों एवं स्पष्ट नीति न होने के कारण उपरोक्त डिग्गियां आज तक अधूरी पड़ी हैं।

माननीय सभापति महोदय, लघु एवं सीमान्त किसान वो किसान हैं जिनके पास 10 से 15 बीधा जमीन होती है। उपरोक्त डिग्गियों के कारण प्रत्येक किसान की दो बीघा भूमि पिछले 2 साल से बेकार पड़ी है। किसान डिग्गी के नाम पर किए गए खड्डे को न तो भर सकते हैं और न ही इसे पक्का करवा सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध कर उन 168 किसानों की अपूर्ण डिग्गियों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं एवं आश्वासन चाहता हूं कि इनका जल्दी ही पक्का निर्माण करवाया जाए एवं किसानों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति की जाए।

श्री सभापति: श्री अमराराम।

जयपुर से कुचामन बस-मार्ग का परिवर्तन

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान

(श्री अमराराम)

विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर के विद्याधर नगर डिपो की वर्तमान में दो बसें जयपुर से कुचामन के लिए वाया चौमूं, रेनवाल, कुली-खाचरियावास, दांतारामगढ़, मण्ढा-सुरेरा, राजलिया मुआणां देते हुए संचालित की जा रही हैं। उक्त बसें रेनवाल से दांतारामगढ़ जाती हैं और फिर दांतारामगढ़ से सुरेरा जाती हैं। रेनवाल से सुरेरा की दूरी वाया दांतारामगढ़ लगभग 37 किलोमीटर पड़ती है। यदि उक्त बसों को रेनवाल से सुरेरा वाया करड़, नौसाल, डांसरोली संचालित किया जाता है तो रेनवाल से सुरेरा की दूरी मात्र 22 किलोमीटर ही है। रेनवाल से दांतारामगढ़ के बीच में सीकर-नावां-अजमेर मार्ग की पहले से ही राजस्थान रोडवेज की काफी बसें संचालित हैं। इसलिए यदि इन बसों को रेनवाल से सुरेरा वाया करड़, नौसाल, डांसरोली होकर संचालित किया जाता है तो मार्ग की दूरी भी कम पड़ेगी और यात्री भार भी काफी मिलेगा क्योंकि इस रूट पर राजस्थान रोडवेज की दिनभर में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है।

अतः इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से मेरा यातायात मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि विद्याधर नगर डिपो की वर्तमान में जो दो बसें जयपुर से कुचामन वाया चौमूं, रेनवाल, कुली-खाचरियावास, दांतारामगढ़, मण्ढा-सुरेरा, राजलिया, मुआणां देते हुए संचालित की जा रही हैं उन बसों को वाया चौमूं, रेनवाल, करड़, नौसाल, डांसरोली, सुरेरा, राजलिया, मुआणां देते हुए संचालित करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

श्री सभापति: श्रीमती निर्मला सहरिया।

बारां राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा क्लेम भुगतान में देरी

श्रीमती निर्मला (किशनगंज): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं निवेदन करना चाहती हूं कि राज्य बीमा विभाग द्वारा जिला बारां में माह सितम्बर, 2008 से जुलाई, 2010 तक संस्कृत शिक्षा विभाग के अध्यापकों को राज्य सेवा में रहते हुए आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि के क्लेम भुगतान नहीं कराये गये हैं। उक्त मृत अध्यापकों के आश्रितों को मानसिक तनाव एवं आर्थिक

(श्रीमती निर्मला)

परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है तथा आश्रित परिवार दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरा अनुरोध है कि कृपया बारां जिले के संस्कृत शिक्षा विभाग के मृत अध्यापकों के आश्रितों को राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि के क्लेमों के लम्बित प्रकरणों का भुगतान कराया जावे।

श्री सभापति: श्री अब्दुल सगीर।

राजस्थान वक्फ बोर्ड सम्पत्तियों की बदहाली

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड का बेनूर चेहरा! बेशहूर जीस्त! राजस्थान का वक्फ बोर्ड अपनी बदहाली की दास्तां पर आंसू बहा रहा है। अखबारों की सुर्खियां भी हृदय विचलित कर रही हैं। मौजूदा रहनुमाई की इनायत व नवाजिश आंख चुरा रही हैं। करोड़ों रुपयों की वक्फ की सम्पत्ति का पुरसाने हाल कोई नहीं है। नाजायज कब्जे, मुकदमों की पैरोकारी का नहीं किया जाना, वक्फ के वकीलों की फीस तक मुहैया ना होना, वक्फ के कर्मचारियों की तनख्वाह ना दिया जाना, सैकड़ों केसों के लिए फण्ड का ना होना, वक्फ की तकदीर व मुकद्दर फण्ड की दरकार व मुहैया होने पर मुनस्सर है। वजीरे आला अक्लीयत की नुमाइन्दगी व कयादत की वकालत करते रहे हैं। अफसोस! मौजूदा हुक्मरां अपनी मसरूफियात व सियासी सुरूर में मदहोश हैं, उन्हें वक्फ बोर्ड की इमारतों की दर्दनाक चीख सुनाई नहीं पड़ रही है।

इतिहास वक्त के उस मोड़ की दहलीज पर है जहां से सरकारी बेरूखी व बेवफाई वक्फ बोर्ड की बर्बादी का सबब बन सकती है और सरकारी नवाजिश इनायते करम वक्फ बोर्ड फलाबहबूदी की वजह बन सकती है।

तारीख इस हालात की शहादत देगी और सरकारी नवाजिश सनद बनकर इतिहास के पन्नों में बोलती रहेगी।

श्री सभापति: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

जोधपुर शहर में सड़कों की दुर्दशा

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान राज्य

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

के मुख्य मंत्री के गृह नगर जोधपुर की खस्ता हाल सड़कों की ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहती हूं कि जोधपुर में पिछले लम्बे समय से सड़कों की स्थिति बहुत ही जर्जर है। सड़कों में खड्डे नहीं, खड्डों में सड़कों का अस्तित्व ढूंढना पड़ रहा है। नित्य ही प्रशासनिक अधिकारियों, माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदयों की गाड़ियां जिन मार्गों, मुख्य चौराहों से निकलती हैं, वहां इतने ज्यादा खड्डे हैं कि यदि आसन्न प्रसवा स्त्री को इन मार्गों से ले जाया जावे तो रास्ते में ही प्रसव हो जावे। मेन सोजती गेट चौराहा, सिटी बस स्टैण्ड के पास, पोकर स्वीट होम के पास, गौरव पथ, खतरनाक पुलिया, एम डी एम से गौरव पथ को जोड़ने वाली लिंक रोड, नेहरू पार्क-डी आर एम आफिस रोड मेडिकल चौराहा, जालौरी गेट चौराहा और चारों तरफ जाने वाली सड़कें, पांचवी रोड, चौराहा, ये जोधपुर के सबसे महत्वपूर्ण चौराहे और सड़कें हैं और इन पर दिन भर वाहनों की भारी रेलमपेल रहती है और इन पर खड्डे ही खड्डे हैं। इन पर कार्यवाही के नाम पर खड्डों में मलबा भर दिया जाता है जो कि थोड़ी सी बरसात, थोड़े से परिवहन से ही वापस उखड़ जाता है। इस कारण समस्या लम्बे समय से जस की तस है।

उक्त समस्या का प्रमुख कारण भ्रष्टाचार के चलते सड़क निर्माण गुणवत्ता में बरती जा रही अनियमितता है, वहीं विभागीय समन्वय का अभाव भी एक प्रमुख कारण है। जोधपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग जहां प्रमुख सड़कों के लिए उत्तरदायी है तो वहीं लिंक सड़कों के लिए क्षेत्रवार जोधपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम जवाबदेह है परन्तु नगर निगम जहां वर्ष पर्यन्त बजट के अभाव का बहाना बनाकर सड़क निर्माण करवाता ही नहीं है वहीं शेष स्थानों पर विभागीय समन्वय के अभाव में सड़कें बनती हैं तो संवेदकों और अभियन्ताओं की सांठ-गांठ के चलते कभी पेयजल वितरिका, कभी सीवरेज स्थापना, कभी दूरसंचार तो कभी विद्युत केबलों के भूमिगत बिछाव के नाम पर सड़कों को तोड़ दिया जाता है, इन सभी कार्यों की अवधि छह माह तक होने से पिछली बिछाई सड़कों का ठेकेदार अपनी बनाई सड़कों की गुणवत्ता से पूरी तरह बच जाता है और क्षेत्र निवासी लगातार टूटी सड़कों का दंश झेलते हैं।

एक बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि नगर निगम द्वारा सीवरेज लाइन में बनाई जाने वाली होदियों के आउटर फ्रेम और इन पर लगने वाले ढक्कन की कोई तकनीक निगम अभियन्ताओं द्वारा काम नहीं ली जा रही है।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)
इस कारण पूरे शहर में कहीं भी सड़क के साथ शून्य तल पर इनकी स्थापना नहीं है इस कारण ये या तो सड़क तल के ऊपर है अथवा नीचे, इस कारण ये दुर्घटना कारक बन कर सड़कों की चौड़ाई कम कर रहे हैं। अतः इस सम्बन्ध में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

अतः मेरा अनुरोध है कि जोधपुर शहर की सभी सड़कों का अविलम्ब निर्माण किया जाए और पूर्व की सड़कों की टूट के लिए जिम्मेदार अभियन्ताओं और संवेदकों के विरुद्ध अधिकतम सम्भव कठोर कार्यवाही की जाए। प्रस्ताव के जवाब के साथ ही ठोस सूचना उक्त दोनों ही बिन्दुओं की उपलब्ध करवाई जावे।

श्री सभापति: श्री कानसिंह कोटड़ी।

सिवाना में वर्षा से बाधित रास्तों का सुधार

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना): माननीय सभापति जी, नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। विधान सभा क्षेत्र सिवाना में वर्षा के मौसम में बाधित रहे स्थानों/रास्तों को सुधारने बाबत।

महोदय, मैं राजस्थान सरकार एवं माननीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र सिवाना जो कि पहाड़ी क्षेत्र है। वर्तमान मानसून में अधिक वर्षा होने के कारण निम्न सड़कों पर पानी के अधिक बहाव के कारण एवं रेत आने से इन रास्तों का आठ-नौ बार यातायात बाधित होने से यात्रियों एवं मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इन अव्यवस्थाओं के कारण प्रेस समाचार पत्रों की सुर्खियां बनी रहती हैं।

सिरोही-जालोर-सिवाना-बालोतरा स्टेट हाइ-वे संख्या-38 किमी 116, लौनी नदी की रपट पर, किमी 141 पेट्रोल पम्प सिवाना के पास ।

सिवाना-समदड़ी-कल्याणपुर-मण्डली स्टेट हाइ-वे संख्या-66 किमी 2 सिवाना, 10 मेली, किमी 19 व 20 रेलवे फाटक खारा नाला पर ।

सिवाना-मिठौड़ा-सिणधरी अन्य जिला सड़क पर राजस्व ग्राम धारणा के पास जुंजाणी नाला।

उक्त सड़कों पर शीघ्र पुल, पाइपों के द्वारा पानी की निकासी सड़क ऊंचाईकरण का कार्य आदि की स्वीकृति प्रदान कर जनता को राहत पहुंचाने का आग्रह करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बंशीधर खण्डेला।

सीकर में शेखावाटी विश्वविद्यालय की स्थापना

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): माननीय सभापति जी, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत मैं राज्य सरकार एवं उच्च शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान शेखावाटी की ज्वलंत एवं अति संवेदनशील समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। राज्य में गत भाजपा सरकार द्वारा तीन विश्वविद्यालयों की स्थापना करने का निर्णय लिया गया था। इसी के अन्तर्गत सीकर शहर में शेखावाटी विश्वविद्यालय के नाम से पृथक से विश्वविद्यालय स्थापित कर ओएसडी की नियुक्ति भी कर दी गई थी एवं बजट भी आबंटित कर दिया गया था। इस विश्वविद्यालय के बनने से शेखावाटी अंचल के हजारों छात्र-छात्राओं को सीधे तौर पर फायदा मिलने वाला था परन्तु राज बदलते ही सबसे पहला कुठाराघात शेखावाटी अंचल के हजारों छात्र-छात्राओं एवं आम नागरिकों के हितों पर किया गया जिसको लेकर सम्पूर्ण शेखावाटी में भारी आक्रोश व्याप्त हो रहा है। सीकर एवं झुंझुनूं जिलों में विभिन्न संगठनों ने संयुक्त रूप से बंद का आव्हान भी किया और आंदोलन उग्र रूप धारण करने की ओर अग्रसर हैं। कभी भी कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की भी सम्भावना है जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। जब एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई जिम्मेदार सरकार ने सीकर में शेखावाटी विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा कर दी, स्थान चिह्नित कर लिया गया, बजट आबंटित कर दिया गया, ओएसडी की नियुक्ति तक भी कर दी गई, उसके पश्चात् एकदम से जनहित को दरकिनार कर इस कांग्रेस सरकार ने शेखावाटी के साथ अन्याय के साथ-साथ विश्वासघात भी किया है। अतः मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के जरिये राज्य सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि राज्य में शेखावाटी विश्वविद्यालय की जो स्थापना का निर्णय लिया गया था उसको यथावत् रखा जाकर सम्पूर्ण शेखावाटी के आम जनता को राहत प्रदान करते हुए छात्र-छात्राओं के हितों की रक्षा की जाए। जय हिन्द।

श्री सभापति: डा. गोपाल जोशी।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में पद-समाप्ति की सिफारिश से उत्पन्न स्थिति

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): श्रीमान् सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया व नियमों के नियम 295 के तहत मैं

(डा. गोपाल जोशी)

लोकहित के अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय जो कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कर्मचारियों के पदों को समाप्त करने की बीएफसी के निर्णयों की आड़ में कोशिश व साजिश के फलस्वरूप इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रायः सभी वर्गों के कर्मचारियों पर मरूस्थल के जीवन की जीवन रेखा के रूप में पहचान वाली इंदिरा गांधी नहर परियोजना में ऊंचे पदों पर बैठे लोग कर्मचारियों का जीवन संकट में डाल रहे हैं, परियोजना को समाप्त मानते हुए, रिटायर्ड हुए कर्मचारियों के पद नहीं भरे जा रहे हैं बल्कि पदों की संख्या कम करते हुए उन्हें समाप्त किया जा रहा है। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों व अन्य लोगों से सलाह मशविरा तो दूर भनक भी नहीं लगने दी जा रही है। इंदिरा गांधी परियोजना की मुख्य नहर व अन्य लिफ्टें, नहरें, ब्रांच वितरिका, माइनर आदि नहरों का काम समाप्त होने से परियोजना समाप्त नहीं हो जाती। यहां अभी भी निम्न महत्वपूर्ण कार्य बाकी हैं।

लगभग चार लाख हैक्टेयर लक्षित क्षेत्र को नहर के टारगेट से कट कर दिया गया है, इस भाग को (क्षेत्र) सुविधा उपलब्ध करवाना जी। लोगों के आर्थिक जीवन से जुडा मुद्दा है, बाकी है। हर साल नहरों से मिट्टी निकालने का काम भी निरन्तर रहेगा।

छह लिफ्टों के लगभग साढ़े तीन लाख हैक्टेयर क्षेत्र को स्प्रिंकलर सिस्टम में जोड़ना आवश्यक है, उसे पूरा करना बाकी है। मुख्य नहर व अन्य शाखाएं आदि लगातार क्षतिग्रस्त होकर टूटती रहती हैं, उन्हें निरन्तर रख-रखाव मरम्मत की आवश्यकता रहती है। एक मानक के अनुसार वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या भी कम है। परियोजना की समाप्ति पर न केवल श्रमिकों परन्तु किसान व आम आदमी के आर्थिक व औद्योगिक विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सरकार दोहरी नीति अपना रही है। एक ओर तो परियोजना के लिए केन्द्र से बजट मांग रही है, दूसरी ओर पद में कटौती व समाप्त किये जा रहे हैं।

उपरोक्त कारणों से पूरे सिस्टम का पुनरीक्षण किया जाए, उसके अनुसार ही कर्मचारियों, इंजिनियरों व श्रमिकों की जरूरत आंकी जाए तथा उसके बाद में कोई निर्णय लिया जाए।

परियोजना का समाप्त होना भयंकर भूल व इन पर आधारित लोगों के साथ अन्याय होगा। परियोजना को जिन्दा रखना लोकहित में जीवन जिन्दा रखना होगा, आर्थिक, औद्योगिक, उन्नति का द्योतक होगा, परियोजना हर हाल में बनी रहनी चाहिए। यही हमारी लोक हित में मांग है। धन्यवाद।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): सभापति महोदय, यह एक गम्भीर मसला है क्योंकि इसमें हजारों परिवार जुड़े हुए हैं। मूल रूप से समस्या यह है कि इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अन्दर बजट का प्रावधान कम रखा जाता है, इससे लगातार इसकी प्रोग्रेस कम हुई है और यह प्रोजेक्ट 20 साल पिछड़ गया और उसके बावजूद भी जो माननीय सदस्य ने कहा वह बात उचित है कि अभी इन नहरों के अन्दर हमने जिस प्रकार से निर्माण किया है, उसके लेवल अभी तक सही नहीं हैं, वह अपूर्ण रहने से यह समस्या है, हमेशा के लिए किसानों को भुगतना पड़ेगा और सारे इसमें आज इंजीनियर्स की पोस्ट सारी खाली पड़ी हैं, कर्मचारियों का सही उपयोग नहीं हो रहा है, जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने लिफ्ट कैनाल्स को बनाया है, वह सारा का सारा अभी तक किसी को ज्ञान भी नहीं है कि यह प्रोजेक्ट जो हम ला रहे हैं, स्प्रिंकलर वाला, यह कामयाब भी होगा या नहीं? उसके बीच में ही अगर यह सारे डिवीजंस तोड़ दिये गये तो किसानों के साथ और सरकार की जो मंशा है, वह दोनों खतम हो जाएंगी इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि अभी प्रोजेक्ट का काम है, पूरा बजट देकर इसको पूर्ण करवाया जाए। जो इस प्रकार के अधूरे कार्य हैं उनको पूर्ण करें जिससे इन नहरों के लेवल्स भी ठीक हों और स्प्रिंकलर सिस्टम भी कामयाब हो। धन्यवाद।

श्री सभापति: पर्ची के माध्यम से निम्न माननीय सदस्यों को अनुमति दी गई है। डाक्टर रघु शर्मा।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): आपको भी पर्ची देनी पड़ गई? हद हो गई। हम तो समझते थे कि राज के प्रमुख आपके हाथ में है, आप जिनको पर्चियां दे रहे हो उसी की पर्ची चलेगी।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

ग्राम सेवकों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान में पिछले 16 अगस्त से सारी ग्राम पंचायतों के ग्राम सेवक हड़ताल पर हैं और पिछली 25 अगस्त से पूरे राजस्थान के सरपंच हड़ताल पर हैं। एक तरफ हमारे मुख्य मंत्री जी चिंतित हैं, बार-बार, कल भी, आज भी उनका बयान आया कि वो इन पंचायतों को अधिकार सम्पन्न बनाना चाहते हैं तथा दूसरी तरफ वो कौन से कारण हैं कि सत्ता के विकेन्द्रीकरण के तहत ये जो जनता के वोट से निर्वाचित

(डा. रघु शर्मा)

सरपंच हैं उनको सड़कों पर आकर के आंदोलन करने की स्थिति पैदा हो गई है। माननीय सभापति महोदय, आज हालात यह बन चुके हैं कि राजस्थान की जो ग्रामीण विकास की धूरी है उसकी नोडल एजेंसी ये सरपंच और ये ग्राम सेवक हैं और पिछले एक महीने से लगभग पूरे राजस्थान में जो अधिकांश काम ग्रामीण विकास के महकमे के तहत सम्पन्न होने हैं वो ठप्प पड़े हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान में 9187 ग्राम पंचायतें हैं और यह कारण क्यों पैदा हुआ, आज सरकार में बैठे हुए लोग हैं ये भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं लेकिन सरपंच भी जनता के वोटों से बनता है यह बात भी नहीं भूलनी चाहिए। आज कोई आदमी यह कहे कि मैं ईमानदार हूं तो बहुत अच्छी बात है, ईमानदार होना चाहिए और क्योंकि यह आपका दायित्व है, आप एहसान नहीं कर रहे हैं राजस्थान की जनता के ऊपर कि आप ईमानदार हैं। लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं है कि राजस्थान की 6 करोड़ जनता ने इन लगभग 10 हजार पंचायतों में जिन लोगों को अपने वोट के माध्यम से सरपंच और पंच के चुनाव में जिताकर बिठाया है उनको आप भ्रष्ट करार दो, यह एक अवसाद की स्थिति है। माननीय सभापति महोदय, 500 सरपंचों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाए और एक अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो, यह जो नरेगा का सिस्टम है, हमने पंचायती राज का गला घोंट करके रख दिया यह हमें समझने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, जो सामाजिक अंकेक्षण की बात की जाती है, मुझे भी माननीय मंत्री महोदय ने बहुत लम्बी-चौड़ी चिट्ठी लिखी है, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति हैं ये, लेकिन इनके दीये तले अंधेरा है यह इनको इस बात की जानकारी नहीं है। आज सरपंच की किस तरह की स्थिति है उसको मैं आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहता हूं, इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। एक सरपंच को सामाजिक अंकेक्षण के नाम पर सबसे पहले पंचायत की बैठक में, उसके बाद नरेगा की स्थायी समिति में, फिर उसके बाद ग्राम स्तरीय सतर्कता समिति में, उसके बाद वार्ड सभा में, उसके बाद ग्राम सभा में, उसके बाद सामाजिक अंकेक्षण मंच में, उसके बाद स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के माध्यम से, उसके बाद एजी, अकाउंटेंट जनरल के माध्यम से, फिर ब्लाक के माध्यम से, फिर डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से, फिर स्टेट के माध्यम से, फिर सैण्ट्रल मानीटर्स के माध्यम से, उसके बाद यह सूचना का

(डा. रघु शर्मा)

अधिकार और उसके बाद कोई कम्पलेंट आ जाए उसकी शिकायत की बात है तो उसके माध्यम से, इस प्रकार 14 चीजों के शिकंजे में फांसकर हम सरपंचों से उम्मीद करें कि वो सही तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन कर लें? हम यहां पर बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, मुख्य मंत्रीजी एक तरफ अधिकार की बात कर रहे हैं और सरकार के मंत्री क्या कर रहे हैं? 7 जिलों के जिलाधीशों को नोटिस दिया गया। मुख्य मंत्रीजी जिनको जिलों की जिम्मेदारी सौंपते हैं और सरकार का मंत्री बैठा हुआ कहता है कि ये भ्रष्ट हैं जिलों के जिलाधिकारी। मैं आपके माध्यम से यह बात कहना चाहता हूं कि इतनी विसंगतियां आज राजस्थान के अन्दर पैदा हो गई हैं कि आज निरीक्षण के मापदण्ड क्या हैं? निरीक्षण के मापदण्ड तकनीकी और प्रशासनिक अधिकारियों की फौज है इनके पास। इनके पास जे.ईएन. हैं, ए.ईएन. हैं, एक्स.ईएन. हैं, एस.ई. हैं और प्रशासनिक अधिकारियों का पूरा लवाजमा है, आरएएस हैं, आरटीएस हैं, आरइएस हैं, बीडीओ हैं। गला घोंटना चाहते हो क्या पंचायती राज के चुने हुए नुमाइंदों का? यह व्यवस्था चल नहीं पायेगी इस तरह से। माननीय सभापति महोदय, आज नरेगा की स्थिति मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान व्यवस्था के तहत नरेगा का 15 प्रतिशत काम इर्रिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा होता है, 15 प्रतिशत काम फोरेस्ट डिपार्टमेंट के तहत होता है, 15 प्रतिशत काम पीडब्ल्यूडी के तहत होता है। यह तो कुल 45 प्रतिशत हुआ और बचा हुआ जो नरेगा का 55 प्रतिशत काम है वो ग्राम पंचायतों के माध्यम से हो रहा है। यह अब राइडर्स आप सिर्फ पंचायतों के चुने हुए सरपंच जो जनता के वोट से चुनकर के आये हैं उनके ऊपर है। इनको पूछें कि सामाजिक अंकेक्षण इन पंचायतों का क्यों किया जा रहा है। इनका तो करिये वह करिये, मैं कोई भ्रष्टाचार की वकालत करने नहीं आया हूं लेकिन आप अगर ईमानदार हैं और आप प्रिज्युडिश होकर अगर सामने वाले आदमी को बे-ईमान बतायेंगे तो यह मानसिक अवसाद की स्थिति है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि एक तारीख को राजस्थान की 9187 पंचायतों के सरपंच यहां विधान सभा पर धरना देने पर मजबूर हैं, तीन तारीख को पूरे राजस्थान के ग्राम सेवक यहां विधान सभा पर धरना देने पर मजबूर हो रहे हैं। यह किनकी गलतियों की वजह से हो रहा है? आज जिस तरह का वातावरण राजस्थान में बनाया जा रहा है, एक भी अधिकारी जो नीचे के लेवल पर काम करता है, क्योंकि सिर्फ

(डा. रघु शर्मा)
टार्गेट बनाया गया है सरपंचों को, एक तरफ ये चुने हुए नुमाइंदे हैं और हम उनको ताकत देने की बात कर रहे हैं तथा एक तरफ उन पर एफआईआर दर्ज हो रही है, किस-किस तरीके के मुकदमे इनके खुद के विधान सभा क्षेत्र में इन्होंने लगाये हैं, सरपंचों के खिलाफ लगाये हैं। इस नरेगा के अन्दर प्रशासनिक अमला काम कर रहा है। या तो मंत्रीजी यहां यह कह दें कि मेरे जो डायरेक्टर लगे हुए हैं, प्रिंसिपल सैक्रेटरी लगे हुए हैं, उनके नीचे के लगे हुए लोग हैं, मुख्य मंत्रीजी ने मंत्रियों की सम्पत्ति का ब्यौरा लिया था न क्या इनके पास उन अधिकारियों की सम्पत्ति का ब्यौरा है? क्या ये यहां सदन के अन्दर कह सकते हैं कि मेरा हर अधिकारी ईमानदार है? अगर नहीं कह सकते तो आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है किसी चुने हुए नुमाइंदे को भ्रष्ट करार देने का। आपने ही ईमानदारी का पट्टा ले लिया है? माननीय सभापति महोदय, मंत्री के आचरण को देखते हुए तो मैं कहना चाहता हूं कि इनको किसी डाक्टर से दिखाने की जरूरत है। ये राजस्थान की जनता का अपमान करने पर तुले हुए हैं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, यह राजस्थान की विधान सभा में सबसे गम्भीर मामला है। एक माननीय सदस्य यह आरोप लगा रहे हैं कि यहां के मंत्री को डाक्टर को दिखाने की आवश्यकता है इससे बड़ा कोई मामला इस राजस्थान की विधान सभा में नहीं हो सकता।

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, इस पर व्यवस्था देनी चाहिए कि इतना गम्भीर मुद्दा हो, माननीय सदस्य यह कह रहे हों, माननीय मंत्री महोदय के बारे में कह रहे हों इससे बड़ी गम्भीर बात कुछ नहीं हो सकती।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप तो बैठो।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): कौन भ्रष्टाचार को बचाना चाहता है, कौन संरक्षण देना चाहता है.... (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आपकी सेहत पर क्या फर्क पड़ रहा है? आप तो बैठो, मैं बोल रहा हूं न।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है तो यह बहुत गम्भीर मामला है।

श्री सभापति: आप विराजो, बोलने दो। माननीय सदस्य, विराजो। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): बहुत गम्भीर मामला है माननीय सभापति महोदय। यह राजस्थान की विधान सभा में बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय उप नेता महोदय, जरा इनको तहजीब सिखाओ दूसरी बार जीतकर आये हैं। मैं बोल रहा हूं न, आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): तहजीब आप सीखकर आओ। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा, मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं, माननीय सदस्य ने एक सवाल उठाया कि मंत्रिमण्डल के एक सदस्य को डाक्टर को दिखाना चाहिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठें। आपका अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। बैठिये। विराजिये। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, मामला बहुत गम्भीर हो गया है। माननीय सदस्य ने एक आरोप लगाया पहले कि मंत्रीजी अवसाद में हैं, डिप्रेशन में हैं और फिर यह कहा कि इनके जो कार्यकलाप हैं उसके हिसाब से इनको डाक्टर को दिखाना चाहिए। इसका मतलब है कि ऐसा मंत्रिमण्डल में नहीं रहना चाहिए। उनका मतलब है कि मंत्री मस्तिष्क से ठीक काम नहीं कर रहा है और डिप्रेशन में है। फिर ऐसा मंत्री.....

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): उप नेता महोदय, मेरे को बोल लेने दो आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह बात जो आपने कही है यह बहुत गम्भीर है। सदन में इस बात को ऐसे मत लीजिये आप। आप आसन पर बैठे हैं तो आपको यह देखना पड़ेगा। एक गम्भीर आरोप है और इस गम्भीर आरोप के बाद में या तो मंत्री कहें कि नहीं, मैं डिप्रेशन में नहीं हूं, मेरा दिमाग ठीक काम कर रहा है या डाक्टर को दिखायें। इन दोनों कामों में से आप निर्णय करें, आप इस निर्णय को छोड़ नहीं सकते। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय उप नेता महोदय, सभापति महोदय, यह सारे सरपंचों से...

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): यह सत्ता पक्ष के सदस्य और मंत्री के बीच का मामला है, नेता महोदय, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): या तो मंत्रीजी कह दें कि मैं अवसाद में नहीं हूं। वह कह रहे हैं कि आप अवसाद में हो, डिप्रेशन में हो, आपके दिमाग में कुछ है, आपको डाक्टर को दिखाना चाहिए। या तो आप कहिये कि नहीं, मैं तो ठीक हूं, इनका दिमाग ठीक नहीं है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, दिमाग में तो सभी के कुछ न कुछ है। अगर दिमाग में कुछ नहीं होगा तो बड़ी विचित्र स्थिति हो जायेगी।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): नहीं, ये कांग्रेस के मंत्री हैं, कांग्रेस के सदस्य हैं। ये हर बात को यूं ही नहीं बोल रहे हैं। आपको बोलने का अधिकार नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, उप नेता महोदय जो प्रतिपक्ष के हैं, आप चिंता मत करो, वह जो बात रख रहा हूं, वह बड़ी जिम्मेदारी से... (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): डाक्टर डिप्रेशन में होगा तो कौन देखेगा?

श्री सभापति: आप विराजो, आप विराजो। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, यह डाक्टर खुद डिप्रेशन में हो तो, तो उस डाक्टर का क्या हाल होगा? अगर डाक्टर खुद डिप्रेशन में हो तो सारा मामला ही गड़बड़ है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजो, माननीय सदस्य, विराजो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): जनता के डाक्टर को दिखायेंगे।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, हाउस को आर्डर में लाइये आप। मुझे आप कहने का अवसर दीजिये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अभी जो विषय है, उसी विषय पर बोल रहे हैं? माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, आप मेरी बात सुनिये। मैंने यह बात इसलिए कही है यहां पर, माननीय सभापति महोदय, यह बात इसलिए कही यहां पर कि आज इतने दिन हो गये उनको आंदोलन करते हुए, क्या निर्वाचित...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, एक मिनट, एक मिनट।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): नहीं, मेरा प्रश्न है, क्या निर्वाचित सरकार ने बुलाकर कभी उनकी वास्तविक कठिनाइयों को जानने की कोशिश की, वार्ता करने की कोशिश की? वह सड़कों पर डोल रहे हैं और राजस्थान की व्यवस्था चौपट हो रही है। 9,187 ग्राम पंचायतों का काम और मंत्रीजी ठानकर बैठे हैं कि ये तो चोर हैं। आपकी इस तरह की मानसिकता पर मैं क्या कहूं, यह तो बताइये आप। आप बताइये तिवाड़ी साहब। आज लोकतंत्र में वार्ता के जरिये समस्याओं का समाधान हो सकता है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय सभापति महोदय, पंचायती राज चरमरा गया है। ये सच बोल रहे हैं।

श्री सभापति: आप विराजो, आप विराजो, आप विराजो।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): वह बिलकुल हकीकत बात कर रहे हैं।

श्री सभापति: आप विराजिये विराजिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ये खाली इसी तरह से नहीं कह सकते इनको।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजो, आप विराजो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: बड़ा गम्भीर मामला है।

श्री सभापति: हां, बड़ा गम्भीर मामला है। माननीय सदस्य, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि यह आपका विषय है, उस विषय पर आप बोलें।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मेरा विषय है। मैं विषयान्तर हुआ ही नहीं।

श्री सभापति: लेकिन मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि मंत्रीजी अवसाद में हैं, चिकित्सक की आवश्यकता है, इलाज की आवश्यकता है, ये शब्द आप नहीं बोलें तो ज्यादा उचित रहेगा। जो आपका विषय है, जो आपका विषय है, आप उसी के अनुसार निश्चित रूप से बोलें। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): राजस्थान का विकास रुक गया है। पूरे राजस्थान के सरपंच और सचिव सड़कों पर हैं, इसलिए सदस्य सही बात बोल रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी ने मुझे आज तक कभी याद नहीं आता, मैं भी पत्र-पत्रिकाएं पढ़ता हूं लेकिन सरपंच को कभी चोर नहीं कहा है। मंत्रीजी ने कभी नहीं कहा है। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ये व्यवस्था दे रहे हैं क्या? सभापतिजी, आप व्यवस्था दे रहे हैं क्या?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप मेरी बात सुनिये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपनी बात रखिये। उनकी परेशानी की तरफ आप मत जाइये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, आप आसन पर विराजे हैं। सभापति महोदय, आप आसन पर विराजे हैं। आपके मुंह से निकला हुआ एक-एक शब्द व्यवस्था की दृष्टि से रिकार्ड पर जा रहा है। आप उनको बोलने दीजिये। वह अपनी बात नहीं कहेंगे क्या?

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, बड़ा गम्भीर आरोप है माननीय सदस्य का। सभापति महोदय, आसन निष्पक्ष होता है, आसन निष्पक्ष होता है। आप एक सदस्य की भावना को दबा रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये, माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): सभापति महोदय, आसन को निष्पक्षता का व्यवहार करना चाहिए।

श्री सभापति: आप विराजिये। माननीय सदस्य, आप विराजिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अगर आसन इस तरह सदस्य की भावना को दबाने लग गया तो कैसे हाउस चलेगा? आपको तो सदस्य का संरक्षण करना चाहिए। आप सदस्य की भावना को दबा रहे हैं। यह सदस्य की भावना नहीं है कि...

श्री सभापति: आप विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): यह पूरे राजस्थान की जनता की बात है। यह पूरे राजस्थान के पंचायती राज का विषय है।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): यह नियमों और प्रक्रिया के विपरीत है। आप माननीय सदस्य की भावना पर, आप उस पर टिप्पणियां कर रहे हैं।

श्री सभापति: तीनों डाक्टर साहब, विराज जायें। विराजिये, आप विराजिये।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): आप उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। ये अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, क्षेत्र की भावना को व्यक्त कर रहे हैं। आप टिप्पणियां कर रहे हैं।

श्री सभापति: आप विराजिये, आप विराजिये, आप विराजिये। आप विराजिये डाक्टर साहब।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय सभापति महोदय, यह किसी की निजी बात नहीं है, यह पूरे राजस्थान के भविष्य का सवाल है और ये हकीकत उठा रहे हैं। एक-एक बात सच्चाई की कह रहे हैं, पूरे राजस्थान के पंचायती राज का सत्यानाश हो चुका है और एक सदस्य बात उठा रहे हैं, आप उसको दबा रहे हैं।

श्री सभापति: आप विराजिये, आप विराजिये माननीय सदस्य। आप विराजिये। आप विराजिये। आप विराजिये। सचेतक महोदय। माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य को पर्ची के आधार पर जो बोलने की अनुमति आसन की ओर से प्रदान की गई, माननीय सदस्य ने अपने विचार रखते हुए जो अपनी भावनाओं में बहकर कुछ ऐसी बात फरमा दी है जो...

श्री सभापति: एक मिनट, आप शांत रहिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): यह अगर राजस्थान के एक-एक क्षेत्र का, ये भावनाओं में बहकर नहीं कह रहे हैं। सभापति महोदय, राजस्थान का सारा विकास रुक गया है, राजस्थान का सारा विकास रुक गया है, नरेगा में लेश मात्र भी काम नहीं हो रहा है पंचायतों में।

श्री सभापति: विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): माननीय सभापति महोदय, सदस्य बहुत ही विजिलेंट हैं और उन्होंने अपने विचार बड़ी जिम्मेदारी के साथ रखे हैं, उनकी भावनाओं को दबाया नहीं जा सकता।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सच्चाई को कहने की हिम्मत की है सदस्य ने और हमारे सचेतक महोदय कह रहे हैं कि ये भावना में बहकर कह रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। उनको बोलने की अनुमति दी है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): वे बोल रहे हैं तो उनको बोलने दीजिये। वह भावनाओं में बहकर नहीं बोल रहे हैं।

श्री सभापति: उनको बोलने दीजिये, उनको बोलने दीजिये। आप विराजिये। आप विराजिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): वे बोल रहे हैं तो उनको बोलने दीजिये आप। वह प्रमाणित होकर बोल रहे हैं।

श्री सभापति: आप विराजिये, आप विराजिये।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय सभापति महोदय, शब्दावली आप, जो अपनी जैसी भी प्रयोग करें माननीय मुख्य सचेतक महोदय, लेकिन ऐसी प्रयोग नहीं करें जिससे सदन को आप थोड़ा डी-रेल करने की कोशिश करें। यह भावनाओं में बहकर नहीं, स्पष्ट बनकर कहिये। या तो कह दें, भावनाओं में कही है...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): एक सदस्य सच्चाई कह रहे हैं, एक हिम्मत कर रहे हैं सच्चाई कहने की, सच्चाई कहने की हिम्मत कर रहे हैं। पूरा राजस्थान चरमरा गया है, पंचायती राज चरमरा गया है और आप सदस्य को दबा रहे हैं।

श्री सभापति: मुख्य सचेतक महोदय बोल रहे हैं, आप विराजिये। डाक्टर साहब, विराजिये।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): इस सरकार ने इस नरेगा को मरेगा में बदल दिया। हर सरपंच कहता है कि यह तो मरेगा योजना है। इतनी बढ़िया योजना है। जो काम होना चाहिए इस सरकार में, या जो कारनामों के कार्य हो रहे हैं...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, सारा काम ठप्प हो गया है, एक-एक काम बंद हो चुका है। अब सचिव और सरपंच सड़कों पर आ चुके हैं।

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य, विराजिये। अंकित नहीं होगा फिर। विराजिये। मेहरबानी करके विराजिये आप। मेहरबानी करके विराजिये आप। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, यह सदन नियमों और परम्पराओं से चलता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

प्रक्रिया के नियम 273 के तहत स्पष्ट प्रावधान है, जिसके चलते अगर कोई सदस्य किन्हीं मंत्री के बारे में कुछ अपने विचार रखना चाहता है तो वह नियमों में आये। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन नियमों की पालना करने के क्रम में जो कोई बात ऐसी रिकार्ड पर आई है जो किन्हीं माननीय मंत्रीजी के विषय में है या किन्हीं माननीय सदस्य के विषय में है, उसको विलोपित करने के आदेश फरमायें।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, वही शब्द विलोपित हो सकते हैं जो डिफेमेटरी या असंसदीय हो। मुख्य सचेतक यदि मर्जी आये जैसे वर्ड नहीं विदड्रा करा सकते। अगर कोई सीधे ही आरोप लगाये तो अलग बात है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): जनता की भावनाओं को माननीय सदस्य ने हिम्मत करके कहने की हिम्मत की है, जनता की भावना बताई है उन्होंने तो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, इस विनिश्चय के लिए अब आपके पास एक पाइंट आ गया है कि सरकारी मुख्य सचेतक महोदय ने नियमों का उदाहरण देकर कहा कि आपने पहले तो सभापति महोदय, आपने, आसन ने उनको यह निर्देश दिये कि आपको इस प्रकार बोलना चाहिए, जबकि यह आसन के अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है, आप नहीं कह सकते। आप यह कह सकते हैं कि कोई असंसदीय शब्द आ जाये तो आप हटा सकते हैं या और कोई दूसरी बात जा आये, वह हटा सकते हैं। आप किसी सदस्य को यह नहीं कह सकते कि आप यह बात क्यों बोल रहे हैं, एक बात।

दूसरा, माननीय सरकारी मुख्य सचेतक ने जो अपनी भावनाओं में बहकर यह बात कही, उनका क्या थर्मामीटर आपके पास है? उन्होंने अपने हिसाब से अपनी बात कही और उन्होंने सारे राजस्थान के जो 9,000 से अधिक सरपंच हैं उनके और ग्राम सेवकों का जो चल रहा है। सारे सरपंचों को जिस प्रकार से एक-एक करके आप 15 जगह फंसाना चाहते हैं उसके लिए उन्होंने पर्टिकुलरली तीन शब्दों का प्रयोग किया। मंत्रीजी उनको चोर बताते हैं, एक। उन्होंने दूसरी बात यह कही कि मंत्रीजी अवसाद में हैं, नम्बर दो और नम्बर तीन, उन्होंने कहा कि मंत्रीजी को डाक्टर को दिखाना चाहिए। इन तीन चीजों में असंसदीय शब्द नहीं हैं और जो सदस्य या मंत्री सदन में पिराजमान हैं, उनकी पैरवी के लिए मुख्य सचेतक महोदय और उप नेता की जरूरत नहीं

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

होती है तो मंत्री यहां विराजमान हैं, मंत्रीजी यहां खड़े होकर कह सकते हैं कि मैं अवसाद में नहीं हूं, मैंने सारे सरपंचों को चोर नहीं कहा है और 9,000 से अधिक सरपंच जो आ रहे हैं, उनकी भावनाओं को समझकर उन पर कार्यवाही करूंगा और जब मंत्रीजी स्वीकार कर रहे हैं बैठे-बैठे, कि मैं अवसाद में हूं तो आप रोकने वाले कौन हो? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, थोड़ा आप सम-अप करो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, यह बड़ा गम्भीर मसला है।

श्री सभापति: आप सम-अप करो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप मुझे गाइड करना चाह रहे हैं तो मैं बैठ जाता हूं वैसे ही।

श्री सभापति: नहीं नहीं, आप बोलें लेकिन आप सम-अप करें।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): नहीं, आपको कोई चीज यह जरूरी नहीं है सभापति महोदय, आपको जो चीज अच्छी लगे, मैं वही यहां बोलूं, यह मेरा अधिकार है।

श्री सभापति: आप बोलें। सम-अप करो।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): सभापति महोदय, मैं भाई रघुजी से माफी चाहता हूं, मैं बीच में एक शब्द बोलना चाहता हूं। यह राजस्थान का बहुत अहम मसला है सरपंचों का, यदि कोई मसला है, सदन का मसला है, किसी पार्टी विशेष का नहीं है और जो स्थितियां बनती जा रही हैं, राजस्थान में आज काम नहीं हो रहे हैं, आज नरेगा के काम ठप पड़े हैं, केकड़ी से आने वाले माननीय विधायक ने, ऊपर की कृपा से इनको चिट मिला, यह मसला एक-दो दिन में सदन में उठ गया, यदि क्या है, सरकार सही है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गांवों में काम नहीं हो रहे हैं, पेमेंट सही नहीं हो रहे हैं, सरपंच दुःखी है, ग्यारह विभाग मैटेरियल देंगे माननीय सभापति महोदय, रोड़ी कौन देगा, बजरी कौन...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप तो विराजो।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): यह सदन का मसला है माननीय सभापति महोदय। मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। (व्यवधान) आप बोलेंगे, पांच मिनट लगेंगे। (व्यवधान) रोड़ी कौन दे रहा है,

(श्री रामनारायण मीणा)

सीमेंट का ठेका कौन कर रहा है, पत्थर कौन ला रहा है, मिट्टी कौन खोद रहा है, यह सरपंच कैसे संभालेगा। (व्यवधान) सुनिये, एक मिनट। (व्यवधान)

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): पूरे राजस्थान में हो रहा है यह।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): और इसके अलावा क्या हो रहा है, इसके अलावा कि उसमें मैटेरियल खराब हो गया तो सरपंच जेल जा रहा है। भाई, उसकी जिम्मेदारी तब तय करो, सैक्रेटरी नहीं जा रहा है, सरपंच जेल जा रहा है...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब विराजो। वह बोल रहे हैं न, वह सब बोल जायेंगे।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): यह प्रजातंत्र में चलने वाली नहीं है।

श्री सभापति: वह बोल रहे हैं न, इसी विषय पर तो बोल रहे हैं माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): मैंने इजाजत ली है सभापति महोदय और आपकी इजाजत से बोल रहा हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य इसी विषय पर बोल रहे हैं, आप तो विराज जाइये। आप विराजो।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): यह इसीलिए कह रहा हूं, यह सदन का मसला है, एक व्यक्तिगत केकड़ी का नहीं है। यह सारे राजस्थान में हो रहा है, कैसे निराकरण कर रही है सरकार, इसका निराकरण होना चाहिए, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है।

श्री सभापति: आप विराजो। आप विराजो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, यह सरपंचों के ज्ञापन को हाथ में नहीं पकड़ा है मंत्रीजी ने। लोकतंत्र का कायदा होता है, हमारे मुख्य मंत्री खुद कहते हैं इस बात को कि कोई धरना लगे, टैंट लगे कहीं, कोई...(व्यवधान) एक मिनट माननीय, प्लीज।

एक माननीय सदस्य: हमारे में आप भी हो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप भी हमारे, हमारे का मतलब है पूरे अपने सदन के नेता हैं मुख्य मंत्रीजी, वह कहते हैं कोई मान लो जनता में कोई उदवेग है, कोई आक्रोश है, तो एक संवेदनशील सरकार के मंत्री के नाते इनको

(डा. रघु शर्मा)

बुला कर बात करनी चाहिए थी, उनका ज्ञापन लेते। मैं दावे के साथ कह सकता हूं अभी इस सदन के अन्दर और जिम्मेदारी से कह सकता हूं, अभी तक इनको यही मालूम नहीं होगा कि सरपंचों ने मांगपत्र क्या दिया हुआ है और ग्रामसेवकों का मांगपत्र क्या है? अब एक तरफ प्रयोगशाला बना दिया पूरे ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग को, ठेकेदारों पर सरकार भरोसा कर रही है, वह कितना सामान कहां से खरीद रहे हैं, उनका कोई सामाजिक अंकेक्षण नहीं है, लेकिन अगर सरपंच कुछ काम करता है तो उसके लिए क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिये सारे अभी। ऐसी परिस्थिति में मैं आज आपको इस सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार तुरन्त राजस्थान के जो हड़ताल कर रहे सरपंचगण हैं उनको बुलाकर बात करे, ग्राम सचिव है उनसे बात करे।

आज हालत यह है माननीय सभापति महोदय, कि चार सौ-पांच सौ तो ग्रामसेवकों की आज भर्ती ही नहीं करी है, खाली पड़ी है जगह। 2900 लोग दूसरे विभागों से लेकर आये हैं यह, उनको अभी यह पता नहीं है कि वह इस विभाग में खपेंगे कि नहीं खपेंगे, दस साल हो गये उनको, उनके अन्दर एक आक्रोश है। तो यह पंचायत राज का जो 3500 पंचायतों के काम प्रभावित हो रहे हैं उसकी तरफ ध्यान देने की बजाय, हम अगर सरपंचों की तरफ ध्यान रखें कि यह चोर है, यह चोर है, यह परम्परा ठीक नहीं है। निर्वाचित जो भी हैं, वह सत्ता का सबसे विकेन्द्रित स्वरूप है। पंचायत राज का सपना महात्मा गांधी ने देखा है और हम उस पार्टी के सिपाही हैं जिस पार्टी ने सत्ता के विकेन्द्रीकरण को ताकत दी, मूल स्वरूप प्रदान किया राज्य के अन्दर और देश के अन्दर और आज उनकी दुर्दशा होते हुए हम नहीं देख सकते। आज मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहूंगा कि इन सरपंचों को, वह खुद ही मुक्ति मांग रहे हैं नरेगा से, दे दीजिये मुक्ति। माननीय मंत्री महोदय, उनके मांगपत्र में लिखा हुआ है नरेगा से मुक्ति दो। लेकिन कोई भी आदमी, हो सकता है सोसाइटी में जितनी कमियां हैं, कई लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे होंगे, सच्चे भी होंगे, मैं उनकी वकालत करने के लिए यहां खड़ा नहीं हुआ हूं, लेकिन अगर दो आदमियों ने गलती की है तो दस हजार आदमी कैसे दोषी होंगे, यह कैसे आप सोच सकते हैं कि हर व्यक्ति, एक पूर्वाग्रह से हम ग्रसित हो जायं कि हर व्यक्ति चोर है, यह कैसे सोचा जा सकता है? इसलिए मैं आज आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो मुकदमे लगाये हैं,

(डा. रघु शर्मा)

पांच सौ मुकदमे लगा दिये, पांच सौ मुकदमे अगर जन प्रतिनिधियों के खिलाफ राजस्थान में लगायेंगे तो दहशत नहीं फैल जायेगी। मुझे चिट्‌ठी लिखी माननीय मंत्री महोदय ने कि सामाजिक अंकेक्षण में इनकी बड़ी रूचि है क्योंकि ईमानदारी के प्रतीक हैं यह। मुझे इन्होंने चिट्‌ठी लिखी और उस चिट्‌ठी का जवाब मैं सोच कर अभी तक नहीं समझ पाया कि मैं इसका जवाब क्या दूं। इन्होंने मुझे चिट्‌ठी लिखी कि अगर आप तैयार हो तो आपके निर्वाचन क्षेत्र में सामाजिक अंकेक्षण का काम करवा दूं। माननीय मंत्री महोदय, आपको तो मैंने जवाब नहीं दिया लेकिन मैं इस सदन के अन्दर कहना चाहता हूं, हां, मैं तैयार हूं सामाजिक अंकेक्षण के लिए, लेकिन आपने उदाहरण दिया, एक गलती खुद पाल ली, आपने कहा कि भारत सरकार के पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री इस काम की शुरूआत अपने जिले से कर सकते हैं तो केकड़ी में क्यों नहीं हो सकता। मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन आप साहस दिखाइये सदन के अन्दर कि आपकी जो ग्राम पंचायतें आपके खुद के निर्वाचन क्षेत्र में जो आती हैं, पहले सामाजिक अंकेक्षण का काम वहां से शुरू कराइये आप, फिर दूसरी पंक्ति में मैं तैयार खड़ा हूं, मैं किसी चोर को बचाने के लिए नहीं आया हूं। माननीय मंत्री महोदय, मुझे न आपका सर्टिफिकेट चाहिए, न किसी लाट साहब का सर्टिफिकेट चाहिए। केकड़ी के बच्चे-बच्चे से जाकर पूछ लीजिये और यह बीजेपी के लोग बैठे हैं यहां, इनसे पूछ लीजिये, भ्रष्टाचार का एक प्याला चाय रघु शर्मा नहीं पीता । आप रात को जाकर जिन हारे हुए सरपंचों और पंचों के घर पर जाकर रूकते हो और पार्टियां करते हो उनकी शिकायतों पर... (व्यवधान) उनकी शिकायतों पर निर्वाचित लोगों के खिलाफ कार्यवाही करते हो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सम-अप करो। आप सम-अप करो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, मुझे पर्ची के माध्यम से समय मिला और मैं मेरी पूरी बात कहूंगा। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मंत्रीमण्डल का दायित्व होता है... (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति, उप नेता महोदय, एक मिनट बात सुनिये। यह अभी सर्वशिक्षा अभियान, आज की स्थिति क्या है पंचायतों की, सर्वशिक्षा अभियान और जलग्रहण की योजना और आई डब्लू एम पी एम डाटा में पंचायतों को तो साइड लाइन कर दिया वैसे ही और आलरेडी

(डा. रघु शर्मा)

एनजीओ से, एनजीओ को यह दायित्व दिया जा चुका है। इन सरपंचों के पास वैसे ही कुछ नहीं है करने को और आपकी सरकार दे क्या रही है, तीन हजार रुपये टोटल मिल रहे हैं, दो हजार नरेगा के और हजार दूसरे और एक पंचायत में भौगोलिक स्थिति यह होती है माननीय सभापति महोदय कि पांच-पांच, छह-छह, कई-कई पंचायतों में नौ-नौ मजरे पड़ते हैं, नौ मजरों में एक पंचायत का सरपंच अगर घूम कर उनकी समस्याओं का निवारण करने की बात करे, नरेगा को सुचारू रूप से चलाने की बात करे, पैट्रोल नहीं डलवा सकता माननीय सभापति महोदय। मुझे अच्छा लगता कि सरकार में बैठे हुए मंत्री महोदय राज्य में एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना, सोनिया गांधीजी के द्वारा दी हुई, कांग्रेस की केन्द्र सरकार के द्वारा दी हुई, विश्व के इतिहास में इससे शानदार ग्रामीण विकास के लिए, उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए महानरेगा से बड़ी स्कीम दुनिया के इतिहास में कभी नहीं आई। उस नरेगा को दम तोड़ते हुए हम नहीं देख सकते। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस स्कीम को जारी रखने के लिए इन सरपंचों के साथ आप बैठ कर संवाद की स्थिति पैदा करिये, ऐसी दुश्मनी की स्थिति में राजस्थान में यह नरेगा का काम सफर करेगा। ग्रामीण विकास मंत्रीजी को यह मालूम होना चाहिए, एक रुपये मजदूरी मिल रही है कई-कई जगह राजस्थान में, कई जगह पच्चीस रुपये मजदूरी मिल रही है, क्यों गरीब लोगों का गला, यह सोनिया गांधी ने जो स्कीम दी है, राहुल गांधी ने और प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने और कांग्रेस की सरकार ने यह स्कीम इसलिए दी है कि गरीब का पेट पले, यह राजस्थान अकाल से जूझता हुआ प्रांत है, आये साल अकाल पड़ते हैं राज्य के अन्दर, राजस्थान के लिए जीवनदायिनी है यह योजना, उस योजना का गला घोंटने का अधिकार मंत्री तो क्या, इनसे भी बड़ा कोई व्यक्ति हो, उनको भी हम नहीं दे सकते, इसलिए आज मैंने यह बात कही। बहुत-बहुत धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, सदन में, सदन की परम्परा रही है सभापति महोदय, सदन में कई बार अति महत्वपूर्ण विषय उठते हैं सभापति महोदय, अब यह विषय सदन की सम्पत्ति बन गया। केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने एक-एक करके सरकार को कठघरे में खड़ा करने का काम किया, मंत्री महोदय पर सीधे आरोप जड़ दिये और यह बात सही भी है, आज, सभापति महोदय, जिस तरह के हालात हैं...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय तारानगर से आने वाले ...(व्यवधान) सभापति महोदय, आप...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं सरकार से मांग कर रहा हूं, सरकार...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप मेरी व्यवस्था क्यों कर रहे हैं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं बीच में नहीं बोला, आप बैठिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मैं कर सकता हूं, खुद कर सकता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार से मांग कर रहा हूं, सरकार ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी से चलती है, या तो माननीय सदस्य के आरोप जो आज रिकार्ड पर चले गये, सही हैं, अगर आरोप सही नहीं है तो सरकार को खड़े होकर, अगर आज पंचायत ग्रामीण मंत्रीजी जवाब नहीं दे सकते तो गृह मंत्रीजी बैठे हैं, यातायात मंत्रीजी बैठे हैं, कृषि मंत्रीजी बैठे हैं, जवाब दें....

श्री सभापति: श्री अजय सिंह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): वरना यह सवाल खड़ा होगा, राजस्थान के ग्राम स्वराज को दम तोड़ते हुए और नरेगा में एक रुपये मजदूरी जिस तरह मिली है....(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो। आप विराजें, विराजिये आप, आप विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): वह सारे राजस्थान के अन्दर इस सरकार को....(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें, विराजें। विराजें माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सही आरोप लगाये, मंत्री पर सीधा आरोप लगाया है और मंत्रीमण्डल के लोग बैठे हुए हैं, इससे बड़ी बात इस राजस्थान की विधान सभा में नहीं होगी सभापति महोदय।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो आप। विराजो।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): इसलिए सरकार की रेस्पांसिबिलिटी होती है, या तो सरकार बताये कि एक रुपये मजदूरी नहीं दी है...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजो। विराजो। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): इसमें भ्रष्टाचार नहीं है, माननीय सभापति महोदय...(व्यवधान)

श्री सभापति: श्री अजय सिंह। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सभापति महोदय, यह मामला कोई छोटा मामला नहीं है, सरकार इस तरीके से चुप बैठी है.....

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, यह राजस्थान की 80 प्रतिशत जनता से जुड़ा हुआ सवाल है।

श्री सभापति: पहले उनको बोलने दीजिए, मैंने नाम पुकार लिया है।

श्री अजय सिंह (डेगाना): सभापति महोदय, डेगाना विधान सभा क्षेत्र के अधिवक्तागण पिछले तीन माह से धरने पर बैठे हैं...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): यहां कई महीनों से राजस्थान के सरपंच और ग्राम सेवक ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): गांवों का विकास कार्य पूर्ण रूप से ठप है। राजस्थान की सरकार, सही कहा है केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने...

श्री सभापति: आप विराजो, माननीय सदस्य विराजो। मैंने नाम पुकार लिया है अगला, माननीय सदस्य विराजो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सरकार नौ हजार से ज्यादा चुने हुए सरपंचों को अगर चोर समझती है और कलेक्टरों को ईमानदार समझती है, जिन छह कलक्टरों को महानरेगा में, छह कलक्टरों के खिलाफ शिकायत करके जांच वह अध्यक्ष महोदय ने उनकी फाइल यहां मंगवाई उन पर तो कार्यवाही नहीं होगी, वह तो चीन के साहूकार हैं और राजस्थान की जनता से चुने हुए नौ हजार से ज्यादा सरपंच बेईमान नहीं हो सकते। कोई भी एक बेईमान हो सकता है उसको सज़ा दीजिए, फांसी पर लटका दीजिए लेकिन राजस्थान की 80 प्रतिशत जनता का विकास ठप करके यह सरकार श्रेय नहीं ले सकती। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, मंत्री जिम्मेदार है, मुख्य मंत्री जिम्मेदार है...

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजो आप, अब आप विराजो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): और निश्चित रूप से जवाब देना चाहिए वरना राजस्थान की जनता इनको माफ नहीं करेगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजो। माननीय सदस्य विराजो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं। आप संजीदा आदमी हैं, इस आसन पर बैठे हैं। इस सदन में बहुत महत्वपूर्ण मसला आ गया है। मसला केवल यहां के जन प्रतिनिधियों का नहीं है, एक माननीय सदस्य खड़े होकर कहते हैं कि राजस्थान के नौ हजार के नौ हजार सरपंच चोर हैं यह सरकार का मंत्री कह रहा है, सरकार का

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मंत्री जब यह बात कहता है तो चुने हुए जन प्रतिनिधियों पर लांछन लगते हैं और मंत्री सदन में विराजमान है और इसलिए इसको हम आसानी से छोड़ नहीं सकते। आप कोई दूसरा नाम पुकार लें, तीसरा नाम पुकार लें, इस सारे ग्राम सेवकों की हड़ताल चल रही है, नरेगा का इतना महान कार्यक्रम है। सारा कार्यक्रम एक रुपए में मिल रहा है, दो रुपए में मिल रहा है, पांच रुपए में मिल रहा है और आप लोग सरपंचों को रोज टांग रहे हो, कभी किसी को कहां पर, कभी किसी को कहां पर, किस प्रकार से और मंत्रीजी के खिलाफ जिस प्रकार की बात आई है, सदन में। मैं कहना चाहता हूं कि वह सदन की प्रोपर्टी है और सदन की प्रोपर्टी के बाद में जब मंत्री यहां विराजमान है, मंत्रीजी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा और जवाब नहीं देंगे तो सरकार स्वयं कठघरे में खड़ी हो जाती है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, इसको आप ऐसे चलंती में थोड़े ही ले लेंगे। आप इसको सदन में जब इतना महत्वपूर्ण मसला आ गया है और केवल एक आदमी का नहीं है, नौ हजार से अधिक सरपंचों का है। वह माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मंत्रीजी ने यह कहा कि चोर है, सरकार जब यह बात कहती है कि सारे के सारे सरपंच चोर हैं यह हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यह बात या तो वो मंत्रीजी खड़े होकर खण्डन करे एक-एक बात का और आप इसको चलंती में निकाल देंगे ऐसे थोड़े ही होगा। सारी सरकार यहां पर बैठी है, सारा विपक्ष यहां पर बैठा है, यह सारी बात सदन के बाहर जाएगी और ऐसे में आप इस बात को मैंने अगला नाम पुकार लिया है यह नहीं होगा। आप इसका जवाब दिलवाइए या तो मंत्री जी खण्डन करें इन सब बातों का ...(व्यवधान)

श्री सभापति: उप नेता महोदय अब आप विराजिए ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, इस चीज का जवाब देना चाहिए छह-छह कलक्टरों के खिलाफ, छह कलक्टरों के खिलाफ मंत्री महोदय आपने पत्र लिखा, छह कलक्टरों की अभी जांच करवाई ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजो आप, विराजो।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ...(व्यवधान) मान सम्मान का सवाल है, ऐसे कैसे इसको टाल दोगे?

श्री सभापति: विराजो आप, डा. साहब विराजो। श्री अजय सिंह जी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप व्यवस्था तय करिए यह ऐसे नहीं होगा ...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): यह गम्भीर मामला है सभापति महोदय, सरकार बैठी है जवाब दे ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजो आप, विराजो आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इसका जवाब देना पड़ेगा ...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ...(व्यवधान) स्थिति ठीक नहीं है, इसकी मेडिकल जांच कराइए।

श्री सभापति: विराजें, माननीय सदस्य आसन पांव पर है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): जिस पंचायती राज की शुरूआत राजस्थान से हुई है ...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, मंत्रीजी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसकी जांच कराने में क्या दिक्कत है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सदन की कार्यवाही स्थगित कराइये और अध्यक्षजी को बुलाइए इस महत्वपूर्ण विषय पर वह व्यवस्था देंगे। मंत्री बैठे-बैठे बोल नहीं रहे हैं, यह चलेगा नहीं ऐसे ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): बिलकुल नहीं चलेगा ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप सदन की कार्यवाही स्थगित करिए और अध्यक्षजी को बुलाइए हम व्यवस्था कराएंगे। ऐसे थोड़े ही होगा, आप समझते हो कि हम यहां पर बैठे-बैठे सारी बातें सुने ऐसे ही, No. No. No. You have to decide it.

श्री सभापति: उप नेता महोदय विराजो आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पहले मैं जवाब चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो तो सही।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): जिस व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो वह मंत्रिमण्डल में कैसे रह सकता है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, राजस्थान में जिस पंचायती राज का श्रीगणेश और शुरूआत हो और उस राजस्थान से पंचायती राज का मटियामेट हो, मैं समझता हूं राजस्थान की जनता यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज राजस्थान की नौ हजार एक सौ कुछ जो पंचायतें हैं, जब से पंचायत राज बना है उससे लेकर के पिछले साल तक कोई भी गांव का विकास

(श्री अमराराम)

कार्य होता था, उसका टेंडर लेना, उसके टेंडर को फाइनल करना, उसकी सामग्री लेना, आज तक पंचायतीराज की शुरूआत होने से लेकर के पिछली साल तक थी। आज किस बात की परेशानी आ गई कि ग्राम पंचायत नहीं कर सकती...

श्री सभापति: आप विराजो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): पंचायत समिति नहीं कर सकती, जिला परिषद नहीं कर सकती ...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): जब मंत्री अवसाद में हो और मंत्री जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो ऐसा व्यक्ति सरकार में मंत्रिमण्डल में कैसे रह सकता है? इसकी जांच करवाइए, इसका सत्यापन करवाये, मेडिकल बोर्ड बिठाये ...(व्यवधान) मेडिकल बोर्ड का गठन कीजिए। एक सदस्य ने कहा है कि मंत्री अवसाद में है....

श्री सभापति: तीनों डाक्टर साहब विराजो आप।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मंत्रीजी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है इसलिए मेडिकल बोर्ड बिठाकर के मंत्री की जांच करायें।

श्री सभापति: आप विराजो, तीनों डाक्टर साहब विराजो। मेहरबानी करके आप विराजो।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, जब एक सदस्य कह रहा है प्रमाणिक तौर पर कि मंत्री की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो एक मेडिकल बोर्ड का गठन करिए और मंत्रीजी की जांच कराइए ...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): सरकार ने पंचायतीराज में बैठे हुए जन प्रतिनिधि को निलम्बित किया, इन्होंने तो जिला परिषद के सदस्य कालू थैरू को निलम्बित किया, जिला परिषद के सदस्य को और बाकियों को यह चोर कह रहे हैं, यह सरकार इसके लिए जवाबदेह है, सरकार को जवाब देना चाहिए ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजो। आप सब विराजो, आसन पांव पर है। डाक्टर साहब विराजो।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मेडिकल बोर्ड का गठन कराइए ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजो, अंकित नहीं होगा। अब आपका अंकित नहीं होगा।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री सभापति: उप नेता महोदय, यह विषय पर्ची के माध्यम से उठाया गया और इसके ऊपर क्या व्यवस्था देनी है, मैं दे दूंगा लेकिन जब मैं नाम पुकार चुका हूं उनको बोलने दीजिए आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपकी बात स्वीकार है। सदन में कोई विषय पर्ची के माध्यम से उठे, सदन में कोई विषय काल अटेंशन के माध्यम से उठे, सदन में कोई विषय स्थगन के माध्यम से उठे, मंत्री के वक्तव्य पर उठे, किसी भी प्रकार से आपने सदन में कोई विषय अलाऊ कर दिया है माननीय सभापति महोदय, तब वह सदन की सम्पत्ति हो जाती है और सम्पत्ति होने के बाद में यह प्रश्न नहीं होता कि वह किसके माध्यम से उठा। वह उठ गया और उठा भी कोई प्रश्न सामान्य प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न है राजस्थान के 80 प्रतिशत प्रजातंत्र से जुड़ा हुआ। राजस्थान के 80 प्रतिशत लोगों से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है, राजस्थान के सारे रिप्रजेन्टेटिव्स का जिनको हमने 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद में एक तरह से वर्गीकरण करके किया है। इसलिए इस विषय पर आपने नाम पुकार लिया, कई बार पुकारते हैं, आपकी आज्ञा का हम सम्मान करते हैं लेकिन उसके पहले यह विषय उठ चुका है। इस विषय पर हमको दो बात कहनी है, हमने कौनसी गलत बात कही, हमने कहा मंत्रीजी उपस्थित है, मंत्रीजी सदन में उपस्थित नहीं होते तब तो बात अलग थी, मंत्रीजी उपस्थित है और मंत्रीजी उपस्थित होकर इस बात का खण्डन नहीं कर रहे हैं इसका मतलब नौ हजार सरपंचों को राजस्थान की सरकार चोर समझती है, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए इस पर आप स्पीकर साहब को बुलायें, आप एक बार पर्ची के कार्यक्रम को बीच में रोकिए, स्पीकर साहब को बुलायें, उनसे व्यवस्था कराइए और व्यवस्था के बाद सदन की कार्यवाही चलाइए यह मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। इसलिए आपसे मैं आग्रह करता हूं कि या तो आप स्वयं व्यवस्था दे दें, आप व्यवस्था नहीं देते हैं तो आप स्पीकर साहब को बुला लें और बुलाकर इसकी व्यवस्था करा दें।

श्री सभापति: माननीय उप नेता महोदय, आप इस सदन के वरिष्ठ

(श्री सभापति)

सदस्य हैं, आपको बहुत अच्छा अनुभव भी है। आप यह कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय को बुलाकर व्यवस्था दें। मैं किसलिए बैठा हूं यहां पर, मैं किसलिए बैठा हूं यहां पर?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, सभापति महोदय...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप दे दीजिए।

श्री सभापति: जब मैंने आपकी भावना समझी, मंत्री महोदय सदन के अन्दर हैं आप यह कह कर के इस आसन का सम्मान नहीं बढ़ा रहे हैं, आप यह कह रहे हैं उनको बुलाइए, फिर आर्डर में लाइये, यह डिस-आर्डर में है? अभी सदन पूरी तरह से आर्डर के अन्दर है और मैं बैठा हुआ हूं यहां पर इस कुर्सी पर, इसलिए आपको....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप व्यवस्था कराइए हमें बहुत खुशी है। आप व्यवस्था करें।

श्री सभापति: इसलिए सभी माननीय सदस्यों की भावना, आपने जो बात कही वह मैंने अच्छी तरह से सुन ली। मैंने आपको निवेदन कर दिया कि इसके अन्दर मैं व्यवस्था दे दूंगा, मैंने जब नाम पुकार लिया उन्हें बोलने दीजिए। मंत्रीजी यहां पर हैं, मैंने आपको क्या निवेदन किया? आप एक मिनट रूको तो सही, जो मैं नाम पुकार चुका आप उनको बोलने दीजिए, उसके बाद में मैं व्यवस्था दे दूंगा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप क्या सभापतिजी को कम्पेल कर सकते हो कि क्या व्यवस्था अभी दें? कह दिया उन्होंने कि व्यवस्था दूंगा उसमें क्या दिक्कत है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय को कम्पेल नहीं कर सकते परन्तु चूंकि यह सदन की सम्पत्ति है, जिस राजस्थान के ग्राम सभा से जुड़ा हुआ है ...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मतलब निकाले जा रहे हैं, इसको विस्तृत किया गया है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, इस विषय को इतना हलका नहीं समझें, यह विषय गम्भीर विषय है।

श्री सभापति: विराजो आप।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): यह विषय भी गम्भीर है सभापति महोदय, ...

श्री सभापति: श्री अजय सिंह।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): इसके साथ-साथ यहां की गरिमा और परम्पराओं का निर्वहन करना भी बहुत हमारे लिए अनिवार्य है। ये जो व्यवस्था की बात की गई है वो व्यवस्था दी जाए। यह मेरा कहना है आपसे।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): इसमें गरिमा तो तार-तार हो रही है ... (व्यवधान) गरिमा बच कहां गयी।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): नियम 273 को हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि 273 क्या है। नियम 273 में स्पष्ट रूप से दिया है ... (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये आप।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): 'किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधबोधक आरोप नहीं लगाया जाए जब तक सदस्य ने अध्यक्ष को या सम्बन्धित मंत्री को भी पूर्व सूचना न दे दी हो,...

श्री सभापति: आप विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): ... जिससे कि मंत्री उत्तर के प्रयोजन से उस विषय की जांच कर सके।

श्री सभापति: सचेतक महोदय।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसके ऊपर अपनी व्यवस्था दें।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): मूल रूप से यह है कि इस नरेगा के सिस्टम को सुधारें। इसमें पिछले वर्षों में तो यह हो गया कि लूट सके तो लूट अंत काल पछतायेगा फिर प्राण जायेंगे छूट। सिस्टम को सुधारो। बाकी मैं आत्मा नहीं मार सकता हकीकत में तो यह है कि सबकी नजरों के सामने यह लूट होती रही है। सिस्टम को नहीं सुधारा गया। सिस्टम सुधार लो। इसमें व्यक्ति कहीं कसूरवार नहीं होता जितनी छूट देंगे उतना लोग-बाग़ खींचेंगे, खीचेंगे और यह खींचना बंद करवा दें। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें। सवाईमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य, विराजें।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): ...(व्यवधान) पहले काफी लूट हुई है और उसको सुधारने की व्यवस्था ही कर रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाईमाधोपुर): माननीय सभापतिजी, आपने बहुत बढ़िया व्यवस्था दी और आप दबाव में नहीं आये।

श्री सभापति: श्री अजय सिंह। माननीय सदस्य बोल रहे हैं। आप बोलिये न, माननीय सदस्य।

डेगाना सिविल न्यायालय कनिष्ठ खण्ड का वरिष्ठ खण्ड में क्रमोन्नयन

श्री अजय सिंह (डेगाना): माननीय सभापतिजी, डेगाना विधान सभा क्षेत्र के सभी अधिवक्तागण लगातार तीन माह से धरने पर बैठे हुए हैं तथा न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। उनकी प्रमुख मांग है कि डेगाना में 1980 में स्थापित न्यायालय सिविल न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड को वरिष्ठ खण्ड में क्रमोन्नत किया जाए। अधिवक्तागण की मांग बहुत वाजिब है क्योंकि वर्तमान में इस कोर्ट के अन्तर्गत 1500 से ज्यादा केसेज लम्बित हैं तथा मुंसिफ कोर्ट के अन्दर असेंसियल कमोडिटीज एक्ट एवं एक्साइज एक्ट की सुनवाई नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त पच्चीस हजार से ज्यादा की कीमत के दावे की सुनवाई भी मुंसिफ कोर्ट में नहीं हो सकती। वर्तमान एसीजेएम कोर्ट मेड़ता में स्थापित है और मेड़ता यहां से औसत रूप से नब्बे किलोमीटर दूरी पर पड़ता है और ऐसी स्थिति में आम जन और अधिवक्तागणों को बार-बार वहां सुनवाई के लिए जाना पड़ता है। यदि राज्य सरकार इस न्यायालय को क्रमोन्नत करती है तो भी किसी प्रकार से सरकार के ऊपर अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा क्योंकि वहां पर भवन एवं समुचित स्टाफ की व्यवस्था है। इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी एक शिष्टमण्डल मिला तत्पश्चात् लॉ सेकेट्री से भी एक शिष्टमण्डल मिला था। मैं स्वयं भी कानून मंत्रीजी से मिला था और एक ज्ञापन उनको दिया था। लेकिन बहुत दुःख की बात है कि वर्तमान में तीन माह होने के पश्चात् भी अभी तक सरकार की ओर से कोई पहल नहीं हुई है और न ही सरकार द्वारा कोई क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई है। वर्तमान में न्यायिक कार्य बिलकुल बंद पड़ा है और आम जन परेशान हो रहा है। अतः आसन से मेरा आग्रह है कि सरकार को निर्देशित करे कि शीघ्र इसके क्रमोन्नयन की घोषणा करे और आज कानून मंत्री यहां पर सदन में मौजूद हैं तो मैं आशा करता हूं कि वे भी कुछ इस सम्बन्ध में कहें कि सरकार क्या करने जा रही है।

श्री सभापति: श्री केसारामजी चौधरी। मंत्रीजी बोल रहे हैं, एक मिनट विराजें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, किसी भी स्थान पर नवीन न्यायालय खोलने वाली बात हो, चाहे क्रमोन्नत करने वाली बात हो, इसमें माननीय उच्च न्यायालय का परामर्श या उनका सहयोग या सहमति आवश्यक होती है। बार एसोसियेशन, डेगाना से जो प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था वो हमने रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को परामर्श के लिए भेज दिया था 26.7.2010 को, रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा जो हमें पत्र प्राप्त हुआ है उसमें उन्होंने लिखा है कि डेगाना जिला नागौर में सिविल न्यायाधीश व न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में क्रमोन्नत किये जाने का प्रस्ताव उच्च न्यायालय की माननीय कमेटी के समक्ष विचारार्थ लम्बित है, तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि उच्च न्यायालय से ज्यों ही परामर्श या स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी, इन न्यायालयों को क्रमोन्नत कर दिया जाएगा।

श्री सभापति: श्री केसाराम जी चौधरी।

राजस्थान में स्वाइन फ्लू का बढ़ता प्रकोप

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): सभापति महोदय, राजस्थान में स्वाइन फ्लू जैसी बीमारी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इस बीमारी से प्रदेश में करीबन 225 मरीजों की पहचान हो चुकी है और अकेले जयपुर में 14 मरीजों की पहचान हो चुकी है। इसी तरह जयपुर जैसे शहर में स्वाइन फ्लू का इतना प्रकोप बढ़ रहा है और मेरे क्षेत्र में राणी गांव में करीबन चार व्यक्ति स्वाइन फ्लू की बीमारी से मर चुके हैं। 18 तारीख को जो व्यक्ति मेरे साथ चुनाव में दौड़ रहा था वो व्यक्ति आज मुझे खबर मिली कि स्वाइन फ्लू की वजह से अहमदाबाद के अन्दर उसकी मृत्यु हो गयी है। इसी तरह से यह एक महामारी का रूप ले रही है और सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। जयपुर के अन्दर भी यह महामारी अपने पैर फैला चुकी है।

कुदरत की देन है, इन्द्र भगवान ने बहुत अच्छी बारिश की है और इस बारिश की वजह से और प्रदेश में दूसरी मौसमी बीमारियां फैलने की भी बहुत गम्भीर समस्या सामने आने वाली है। इन बीमारियों के कारण से मेरे क्षेत्र के बिमालिया गांव में आज की तारीख में उल्टी-दस्त और पेट दर्द के कारण से लोग घर-घर के अन्दर सो रहे हैं। इसी तरीके से सिचाणा गांव में

(श्री केसाराम चौधरी)

यह स्वाइन फ्लू के लक्षण खांसी, जुकाम और सर्दी जैसी बीमारियां वहां पर घर-घर में फैल रही हैं। कल ही दल जाकर के जांच करके आया है और ये मालूम हुआ है कि हर घर में ऐसे पेशेंट मिल रहे हैं तो ये बीमारी महामारी का रूप नहीं ले-ले, इसके लिए मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे क्षेत्र के हास्पिटलों में मात्र एक सीएचसी मारवाड़ जंक्शन में है और वह सीएचसी केवल एक डाक्टर के भरोसे चल रही है और 6 पद रिक्त पड़े हैं। एसएमओ का पद पन्द्रह साल से रिक्त चल रहा है और सरकार ने आज दिन तक एसएमओ की पोस्ट पर डाक्टर नहीं लगाया है। दो जे.एस. के पद खाली हैं, दो एम.ओ. के पद खाली हैं इस तरह से पूरा हास्पिटल खाली पड़ा है और पूरे क्षेत्र में डाक्टरों की कोई व्यवस्था नहीं है। आने वाले समय में ये जो बरसात का मौसम रहा है और जैसे ही धूप निकलेगी तो एकदम से ये बीमारियां इतनी फैल जाएंगी कि हम उनको कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे।

अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि इन मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए और स्वाइन फ्लू जैसी महामारी से निपटने के लिए कोई न कोई ठोस कदम उठायें नहीं तो ये राजस्थान प्रदेश को एक महामारी के रूप में चपेट में ले लेगी और यहां पर बहुत बड़ी जनहानि होगी। इसलिए मेरा आपके मार्फत अनुरोध है कि सरकार इस पर जल्दी से जल्दी और मेरे क्षेत्र में जो हास्पिटल में डाक्टर नहीं है वहां पर जल्दी से जल्दी डाक्टर लगायें। यही मेरा अनुरोध है, धन्यवाद।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): सभापति महोदय, इसमें मेरा सुझाव है कि आयुर्वेद में इसका उल्लेख है कि स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए कढ़ी प्रायः सब घरों में बनती है उसमें हींग का बगार देकर कढ़ी खायें तो आपके स्वाइन फ्लू नजदीक नहीं आएगा।

श्री सभापति: श्री ज्ञानदेवजी आहूजा।

आई.टी.आई. कालेजों में छात्रवृत्ति वितरण में भ्रष्टाचार

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): सभापति महोदय, मैं राजस्थान में गरीबों के लिए खोले गये विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के सम्बन्ध में पर्ची के माध्यम से बोल रहा हूं। आपने अनुमति दी है, धन्यवाद। मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं कि जो समाज कल्याण विभाग गरीबों की पेंशन से लेकर बीपीएल और एपीएल के बारे में, गरीब विधवाओं की बेटियों की शादी के लिए पैसा देता है, उस विभाग में एसटी/एससी के छात्रों की छात्रवृत्ति

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

भी बंटती है। राजस्थान में समाज कल्याण विभाग की ओर से प्राइवेट जो आईटीआई कालेज हैं उनमें और गर्वनमेंट कालेजों में सबमें छात्रवृत्ति बंटती है। अलवर जिले में कुल 103 आईटीआई कालेज हैं 103 आईटीआई कालेजों में आडिट करवाने के नाम पर क्योंकि बहुत भारी घोटाला हुआ, दो पत्र मैंने लिखे हैं समाज कल्याण के प्रमुख शासन सचिव को और दो पत्र कांग्रेस के ही जिला महामंत्री हैं श्री महेन्द्र सैन, उन्होंने लिखे हैं। इन पत्रों के बाद एक बार लोकल आडिट हुआ, होम आडिट हुआ और माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उसके बाद ए.जी. आफिस का आडिट हुआ, भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग। माननीय सभापति महोदय, जो समाज कल्याण की बात करता है, उनके अधिकारियों ने, उनके कर्मचारियों ने यह साजिश रची। वहां जो प्राइवेट आई.टी.आई. के कालेज हैं अलवर में, राजस्थान में कितने आई.टी.आई. कालेज हैं, उसका हिसाब आपके पास में, सरकार के पास में है, प्राइवेट जो आई.टी.आई. कालेज राजस्थान के अलवर में हैं, 103 हैं अलवर जिले में। 103 में आडिट करवाया गया, आडिट में सिर्फ 4 आई.टी.आई. कालेजों का आडिट हुआ। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं उन चार आई.टी.आई. कालेजों में जिन छात्रों की छात्रवृत्ति, चैक और ड्राफ्ट उठा लिये गये, वह सारे छात्र वहां पढ़ते नहीं हैं। और वह पढ़ते नहीं हैं लेकिन उनकी छात्रवृत्ति उठा ली गई है और कोई लाख-दो लाख नहीं, माननीय सभापति महोदय, बहुत गम्भीर मामला है कि सिर्फ चार, 103 में से, यह आडिट की रिपोर्ट है मेरे पास में और उस आडिट की रिपोर्ट में चार कालेजों के नाम हैं, उन 4 कालेजों में ही 34 करोड़ 28 लाख का, सिर्फ 4 कालेजों में। शर्म की बात है कि इन चार कालेजों में ही 34 करोड़ 28 लाख का घोटाला तो 103 आई.टी.आई. के कालेजों में कितना होगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह 34 लाख हैं या करोड़ हैं?

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): करोड़ हैं, करोड़। 34 करोड़ बोल रहा हूं मैं, लाख नहीं बोल रहा हूं। लाख और करोड़ मैं जानता हूं, घनश्यामजी भाई साहब। आप तो रुपया गिनाने लगेंगे। मैं भले ही अलवर, जयपुर में किराये के मकान में रहता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना हिसाब तो जानता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, पक्का करवा रहा हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): अच्छा, पक्का कर रहे हैं।

श्री मुरारी लाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): आप नाम बता दें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): चला मुरारी हीरो बनने, आप तो बैठिये। आप सुनिये, आपको तो सुनना है सिर्फ। आप क्यों हीरो बनना चाहते हैं, पहले ही। आप बाद में बन लीजिए।

34 करोड़, 27 लाख 710 रुपये का है यह हिसाब जो लगभग 34 करोड़, 28 लाख का है। सिर्फ 4 आई.टी.आई. कालेज, उन कालेजों के नाम भी हैं। उनका आडिट भी है, बहुत बड़ा घोटाला हुआ और उन छात्रों के नाम भी हैं। ताज्जुब यह है, मेरे पास एक सी.डी. भी है। अगर, मंत्री महोदय चाहेंगे और जांच दुबारा बैठाना चाहेंगे, यह एक सी.डी. भी है जिसमें चार कालेजों के व्यवस्थापकों और प्रिंसिपल्स ने यह कहा है कि यह घोटाला हमें समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उपस्थित नहीं हैं, सहायक निदेशक ने, वहां के बाबू ने, वहां के अकाउण्टेण्ट ने, हमें यह घोटाला करने के लिये प्रेरित किया। इसलिये यह घोटाला हुआ है, इसलिये छात्रवृत्ति उठाई है। यह सी.डी. मेरे पास में है। उनके बयान, बाकायदा उस सी.डी. में उनके बयान भी हैं। वह सी.डी. चाहे तो सरकार को देने के लिये तैयार हूं। माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, वह छात्र वहां पढ़ते नहीं हैं। कुछ छात्रों ने 2009-2010 में आई.टी.आई. कालेजों, महाविद्यालयों में एडमिशन के लिये फार्म भरे। उस पर फोटो थी, वह फार्म थे। वह फार्म समाज कल्याण विभाग में चले गये। समाज कल्याण विभाग के एक नहीं, दो नहीं, तीन-तीन सहायक निदेशकों ने उनको यह उपलब्ध कराया और एक सहायक निदेशक जो 12 साल से हैड-क्वार्टर पर बैठे हैं, एस्टब्लिशमेंट में और सत्यापन शाखा में, उन्होंने उनको प्रेरित किया और उस प्रेरणा से, जो छात्र नहीं हैं, जिनके फार्म भरे गये, जो छात्र एडमिशन लेना चाहते थे, एडमिशन नहीं हो पाये और उनके फोटो सहित फार्म वापस उपलब्ध कराये उन कालेजों को और उन कालेजों ने उसमें घोटाला किया, उनकी छात्रवृत्ति उठाई, उनके चैक उठाये और उनके ड्राफ्ट उठाये।

इतना ही नहीं, आडिट के बाद दिनांक 9 जुलाई, 2010 को हमारे प्रमुख शासन सचिव, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के हैं, उनको प्रतिलिपि भेजी गई। शासन सचिव महोदय को भेजी गई, आयुक्त महोदय को भेजी गई और सहायक निदेशक महोदय को भेजी गई कि इनके खिलाफ एफ.आई.आर. लाज हो, रिपोर्ट दर्ज हो और उनके खिलाफ कार्यवाही

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

की जाए। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भी और उन चारों आई.टी.आई. कालेजों के खिलाफ भी, लेकिन दुःख की बात है, सभापति महोदय। माननीय सचेतक महोदय, जरा सुनिये, आपके यहां जो घोटाले हुए सरकार में, माननीय सचेतक महोदय भी खड़े हैं सभापति महोदय के पास। सभापति महोदय, आप ध्यान दें कि इन घोटालों में लिप्त अधिकारियों ने और लिप्त सहायक निदेशक ने और ऊपर के अधिकारियों को जरुर मोटा कमीशन पहुंचता होगा। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन गबन-घोटाला सिर्फ 4 आई.टी.आई. कालेजों में 34 करोड़, 28 लाख हुआ तो 103 में अरबों का हुआ होगा। निश्चित रूप से इनकी भी जांच कराई जाए। बाकी कालेजों की भी जांच कराई जाए और इसके साथ में राजस्थान के और भी आई.टी.आई. या प्राइवेट कालेज जहां अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्तियों में गबन घोटाले हुए हैं, यह 9.7.2010 को प्रतिलिपि भेजी गई और आडिट रिपोर्ट भेजी गई लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। आज तक उसकी एफ.आई.आर. लाज नहीं हुई। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान) गबन-घोटालों को इस ढंग से घुमाना चाहते हैं।

श्री सभापति: आप बोलो ना।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से, मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो बकाया आई.टी.आई. कालेज अलवर में हैं, 103 में से सिर्फ चार की ही जांच हुई है, 99 कालेज बकाया हैं, और राजस्थान में आई.टी.आई. कालेज या पोलीटेक्निक या इंजीनियरिंग कालेज, जहां एस.सी., एस.टी. छात्रों की छात्रवृत्तियों में गबन-घोटाला हुआ है उसकी भी जांच कराई जाए और सम्बन्धित कालेजों के विरुद्ध, साथ ही उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए जो अब तक एफ.आई.आर. लाज नहीं हुई है। इसमें एफ.आई.आर. लाज की जाए। यह मेरा आपको पर्ची के माध्यम से निवेदन है, इसमें आप उचित कार्यवाही करेंगे। सरकार, जो गूंगी और बहरी है, उस पर पूरा ध्यान देगी और भ्रष्टाचारियों को बचाने का प्रयास नहीं करेगी। यह सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। इतना ही मैं आपको निवेदन करके अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): सभापति महोदय, एस.सी., एस.टी. छात्रों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इस पर सरकार जवाब दे।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): जवाब तो देना ही चाहिए।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये, माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री पेमाराम (धोद): माननीय सभापति महोदय, यह कोई पर्टिकूलर वहां का नहीं, पूरे राजस्थान में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के विद्यार्थियों के साथ, हमारे सीकर जिले में आज भी जांच करवाई जिला कलक्टर ने, जांच रिपोर्ट आ गई। उनके नामों की छात्रवृत्ति उठा ली गई फर्जी दस्तख्तों से। एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इसलिये राजस्थान में शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के विद्यार्थियों के साथ छात्रवृत्ति के नाम पर जो समाज कल्याण के अधिकारी मिलीभगत करके कर रहे हैं, इससे बुरी कोई बात नहीं है। मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्रीजी यहां पर विराजे हुए हैं। इस सवाल पर जवाब दें और जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ जांच करवाकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाए।

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): सभापति महोदय, मामला बहुत गम्भीर है। इसमें व्यवस्था दें आप। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): विधवा महिलाओं की बेटियों के चैक भी उठाये गये शादी के। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये-विराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): और साथ में बी.पी.एल./ए.पी.एल. को ठगा गया है।

श्री सभापति: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): एस.सी./एस.टी. के छात्रों के साथ...

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): समाज कल्याण विभाग के खिलाफ कार्यवाही की जाए, सभापति महोदय।

श्री सभापति: श्री शांतीकुमार धारीवाल।

व्यवस्था का प्रश्न

कार्य सलाहकार समिति की रिपोर्ट सदन से स्वीकृति से पूर्व ही उसमें अंकित विधेयकों पर संशोधन का प्रस्ताव

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आन ए पाइण्ट आफ आर्डर। सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय यह प्रस्तुत करें उसके पहले मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कल हमको एक आपने सूचना भेजी है और उस पर लिखा, नितान्त गोपनीय। उसकी मैं चर्चा नहीं करुंगा, जब तक मंत्रीजी यहां पेश नहीं कर देंगे तब तक मैं उसकी चर्चा नहीं करुंगा। लेकिन कार्य सलाहकार समिति की रिपोर्ट हमको भेजी है। उसमें जो लिखा उसकी मैं चर्चा नहीं करता हूं। लेकिन दूसरा पत्र हमको साथ-साथ भेजा। वह पत्र मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। माननीय सदस्यों को निदेशानुसार सूचित करना है कि कार्य सलाहकार समिति की सोमवार, दिनांक 30 अगस्त को हुई बैठक में लिये गये निर्णयानुसार मंगलवार, दिनांक 31/08/2010 को निम्नांकित विधेयक विचारार्थ एवं पारण हेतु प्रस्तुत किये जाएंगे। राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2010, राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक 19), जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्या 20), जोधपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्या 21)। उपरोक्त विधेयकों पर यदि माननीय सदस्य संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें तो मंगलवार, दिनांक 31 अगस्त, 2010 के प्रातः 10 बजे तक प्रस्तुत कर सकेंगे।

इसमें एक बहुत बड़ा व्यवस्था का प्रश्न, मेरी जिन्दगी में शायद पहली बार आया है। कार्य सलाहकार समिति की बैठक में एक बात तय हो गई। लेकिन कार्य सलाहकार समिति की बैठक का एजेण्डा जब तक सदन के द्वारा अनुमोदित नहीं होता तब तक वह स्वीकार नहीं होता। आप वकील भी हो। 215 अपना जो सैक्शन है इसका वह आप निकाल लीजिए। 'सदन में प्रतिवेदन उपस्थापित कर दिये जाने के पश्चात् किसी समय पर यह प्रस्ताव किया जा सकेगा कि सदन प्रतिवेदन को स्वीकार करता है या संशोधनों के साथ स्वीकार करता है या अस्वीकार करता है:

परन्तु यह संशोधन प्रस्तुत किया जा सकेगा कि प्रतिवेदन या तो बिना परिसीमा के या किसी विशेष विषयों के सम्बन्ध में समिति को वापस सौंपा जावे:

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

परन्तु यह भी कि प्रस्ताव पर चर्चा के लिए आधे घंटे...' मतलब, इसमें तीन बात। कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन पहले तो सदन में प्रस्तुत होगा, उसको एज इट इज स्वीकार किया जाएगा, उसमें संशोधन किया जाएगा, उसको वापस लेने के लिए कहा जाएगा, फिर मीटिंग होगी तब कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन स्वीकार माना जाएगा और तब स्वीकार माना जाएगा और तब वह लिस्ट होगा और वह लिस्ट होगा तो फिर उसमें आप 48 आवर्स दीजिए, कम कर सकते हैं, अध्यक्ष को अधिकार है 12 घंटे दीजिए, 3 घंटे दीजिए और उसके साथ उनमें जो संशोधन दिये हैं उन संशोधनों को स्वीकार करने की सूची भी साथ-साथ आती है कि इन-इन माननीय सदस्यों के यह-यह संशोधन स्वीकार किये गये।

आज हमारी स्थिति यह है कि न तो कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन स्वीकार किया गया है। कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन में संशोधन मेरा प्रस्तुत किया हुआ है इसलिए उस संशोधन पर पहले बहस होगी और वह संशोधन अगर मेरा स्वीकार होता है तो कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन वापस कार्य सलाहकार समिति में जाएगा और उसके बाद में यह लिस्ट होगा तो जब तक यह काम पूरा नहीं हो जाता तब तक माननीय सभापति महोदय, जो आपने आज की कार्य सूची में हमको संशोधन दिया और आज का जो बिजनस आप लेने वाले हैं उस बिजनस को आप कैसे ले सकते हैं? मैं इस दृष्टि से इस बात को देख रहा हूं और इस प्रकार का काम तो मेरी जिन्दगी में पहली बार हुआ है। आप 48 घंटे से घटाकर 24 घंटे कर दो, आप 12 घंटे कर दो, आप 10 घंटे कर दो, आपका प्रतिवेदन यदि स्वीकार नहीं हुआ, स्वीकार नहीं हुआ और उसके पहले आपने आदेश निकाल दिये कि यह-यह डिस्कशन होगा, आपको सपना आ गया? आपने कैसे स्वीकार कर लिया कि सदन इसको स्वीकार कर लेगा? और जबकि सदन में यह बात हो गयी थी कि हमने इस विषय पर कार्य सलाहकार समिति का बहिर्गमन कर दिया था कि हम इतने कम समय में एक दिन में यह बिल पास कराने के पक्ष में नहीं हैं। तो इसका मतलब विपक्ष अपनी बात, सारा सदन यहां अपनी बात कहेगा तो यह आप कैसे सपना करें, कैसे आपने एज्यूम किया, कैसे आपने कर लिया कि कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन तो स्वीकार ही हो गया है और यह चारों विधेयक आ भी जाएंगे। इनके संशोधन भी नहीं लेंगे और इनको हम पास कर देंगे इसलिए माननीय सभापति महोदय, मेरे तीन प्रश्न हैं इसमें, पहला प्रश्न तो मैंने अभी लिखा है कि जब तक कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

स्वीकार नहीं होता तब तक यह बिजनस एनलिस्ट नहीं हो सकता और उसके संशोधन स्वीकार नहीं हो सकते और संशोधन आयें तो संशोधनों को सूचीबद्ध करके हमको वितरित किया जाए कि किस-किस के संशोधन आये हैं। क्या-क्या संशोधन आये हैं। उसके बाद में उस पर विचार होगा, एक।

दूसरा, फिर कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर मेरा संशोधन प्रस्ताव दिया हुआ है। जब कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन आएगा तो मेरे संशोधन पर विचार होगा, दो।

और तीसरा, मैं एक कांस्टीट्यूशनल मामला जो है, पहले आप इस पर निर्णय करेंगे, उसके बाद में एक संविधान का बहुत बड़ा मामला, संविधान की चूक हमारी है, वह मैं उठाना चाहूंगा इसलिए माननीय सभापति महोदय, पहले मेरा आपसे आग्रह है कि पहले आप इस पाइंट का समायोजन करें, उसके बाद में इस पर आगे कार्यवाही करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियम हमारे संविधान के अनुच्छेद 208(1) के तहत बने हैं। माननीय सभापति महोदय, यह हमारे सबके लिए बाइबल भी है, बाध्यकारी भी है और इसके अन्दर उप नेता महोदय ने जिस कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन यहां रखा है, उसके 213, नियमों के नियम 213 में सिर्फ कार्य सलाहकार समिति को यह अधिकार है।

माननीय सभापति महोदय, मैं 213 पढ़कर सुनाना चाहता हूं। 213. समिति का कृत्य:- (1) समिति का कृत्य यह होगा कि यह-

(क) उस क्रम की सिफारिश करे जिसमें सरकारी तथा अन्य कार्य पर सदन में चर्चा की जा सकेगी मतलब, अभी हमारे सामने सिफारिश है नहीं और माननीय सभापति महोदय, इसके साथ सबसे बड़ी तकलीफ-देय बात यह है कि ऊपर लिखा है, जो यह आपका बुलेटिन संख्या भाग-2, उसमें लिखा है कि 31 अगस्त को निम्नांकित विधेयकों पर विचार और पारण होगा और उसमें नीचे लिख दिया कि 31 अगस्त के प्रातः 10.00 बजे तक संशोधन प्रस्तुत किये जा सकेंगे। यानी, कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन से पहले यह गोपनीय है, इस पर नियमानुसार तो हमें सदन में भी चर्चा नहीं करनी चाहिए। जब यह गोपनीय है तो मेरा अधिकार कहां हो गया कि मैं अपने संशोधन प्रस्तुत इस विषय में करूं? जब यह गोपनीय किसी विषय पर क्या कोई माननीय सदस्य 10.00 बजे पहले संशोधन प्रस्तुत कर सकता है?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इसलिए मेरा निवेदन है माननीय सभापति महोदय, कि इस तरह की चूक हुई है और इसके साथ-साथ माननीय सभापति महोदय, इस नियम और प्रक्रियाओं के नियम के अन्दर हमें 48 घंटे का समय मिलना चाहिए, 48 घंटे में, यह हमारा अधिकार है कि हम अपने संशोधन दें और आनन-फानन के अन्दर यह जो जिस तरह की साजिश हो रही है, सरकार चाहती है कि प्रतिपक्ष ज्वलंत मुद्दों की तरफ ध्यान आकर्षित नहीं करें, पूरा राजस्थान जल रहा है, हम अपने इन नियमों और प्रक्रियाओं के तहत उन सारे विषयों को सदन में रखना चाहते हैं परन्तु जिस तरह संविधान की मर्यादाओं को तोड़ने का काम किया है, इस विधान सभा की परम्पराओं को समाप्त करने का काम किया है माननीय सभापति महोदय, यह इस विक्रमादित्य के आसन पर आप विराजे हैं, आपसे न्याय की उम्मीद है और मैं यह प्रार्थना करूंगा कि सदन की कार्यवाही स्थगित करें और स्थगित करने के बाद आप दुबारा इस कार्य सलाहकार समिति का जो प्रतिवेदन है उस पर पहले 'हां' या 'ना' में वोट करवायें। उसमें 'हां' या 'ना' में हमें अपनी बात को कहने का अधिकार है। 215 में अधिकार है, 213 में अधिकार है। उसके पारण के समय विचार व्यक्त करने का अधिकार है और जो उप नेता महोदय का संशोधन सदन के सामने है तो सबसे पहले उस पर विचार हो और उसके बाद इस कार्यवाही को आगे चलाया जाए। यह सारी कार्यवाही नियमों और प्रक्रियाओं को धत्ता बताकर की जा रही है इसलिए आपसे प्रोटेक्शन चाहते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): माननीय सभापति महोदय, यह पहली बार सदन में हुआ है कि कभी कोई भी बिल जब आप यहां रखते हैं पास करने के लिए कार्य सलाहकार समिति की रिपोर्ट हाउस में आती है। हाउस में उसकी स्वीकृति होने के बाद उसका टाइम तय होता है, उसकी डेट तय होती है और उसमें भी 64 के इस नियम में दे रखा है कि कम से कम 48 घंटे पहले वह माननीय सदस्यों को आपका जो भी बिल आप ला रहे हैं वह हमारे पास पहुंचना चाहिए। आपने देखा होगा, आपके स्वयं के यहां 29 तारीख की रात को 10.30 बजे और 11.00 बजे के बीच में तो आपका यह सारा का सारा लिटरेचर हमारे पास पहुंचा। मतलब 29 तारीख को ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): रात को 11.00 बजे और 12.00 बजे के बीच। ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): नहीं-नहीं ...(व्यवधान) लेकिन सामान्यतः यह कभी भी नहीं हुआ कि बिना बिजनस एडवाइजरी कमेटी के, सदन में स्वीकृति के बिना कभी भी किसी भी प्रकार के बिलों पर डिस्कशन प्रारम्भ हुआ हो। यानी, कमेटी की मीटिंग को जब यहां अपन एण्डार्स कर देते हैं, स्वीकृति दे देते हैं और उसके सारे तारीख और समय तय हो जाता है कि किस दिन कौनसा बिजनस आने वाला है, उसके बाद तो बिजनस आपको लगाने का अधिकार है लेकिन बिना बिजनस एडवाइजरी कमेटी को यहां हाउस में एप्रूव किये, आपने किस आधार पर इन बिलों को, आज ही तो इनको आपने प्रस्तुत किया और आज ही पारण करने का आपने इसमें रख लिया। इसका मतलब यह है कि यह जो आपने एक तर्क दिया हमारे पास काम नहीं है। काम है लेकिन आप काम को टाल करके सब नियमों को ताक में रखकर इन बिलों को जैसे चाहो वैसे पास कराओ, न तो कोई इसको पढ़ पायेगा और न इसको ठीक प्रकार से देख पायेगा। कहने के लिए तो कह देंगे कि इसमें कुछ नहीं है, इसमें तो छोटे-मोटे अमेंडमेंट हैं, छोटे-मोटे अमेंडमेंट भी होंगे लेकिन अमेंडमेंट को भी पढ़ने के लिए समय चाहिए। कोई हम ऐसे तो नहीं हैं कि रात को आप हमें कागज डाल जाओ और सवेरे हम सारे के सारे बिलों को पढ़ लें और उसके बाद में, उसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जो आज दिन तक मैं सोचता हूं कि 73 और 74वां जो अमेंडमेंट किया था, जिसके आधार पर हमने इन स्थानीय संस्थाओं को और लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास किया, उनको अपने इसमें बिलकुल तोड़कर भंगार करने की कोशिश कर ली है, वह जो आप ला रहे हो, छह लोग नोमिनेट हो जाएंगे, जहां 25-25 का दोनों का बहुमत है, छह आदमियों को अन्दर डालकर वहां लोकतंत्र का मजाक करना चाहोगे, जो इलेक्टट हैं तो वास्तव में इन सबको पढ़ने के लिए, इसके पीछे मंशा यही है और इस बिजनस एडवाइजरी कमेटी का उपयोग भी यही है कि पहले वहां निर्णय होता है, फिर हाउस में, उसका एक तरह से अनुमोदन होता है और अनुमोदन के बाद जो तारीखें आपकी लगती हैं उसके आधार पर आपके बिल या विधेयक जो हैं, वे आते हैं और उस पर ठीक प्रकार से चर्चा होती है। मैं सोचता हूं कि यह बिलकुल असंवैधानिक हो रहा है और अपन किस तरह से इसको जोर-जबरदस्ती करने का प्रयास करेंगे, तो मैं सोचता हूं कि राजस्थान की विधान सभा को इस हिन्दुस्तान के इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप एक कठघरे में खड़ा कर देंगे। यह पहली बार हुआ है। अब तक कभी भी इस प्रकार की जल्दी और इस प्रकार की स्थिति नहीं आयी कि यह आपने रात को तय

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

किया और सवेरे सारे बिल ठोक दिये तो यह कभी सम्भव ही नहीं है और यह नियम के विरुद्ध है, कोई जल्दी नहीं है।

आज इसका अनुमोदन कराइये, कल आप वापस इन बिलों को रखिये और रखने के बाद आप उसमें 48 घंटे के बजाय 24 घंटे तक आप संशोधन देने का रखिये। अब जो संशोधन हमने दिये हैं, वह लिस्टेड कहां हैं, वितरित कहां हैं या हमारे स्वीकार किये या नहीं किये, यह भी हमें पता नहीं। जब आपने यह छूट दी कि आप 10 बजे तक अमेंडमेंट दे सकते हो तो 10 बजे तक हमने अमेंडमेंट दिये हैं। अगर आपका है तो इसके साथ लगकर आना चाहिये कि हमने कौनसा अमेंडमेंट किया, कौनसा जनमत जानने के लिये भेजा गया, हमने किसमें कौनसा सुधार करने का प्रयास किया। आपने उनको तो सब दफ्तर दाखिल कर दिया और यहां लाकर आप रखकर जिस ढंग से इन कानूनों को पास कराना चाहते हो ना, यह कानून की हत्या हो रही है। इस तरह से मैं समझता हूं ठीक प्रकार से प्रोपर डिस्कशन होने दीजिये। करना न करना आपके हाथ में है। आप उस संशोधन को माने नहीं माने आपके पास बहुमत है, आप पास करवा देना और उसको बिलकुल नकारकर चलना और चाहे जैसे इस लोकतंत्र की गाड़ी को चलाना, हम यहां आते हैं, दुर्भाग्य तो हमारे लोकतंत्र का यह है, हम कानून बनाने के लिये आते हैं लेकिन हमारा सबसे कम ध्यान अगर किसी पर है तो कानून पर। बाकी चर्चाओं के लिये हमारे पास बहुत समय है, उसमें घंटों लगाते हैं लेकिन कानून की बारीकियों में जाकर उसकी कमियों के बारे में सुनने का न तो हमारे पास माद्दा है, न उसमें सुधारने की कोशिश है। अगर कोई अच्छा प्रस्ताव आता है और हाउस उसको स्वीकार करता है तो ट्रेजरी बैंच की तरफ से कई बार उन प्रस्तावों को स्वीकार करते हुए अमेंडमेंट लेकर आते हैं और उस कानून को ठीक बनाते हैं। यह कानून कोई आज आपके और मेरे काम नहीं आने वाला, यह आने वाली पीढ़ियों के काम आने वाला कानून है, उसको आप इस ढंग से लेंगे।

सभापति महोदय, आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप इस तरह से बी.ए.सी. की रिपोर्ट को जिस तरीके से लेकर आये हैं और जिस तरीके से यह चार बिल रखकर इसको पास कराने की मंशा है, वह बिलकुल गलत है। इनको तरीके से लेकर आयें, इन पर डिस्कशन करायें। आपके पास बहुमत है, यह पास करें, हमें कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन हम अपनी बात को जरूर कहेंगे।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से मैं समझता हूं यह नियम और प्रक्रियाओं के विपरीत जाकर आज तक

(श्री अमराराम)
बी.ए.सी. की रिपोर्ट यहां स्वीकृत नहीं हुई है। उसके पहले संशोधन मांगकर, चार विधयकों को पास कराकर, यह सरकार जनता की तकलीफों को नहीं सुनकर केवल रिलक्सेशन जो माननीय अध्यक्ष को प्राप्त है, लेकिन मैं समझता हूं इस तरह का प्राप्त तो कहीं नहीं होगा कि चार-चार बिल बी.ए.सी. की रिपोर्ट अभी तक स्वीकृत नहीं हुई और 10 बजे तक आप संशोधन देंगे और आज हम पास कराकर जाना चाहें, मैं समझता हूं राजस्थान में जहां थोड़ी देर पहले आपने ही व्यवस्था देने के लिये कहा कि राजस्थान के ग्रामीण विकास के जितने भी काम हैं, वह सब ठप्प की स्थिति में हैं। राजस्थान की सड़कें ध्वस्त हैं, राजस्थान में चिकित्सा, ला एण्ड आर्डर तमाम खराब हैं। यह विफलताओं की सरकार है। मैं समझता हूं उन पर चर्चा होने का, निश्चित रूप से आज जो बी.ए.सी. का जो कल का, प्रोग्राम एक तरफा रखा जा रहा है, निश्चित रूप से इसको दुबारा रखा जाये, फिर इसको पास किया जाये और उसके बाद संशोधन लेकर कार्यवाही नियमानुसार की जाये, यह मेरा अनुरोध है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय उप नेता महोदय ने प्रक्रिया के नियम 215 का हवाला देते हुए विषय सदन के सम्मुख रखा है और प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय ने भी नियम 213 को उदाहरण के रूप में रखते हुए इस बात को जारी रखते हुए अपनी बात रखी है। मैं माननीय सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह सदन नियमों और परम्पराओं से चलता है और नियमों की पालना करना हम सब का कर्तव्य है। परम्पराओं को हमने हर समय उदाहरण के रूप में रखते हुए प्रस्तुत किया है। इसी क्रम में, मैं, सभापति महोदय, आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा आज जो बी.ए.सी. की रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है, उसको लेकर जो आपत्ति प्रस्तुत की गयी है माननीय प्रतिपक्ष द्वारा, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 22.2.1994 को राजस्थान सरकारी स्थान अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली (संशोधन) विधेयक बिना बी.ए.सी. में लाये पुर:स्थापित किया गया, विचार भी किया गया और पारित भी किया गया। ऐसे हमारे पास और भी कई उदाहरण हो सकते हैं। सभापति महोदय, आप इस पर व्यवस्था दें, उस व्यवस्था को देने के साथ ऐसे उदाहरणों पर आप अपनी नजर फरमायें, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): यह भत्ते बढ़ाने का होता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, यह जो उदाहरण दिया है वह बिल है एम.एल.ए. की तनख्वाह बढ़ाने का बिल है। हमेशा यहां परम्परा रही है कि अन्तिम समय में वह बिल लाते हैं, एक मिनट में पास करा देते हैं। उस विषय का, उस बिल का इनसे कोई सम्बन्ध नहीं है सभापति महोदय।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): वह अन्तिम नहीं है, कार्यवाही प्रारम्भ हुई है और इस पर व्यवस्था की ..(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां व्यवस्था, सभापति महोदय, आप इसमें व्यवस्था कर देंगे, मुझे पता है। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा यह व्यवस्थाएं, जैसे एक व्यवस्था आपने पढ़कर बता दी, यह व्यवस्थाएं इतिहास के क्रम में लिखी जाती हैं और आने वाले प्रजातंत्र के भविष्य को हम तय करते हैं। माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने यह नहीं कहा, हमारी बात थी कि यह पारित नहीं हुई समिति की रिपोर्ट, उन्होंने यह नहीं कहा कि पारित हो गयी एक। हमने कहा हमारा इसमें संशोधन है। उन्होंने यह नहीं कहा कि आपका इसमें संशोधन नहीं है और आप यह भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि हमारा संशोधन इस सदन में स्वीकार नहीं हो। यदि हमारा संशोधन स्वीकार हो गया तो फिर यह बिजनैस लिस्ट कैसे होगा? संशोधन तो है मेरा उसमें, उस दिन संशोधन नहीं था। इसमें मेरा संशोधन है। सुबह मैंने मूव कर दिया। मैंने पढ़कर सुनाया कि सदन की जो रिपोर्ट आयेगी, वह संशोधन के साथ स्वीकार होगा या वापस कार्य सलाहकार समिति में भेजने की होगी, तो वह भी होगी। काम तो उसके बाद चालू होगा। यह जीवित मक्खी निगलने का काम नहीं हो सकता। और सदन के अधिकारों के संरक्षण करने का काम आसन करता है, दुर्भाग्य इस बात का है और सौभाग्य भी इस बात का है, सौभाग्य इस बात है कि हमारी सारी प्रक्रिया को न्याय पालिका में चुनौती नहीं दे सकते। इसलिये जो आसन का निर्णय है वह सोने के अक्षरों से लिखा हुआ निर्णय है, ब्रह्म वाक्य है। इसलिये इस ब्रह्म वाक्य को आप भ्रम वाक्य में न बदलें। आप इसका निर्णय करें 215 का, कि कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन को पारित करने से पहले संशोधन कैसे आ जायेंगे? संशोधन लिस्ट नहीं हुए हैं। सुबह छुट्टी नहीं दी गयी, वह वितरित नहीं हुए, उनको आप डिस्कशन कैसे करेंगे और आपके सामने मौजूद है मेरा संशोधन। कार्य सलाहकार समिति में वह संशोधन यदि स्वीकार हो गया है तो फिर इस बिजनैस का क्या होगा?

वह परिस्थिति अलग थी, यह परिस्थिति अलग है। मैं सरकार को

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कठघरे में नहीं खड़ा करता, मैं कोई गोल भी नहीं करना चाहता, मैं कोई मेरे नम्बर भी नहीं बढ़ाना चाहता आपसे, मैं आने वाली पीढ़ी के लिये और आने वाले प्रजातंत्र के लिये और सदन के अधिकारों के संरक्षण के लिये भावी पीढ़ी के लिये ऐसा कोई कलंकित काम हम नहीं करें। नहीं लोग कहेंगे कि यहां भीष्म पितामह, यहां द्रोणाचार्य, यहां कर्ण सब बैठे थे और द्रोपदी का चीर-हरण हो रहा था। यहां 215 को भी पढ़ रहे थे, 213 को भी कर रहे थे, यह 68 का भी उल्लंघन कर रहे थे। यह कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 208 के अन्तर्गत बने हुए जो हमारे नियम हैं, उन नियमों के अन्तर्गत हम उस कांस्टीट्यूशन के कारण से, इन परम्पराओं के कारण से हम यहां बैठे हुए हैं। सुरेन्द्र सिंहजी जाड़ावत या घनश्याम तिवाड़ी को कोई भी नहीं पूछता। यह सदन नहीं होता और यह परम्पराएं नहीं होती तो, यह किताब नहीं होती तो, इसलिये इस किताब का, इन नियमों का हम उल्लंघन नहीं करें। हम सरकार का काम करने के लिये तैयार हैं। हम बिल पास करने के लिये तैयार हैं, लेकिन हम कानून-कायदों के हिसाब से बहस करना चाहते हैं। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप हमें लिखित में यह व्यवस्था दें ताकि यह भविष्य की पीढ़ी के लिये काम करें, यह व्यवस्था कोई ऐसी नहीं है। और हमने केवल आपको रोकने के लिये या अपनी बात कहने के लिये प्रश्न नहीं उठाया है। हृदय से अन्तःस्थल से इस प्रश्न को उठाया है। अगर कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन के बिना हम यह काम करने लगे तो कार्य सलाहकार समिति का काम खतम हो जायेगा और सदन के बाहर बैठकर पक्ष और प्रतिपक्ष जो नियम बनाकर काम करता है, वह काम भी समाप्त हो जायेगा। मेरा आपसे आग्रह है कि सारी परम्पराएं देख लें। आज तक हुआ है तो उसका उदाहरण देख लें और उसके बाद आप व्यवस्था दें और मैंने आपकी विद्वता स्वीकार कर ली, सभापति महोदय, आपने कहा कि आसन पर मैं हूं, आपने अध्यक्ष को बुलाने की बात क्यों कही। मैं तो मानता हूं कि यह विक्रमादित्य का सिंहासन है। इस सिंहासन पर कोई गडरिया का बेटा भी बैठेगा तो न्याय करेगा। आप इस सिंहासन पर विराजमान हैं। आप तो पढ़े-लिखे हैं, वकील हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। एक बार इनको पढ़ लें, इनको देख लें और देखकर उसके बाद निर्णय दें। मेरी बातों का जवाब सत्ता पक्ष ने नहीं दिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, आप व्यवस्था दें, उससे पहले सिर्फ एक मिनट मैं अपनी बात कहूंगा। सभापति महोदय, एक गुनाह हमसे हुआ है...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार: 1952 के बाद में सारे नियम टूटते जा रहे हैं। यह ड्रामे वाली बात कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, एक गुनाह हमसे हुआ। मैं कोशिश करता हूं कि मैं नियम और प्रक्रिया के तहत अपने विचारों को यहां रखूं। यह जो बुलेटिन आपने दिया- पंचम सत्र का बुलेटिन संख्या-2, इसमें नीचे आपने लिखा कृपया इस कार्य सलाहकार समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन के सदन में उपस्थापन होने तक गोपनीय रखें। मैं गोपनीय रखना चाह रहा था। लेकिन उसके ऊपर आपने यह लिखा है कि माननीय सदस्य यदि चाहें तो मंगलवार, 31 अगस्त, 2010 तक के प्रातः 10.00 बजे तक अपना संशोधन दे दें।

सभापति महोदय, मैंने इसमें संशोधन प्रस्ताव मूव किया है। ना पक्ष लाबी में जाकर मैंने इसको लिखा और उसको लिखकर जब मैं उस डेस्क तक जा रहा था, गोपनीयता भंग नहीं हुई तो यह क्या हुई? यह गोपनीयता बची है क्या? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारे नियमों और प्रक्रियाओं को ताक में रख कर इस सदन से सरकार जिस तरह से भागना चाहती है, वह ठीक नहीं है। राजस्थान की ज्वलन्त समस्याएं हैं। राजस्थान जल रहा है, कानून और व्यवस्था ठप्प हो गयी है, किसान परेशान हैं, बिजली नहीं, पानी नहीं। सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि आप एक बार हाउस को एडजोर्न करें। जिस तरह से उप नेताजी ने कहा है, लिखित में व्यवस्था दें ताकि वर्षो तक आपके द्वारा दी गई व्यवस्था का लोग उदाहरण प्रस्तुत करें इसलिए आप लिखित में व्यवस्था दें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मेरा एक सुझाव है कि जब कभी भी आप उप नेता को बुलवायें तो इनका भाषण खत्म होते ही राजेन्द्र सिंहजी को जरूर बुलवा लिया करो क्योंकि यह कम्पटीशन तो चलेगा इनमें। ये आपकी बिना इजाजत के बोल लेते हैं तो इससे बेहतर तो यह है कि आप इनको इजाजत दे ही दिया करो। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें। उप नेता महोदय, जिस विषय पर आपने ध्यान आकर्षित किया है, पाइन्ट आफ आर्डर उठाया है, वह आगे आने वाला है तब तक आज के बिजनेस को आप चलने दें। जब वह आयेगा ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, वह आने वाला है न। अभी अधिसूचनाएं मेज पर रखने का है। बिजनेस चलने दीजिए। उसके बाद, आपने जो उठाया है वह आ जाएगा।

(श्री सभापति)

सदन पटल पर रखे गये पत्रादि

अधिसूचनाएं

(I) वित्त विभाग

श्री शांति कुमारजी धारीवाल।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की निम्नांकित 75 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

1- अधिसूचना संख्या : एफ.12(22)वित्त/कर/10-103 दिनांक 31.3.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है ;

2- अधिसूचना संख्या : एफ.12(22)वित्त/कर/10-104 दिनांक 31.3.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-I में संशोधन किया गया है ;

3- अधिसूचना संख्या : एफ.12(156)वित्त/कर/09-105 दिनांक 31.3.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(156)वित्त/कर/09-58 दिनांक 3.11.2009 में संशोधन किया गया है ;

4- अधिसूचना संख्या : एफ.12(22)वित्त/कर/10-106 दिनांक 31.3.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-51-ए में अधिसूचना जारी कर वर्ष 2006-2007 की शास्तियों को माफ किया गया है ;

5- अधिसूचना संख्या : एफ.12(22)वित्त/कर/10-107 दिनांक 31.3.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(22)वित्त/कर/10-95 दिनांक 9 मार्च, 2010 में संशोधन किया गया है ;

6- अधिसूचना संख्या : एफ.12(22)वित्त/कर-अनु/10-108 दिनांक 31.3.2010 जिसके द्वारा राजस्थान इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन स्कीम, 2003 में संशोधन किया गया है ;

7- अधिसूचना संख्या : एफ.12(22)वित/कर/10-1 दिनांक 5.4.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है ;

8- अधिसूचना संख्या : एफ.4(18)वित्त/कर-अनु/01-02 दिनांक 7.4.2010 जिसके द्वारा राजस्थान इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन स्कीम, 2003 में संशोधन किया गया है ;

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

9- अधिसूचना संख्या : एफ.2(42)वित्त/कर/09-03 दिनांक 9.4.2010 जिसके द्वारा जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. द्वारा नवीं वार्षिक साधारण सभा में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में आथोराइज अंशपूंजी आठ सौ करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 हजार करोड़ रुपये करने के क्रम में संशोधित आर्टिकल आफ एसोसियेशन के दस्तावेज पर देय मुद्रांक कर से छूट प्रदान की गई है ;

10- अधिसूचना संख्या : एफ.2(47)वित्त/कर/09-04 दिनांक 9.4.2010 जिसके द्वारा रजिस्ट्रेशन फीस की अनुसूची में संशोधन किया गया है ;

11- अधिसूचना संख्या : एफ.12(22)वित्त/कर/07-05 दिनांक 9.4.2010 जिसके द्वारा मैसर्स जगुआर एण्ड कम्पनी लि. भिवाड़ी को प्रवेश कर में सशर्त छूट प्रदान की गई हैं ;

12- अधिसूचना संख्या : एफ.2(19)वित्त/कर/2007-06 दिनांक 9.4.2010 जिसके द्वारा मध्यवर्ती अपंजीकृत दस्तावेजों पर देय मुद्रांक कर में छूट प्रदान की गई हैं ;

13- अधिसूचना संख्या : एफ.2(27)वित्त/कर/2010-07 दिनांक 29.4.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मुद्रांक नियम, 2004 में संशोधन किया गया है ;

14- अधिसूचना संख्या : एफ.12(25)वित्त/कर/10-08 दिनांक 4.5.2010 जिसके द्वारा राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमेन्ट प्रोजेक्ट, मेडिकल एण्ड हैल्थ डिपार्टमेन्ट, राजस्थान को प्रवेश कर में छूट प्रदान की गई है ;

15- अधिसूचना संख्या : एफ.2(70)वित्त/कर/2007-9 दिनांक 5.5.2010 जिसके द्वारा मैसर्स बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कम्पनी लि. को स्टाम्प शुल्क में सशर्त छूट प्रदान की गई है ;

16- अधिसूचना संख्या : एफ.12(40)वित्त/कर/2010-10 दिनांक 5.5.2010 जिसके द्वारा राजस्थान पथ परिवहन निगम की बस बाडी को वैट में 5 प्रतिशत से अधिक कर की छूट प्रदान की गई है ;

17- अधिसूचना संख्या : एफ.12(34)वित्त/कर/2010-11 दिनांक 7.5.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया ;

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

18- अधिसूचना संख्या : एफ.12(34)वित्त/कर/2010-12 दिनांक 7.5.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत पंजीकृत डीलर को बिटुमिन इमलसन एण्ड क्रम्प रबर मोडीफाइड बिटुमिन निर्माण में कर में छूट प्रदान की गई है ;

19- अधिसूचना संख्या : एफ.12(142)वित्त/कर/09-13 दिनांक 7.5.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(63)वित्त/कर/2005-70 दिनांक 11.7.2006 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में संशोधन किया गया है ;

20- अधिसूचना संख्या : एफ.12(22)वित्त/कर/10-14 दिनांक 24.5.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया ;

21- अधिसूचना संख्या : एफ.12(36)वित्त/कर/2010-15 दिनांक 26.5.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया ;

22- अधिसूचना संख्या : एफ.12(36)वित्त/कर/10-16 दिनांक 26.5.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत राज्य में निर्मित एवं विक्रय किये गये कागज, कपड़े, सेल्यूलोज, कैनवास, जूट व कोर मेटेरियल के कैरी बैग को वैट से मुक्त किया गया है ;

23- अधिसूचना संख्या : एफ.12(42)वित्त/कर/10-17 दिनांक 7.6.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(84)वित्त/कर/2009-11 दिनांक 8 जुलाई, 2009 में संशोधन किया गया है ;

24- अधिसूचना संख्या : एफ.12(42)वित्त/कर/10-18 दिनांक 7.6.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(63)वित्त/कर/2005-27 दिनांक 28.4.2006 में संशोधन किया गया है ;

25- अधिसूचना संख्या : एफ.12(42)वित्त/कर/10-19 दिनांक 7.6.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)वित्त/कर/2008-पार्ट-54 दिनांक 27.8.2008 में संशोधन किया गया है ;

26- अधिसूचना संख्या : एफ.12(42)वित्त/कर/10-20 दिनांक 7.6.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(84)वित्त/कर/2009-45 दिनांक 30 जुलाई, 2009 में संशोधन किया गया है ;

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

27- अधिसूचना संख्या : एफ.12(42)वित्त/कर/10-21 दिनांक 7.6.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(33)वित्त/कर/08-80 दिनांक 10.11.2008 में संशोधन किया गया है ;

28- अधिसूचना संख्या : एफ.12(142)वित्त/कर/09-22 दिनांक 9.6.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(63)वित्त/कर/2005-70 दिनांक 11.7.2006 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में संशोधन किया गया है ;

29- अधिसूचना संख्या : एफ.2(17)वित्त/कर/10-23 दिनांक 22.6.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(28)वित्त/कर/2007-156 दिनांक 9 मार्च, 2007 में संशोधन किया गया है ;

30- अधिसूचना संख्या : एफ.12(43)वित्त/कर/05-पार्ट-24 दिनांक 29.6.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(43)वित्त/कर/05-36 दिनांक 24.8.2007 में संशोधन किया गया है ;

31- अधिसूचना संख्या : एफ.12(43)वित्त/कर/05-पार्ट-25 दिनांक 29.6.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(43)वित्त/कर/05-39 दिनांक 24.8.2007 में संशोधन किया गया है ;

32- अधिसूचना संख्या : एफ.12(43)वित्त/कर/05-पार्ट-26 दिनांक 29.6.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(43)वित्त/कर/05-40 दिनांक 24.8.2007 को अतिष्ठित किया गया है ;

33- अधिसूचना संख्या : एफ.12(43)वित्त/कर/05-पार्ट-27 दिनांक 29.6.2010 जिसके द्वारा सेज के अध्यधीन इकाइयों को निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क में छूट प्रदान की गई है ;

34- अधिसूचना संख्या : एफ.12(86)वित्त/कर/09-28 दिनांक 30.6.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(86)वित्त/कर/09-76 दिनांक 27.1.2010 में संशोधन किया गया है ;

35- अधिसूचना संख्या : एफ.12(72)वित्त/कर/10-29 दिनांक 30.6.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है ;

36- अधिसूचना संख्या : एफ.4(24)वित्त/कर/90-पार्ट-30 दिनांक 5.7.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(63)वित्त/कर/2005-81

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

दिनांक 11.8.2006 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में संशोधन किया गया है ;

37- अधिसूचना संख्या : एफ.11(1)वित्त/कर/2004-31 दिनांक 7.7.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)वित्त/कर-अनु/2000-21 दिनांक 28.6.2004 में संशोधन किया गया है ;

38- अधिसूचना संख्या : एफ.2(19)वित्त/कर/07-32 दिनांक 7.7.2010 जिसके द्वारा जयपुर की सहकारी गृह निर्माण समितियों की ऐसी आवासीय योजनायें, जिनमें जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमन कैम्प आयोजित नहीं किया गया है, ऐसी आवासीय योजनाओं के नियमन कैम्प दिनांक 1.1.2010 से 31.3.2010 तक आयोजित करने पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है ;

39- अधिसूचना संख्या : एफ.4(16)वित्त/कर/2003-33 दिनांक 7.7.2010 जिसके द्वारा मैसर्स सिमको बिडला लिमिटेड, भरतपुर द्वारा देय रेलवे वैगन/लोकोमोटिब्ज/कोचेज के अन्तर्राज्यीय बिक्री के सम्बन्ध में फार्म ''सी'' की उपलब्धता पर कर की दर 1 प्रतिशत की गई है ;

40- अधिसूचना संख्या : एफ.4(16)वित्त/कर/2003-34 दिनांक 8.7.2010 जिसके द्वारा मैसर्स सिमको बिडला लिमिटेड, भरतपुर को देय किश्तों पर बकाया देय कर पर छूट प्रदान की गई है ;

41- अधिसूचना संख्या : एफ.12(18)वित्त/कर/08-35 दिनांक 15.7.2010 जिसके द्वारा राजस्थान इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन स्कीम, 2003 के अन्तर्गत जापानी जोन में स्थापित इकाइयों पर सी.एस.टी. की दर 2 प्रतिशत से घटाकर 0.25 प्रतिशत की गई हैं ;

42- अधिसूचना संख्या : एफ.12(111)वित्त/कर/09-36 दिनांक 15.7.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है ;

43- अधिसूचना संख्या : एफ.4(38)वित्त/कर/2000-पार्ट-37 दिनांक 15.7.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(84)वित्त/कर/2009-20 दिनांक 8.7.2009 में संशोधन किया गया है ;

44- अधिसूचना संख्या : एफ.2(15)वित्त/कर/2010-38 दिनांक 20.7.2010 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. द्वारा वर्ष

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

2010-2011 में रुपये 350.00 करोड़ के परिवर्तनीय बाण्ड जारी करने पर इन अपरिवर्तनीय बाण्ड पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क कम कर 0.25 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जाएगा ;

45- अधिसूचना संख्या : एफ.24(3)वित्त/कर/09-39 दिनांक 20.7.2010 जिसके द्वारा सैटलमेन्ट स्कीम फार सिनेमा, 2010 जारी की गई है ;

46- अधिसूचना संख्या : एफ.12(34)वित्त/कर/2010-40 दिनांक 21.7.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है ;

47- अधिसूचना संख्या : एफ.12(34)वित्त/कर/10-41 दिनांक 21.7.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(34)वित्त/कर/10-12 दिनांक 7.5.2010 में संशोधन किया गया है ;

48- अधिसूचना संख्या : एफ.12(154)वित्त/कर/09-42 दिनांक 22.7.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है ;

49- अधिसूचना संख्या : एफ.12(70)वित्त/कर/2010-43 दिनांक 28.7.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(22)वित्त/कर/2010-80 दिनांक 9 मार्च, 2010 में शुद्धि-पथ जारी किया गया है ;

50- अधिसूचना संख्या : एफ.12(52)वित्त/कर/09-44 दिनांक 28.7.2010 जिसके द्वारा परिपत्र संख्या : प.12(52)वित्त/कर/09 दिनांक 26.11.2009 जारी कर संविदा आधार पर कर संग्रहण नीति-2009 में संशोधन किया गया है ;

51- अधिसूचना संख्या : एफ.2(46)वित्त/कर/10-45 दिनांक 28.7.2010 जिसके द्वारा फलेट्स के हस्तान्तरण दस्तावेजों पर मुद्रांक शुल्क में दी गई रियायत के सम्बन्ध में पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या : एफ.4 (67)वित्त/कर/2004-59 दिनांक 12.7.2004 को विड्रा किया गया है ;

52- अधिसूचना संख्या : एफ.10(47)वित्त/कर/93-46 दिनांक 3.8.2010 जिसके द्वारा डीएनए को गोलछा सिनेमा, जयपुर में दिखाई जाने वाली कतिपय बाल फिल्मों को मनोरंजन कर से मुक्त किया गया है ;

53- अधिसूचना संख्या : एफ.12(96)वित्त/कर/2010-47 दिनांक 5.8.2010

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है ;

54- अधिसूचना संख्या : एफ.12(96)वित्त/कर/10-48 दिनांक 5.8.2010 जिसके द्वारा मैसर्स प्रिमियर ब्रान्ड्स प्राइवेट लि., जो कि कोमनवेल्थ गेम्स, दिल्ली, 2010 का लाइसेंसी है, को राज्य में खेल सामग्री के विक्रय पर दिनांक 31.10.2010 तक वैट में छूट प्रदान की गई है ;

55- अधिसूचना संख्या : एफ.12(118)वित्त/कर/2009-49 दिनांक 5.8.2010 जिसके द्वारा एसएलसी द्वारा अनुमोदन पश्चात् कतिपय एग्रो प्रोसेसिंग इकाइयों को उनके निर्माण, उत्पादन व माल के प्रोसेसिंग पर उपभोग में ली गई बिजली पर विद्युत शुल्क में सशर्त छूट प्रदान की गई है ;

56- अधिसूचना संख्या : एफ.12(118)वित्त/कर/2009-50 दिनांक 5.8.2010 जिसके द्वारा एसएलसी द्वारा अनुमोदन पश्चात् कतिपय एग्रो प्रोसेसिंग इकाइयों को स्थापित करने के लिये लीज पर क्रय की गई भूमि के विलेख पर देय स्टाम्प ड्यूटी में सशर्त छूट प्रदान की गई है ;

57- अधिसूचना संख्या : एफ.12(118)वित्त/कर/09-51 दिनांक 5.8.2010 जिसके द्वारा राजस्थान इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन स्कीम, 2003 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ;

58- अधिसूचना संख्या : एफ.24(1)वित्त/कर/10-52 दिनांक 9.8.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.10(6)वित्त/कर-अनु/99-168 दिनांक 26.3.1999 को अतिष्ठित किया गया है ;

59- अधिसूचना संख्या : एफ.12(18)वित्त/कर/8-53 दिनांक 17.8.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(18)वित्त/कर/2008-35 दिनांक 15.7.2010 जापान एक्सट्रनल ट्रेड आर्गनाइजेशन की इकाइयों के संबंध में स्पष्टीकरण किया गया है ;

60- अधिसूचना संख्या : एफ.2(34)वित्त/कर/2010-54 दिनांक 18.8.2010 जिसके द्वारा बीमार औद्योगिक इकाइयों के प्रथम हस्तान्तरण के दस्तावेज पर सशर्त छूट प्रदान की गई है ;

61- अधिसूचना संख्या : एफ.12(16)वित्त/कर/10-55 दिनांक 19.8.2010 जिसके द्वारा मैसर्स होन्डा मोटरसाइकिल एण्ड स्कूटर्स इंडिया प्रा. लि. टपूकड़ा (अलवर) द्वारा राज्य में उनके द्वारा निर्मित दो पहिया वाहन

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

स्पेयर पार्टस व उनके कम्पोनेन्ट्स को अन्तर्राज्यीय बिक्री व वाणिज्य की दशा में सी फार्म में घोषणा देने पर केन्द्रीय विक्रय कर 0.05 प्रतिशत की दर से चार्ज किया जाएगा ;

62- अधिसूचना संख्या : एफ.12(16)वित्त/कर/10-56 दिनांक 19.8.2010 जिसके द्वारा मैसर्स होन्डा मोटरसाइकिल एण्ड स्कूटर्स इंडिया प्रा. लि. टपूकड़ा (अलवर) द्वारा राज्य में उनके द्वारा निर्मित दो पहिया वाहनों के उत्पादन में उपभोग की गई बिजली पर एमओयू में निर्धारित तिथि से 14 वर्ष की अवधि के लिये विद्युत शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है ;

63- अधिसूचना संख्या : एफ.12(47)वित्त/कर/10-57 दिनांक 19.8.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है ;

64- अधिसूचना संख्या : एफ.2(47)वित्त/कर/10-58 दिनांक 19.8.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.2(26)वित्त/कर/98-पार्ट-103 दिनांक 27.9.2004 (समय-समय पर यथा-संशोधित) को विड्रा किया गया है ;

65- अधिसूचना संख्या : एफ.2(17)वित्त/कर/2010-59 दिनांक 19.8.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(28)वित्त/कर/2007-156 दिनांक 9 मार्च, 2007 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में संशोधन किया गया है ;

66- अधिसूचना संख्या : एफ.2(36)वित्त/कर/10-60 दिनांक 19.8.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.2(26)वित्त/कर/98-45 दिनांक 22.5.2003 को अधिक्रमित किया गया है ;

67- अधिसूचना संख्या : एफ.5(21)वित्त/कर/10-61 दिनांक 19.8.2010 जिसके द्वारा जन्म प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिये निष्पादित शपथ-पत्रों पर प्रभारित स्टाम्प शुल्क का परिहार किया गया है ;

68- अधिसूचना संख्या : एफ.12(28)वित्त/कर/2010-62 दिनांक 25.8.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है ;

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

69- अधिसूचना संख्या : एफ.12(28)वित्त/कर/2010-63 दिनांक 25.8.2010 जिसके द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2010 जारी की गई है ;

70- अधिसूचना संख्या : एफ.12(28)वित्त/कर-अनु/10-64 दिनांक 25.8.2010 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा-3(3) में अधिसूचना जारी कर राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2010 में पात्र इकाइयों को 7 वर्ष के लिये एवं एमएसएमई की दशा में 10 वर्ष के लिये विद्युत शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है ;

71- अधिसूचना संख्या : एफ.12(28)वित्त/कर-अनु/2010-65 दिनांक 25.8.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मनोरंजन एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 की धारा-7(2) में अधिसूचना जारी कर राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2010 में पात्र इकाइयों को 7 वर्ष के लिये एवं एमएसएमई की दशा में 10 वर्ष के लिये मनोरंजन कर में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है ;

72- अधिसूचना संख्या : एफ.12(28)वित्त/कर-अनु/2010-66 दिनांक 25.8.2010 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9(1) के तहत अधिसूचना जारी कर राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2010 के तहत स्थापित होने वाली इकाइयों के क्रय या लीज पर ली गई भूमि में 50 प्रतिशत की स्टाम्प ड्यूटी से छूट प्रदान की गई है ;

73- अधिसूचना संख्या : एफ.12(28)वित्त/कर-अनु/2010-67 दिनांक 25.8.2010 जिसके द्वारा राजस्थान वित्त अधिनियम, 2006 की धारा-53 के तहत अधिसूचना जारी कर राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2010 में पात्र इकाइयों को 7 वर्ष के लिये भूमि कर में छूट प्रदान की गई है ;

74- अधिसूचना संख्या : एफ.12(28)वित्त/कर-अनु/2010-68 दिनांक 25.8.2010 जिसके द्वारा विलासों पर (होटल एवं लोजिंग हाऊस) कर अधिनियम, 1990 की धारा-7(1) में अधिसूचना जारी कर राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2010 में पात्र इकाइयों को 7 वर्ष के लिये तथा एमएसएमई की दशा में 10 वर्ष के लिये संदेय कर में छूट प्रदान की गई है ; एवं

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

75- अधिसूचना संख्या : एफ.2(44)वित्त/कर/10-69 दिनांक 26.8.2010 जिसके द्वारा आथोराइज्ड शेयर केपिटल बढ़ाने पर कम्पनी के आर्टिकल आफ एसोसियेशन में संशोधन के दस्तावेज पर देय 25 लाख रुपये से अधिक की स्टाम्प ड्यूटी का परिहार किया गया हैं।

(II) कार्मिक विभाग

सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार कार्मिक विभाग के आदेश संख्या : एफ.7(8) डीओपी/ए-2/2008 दिनांक 06 मई, 2010 जिसके द्वारा विशेष पिछड़ा वर्ग को राज्य सेवाओं में भर्ती एवं प्रवेश के लिये 01 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

(III) उपनिवेशन विभाग

श्री सभापति: श्री हेमाराम चौधरी।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित चार अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

1- अधिसूचना संख्या : एफ.4(11)उप/96 दिनांक 23 अप्रैल, 2010, जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य कालोनी) शर्तें, 1955 में संशोधन किया गया है ;

2- अधिसूचना संख्या : एफ.4(2)उप/2010 दिनांक 13.5.2010, जिसके द्वारा उपनिवेशन क्षेत्र में अनुपयुक्त सरकारी कृषि भूमियों का विद्यालय, महाविद्यालय, डिस्पेंसरी, धर्मशाला और लोक उपयोगिता के अन्य भवनों के सन्निर्माण के लिये भूमि आबंटन हेतु राजस्व नियमों को अंगीकृत किया गया है ;

3- अधिसूचना संख्या : एफ.4(5)उप/2010 दिनांक 21.5.2010, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित शक्ति संयंत्रों की स्थापना के लिये भूमि का आबंटन) नियम, 2007 को उपनिवेशन क्षेत्रों में लागू किया गया है ; एवं

4- अधिसूचना संख्या : एफ.4(4)उप/2010 दिनांक 9.8.2010, जिसके द्वारा नायब तहसीलदारों को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा-22 की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं।

(श्री हेमाराम चौधरी)

(IV) राजस्व विभाग

सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजस्व विभाग की निम्नांकित छह अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

1- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)राज-6/06-पार्ट/6 दिनांक 26.3.2010 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है ;

2- अधिसूचना संख्या : एफ.6(6)राज-6/92-पार्ट/7 दिनांक 1.4.2010 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है ;

3- अधिसूचना संख्या : एफ.6(7)राज/ग्रुप-6/91-पार्ट/10 दिनांक 23.4.2010 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (रंगाई, छपाई, विरजन एवं धुलाई उद्योगों के लिये भूमि का संपरिवर्तन एवं नियमितिकरण एवं कुओं का उपयोग) नियम, 1991 में संशोधन किया गया है ;

4- अधिसूचना संख्या : एफ.6(6)राज-6/92-पार्ट/12 दिनांक 3.5.2010 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है ;

5- अधिसूचना संख्या : एफ.9(31)राज-6/2006/18 दिनांक 4.6.2010 जिसके द्वारा राजस्थान गेलेन्टरी अवार्ड (नकद पुरस्कार और भूमि अनुदान) नियम, 1966 में संशोधन किया गया है ;

6- अधिसूचना संख्या : एफ.6(54)राज-6/2001-पार्ट/19 दिनांक 4.6.2010 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि का आबंटन) नियम, 1959 में संशोधन किया गया है ।

(V) आबकारी विभाग

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार आबकारी विभाग की निम्नांकित तीन अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

1- अधिसूचना संख्या : एफ.4(9)वित्त/आब/10 दिनांक 01.04.2010 (3/2010) जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की

(श्री राजेन्द्र पारीक)

धारा-71(2) के अन्तर्गत राज्य में शोधित प्रासव एवं ई.एन.ए. के उत्पादकों को राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम-69(बी) के अनुसार निर्यात हेतु देय परमिट फीस में 90 प्रतिशत की राशि की छूट वर्ष 2010-11 के दौरान उत्पादित उस मात्रा पर प्रदान की गई है, जो उनके द्वारा वर्ष 2009-10 में उत्पादित मात्रा की 120 प्रतिशत से अधिक होगी ;

2- अधिसूचना संख्या : एफ.4(9)वित्त/आब/10 दिनांक 01.04.2010 (4/2010) जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी (तृतीय संशोधन) नियम, 2010 जारी कर नियम-67-ए उपस्थापित किया गया है, जिसके द्वारा शहरी क्षेत्र को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में देशी मदिरा के अनुज्ञाधारियों को निर्धारित कम्पोजिट राशि जमा कराने पर भा.नि.वि. मदिरा/बीयर बेचने की अनुमति दिये जाने की व्यवस्था की गई है साथ ही नियम-69-बी में संशोधन कर शोधित प्रासव/ई.एन.ए. राज्य में लाने हेतु परमिट फीस 7.00 रुपये प्रति ब.ली. के स्थान पर 3.00 रुपये प्रति ब.ली. निर्धारित की गई है ; एवं

3- अधिसूचना संख्या : एफ.4(8)वित्त/आब/2008 दिनांक 24.05.2010 (5/2010) जिसके द्वारा राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल द्वारा उत्पादित हैरिटेज मदिरा पर देय आबकारी शुल्क में 50 प्रतिशत राशि की माफी दी गई है ।

(VI) पंचायती राज विभाग

श्री सभापति: श्री भरत सिंह।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार पंचायत विभाग की अधिसूचना संख्या : एफ.4(3) एएम/रूल/लीगल/पीआर/2010/1095 दिनांक 21.6.2010 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

(VII) परिवहन विभाग

श्री सभापति: श्री बृज किशोर शर्मा। (अनुपस्थित)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह क्या है? सदन शून्य रहेगा क्या?

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अनुमति ली है क्या?

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हां, मैंने अनुमति ली है। आसन से अनुमति ली गयी है।

श्री सभापति: हां, दे दी है।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार परिवहन विभाग की निम्नांकित दस अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

1- अधिसूचना संख्या : एफ.6(121)परि/कर/मु/04 दिनांक 9.4.2010 जिसके द्वारा सुकृत सेवा समिति के अधीन संचालित लोकमित्र थैलीसीमिया फाउण्डेशन आफ राजस्थान के वाहन, चैसिस नम्बर-92के21625 को सशर्त कर मुक्त किया गया है ;

2- अधिसूचना संख्या : एफ.6(145)परि/कर/मु/10 दिनांक 18.5.2010 जिसके द्वारा आर्ष विद्या तीर्थ, जयपुर के वाहन (स्कूल बस) चैसिस नम्बर-एमसी-217केआरटीओएबी-195644 को सशर्त कर मुक्त किया गया है ;

3- अधिसूचना संख्या : एफ.6(138)परि/कर/मु/2004 दिनांक 25.5.2010 जिसके द्वारा श्री कल्याण आरोग्य सदन, सीकर के वाहन चैसिस नम्बर-83एच61877 को सशर्त कर मुक्त किया गया है ;

4- अधिसूचना संख्या : एफ.6(96)परि/कर/मु/उर्स दिनांक 2.6.2010 जिसके द्वारा दिनांक 10.6.2010 से 23.6.2010 की अवधि में अन्य राज्यों से अजमेर आने/जाने वाले यात्री वाहनों के लिये रुपये 3500/- से अधिक के कर का परिहार किया गया है ;

5- अधिसूचना संख्या : एफ.6(77)परि/कर/मु/04 दिनांक 2.6.2010 जिसके द्वारा नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर के वाहन, जिसका पंजीयन क्रमांक-आरजे04पी0039 है, को सशर्त कर मुक्त किया गया है ;

6- अधिसूचना संख्या : एफ.6(69)परि/कर/मु/87 दिनांक 21.6.2010 जिसके द्वारा अजमेर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लि. के 30 वाहनों को क्रय तिथि से पंजीयन तिथि तक की अवधि के लिये कर मुक्त किया गया है ;

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

7- अधिसूचना संख्या : एफ.6(229)परि/कर/मु/04 दिनांक 23.8.2010 जिसके द्वारा भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान केन्द्र, जयपुर के वाहन संख्या-आरजे-14-पी-7500 को सशर्त कर मुक्त किया गया है ;

8- अधिसूचना संख्या : एफ.6(123)परि/कर/मु/05 दिनांक 23.8.2010 जिसके द्वारा क्यूआरजी फाउण्डेशन, अलवर के नाम 03 वाहनों को मिड-डे मील वितरण कार्य हेतु कर मुक्त किया गया है ;

9- अधिसूचना संख्या : एफ.6(62)परि/कर/मु/08 दिनांक 23.8.2010 जिसके द्वारा इंडिया इंस्टीट्यूट आफ डेटा इन्टरप्रिटेशन एण्ड एनालिसिस (आई इंडिया) संस्थान के वाहन संख्या-आरजे-14-1पी-349 को सशर्त कर मुक्त किया गया है ; एवं

10- अधिसूचना संख्या : एफ.7(229)परि/रूल्स/एचक्यू/2003/71177 दिनांक 25.8.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 को संशोधित किया गया है।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री सभापति: वार्षिक प्रतिवेदन। श्री शांति कुमारजी धारीवाल।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, (सिविल स्थानीय निकाय) वर्ष 2005-06

(1) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, (सिविल स्थानीय निकाय) वर्ष 2005-06,

राजस्थान सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-09

(2) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25(4) के अन्तर्गत राजस्थान सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-09, एवं,

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-09

(3) मानव अधिकार अधिनियम, 1993 की धारा 28(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-09

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि महालेखाकार की, पंचायत राज और नगरपालिकाओं की जो रिपोर्ट पिछले साल और इस बार पेश हुई है, इसके पीछे मंशा यह थी कि इस हाउस की कोई न कोई कमेटी, महालेखाकार की इस रिपोर्ट के ऊपर एनालाइसिस करे लेकिन अभी तक कानून में कोई संशोधन नहीं किया। महालेखाकार ने जो इतना परिश्रम किया इतने सालों की मांग के बाद, इन दोनों ही स्वायत्त संस्थाओं का आडिट प्रारम्भ हुआ। उनकी रिपोर्ट भी हाउस में ले हो गयी लेकिन उसका तीन महीने और छह महीने के बाद किसी को परीक्षण करना है। परीक्षण करने वाली आथोरिटी कौन है राजस्थान की विधान सभा में जो इन रिपोर्टों का परीक्षण करेगी क्योंकि दोनों तरफ से लेकुना है। पंचायत विभाग की तरफ से उनके एक्ट में डाला नहीं, उसमें संशोधन नहीं किया, जिस प्रक्रिया के लिए हमने पूरी कमेटी के सामने बुलाकर इसको अधिकृत किया कि इसमें अमेंडमेंट करिए। इनका अमेडमेंट नहीं हुआ और इनके अमेडमेंट के बाद, फिर अपने सदन की जो नियम समिति है, उसमें से कौनसी नयी कमेटी का गठन होगा, कैसी कमेटी होगी, उसके बाद क्या होगा, यह हुआ ही नहीं है और इसके परपज, जो आपका है, ए जी ने अपना काम कर दिया लेकिन इस रिपोर्ट का क्या होगा? क्या यह दफ्तर दाखिल होकर पड़ी रहेगी? जिस परपज से हमने इस काम को शुरू किया था इतने वर्षो के प्रयास के बाद, उसका परिणाम नहीं निकला और इसलिए इसमें पंचायत राज मंत्रीजी, क्योंकि यह आपका और लोकल बाडीज का जब तक आप एक्ट में संशोधन नहीं करेंगे तब तक इस ए जी की रिपोर्ट का किसी प्रकार से परीक्षण होगा, कौन परीक्षण की आथोरिटी होगी? उसके लिए फिर विधान सभा की कमेटी के द्वारा नयी कमेटी का गठन होगा? वह कब परीक्षण करेगी या किसी और कमेटी के पास जाएगा? तब जाकर इसका उपयोग है। नहीं तो उनकी मेहनत का और फिर यहां आ जाने के बाद भी इस पर कार्यवाही कुछ भी नहीं होगी। यह सब प्रयास व्यर्थ चला जाएगा।

श्री सभापति: डा. जितेन्द्र सिंह।

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का अष्टम वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2007-08

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए के अन्तर्गत अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अष्टम वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे, वर्ष 2007-08 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: श्री रामलाल जाट।

राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड का 62वां वार्षिक प्रतिवेदन

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड का 62वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2008-2009 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, इस बारे में भी मेरी आसन से प्रार्थना है कि बहुत वर्षो के प्रयत्नों के बाद दोनों लोकल बाडीज की आडिट प्रारम्भ हुई। पिछले साल भी उन्होंने एक रिपोर्ट रखी और इस बार दूसरी रखी लेकिन उस रिपोर्ट पर आगे की कार्यवाही कौन करेगा, इसके लिए कोई अधिकृत ही नहीं है। इस रिपोर्ट का आगे क्या होगा, इस बारे में आपने कोई विचार ही नहीं किया है और केवल यूं ही पेश कर दिया तो मैं सोचता हूं कि हाउस की मंशा को पूरा नहीं किया है। तो आप कम से कम यह तो रि-एक्ट करो कि आखिर आपने ए जी की आडिट हो गयी और उसने दो रिपोर्ट रख दी। एक पिछले साल रखी और एक इस बार रखी और उस आडिट रिपोर्ट पर कौन कार्यवाही करेगा, कौन परीक्षण करेगा, कौनसी कमेटी के पास जाएगा और इसका क्या परिणाम निकलेगा? इसके बारे में कोई निर्णय नहीं कर पाये। आसन से मेरी प्रार्थना है। निश्चित रूप से जो भी यहां अधिकृत मंत्री बैठे हैं, वह कम से कम इस बारे में बतायें। क्या वह अमेंडमेंट कर रहे हैं, कब करेंगे, कितना समय संशोधन में लगेगा, कब नयी कमेटी का गठन होगा और नयी कमेटी परीक्षण करेगी?

व्यवस्था का प्रश्न

कार्य सलाहकार समिति की रिपोर्ट सदन से स्वीकृति से पूर्व ही उसमें अंकित विधेयकों पर संशोधन का प्रस्ताव

श्री सभापति: श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के 11वें प्रतिवेदन का ..(व्यवधान)

सचेतक महोदय एक मिनट।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): संशोधन तो बाद में आयेगा, पहले मैंने तकनीकी व्यवस्था का एक प्रश्न उठाया है, मैंने जो बात रखी, यह पहले कैसे आयेगा? पहले उसका फैसला तो करो। आपने निकाल दिया कि इसमें

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

संशोधन दो। संशोधन आये नहीं हैं, पारित नहीं हुआ है उसके पहले आपने कैसे निकाल दिया, इसका तो फैसला करो, बापजी। उसके बाद में तो आयेगा। हम तो इतने वर्षों से, आप इसका तो फैसला करो पहले।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): वह बिल तो माननीय सदस्यों के पेंशन और भत्तों का है। बाकी विधेयकों पर यह लागू नहीं होता है। उस कानून में और इस कानून में रिलेक्सेशन होना बहुत बड़ी बात है। उसमें तो केवल 200 माननीय सदस्यों का ही होता है, इसलिये वे सभी सदस्य ज्ञात समझे जायें। लेकिन ये बिल जो हैं, यह राजस्थान की जनता के लिये आ रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, मैंने यह संशोधन दिया है। यह नियम 215 के अन्तर्गत, आप इसको पढ़ लीजिए, इसमें लिखा है – 'सदन में प्रतिवेदन के उपस्थापित कर दिये जाने के पश्चात् किसी समय पर यह प्रस्ताव किया जा सकेगा कि सदन प्रतिवेदन को स्वीकार करता है या संशोधनों के साथ स्वीकार करता है या अस्वीकार करता है'

'परन्तु यह संशोधन प्रस्तुत किया जा सकेगा कि प्रतिवेदन या तो बिना परिसीमा के या किसी विशेष विषयों के सम्बन्ध में समिति को वापस सौंपा जावे', मैंने समिति को वापस सौंपने के लिए कहा है। एक।

दूसरी बात यह है कि इसके अन्तर्गत ही किया है मैंने। दूसरा इसके पहले, प्रतिवेदन रखने से पहले मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न आपके सामने उठाया है। वो व्यवस्था का प्रश्न मैंने उठाया है कि हमको यह आपने दो पत्र भेजे, एक पत्र भेजा आपने 'नितान्त गोपनीय', इसको मैं प्रकट नहीं करना चाहता, उसमें आपने लिखा कि कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किया जायेगा, एक। सदन में प्रस्तुत किया जायेगा तो उसके तीन अर्थ होंगे, या तो वो पारित होगा या वो संशोधित होगा या उसको वापस भेजा जायेगा।

अब जब तक यह पारित नहीं हो, जब तक यह संशोधित नहीं हो, जब तक वापस भेजने पर निर्णय नहीं हो तब तक आप यह दूसरा आदेश कैसे निकाल सकते हैं कि इन पर आप सुबह दस बजे तक संशोधन दे दो? अब दस बजे पहले जो हमने संशोधन दे दिये वो संशोधन आपने स्वीकार, अस्वीकार किये, वितरित किये, उसकी सूचना भी नहीं है।

तो आप यह कैसे करोगे? और आप ऐसे करोगे तो हम इसको करने नहीं देंगे क्योंकि इतिहास के उन क्षणों में हम नाम नहीं लिखायेंगे जहां पर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

आप कहोगे कि सारी कार्य सलाहकार समिति को, कांस्टीट्यूशन को, नियमों को, पत्रावलियों को सब को गायब करके यहां पर जो आसन पर बैठे हैं उन्होंने एक वाक्य कह दिया, उस वाक्य के साथ सरकार पारित करेगी तो कर देगी, बहुमत है तो लेकिन उसमें पाप के भागीदार हम नहीं बनेंगे, इसलिए हम उसका विरोध भी करेंगे।

इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बात है, मैंने गम्भीरतापूर्वक इस बात को उठाया है, इसका तर्कश:, तर्क के साथ, व्यवस्था के साथ आप व्यवस्था कर दीजिए। आप खुद समझदार हैं, एक प्रस्ताव पास ही नहीं हुआ है उसके पहले उसमें सरकार ने, आपने संशोधन मांग लिये और उसमें आलरेडी संशोधन प्रस्ताव मौजूद है। आज अभी तक कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन स्वीकार नहीं है और स्वीकार होने के बाद में हम उसमें संशोधन देंगे, प्रस्ताव स्वीकार करने के पहले कैसे संशोधन दे देंगे? और फिर भी हमने दे दिये, वो दे दिये वो वितरित ही नहीं हैं। और प्रतिवेदन आयेगा उसमें मेरा संशोधन मौजूद है।

इसलिए आप इस बात पर ठण्डे दिमाग से, बिना जल्दबाजी में आप इसकी व्यवस्था, निर्णय कर दें, सभापति महोदय, अकारण ही पिछली बार जैसे आपने गणना में, मतदान की मांग करना हमारा कर्तव्य था, अधिकार था, मतदान नहीं कराया और बहुत आर्टिकल आये उस पर। विधान सभाओं का यह स्वरूप जो बिगड़ रहा है न वो बिलकुल ठीक नहीं है।

इसलिए मैं आपसे पुन: आग्रह करना चाहता हूं कि इस पर आप अपनी व्यवस्था दें। आप इसी व्यवस्था को स्वीकार कर लें लेकिन इतिहास के पन्नों में यह आ जाना चाहिए कि सभापति, श्री सुरेन्द्र सिंहजी जाड़ावत ने एक ऐसी व्यवस्था दी जिसके कारण से सारे सदस्यों के अधिकार हमेशा के लिए समाप्त हो गये। यह ला दो आप या इस पर जो कानून प्रक्रिया है वो कानून प्रक्रिया करो आप। यह मेरा आपसे कहना है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, माननीय उप नेता, प्रतिपक्ष ने जो विषय यहां पर रखा और सभापति महोदय का नाम इस व्यवस्था के साथ में दर्ज हो, यह बात भी आपने फर्मायी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, दर्ज होना चाहिए।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): मैं इतिहास की बात पर आना चाहूंगा क्योंकि हम भविष्य में भी जब बात करेंगे तो यही इतिहास होगा। मैं

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

याद करना चाहूंगा पुराना, जब इसी प्रकार का एक विषय इस सदन के सामने आया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वो ही है ...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): परम्पराओं के अनुसार कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। श्री दामोदर लाल व्यास के इस प्रस्ताव पर कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 15वें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने संशोधन प्रस्तुत किया कि प्रतिवेदन कार्य सलाहकार समिति को पुनर्विचार हेतु वापस भेजा जाए।

इस सम्बन्ध में वाद-विवाद के पश्चात् माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जहां तक परम्परा का प्रश्न है, यह निश्चय है कि ना तो संसद में कभी ऐसा अमेंडमेंट बिजनस एडवाइजरी कमेटी के प्रस्ताव पर आया और ना पार्लियामंट्री परम्पराएं हैं, यह अच्छी परम्परा नहीं होगी कि यह संशोधन इसमें रहे, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे उसको वापस ले लें। यह पूर्व की व्यवस्था है, और भी ऐसी कई व्यवस्थाएं समय-समय पर दी हैं, माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उन परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए, इन नियमों को ध्यान में रखते हुए सभापति महोदय इस पर अपना फैसला दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं, इसमें आपको दूसरी व्यवस्था भी बता देता हूं। माननीय श्री पूनमचंदजी विश्नोई अध्यक्ष के पद पर थे और कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन आया था और कार्य सलाहकार समिति में तत्कालीन सदस्य घनश्याम तिवाड़ी ने एक संशोधन पेश किया था। उस संशोधन पर श्री पूनमचंदजी विश्नोई ने इसको पलटते हुए निर्णय दिया था कि नियम 215 के अन्तर्गत कोई भी माननीय सदस्य, यद्यपि यह परम्पराएं नहीं हैं लेकिन नियम 215 के अन्तर्गत कोई भी माननीय सदस्य कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन में संशोधन प्रस्तुत कर सकता है, उस पर बहस हो सकती है और उस पर मतदान हो सकता है। यह माननीय पूनमचंदजी विश्नोई ने जो निर्णय दिया था वो इस निर्णय के पश्चात् का निर्णय है इसलिए जो अंतिम निर्णय होता है, कानून के हिसाब से वो लागू होता है, बेनीवाल साहब, इसलिए वो लागू है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): और आज जाड़ावत साहब का हो जायेगा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य कार्य सलाहकार समिति के सदस्य हों और उसकी मीटिंग में वो शामिल रहे हों, चाहे बाद में उन्होंने वाक आऊट कर दिया हो, क्या उनको यह अधिकार है कि उस कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदनों पर वो स्वयं संशोधन दे सकते हैं?

आपने जो अभी यह बताया है, उस वक्त आप कार्य सलाहकार समिति के सदस्य नहीं थे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अब सुनाता हूं, हां, आप विराजो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप नहीं थे, आपको, कार्य सलाहकार समिति के कोई भी सदस्य को यह अधिकार नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं है ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): कि वो वहां के प्रतिवेदन पर यहां पर संशोधन प्रस्तुत कर दे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह बिलकुल आपने अच्छी बात कही। जो इसके निर्णय में शामिल थे, निर्णय करने से पहले हमने बहिष्कार कर दिया था समिति का और हमने यह कह दिया था ...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): नहीं, यह अच्छी परम्परा भी नहीं होती।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह अच्छी परम्परा है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप उसमें समिति के सदस्य हैं और वहां बहिष्कार करने पर यहां संशोधन प्रस्तुत कर दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हम शामिल नहीं थे उसमें। हम शामिल नहीं थे उस निर्णय में। हम गला घोटने के निर्णय में शामिल नहीं हैं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): हम शामिल नहीं होंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यदि कोई अन्य माननीय सदस्य संशोधन देता तब तो कुछ बात समझ में भी आती लेकिन आप उसके चूंकि मैम्बर हैं और मैम्बर होने के बाद भी आप यहां पर संशोधन दे दें, यह तो कोई बात नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): रिजेक्ट करा दो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): नहीं, यह गलत परम्परा हो जायेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, जब सत्ता पक्ष ब्रुटल मैजोरिटी के आधार पर लोकतंत्र का गला घोटने लग जाए तब उस कार्य सलाहकार समिति में हमारे जैसे लोकतांत्रिक परम्पराओं में विश्वास करने वाले व्यक्ति कैसे बैठ सकते हैं? (व्यवधान) सभापति महोदय, उसका बहिर्गमन करने के बाद हमारा यह वैधानिक अधिकार है कि हम उस पर अपना संशोधन प्रस्तुत करें, सभापति महोदय, यह सरकार सदन से भागना चाहती है, इस सरकार का लोकतांत्रिक परम्पराओं में कोई विश्वास नहीं है।

इसलिए, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं यह लिखित के अन्दर आप व्यवस्था दें, वर्षों तक यह व्यवस्था रिकार्ड में रहेगी। इसलिए अच्छा यह रहेगा कि आप एक बार हाउस को एडजोर्न कर दें, उसके बाद परामर्श कर लें, वैसे तो आप विद्वान हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): न तो हम मजाक में लेना चाहते हैं, न इस सरकार को हम कोई डाक में खड़ा करना चाहते हैं। (व्यवधान) हम चाहते हैं कि एक बार आप सरकार से और हमारे से विचार-विमर्श कर लें और विचार-विमर्श कर के और यह जो हमारी परम्पराएं चली आ रही हैं उन परम्पराओं का पालन करें। आप इसको प्रेस्टीज पाइण्ट बना कर करेंगे तो हम भी प्रतिरोध करेंगे। हम चाहते हैं कि सरकार बैठ कर बातचीत करे और बातचीत करके जिस प्रकार बिलों को लेना है, चर्चा करनी है वो करें ताकि हमारे संशोधन भी इस पर आएं, उस पर बहस भी जारी हो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप तो अप्रत्यक्ष रूप से उस प्रतिवेदन को स्वीकार कर चुके हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, बिलकुल नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, बिलकुल नहीं, हम नहीं नहीं कर सकते।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अगर स्वीकार नहीं करते न ... (व्यवधान) यह इन एक्ट्स में आपने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसका अर्थ ही यही है कि आपने उस प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): संशोधन किया इसका मतलब अस्वीकार करते हैं प्रतिवेदन को। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपने संशोधन क्यों दिया? दस बजे के पहले-पहले संशोधन क्यों दिया? उसका अर्थ ही यही है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उसका अर्थ यह ही है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): उन चार विधेयकों पर जो संशोधन इन्होंने दस बजे के पहले प्रस्तुत किया उसका अर्थ ही यही होता है कि आपने उस प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, यह शायद पहली बार होगा कि कार्य सलाहकार समिति का बायकाट किया। और बायकाट किया तो उसका कारण था, आपने कहा दो दिन में हम सारा काम समाप्त करेंगे और इतने बिल पास करेंगे। हमने इनसे कहा कि यह सम्भव नहीं है और न इसको किया जा सकता है और इसके कारण से जब हम बायकाट करके आ गये, तो निश्चित रूप से आपको कार्य सलाहकार समिति की इस रिपोर्ट पर हमारी असहमति आना स्वाभाविक था और जब हमने असहमति व्यक्त कर दी तो बिना उस पर चर्चा हुए, बिना उसको तय किये हम अगला बिजनस कैसे ले सकते हैं। जो बिजनस कार्य सलाहकार की सूची के अनुमोदन के बाद आता है, आज यह चार बिल कैसे डिसकस हो सकते हैं? इस कार्य सलाहकार समिति ने इसे स्वीकार ही नहीं किया और जिसके कारण से अनुमोदन के बाद आपके बिल आयेंगे। आप अनुमोदन के साथ ही बिल को प्रारम्भ कर रहे हैं। यह कैसे सम्भव होगा, यह कभी सम्भव हुआ है आज दिन तक? कभी कोई एक ऐसा उदाहरण दिखाइये कि जब कभी भी इस प्रकार का कोई उदाहरण मिला हो, यानि आप जो दे रहे हो वह तनख्वाहों को बढ़ाने और घटाने के बारे में, सामान्यत: यही प्रक्रिया लोकसभा में भी रहती है, यहां भी रहती है क्योंकि 200 विधायकों का मामला होता है और उनकी सबकी सहमति होती है। क्या उसमें से नई बात निकलेगी। लेकिन यह सवाल इन 200 विधायकों का नहीं है, राजस्थान की छह करोड़ जनता से सम्बन्धित मामला है और छह करोड़ जनता से सम्बन्धित मामले को जब आप कर रहे हो तो हमको पूरा अधिकार है उसमें अमेंडमेंट देना, अपनी बात कहना। उस पर ठीक प्रकार से चर्चा हो, उसके लिए आवश्यक है, यह इस कार्य सलाहकार समिति की रिपोर्ट आज आप अगर यहां कर रहे हो तो कल यह चारों बिल रख करके आप डिसकस करें तब तो समझ में आ सकता है कि आपने पर्याप्त समय देकर के किया। दोनों काम एक साथ कर रहे हो, यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, गोपनीयता भंग होने का जो प्रश्न उठाया गया है, इस सदन में जो निर्वाचित होकर के

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

माननीय सदस्य आए हैं उनके द्वारा गोपनीयता भंग हो यह तो कोई प्रश्न कहीं पर भी खड़ा होने वाला प्रतीत नहीं होता है। यह तो पूर्णतया जिम्मेदारी के साथ में इस सदन में बहुत सी ऐसी बातों को लेकर के माननीय सदस्य आते रहे हैं, ऐसे परिपत्र समय-समय पर आते रहे हैं जो उनको सर्कुलेट कर दिये जाते हैं और उस पर लिखा होता है कि नितान्त गोपनीय। अगर सर्कुलेट करने पर गोपनीयता भंग हो जाती है, माननीय सदस्य के घर तक जाने पर गोपनीयता भंग हो जाती है, उनके पढ़ लेने से गोपनीयता भंग नहीं हो जाती है, यह प्रश्न यहां कहां खड़ा होता है।

जहां तक सवाल है इस बी ए सी की रिपोर्ट के ऊपर आपके संशोधन का। यह संशोधन का विषय तो माननीय सभापति महोदय, जब आएगा जब हम इस रिपोर्ट को रखेंगे। इसको रखने के बाद आप अपने संशोधन की बात भी रख दीजिए। इसको स्वीकार, अस्वीकार किये जाने की बात जब सदन के सामने आए यह उस वक्त का विषय है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय, सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): यह गोपनीयता भंग करने की बात कौन कर रहा है, यह तो आप ही कर रहे हो या राजेन्द्रजी करते हैं। इस बी ए सी की गोपनीयता भंग या ता आप करते हो या आप करते हो। अभी कोई सवाल बी ए सी की कार्यवाही की गोपनीयता भंग करने का न तो सवाल है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय कटारिया साहब ने जो ए जी की रिपोर्ट के बाबत अभी चर्चा की थी परीक्षण के बाबत तो म्युनिसिपल एक्ट में और पंचायत एक्ट में यह अमेंडमेंट होने हैं वह फाइनेंस डिपार्टमेंट में परीक्षण हो रहे हैं उसके।

श्री सभापति: सदन की बैठक आधे घण्टे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 15.24 बजे आधा घण्टे के लिए स्थगित हुई)

(समय : 15.54 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, सरकार एक बहुत बड़े संवैधानिक संकट में फंस गयी है और इस सदन के सम्मुख एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है और उस यक्ष प्रश्न पर आप श्रीमान द्वारा व्यवस्था देनी है।

सभापति महोदय, जो सवाल उप नेता महोदय ने खड़े किये हैं कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन से पहले यह पहली बात होगी इतिहास में जब सदन के अन्दर बिजनस लिस्टेड किया गया और आज 10 बजे का बिलों में, संशोधन का समय देकर आनन-फानन में सरकार ऐसे इम्पोर्टेंट बिल पारित कराना चाहती है जो संविधान के संशोधन 73वें और 74वें की मूल भावना के खिलाफ है, जो राजीव गांधी की आत्मा को कष्ट देने वाले हैं और सरकार यह नहीं चाहती कि इन सारे बिलों में सदन के माध्यम से राजस्थान के अवाम के पास यह बात जाए और विशेष तौर पर इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास यह जाए कि जिस राजीव गांधी ने संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के साथ लोकतांत्रिक परम्पराओं और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को लोकल बाडी में भेजने का काम किया था आज उन बोर्डस का सारा अधिकार यह जो प्रस्तावित संशोधन हैं, उससे यह सरकार लेने जा रही है।

इसलिये मेरा आपसे निवेदन है सभापति महोदय, कई बार ऐसा समय आता है, यह सदन आज उसी नाजुक मोड़ पर है और आप श्रीमान् के श्रीमुख से निकली हुई व्यवस्था वर्षों तक एतिहासिक दस्तावेज बनकर इस सदन के रिकार्ड में रहेगी इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप एक बार, इनको सद्‌बुद्धि ईश्वर दे, क्योंकि हठधर्मी संसदीय कार्य मंत्री, धीरे-धीरे इनमें लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति इनके मन में क्या पता क्या घृणा होती जा रही है। तानाशाह प्रवृत्ति के ये मंत्री महोदय, आप इस तरह कृत्य नहीं करें, सदन की गरिमा और मर्यादा को ईश्वर के लिये इस सदन के पुराने इतिहास के लिये बनाये रखें।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय ने जिस बात को बहुत वजनदार शब्दों में रखने का प्रयास किया है यह बात सही है आपने फरमाया है कि एक यक्ष प्रश्न आज सदन के सम्मुख खड़ा हो गया है कि सदन में जो पेपर सर्कूलेट किये गये, बार-बार जिस शब्द के ऊपर एम्फेसाइज किया गया नितान्त गोपनीय, गोपनीय, उस गोपनीयता को भंग करने का काम प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय ने भी किया...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं किया। मैंने कहा था नहीं पढ़ूंगा।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): कि आज उन्होंने इस सदन में उस विषय को रखा जिस विषय के बारे में पेपर सर्कूलेट करते हुए यह लिखा गया कि यह गोपनीय है..

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं कहा मैंने और मैं अभी दिखाता हूं उसको।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): और इसको जब तक कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन नहीं रख दिया जाए तब तक उसको नहीं रखा जाए और आपने यहां रख करके प्रेस के सामने, आफिसर्स गैलेरी के सामने उस गोपनीयता को भंग किया है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह जो गोपनीयता भंग की गयी है प्रतिपक्ष द्वारा, इस पर कोई कार्यवाही फरमायी जाए और यह कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन रखने के ऊपर जो संशोधन की बात की जा रही है इसको निरस्त किया जाए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता होती कि अगर हमारे मुख्य सचेतक महोदय मेरी बात को ठीक से सुनते। सभापति महोदय, मैंने जब बात शुरू की तो मैंने कहा था मेरे हाथ में दो कागज हैं। एक कागज में लिखा हुआ है नितान्त गोपनीय, उसकी मैं यहां पर चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन दूसरा कागज जो है जिसमें संशोधन करना है उस संशोधन वाले पत्र को मैं पढ़ रहा हूं। आप प्रोसीडिंग मंगाकर देखो। अगर प्रोसीडिंग मंगाकर देखेंगे तो आपको पता लगेगा और वह गोपनीय इसलिये नहीं है उसमें लिखा है कि नितान्त गोपनीय, वह प्रकट करने लायक नहीं था। यह गोपनीयता उसकी उसी समय खतम हो जाती है जब आपने हमसे मांगा कि इसमें 10 बजे तक आप इसमें लिखकर भेजिये तो हमने लिखकर वह भेजा। इसके हिसाब से है इसलिये उसकी गोपनीयता उतनी तरीके तक थी जब तक हम उस कागज को नहीं देते। हमने उस कागज को दे दिया। न तो जिन्दगी में हम इस प्रकार का काम करते हैं, न इस प्रकार के काम करने वालों को अलाऊ करते हैं लेकिन इस बहाने के आधार पर अगर सरकार यह चाहती है कि हम किसी न किसी प्रकार से इन बिलों को पारित करा लें तो आप मेजोरिटी के आधार पर भले ही पारित करा लें। आप बिना बहस के भले ही पारित करा लें। गला घोटकर प्रजातंत्र का अगर आप करना चाहेंगे तो हम नहीं करने देंगे आपको। यह मजाक नहीं है कि आप कर लें।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सभापति महोदय, केवल 26 दिन मीटिंग करके आप राजस्थान के 6 करोड़ लोगों का गला घोटना चाहें तो यह नहीं घोटने देंगे। कर लो पारित आप, लगा दो 6 लोगों को, जिनको लगाना है। लेकिन यह मजाक नहीं चलेगा और समय आयेगा जब कानून बनेगा और राज्य सरकारों को बाध्य करेगा। जिस प्रकार से कानून बना है वित्तीय व्यवस्था का, जिस प्रकार से मंत्रिमंडल का परिवार नियोजन करके 30 तक रखा गया, 50-50 तक बनाते थे। वह समय भी आयेगा जब इस प्रकार की मांग उठेगी कि विधान सभाओं की बैठकों को नियमित करने के लिए और पूरा समय कराने के लिए संविधान में संशोधन भी करना पड़ेगा क्योंकि इस प्रकार सरकारें आकर अगर संविधान का गला घोटेंगी और हमारी विधान सभा का गला घोटेंगी तो काम चलेगा नहीं। हम इसके लिए संघर्ष करेंगे, आपको बता देते हैं।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): सभापति महोदय, विधान सभा का बुलेटिन भाग 2, इसमें यह लिखा है आपका सर्कूलर है, इसमें लिखा है कृपया इसको कार्य सलाहकार समिति के 11वें प्रतिवेदन के सदन में उपस्थापन होने तक गोपनीय रखें।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): गोपनीय रखें।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): और ऊपर लिखा है, उपर्युक्त विधेयकों पर यदि माननीय सदस्य संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें तो मंगलवार, दिनांक 21 अगस्त, 2010 के प्रातः 10 बजे तक प्रस्तुत कर सकेंगे। यह कंट्रोवर्सियल बात हो गयी। यह क्या तरीका हुआ?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): कंट्रोवर्सियल नहीं हुआ। यह ठीक बात हुई। आपने सही उदाहरण प्रस्तुत किया ...(व्यवधान) इस विधान सभा सचिवालय को माननीय सदस्य द्वारा यदि कोई संशोधन या कोई कागज प्रस्तुत किया जाता है तो उसकी गोपनीयता भंग नहीं हो इसके ऊपर कहां प्रश्न चिन्ह लग रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हम इसके टाइप भी करवाते हैं। हम कहीं से टाइप भी करवाते हैं। कागज कोई लेकर के जाता भी है। डेस्क पर कर्मचारी बैठते हैं, गोपनीयता शब्द ...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): इस गोपनीयता को रखना आपकी जिम्मेवारी है। इस गोपनीयता को रखना आपकी जिम्मेवारी है ...(व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): हमने हमारी जिम्मेवारी पूरी की है ... (व्यवधान) आपने इसको भंग करने का प्रयत्न किया है ...(व्यवधान) जबरदस्ती करना चाह रहे हो ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, आप डिक्शनरी मंगवा लें, सीक्रेट और गोपनीय शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? गोपनीय शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो मेरे पास सूचना आयी वह मेरे तक सीमित रखूं। मेरे पास जो सूचना आयी मैंने मेरे तक सीमित नहीं रखी और मुझे उसमें संशोधन देना था, मैंने वह संशोधन लिखकर के दिया यह दोहरी बात है ... (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): आप चाहते हो कि इस हाउस में आगे आने वाले भविष्य की पीढ़ी के विधायक यहां आयेंगे और आपको और हमको देखकर मजाक करेंगे कि यह इस तरह से पढ़े-लिखे लोग और राजस्थान के सबसे बड़े सदन में बैठकर के गलत परम्पराओं, गलत बातें बोलकर के, कानून के विपरीत बोलकर के, नियमों को तोड़कर के आप अंकित कराना चाहते हो यहां पर। आप क्या करना चाह रहे हो ...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): यह सदन की प्रोपर्टी है। यह गोपनीय गोपनीय कहकर के कोई बैडरूम की बातें थोड़ी ही हैं। यह तो सदन की प्रोपर्टी है ...(व्यवधान). यह कोई बैडरूम की बातें हैं क्या जिसको आप कह रहे हो कि गोपनीय है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप पास कराओ ना ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, यह बात तो स्पष्ट हो गयी कि केवल एक बिल ऐसा है, मैंने तो पिछले 16-17 साल में एक ही देखा है कि एक बिल है जो न तो कार्य सूची में लिस्टेड होता है, उस बिल को छोड़कर के कोई बिल आज तक इस तरह से पास नहीं हुआ और वह बिल इसलिए कि इस सदन के माननीय सदस्यों से ही वह रिलेटेड होता है। राजस्थान की जनता से नहीं होता है। इसलिए उस बिल के लिए बी.ए.सी. में जाने की जरूरत नहीं है लेकिन यह जो बिल हैं, यह निश्चित रूप से राजस्थान की आम अवाम से संबंधित हैं। जनतंत्र की उस पहली कड़ी से सम्बन्ध रखती हैं जहां से जनतंत्र शुरू होता है। जिस तरह से सरकार की मंशा है, उन संस्थाओं का गला घोटने का, उन संस्थाओं को बर्बाद करने का काम इस सरकार ने शुरू किया है जिसकी अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी। पंचायत राज की चर्चा हो रही थी और एक जगह नहीं, गंगानगर जिला परिषद् का एक

(श्री अमराराम)

मेम्बर कालू थोरी जिसके साथ जिस निर्ममता से अन्याय किया है, 2007 में एक मुकदमा दर्ज हुआ, जिस एफ.आई.आर. में कहीं कालू थोरी का नाम नहीं है, किसी का नाम नहीं है। लेकिन राजनीतिक द्वेषता से क्योंकि वह भारत की कम्युनिट पार्टी (मार्क्सवादी) का जिला परिषद् का सदस्य है, उसको अरेस्ट करके एक दिन जेल में रखकर के उसको अयोग्य घोषित किया, शायद ऐसा उदाहरण राजस्थान में आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना केवल पंचायत राज का बल्कि राजनीतिक द्वेषता के आधार पर जिस तरह से राजस्थान की सरकार कर रही है। कालू थोरी का केवल एक ही गुनाह है कि वह राजस्थान में सबसे ज्यादा वोटों से जीता और कांग्रेस के पूर्व मंत्री के आदमी को उसने साढ़े दस हजार वोटों से हराया। यह उनको दु:ख है इसलिए आज जिस तरह से जनतंत्र में, इन लोकल बाडी में 6-2 से काम नहीं चलता। अब हार गये इसलिए बहुमत बनाना है, इसलिए 6 आदमी कर जायेंगे। 6 क्यों करें आप पूरे के ही अधिकार ले लीजिये कि हम ही बोर्ड बनायेंगे। हम ही चेयरमैन बनायेंगे। हम ही नियुक्त करेंगे क्योंकि जनतंत्र में चुनाव नहीं हों। यह कार्यवाही जो राजस्थान की विधान सभा में हो रही है। अभी बी.ए.सी. की कार्यवाही को मंजूरी नहीं दी और उसको मंजूरी देने से पहले ही आप बिल लाकर के, उसको पास कराकर के भागना चाहते हैं।

राजस्थान की 6 करोड़ जनता, आम अवाम जिस तरह से त्रस्त है, स्वाइन फ्लू से मौतें हो रही हैं। मलेरिया फैल रहा है, डेंगू फैल रहा है। कहीं स्कूलों में व्यवस्था नहीं है। अस्पतालों में व्यवस्था नहीं है। अराजक व्यवस्था है। राजस्थान की कानून-व्यवस्था जिस तरह से छिन्न-भिन्न हो रही है। उसमें राजस्थान की जनता इस सदन से अपेक्षा करती है कि हमारी समस्याओं की चर्चा होगी। सरकार उस पर उत्तर देगी, कार्यवाही करेगी और राजस्थान की उस आम अवाम को तसल्ली होगी कि जिन लोगों को हमने चुनकर के सरकार में बैठाया है, प्रतिपक्ष में बैठाया है। उन दोनों ने अपना धर्म निभाने का काम किया है। सरकार उससे भागना चाहती है। नियम विरुद्ध इन बिलों को पास कराकर के भागना चाहती है। राजस्थान की 6 करोड़ जनता की समस्याएं, आम अवाम जो आज गांव में बैठा हुआ है, जहां कुदरत ने बरसात कर दी, सड़कों पर चल नहीं सकते हैं। उन समस्याओं को अगर राजस्थान की सरकार नहीं सुनना चाहती है तो खड़ी होकर के कहे कि हम राजस्थान की जनता की, अवाम की बात नहीं सुनना चाहते हैं। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच

(श्री अमराराम)

धरने दे रहे हैं। सारा काम ठप्प पड़ा है। ग्राम सेवक नहीं हैं। उन ग्राम सेवकों की आप व्यथा सुनिये। जो 2900 ग्राम सेवक हैं उनको मात्र 2900-3000 रुपये मिल रहे हैं। जिनसे करोड़ों का काम कराया जा रहा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप विराजें ...(व्यवधान)

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): क्या कह रहे हैं? यह हो रहा है, यह हो रहा है ...(व्यवधान) दूसरों का नम्बर आयेगा ही नहीं ...(व्यवधान) सब देख रही है जनता ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): राजस्थान का बरसात का पानी बहकर पाकिस्तान जा रहा है और हमारे देश की सरकार...(व्यवधान)

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): जब चाहें आप खड़े हो जायें ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप विराजें ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): हमारा पानी बहकर के पाकिस्तान जा रहा है ...(व्यवधान) पाकिस्तान उस पानी से तबाह होगा तो हमारे देश की सरकार उसको मुजावजा देगी ...(व्यवधान)... यह नहीं हो रहा है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें ...(व्यवधान)

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): यह तीन जनों की ही पूरी ठेकेदारी है क्या ...(व्यवधान) जब चाहे खड़े हो जाते हैं ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): बरसात का पानी बहकर के पाकिस्तान जायेगा ...(व्यवधान)

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): दूसरों को भी सुनें ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): पाकिस्तान में तबाही होगी और देश की सरकार पानी जाने के बाद उसको मुआवजा देने का काम करेगी ...(व्यवधान)

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): पानी इतना पड़ा है कि आप भूल गये ...(व्यवधान) आपका बोलना ही बंद हो गया अकाल के ऊपर, इतना पानी पड़ा है ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): बोलें, बोलें ...(व्यवधान)

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): बोलें क्या ...(व्यवधान) मकान पड़ गये ...(व्यवधान) इतना पानी पड़ गया ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें ...(व्यवधान)

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ): पांच साल तक हल्ला करते रहे ...(व्यवधान) पहले बोलने ही नहीं दिया कांग्रेस और अकाल ...(व्यवधान) अब कहां गये वह कांग्रेस और अकाल वाले ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें ...(व्यवधान)

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ): बोलें आप ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ): सभापति महोदय, यह जो कहा गया है ...(व्यवधान) उसको वापस लिया जाये ...(व्यवधान) इन विधेयकों पर चर्चा नियमानुसार करायी जाये, पास कराया जाये। इससे आप निश्चित रूप से राजस्थान की आम अवाम की आवाज को सुनने का काम करेंगे, यही मेरा निवेदन है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप बिराजें माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: बैठ जायें लंकेश ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): मैं बोल रहा था ...(व्यवधान) मैं तो इसलिए बैठ गया कि आसन पैरों पर है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: क्या हुआ ...(व्यवधान)

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): मैं तो बोलने के लिए ही खड़ा हुआ हूं, मैं तो इसलिए बैठा हूं केवल कि आप पैरों पर हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मैं तो खुद खड़ा हो गया हूं ना ...(व्यवधान) आप तो विराजें, एक मिनट ...(व्यवधान)

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): हां, बैठ जाता हूं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मैंने आपको अलाऊ किया नहीं ना अभी ...(व्यवधान) आप विराजें माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): प्रजातंत्र का गला घोट रहे हैं अभी।

श्री सभापति: आप विराजें माननीय सदस्य।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): सभापतिजी, प्रजातंत्र का गला घोट रहे हैं।

श्री सभापति: आप विराजें। माननीय सदस्य, आप विराजें ...(व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): अन्याय मत करें ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप कृपया विराजें।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): इस तरह से बिल पास होंगे तो जरूरत भी क्या है इन विधायकों की ...(व्यवधान)

व्यवस्था

नियमों में शिथिलता का बुलेटिन सदस्यों द्वारा संशोधन दिये जा सकें के लिए जारी करना उचित है

श्री सभापति: उप नेता महोदय, जो आपने पाइंट आफ आर्डर उठाया, इसके बारे में पहले अपनी व्यवस्था दूं, उसके बाद संशोधन की बात तो आगे की बात है। तो मेरा इसमें निवेदन है कि 30.08.2010 को दिनांक 31.08.2010 की कार्य सूची, कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन व आज विचारार्थ लिए जाने वाले विधेयकों पर संशोधन देने हेतु नियमों को शिथिल करते हुए आज प्रातः 10 बजे तक देने का बुलेटिन भिजवा दिया। इसमें अंकित किया गया था...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह भिजवाइए आप जब।

श्री सभापति: अब मुझे बोलने दें आप। आप मुझे बोलने तो दो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप बोलेंगे, आप बोल लेना, मेरी बात सुनने के बाद।

श्री सभापति: आप मुझे बोलने तो दो। आप मुझे बोलने तो दो ना, आप मुझे बोलने तो दो।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापतिजी, आपके बोलने के बाद व्यवस्था हो जाएगी, उसके बाद व्यवस्था पर दुबारा नहीं बोल सकते।

श्री सभापति: आप विराजो। मैंने सब सुन लिया। माननीय सदस्य, मैंने सुन लिया। माननीय सदस्य, आपको सुनने के बाद ही मैं व्यवस्था दे रहा हूं। माननीय सदस्य, आप विराजो तो सही। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय सदस्य, आपकी व्यवस्था के बाद नहीं बोल सकते।

श्री सभापति: आप विराजो तो सही।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): आपकी व्यवस्था के बाद नहीं बोला जाएगा। माननीय उप नेता महोदय को पहले बोलने दीजिए, उसके बाद आप अपनी व्यवस्था दें। उप नेता महोदय के बोलने के बाद ही आप अपनी व्यवस्था दें। (व्यवधान)

श्री सभापति: उप नेता के बोलने के बाद ही व्यवस्था दे रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप मेरे बोलने के बाद व्यवस्था दें। माननीय सभापति महोदय, आपके ध्यान में यह बात नहीं है, मैंने पहला प्रश्न यह किया था कि कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार करने से पहले आप किस बात के नियमों में शिथिलता दे रहे हो? पहले इसको पारित तो करवाओ आप फिर शिथिलता दीजिए। यहीं तो गलती हो रही है, शिथिलता की बात तो मान ली, हमने कहा कि आपको अधिकार है, आप मौखिक भी कह दो तो भी मान लेंगे लेकिन होगा तो तब जब पहले कार्य सलाहकार समिति को स्वीकार कराएंगे। इसलिए आप इसमें शिथिलता दे किसकी रहे हैं? शिथिलता देने वाला भी गलत है, पहले तो आप इसको पारित करवाने की बात करो, यह तो पारित ही नहीं हुआ, इसका जवाब तो दो आप। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए। ...(व्यवधान) इसमें अंकित किया गया था कि कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित होने तक गोपनीय रखा जाए तथा इसकी प्रतियां केवल मात्र माननीय सदस्यों को ही भिजवाई गई हैं। जहां तक संशोधन देने की बात है तथा बुलेटिन का प्रश्न है, वह इसलिए भेजा गया था कि नियमों में 24 घण्टे पहले संशोधन प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है। अतः नियमों में शिथिलता नहीं दी जाती तो माननीय सदस्य अपने संशोधन प्रस्तुत नहीं कर सकते थे। अतः माननीय सदस्यों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए यह कार्यवाही की गई जो उचित है। अतः माननीय सदस्य श्री घनश्याम तिवाड़ी व श्री राजेन्द्र राठौड़ व अन्य सदस्यों द्वारा जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है, मैं उसे अस्वीकार करता हूं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसको आप अस्वीकार कैसे कर सकते हैं? (व्यवधान)

सदन में नारेबाजी

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में आकर नारेबाजी)

श्री सभापति: आप विराजो। ...(व्यवधान) आप विराजो। ...(व्यवधान) आप विराजो। ...(व्यवधान) आप विराजो। (व्यवधान) आप पधारो। (व्यवधान)

(श्री सभापति)

माननीय सदस्य, सदन की यह परम्परा रही है, सदन नियमों से चलता है, पूर्व में भी ऐसा हुआ है, कभी भी कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर न तो कभी संशोधन आए हैं न कभी उन पर बहस हुई है। कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर न तो संशोधन आए हैं, न कभी उन पर चर्चा हुई है। (व्यवधान) इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने संशोधन वापस लें, यह मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है। उप नेता महोदय, आप द्वारा दिए गए संशोधन आप वापस लें। पूर्व में नियम और परम्पराएं ऐसी रही हैं कि इन पर कभी चर्चा नहीं हुई है। कभी चर्चा नहीं हुई है। यह सदन की परम्परा रही है। (व्यवधान) सदन की परम्परा पूर्व में भी रही है जब आप सत्ता में रहे हैं तब भी रही है इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने आसन पर पधारें। आप आसन पर पधारें। आप आसन पर पधारें। (व्यवधान)

आप पधारें। विराजो। ...(व्यवधान) यह सदन नियमों और परम्पराओं से चलता है और उसी का पालन मैं कर रहा हूं। यह आसन उन्हीं नियमों और परम्पराओं का पालन कर रहा है जो पूर्व से चलती आ रही हैं।...(व्यवधान) इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं उप नेता महोदय कि आपने जो संशोधन दिए हैं उनको आप वापस लें, यह मेरा आपसे निवेदन है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप यह संशोधन वापस लें। (व्यवधान)

...(व्यवधान) अब आप विराजो। यह आसन कभी सरकार का एजेण्ट नहीं रहा है। (व्यवधान) यह शब्द अंकित नहीं करें। उप नेता महोदय, आपका कोई संशोधन है तो आप अपना संशोधन रखें, ...(व्यवधान) उप नेता महोदय, आप अपने आसन पर पधारें, आप अपने आसन पर पधारें। (व्यवधान) कोई संशोधन हो तो आप रखें। आप पधारें। (व्यवधान) आप आसन पर पधारें। (व्यवधान)... डाक्टर साहब, आप अपने आसन पर पधारें। (व्यवधान) कोई अंकित नहीं हो रहा। (व्यवधान) अब आप अपने आसन पर पधारें। (व्यवधान) यह अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजो।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (संख्या-11)

विराजो, विराजो ...(व्यवधान) आपका कोई संशोधन है क्या? यह निवेदन है आपसे। श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

(श्री सभापति)

सरकारी मुख्य सचेतक यह भी प्रस्ताव करेंगे कि :-

"यह सदन कार्य सलाहकार समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 30 अगस्त, 2010 को मध्यान्ह पूर्व 11.45 मिनट पर माननीय अध्यक्ष के वेश्म में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 31 अगस्त, 2010 को सदन में अग्रेत्तर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए :- (व्यवधान)

दिनांक 31 अगस्त, 2010 राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2010
राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2010
जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2010 एवं
जोधपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2010
पर विचार एवं पारण।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई। सदन की बैठक आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 16.22 बजे आधे घंटे के लिए स्थगित हुई)

(समय : 16.52 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: आप विराजें तो सही। (व्यवधान) मुख्य सचेतक महोदय कुछ बोल रहे हैं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्यसूची में वर्णित कार्यों के समाप्त होने तक बढ़ाया जाय।

श्री सभापति: क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय आज की कार्यसूची समाप्त होने तक बढ़ाया जाय?

(स्वीकृत)

सदन का समय आज की कार्यसूची समाप्त होने तक बढ़ाया गया।

सदन में नारेबाजी

(सदन वैल में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। माननीय उप नेता महोदय, आप पधारो। आप पधारो। आप पधारो तो सही। आप पधारो तो सही। आप पधारो। (व्यवधान) आप आसन पर तो पधारो। उप नेता महोदय, आप पधारो तो सही। अब आप पधारो तो सही। (व्यवधान) आप पधारो। आप पधारो। अंकित तो अभी कुछ होगा नहीं। आप पधारो। आप पधारो तो सही। आप अपने आसन पर पधारो। (व्यवधान) यह आप जैसा वरिष्ठ आदमी और उप नेता कहता हुआ अच्छा नहीं लगता है, शोभा नहीं देता है। आप पधारो। आप पधारो। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): आसन की इतनी अवहेलना की जा रही है यह बहुत निन्दनीय है। (व्यवधान)

श्री सभापति: कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। आप पधारो। आप पधारो। आप विराजो। (व्यवधान)

(सदन वैल में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): आसन सर्वोपरि है, आसन की मान-मर्यादा रखना हम सब लोगों का कार्य है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आसन के प्रति ऐसा कोई विचार भी अपने मन में न लायें। मेरा निवेदन है आपसे, आप तो वरिष्ठ हैं। ये क्या सीखेंगे? आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी यदि हम यह मर्यादा रखेंगे तो।

श्री सभापति: विराजिये। मैं नियमों और परम्पराओं से चला रहा हूं। (व्यवधान) नियमों और परम्पराओं से हटकर के नहीं चला रहा हूं। आप सारे के सारे पुराने उठाकर के देख लेना कि जो पहले के नियम और परम्पराएं थीं जिसके तहत सदन चला है उसी के तहत मैं सदन चला रहा हूं। (व्यवधान) पूर्व में आपकी सरकार थी तब भी यह हुआ है और उसके बाद भी हुआ है। हां, पहले भी हुआ है। उसी नियम और परम्परा के अनुसार उप नेता महोदय, सदन चलाया जा रहा है। (व्यवधान)

सदन में नारेबाजी

(सदन वैल में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

कलंकित किस चीज से होती है? उप नेता महोदय, ये शब्द आपके मुंह से अच्छे नहीं लगते। कलंकित किससे हुआ है? कलंकित किससे होता है? किससे कलंकित होता है? किससे कलंकित होता है? कलंकित शब्द आप किसके लिए काम में ले रहे हैं? किस चीज से कलंकित हुआ है? ऐसी क्या व्यवस्था दे दी जिससे कलंकित हुआ है? जो नियम और परम्परा पूर्व में सदन के अन्दर रही है उन्हीं परम्पराओं और नियमों का यह आसन पालन करता है और उन्हीं का पालन मैं कर रहा हूं, कोई कुछ भी हटकर मैंने नहीं किया है। आपके समय में भी हुआ है, पूर्व में भी हुआ है। पूर्व में भी हुआ है। कार्य सलाहकार समिति के ऊपर न तो कभी संशोधन आया है और न कभी उसके ऊपर बहस हुई है। कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। मैंने सारी स्थितियां देखी हैं और सारी स्थितियां देखने के बाद में व्यवस्था दी है। (व्यवधान) उसके बाद में ये शब्द आपके मुंह से अच्छे नहीं लगते। आप इस सदन में प्रतिपक्ष के उप नेता हैं, आपके मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लगते। आपके मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लगते। (व्यवधान) कोई नया माननीय सदस्य आये और वो बोले तो समझ में आता है। आप इस सदन में बहुत समय से रिप्रजेंट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आसन कलंकित किया है। (व्यवधान) किस चीज से कलंकित हुआ है? क्या ऐसी गलत व्यवस्थाएं दे दीं जिससे कलंकित हुआ है? क्या किया है ऐसा? कलंकित वो होता है अगर मैं कोई अनहोनी निर्णय दे देता। कोई अनहोनी निर्णय नहीं हुए हैं। जो निर्णय पूर्व में होते आये हैं उन्हीं नियमों और परम्पराओं के अनुसार मैंने निर्णय दिया है और उसी के अनुसार सदन चल रहा है। आप सदन नहीं चलाना चाहते। आप अगर सहयोग नहीं करेंगे तो सदन कैसे चलेगा? आपको सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। हाउस को आर्डर में लेकर के आइये आप। आप हाउस को आर्डर में लेकर आ नहीं रहे हैं।

(श्री सभापति)

(सदन वैल में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

हमेशा व्यवस्थाएं दी जाती हैं उसके बाद में सदन चलता है, सदन आर्डर में आता है। (व्यवधान)

समिति का प्रतिवेदन

जन लेखा समिति, 2010-2011 (क्र. सं. 39 से 51)

डा. रघु शर्मा, सदस्य, जन लेखा समिति 2010-2011, समिति के 13 प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जन लेखा समिति, 2010-2011 के 13 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं।

(1) जन लेखा समिति, 2002-03 के 148वें प्रतिवेदन (11वीं विधान सभा) में समाविष्ट ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2010-11 का 39वां प्रतिवेदन।

(2) सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2000-01 के अनुच्छेद संख्या 4.7, 4.9, 4.11 वर्ष 2001-02 का अनुच्छेद संख्या 4.6, 4.8 तथा वर्ष 2004-05 के अनुच्छेद संख्या 4.1.2, 4.2.3, 4.2.4 तथा 4.4.5 जल संसाधन विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2010-11 का 40वां प्रतिवेदन।

(3) सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2003-04 के अनुच्छेद संख्या 3.5 में समाविष्ट माध्यमिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2010-11 का 41वां प्रतिवेदन।

(4) जन लेखा समिति वर्ष 2007-08 के 220वें प्रतिवेदन (12वीं विधान सभा) में समाविष्ट सी.ए.डी. विभाग से सम्बन्धित सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2010-11 का 42वां प्रतिवेदन।

(5) सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2005-06 के पैरा संख्या 4.1.7, 4.1.9, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5 वर्ष 2006-07 का पैरा संख्या 4.3.6, 4.3.7, 4.3.9 तथा वर्ष 2007-08 के पैरा संख्या 2.5, 4.2.4 सार्वजनिक

(डा. रघु शर्मा)

निर्माण विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2010-11 का 43वां प्रतिवेदन।

(6) जन लेखा समिति के 2002-03 के 173वें प्रतिवेदन (11वीं विधान सभा) में समाविष्ट गृह, वित्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास, तकनीकी शिक्षा, पशुपालन तथा भेड़ व ऊन विभाग से सम्बन्धित सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2010-11 का 44वां प्रतिवेदन।

(7) सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2004-05 के अनुच्छेद संख्या 4.2.2 इन्दिरा गांधी नहर विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2010-11 का 45वां प्रतिवेदन।

(8) जन लेखा समिति, 2006-07 के 182वें प्रतिवेदन (12वीं विधान सभा) में समाविष्ट सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2010-11 का 46वां प्रतिवेदन।

(9) सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2002-03 के अनुच्छेद संख्या 4.2.2 तथा वर्ष 2006-07 का अनुच्छेद संख्या 4.3.2 इन्दिरा गांधी नहर विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2010-11 का 47वां प्रतिवेदन।

(10) सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2005-06 के अनुच्छेद संख्या 3.2 प्राथमिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2010-11 का 48वां प्रतिवेदन।

(11) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड दौसा उप खण्ड महुवा बजुर्ग क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना में सम्मिलित गांव खोहदा मुल्ला (धौला कुआं एवं बीच का पुरा) में वर्ष 2004-05 में पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से उपलब्ध कराने हेतु बनाये गये नलकूप/जल वितरण पाइप लाइन आदि का उपयोग जनहित में नहीं करने, विभाग द्वारा निरर्थक व्यय करने और राज्य कोष को हानि पहुंचाने आदि के सम्बन्ध में प्राप्त अभ्यावेदन मा. अध्यक्ष महोदय, विधान सभा द्वारा राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 229 (4) के तहत जांच हेतु जन लेखा समिति को निर्दिष्ट किये जाने पर समिति का यह विशेष प्रतिवेदन प्रक्रिया के नियम 201 के अन्तर्गत जन लेखा समिति, 2010-11 का 49वां प्रतिवेदन।

(डा. रघु शर्मा)

(12) जन लेखा समिति, 2004-05 (12वीं विधान सभा) के 98वें प्रतिवेदन में समाविष्ट राज्य आबकारी विभाग से सम्बन्धित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2010-11 का 50वां प्रतिवेदन।

(13) वर्ष 2005-06 एवं 2007-08 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट जल संसाधन विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2010-11 का 51वां प्रतिवेदन।

श्री सभापति: श्रीमती जकिया, सभापति, राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 समिति के 8 प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगी।

राजकीय उपक्रम समिति, 2010-11 (क्र. सं. 20 से 27)

श्रीमती जकिया (टोंक): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 समिति के निम्न आठ प्रतिवेदनों का उपस्थापन करती हूं:-

(1) राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1999-2000) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का बीसवां प्रतिवेदन,

(2) राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2003-2004) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का इक्कीसवां प्रतिवेदन,

(3) राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2004-2005) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का बाइसवां प्रतिवेदन,

(4) राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2006-2007) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का तेइसवां प्रतिवेदन,

(5) राजस्थान राज्य हथकर्घा विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1997-1998) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2006-2007 के 59वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई क्रियान्विति विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का परिपालनात्मक चौबीसवां प्रतिवेदन,

(श्रीमती जकिया)

(6) राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2003-2004) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2007-2008 के 72वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का पच्चीसवां प्रतिवेदन,

(7) राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1999-2000) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2008-2009 के 84वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का छब्बीसवां प्रतिवेदन,

(8) राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2001-2002) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2008-2009 के 86वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 का सत्ताइसवां प्रतिवेदन। (व्यवधान)

(सदन के कूप में प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री सभापति: श्रीमती सूर्यकांता व्यास, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति, 2010-2011 समिति के नौ प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगी। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति, 2010-2011... (व्यवधान) नहीं बोलना? नहीं बोलना है? (व्यवधान)

(सदन के कूप में प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री सभापति: श्री प्रकाश चौधरी, सभापति, प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति, 2010-2011 समिति के एक प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे। (व्यवधान) (अनुपस्थित)

श्री श्रवण कुमार, सभापति, पिछड़े वर्ग के कल्याण सम्बन्धी समिति, 2010-2011 के एक प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

(सदन के कूप में प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

पिछड़े वर्ग के कल्याण सम्बन्धी समिति, 2010-2011 (क्रम संख्या-1)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार पिछड़े वर्ग के कल्याण सम्बन्धी समिति, 2010-2011, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य में पिछड़े वर्ग के कल्याण एवं बीपीएल परिवारों की गम्भीर बीमारियों हेतु राज्य सरकार तथा मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष के लाभान्वित व्यक्तियों के सम्बन्ध में किये जा रहे कार्य-कलापों से सम्बन्धित समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री सभापति: श्री भगवान सहाय सैनी, सभापति, याचिका समिति, 2010-2011 समिति के दो प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे।

याचिका समिति, 2010-2011 (क्र. सं. 4 व 5)

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार याचिका समिति, 2010-2011 समिति के दो प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

(1) सार्वजनिक निर्माण, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित समिति को प्राप्त याचिकाओं के सम्बन्ध में चतुर्थ प्रतिवेदन, एवं

(2) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, पशुपालन एवं ऊर्जा विभाग से संबंधित समिति को प्राप्त याचिकाओं के सम्बन्ध में पंचम प्रतिवेदन।

(सदन के कूप में प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री सभापति: याचिकाओं का उपस्थापन। श्रीमती सूर्यकांता व्यास, सदस्य, विधान सभा, दो याचिकाओं का उपस्थापन करेंगी। (व्यवधान) (अनुपस्थित)

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2010

विधायी कार्य, पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक। राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2010, श्री शांती कुमार धारीवाल।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित करेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करता हूं।

(सदन के कूप में प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2010

श्री सभापति: राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2010, श्री शांती कुमार धारीवाल।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित करेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करता हूं।

(सदन के कूप में प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2010

श्री सभापति: जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2010, श्री शांती कुमार धारीवाल।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित करेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करता हूं।

(सदन के कूप में प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

जोधपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2010

श्री सभापति: जोधपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2010, श्री शांती कुमार धारीवाल।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से जोधपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित करेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से जोधपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करता हूं।

(सदन के कूप में प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010

श्री सभापति: राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010, श्री शांती कुमार धारीवाल।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित करेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करता हूं।

(सदन के कूप में प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2010

श्री सभापति: राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2010, श्री हेमाराम चौधरी।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित करेंगे।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करता हूं।

(सदन के कूप में प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2010

श्री सभापति: राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2010, श्री भरत सिंह।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित करेंगे।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करता हूं।

(सदन के कूप में प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2010

श्री सभापति: राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2010, श्री भरत सिंह।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करता हूं।

(सदन के कूप में प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

विधेयक पर विचार

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2010

श्री सभापति: विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2010, श्री शांती कुमार धारीवाल।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री सभापति: श्री ओम बिरलाजी। श्री ओम बिरलाजी। (व्यवधान) श्री घनश्यामजी तिवाड़ी। (व्यवधान) श्री राजेन्द्र राठौड़। (व्यवधान) श्री दिगम्बर सिंह। (व्यवधान) श्री गुलाब चन्द जी कटारिया। (व्यवधान) श्री अमरा रामजी। (व्यवधान)

(माननीय सदस्यगण बोलने के लिए अपने स्थान पर नहीं गये)

(सदन के कूप में प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

आप कोई नहीं बोलना चाहते? कोई नहीं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार ।

खण्ड- 2 से 5 – कोई संशोधन नहीं ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 5 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 5 स्वीकार किये गये।

खण्ड- 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री शांतीकुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2010 को पारित किया जाय।

विधेयक का पारण

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2010 को पारित किया जाय।

श्री सभापति: कोई माननीय सदस्य बोलना चाहे? कोई माननीय सदस्य? कोई माननीय सदस्य बोलना चाहे?

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2010 पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2010 पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2010

श्री शांती कुमार धारीवाल ।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति: श्री ओमजी बिरला। श्री ओमजी बिरला। श्री रामनारायणजी मीणा। श्री घनश्यामजी तिवाड़ी। श्री राजेन्द्रजी राठौड़ । डा. दिगम्बर सिंहजी। श्री गुलाबचन्दजी कटारिया। श्री अमरारामजी। कोई माननीय सदस्य और, कोई माननीय सदस्य बोलना चाहे?

(माननीय सदस्यगण बोलने के लिए अपने स्थान पर नहीं गये)

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 से 14 – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 14 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 14 स्वीकार किये गये। (व्यवधान)

मैंने आपसे भी निवेदन किया कि आप आसन पर पधारें। (व्यवधान)

खण्ड-1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

खण्ड-1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री शांतीकुमार धारीवाल।

विधेयक का पारण

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2010 को पारित किया जाय।

श्री सभापति: कोई माननीय सदस्य बोलना चाहे? कोई माननीय सदस्य बोलना चाहे?

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2010 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2010 पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2010

श्री शांतीकुमार धारीवाल।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति: श्री रामनारायणजी मीणा । श्री घनश्यामजी तिवाड़ी। श्री राजेन्द्रजी राठौड़। डा. दिगम्बर सिंहजी। श्री गुलाब चन्दजी कटारिया। श्री ओमजी बिरला। श्री अमरारामजी। और कोई माननीय सदस्य बोलना चाहे?

(माननीय सदस्यगण बोलने के लिए अपने स्थान पर नहीं गये)

प्रश्न यह है कि जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार ।

खण्ड- 2 से 8 – कोई संशोधन नहीं।

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 8 स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 8 स्वीकार किये गये।

खण्ड-1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड–1 – अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड-1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री शांतीकुमार धारीवाल।

विधेयक का पारण

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2010 को पारित किया जाय।

श्री सभापति: कोई माननीय सदस्य बोलना चाहे? कोई माननीय सदस्य बोलना चाहे?

प्रश्न यह है कि जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2010 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2010 पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

जोधपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2010

श्री शांतीकुमार धारीवाल ।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि जोधपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति: श्री ओमजी बिरला। श्री रामनारायणजी मीणा। श्री घनश्यामजी तिवाड़ी। श्री राजेन्द्रजी राठौड़। डा. दिगम्बर सिंहजी। श्री गुलाबचन्दजी कटारिया। और कोई माननीय सदस्य?

(माननीय सदस्यगण बोलने के लिए अपने स्थान पर नहीं गये)

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

खण्ड-2 से 8 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 8 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 8 स्वीकार किये गये।

खण्ड-1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री शांतीकुमार धारीवाल।

विधेयक का पारण

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री)ः सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि जोधपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2010 को पारित किया जाय।

श्री सभापतिः कोई माननीय सदस्य बोलना चाहे? (व्यवधान)

प्रश्न यह है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2010 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

जोधपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2010 पारित किया गया।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (संख्या 12)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के बारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के बारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 31 अगस्त, 2010 को मध्यान्ह पश्चात् 4.25 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 01 सितम्बर, 2010 से 03 सितम्बर, 2010 तक सदन में अग्रेत्तर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाय :-

बुधवार, दिनांक 01 सितम्बर, 2010-	1. राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2010: 2. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010: एवं 3. राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2010-पर विचार एवं पारण।
गुरूवार, दिनांक 02 सितम्बर, 2010-	बैठक नहीं होगी।
शुक्रवार, दिनांक 03 सितम्बर, 2010-	1. राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2010 : एवं 2. राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2010 : पर विचार एवं पारण। (व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के बारहवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के बारहवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 01 सितम्बर, 2010 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.19 बजे बुधवार, दिनांक 01 सितम्बर, 2010 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में आई.आई.टी. की स्थापना हेतु स्थल का चयन

4. श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में आई.आई.टी. की स्थापना के लिए स्थल चयन हेतु राज्य स्तर पर वर्ष 2007 में गठित समिति ने कोटा शहर में आई.आई.टी. स्थापित करना प्रस्तावित किया था? यदि हां, तो कब एवं किन आधारों पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त राज्य स्तरीय कमेटी की सिफारिश के पश्चात् सरकार द्वारा प्रोफेसर वी.एस. व्यास की अध्यक्षता में दोबारा एक कमेटी बनाई गई थी? यदि हां, तो कब तथा उक्त कमेटी ने पूर्व गठित कमेटी के निष्कर्षों को किन आधारों पर गलत माना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या प्रोफेसर व्यास की अध्यक्षता में गठित कमेटी आई.आई.टी. की स्थापना हेतु स्थल चयन के लिए दावेदार जिलों में गई थी? यदि हां, तो किस-किस तिथि को किस-किस स्थान पर एवं किन-किन स्थानीय जन प्रतिनिधियों एवं प्रबुद्धजनों से मुलाकात कर चर्चा की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त कमेटी ने किन आधारों पर जोधपुर को आई.आई.टी. स्थापित करने हेतु उपयुक्त पाया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अतिरिक्त मुख्य सचिव को नाडल अधिकारी बनाया गया था तथा दिनांक 23.1.2007 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोटा शहर को आई.आई.टी. स्थापित करने हेतु प्रस्तावित किया गया था। कार्यवाही विवरण की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। आदेश की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

प्रोफेसर वी.एस. व्यास की अध्यक्षता में 2 मार्च, 2009 को एक कमेटी का गठन किया गया।

इस कमेटी को पूर्व समिति की सिफारिशों पर विचार करने का दायित्व नहीं सौंपा गया था। अतः व्यास कमेटी की रिपोर्ट में प्रश्न के भाग संख्या एक में वर्णित कमेटी के निष्कर्षों के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी अंकित नहीं है। इस समिति को राज्य में स्थापित होने वाले केन्द्र सरकार के संस्थान

(तकनीकी शिक्षा मंत्री)

यथा आई.आई.टी, आई.आई.एम., केन्द्रीय विश्वविद्यालय एवं विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु उपयुक्त शहर/स्थान का चयन किये जाने हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया।

(3) प्रोफेसर व्यास की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा आई.आई.टी. की स्थापना हेतु स्थल चयन के लिए किये गये भ्रमण का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

भ्रमण के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं प्रबुद्धजनों से की गई मुलाकात का विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(4) प्रोफेसर व्यास कमेटी ने जोधपुर में आई.आई.टी. स्थापित किये जाने हेतु उपयुक्तता बाबत निम्न विवरण अंकित किया है :-

जोधपुर की आबादी 5 लाख के ऊपर है और यह शहर वायु सेवा, रेल सेवा एवं सड़क मार्ग से बहुत अच्छी प्रकार से जुड़ा हुआ है। पानी पर्याप्त उपलब्धता के साथ यहां पर एक विकसित विद्युत ग्रिड भी है। आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होने के साथ शहर के नजदीक संस्थान हेतु आवश्यक भूमि भी उपलब्ध है। यहां पर AIIMS जैसा प्रतिष्ठित अस्पताल एवं मेडिकल कालेज स्थापित किया जा रहा है एवं आयुर्वेद एवं विधि विश्वविद्यालय पूर्व में स्थापित है और एक शिक्षा का कोरिडोर बनाया जा रहा है जिसमें कि SCI-ENCE CITY की भी योजना है। विधि, स्वास्थ्य और सभी प्रकार के संस्थानों के एक ही जगह होने से शिक्षामय वातावरण हो गया है। पूर्व से स्थापित एम.बी.एम. इंजीनियरिंग कालेज में कक्षाएं शुरू करने में मदद मिलेगी। इन कारणों से कमेटी ने आई.आई.टी. हेतु जोधपुर को सबसे उपयुक्त स्थान माना है।

(प्रतियां व विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

गिर्वा तहसील (उदयपुर) के गांव नागदा में फेयर आईसल डवलपर्स इंटरनेशनल प्राइवेट लि. को आबंटित भूमि

5. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले की गिर्वा तहसील के नागदा-गांव में अरावली पहाड़ी की 3.17 हैक्टेयर भूमि फेयर आईसल डवलपर्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को पर्यटन इकाई के लिए आबंटित की गई है? यदि हां, तो आबंटन का निर्णय कब व किस स्तर पर लिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आबंटन के विरुद्ध जिला प्रशासन व वन विभाग के अधिकारियों ने सितम्बर, 2008 में आपत्ति दर्ज की थी? यदि हां, तो आपत्ति संबंधित पत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सितम्बर, 2009 को उक्त आबंटन हेतु विभाग ने पुनः जिला प्रशासन व वन विभाग से रिपोर्ट मांगी थी? यदि हां, तो रिपोर्ट किस के निर्देश पर मंगवाई गई तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या यह भी सही है कि वनभूमि से सटी भूमि होने के कारण उक्त भूमि पर 2 हैक्टेयर में पेड़ लगाने की शर्त आबंटन में लगाई गई थी? यदि हां, तो इस पर कितने पेड़ लगाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उदयपुर जिले की गिर्वा तहसील के नागदा गांव में अरावली पहाड़ी की 3.7100 है. भूमि फेयर आईसल डवलपर्स इन्टरनेशनल प्रा.लि. को पर्यटन इकाई के लिये आबंटित की गई है। आबंटन निर्णय राजस्व (ग्रुप-3) विभाग के पत्र क्रमांक : प.1 (262) राज/3/8 जयपुर दिनांक 18.5.2010 एवं संशोधित आदेश दिनांक 9.8.2010 के द्वारा राज्य सरकार के स्तर पर लिया गया।

(2) जिला कलक्टर के पत्र क्रमांक 2565 दिनांक 18.9.2008 से राजस्व विभाग को प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई थी जिसमें पर्यावरण की दृष्टि से आबंटन योग्य प्रतीत नहीं होने की टिप्पणी की गई थी। पत्र की छाया प्रति परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

(3) जी हां। उक्त रिपोर्ट जिला कलक्टर से राज्य सरकार द्वारा चाही गयी थी। जिसके क्रम में जिला कलक्टर के पत्र क्रमांक 3196 दिनांक 3.12.2009 (परिशिष्ट 'ख') के क्रम में भूमि आबंटन की गई है।

(4) जी हां। आबंटी को स्वीकृति दिनांक 16.8.2010 को जारी की गई है। स्वीकृति अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन एवं इकाई को भूमि का कब्जा सुपुर्द करने की कार्यवाही शेष है। अतः पेड लगाने की प्रक्रिया भूमि का कब्जा देने के बाद ही प्रारम्भ हो सकती है।

परिशिष्ट 'क'

कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर

क्रमांक: प-12/3(6)राज/होटल/08/2565 दिनांक 18 सितम्बर, 2008

निमित,

उप शासन सचिव,

राजस्व (ग्रुप-3) विभाग,

राजस्थान-जयपुर ।

विषय :- फेयर आईसल डवलापर्स इन्टरनेशनल प्रा.लि. को ग्राम नागदा में होटल प्रयोजनार्थ बिलानाम भूमि आबंटन के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि फेयर आईसल डवलपर्स इन्टरनेशनल प्रा.लि. 4, मार्डन काम्पलेक्स भुवाणा उदयपुर द्वारा ग्राम नागदा तहसील गिर्वा की बिलानाम आराजी नं. 245मी. रकबा 0.9700, आ. न. 166 रकबा 3.9800 में से रकबा 2.1600 आराजी नं. 827/246 रकबा 0.6900 कुल किता 3 में से कुल रकबा 3.8200 हैक्टेयर भूमि पर पर्यटन इकाई की स्थापना हेतु राजस्थान भू-राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र आबंटन) नियम 1959 के प्रावधानों अन्तर्गत भूमि आबंटन करने संबंधी प्रकरण प्राप्त हुआ।

प्रकरण में उप खण्ड अधिकारी, गिर्वा की रिपोर्ट दिनांक 20.03.2008 एवं तहसीलदार, गिर्वा की जांच रिपोर्ट दिनांक 17.12.2007 के अनुसार ग्राम नागदा तहसील गिर्वा की आ.नं. 245मी. रकबा 0.9700, आ.नं. 166 रकबा 3.9800 आ. नं. 827/246 रकबा 0.6900 कुल किता 3 रकबा 5.6400 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड में बिलानाम गैर काबिल काश्त पहाड़ दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि की आराजी नं. 245मी. में से रकबा 0.8600 आ.न 166 में से 2.1600 हैक्टेयर आ.न. 827 246 रकबा कुल किता 3 रकबा 3.7100 हैक्टेयर भूमि पर पर्यटन इकाई की स्थापना हेतु मांग की गयी है।

प्रस्तावित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग से 2 कि.मी., राजमार्ग से 20 कि.मी., ग्रामीण रास्ते से साढ़े बारह मीटर, आबादी से 2 कि.मी., तालाब से 1/2 कि.मी. नाले से डेड़ कि.मी. दूरी पर स्थित है। उक्त भूमि मौके पर पहाड़ होकर पेड़ एवं वनस्पति से आच्छादित है एवं लगभग 100-150 मीटर से भी अधिक ऊंचाई के पहाड़ है तथा कैलाशपुरी झील से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है जो पर्यावरण की दृष्टि से आबंटन योग्य प्रतीत नहीं होती है। प्रार्थी द्वारा

खाते की रूपान्तरित करवायी गयी भूमि पर आने जाने हेतु खसरा नम्बर 248 रास्ता उपलब्ध है। तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित है।

भवदीय,

जिला कलक्टर

उदयपुर

परिशिष्ट 'ख'

कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर

क्रमांकःप-12/3(6)राज/होटल/08/3196 दिनांक नवम्बर, 2009

निमित,

शासन उप सचिव,

राजस्व (ग्रुप-3) विभाग,

राजस्थान-जयपुर।

विषय :- पर्यटन इकाई हेतु ग्राम नागदा, पंचायत कैलाशपुरी में भूमि आबंटन के क्रम में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक प.1(262)राज-3/08 दिनांक 17.09.2009

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि फेयर आइसल डवलपर्स इन्टरनेशनल प्रा.लि. 4, मार्डन काम्पलेक्स भुवाणा उदयपुर को ग्राम नागदा तहसील गिर्वा की बिलानाम आराजी नं. 245मी, रकबा 0.8600, आ.न. 166 रकबा 2.1600 एवं आराजी नं. 827/246 रकबा 0.6900 कुल किता 3 कुल रकबा 3.7100 हैक्टेयर भूमि पर पर्यटन इकाई की स्थापना हेतु भूमि आबंटन से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के सम्बन्ध में उप खण्ड अधिकारी, गिर्वा व उप वन संरक्षक, उदयपुर (उत्तर) से जांच रिपोर्ट मंगवाई गई। जांच रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि पथरीली, पहाड़ी होकर ढलानयुक्त है। प्रस्तावित भूमि वन सीमा से लगी हुई होकर भूमि पर थूर, आंवलछाल व अन्य झाड़िया तथा कहीं-कहीं पर रोंक के काटेदार वृक्ष हैं। प्रस्तावित भूमि को पर्यटन इकाई हेतु आबंटन करने के साथ-साथ वृक्षारोपण का कार्य भी कराया जाता है तो पर्यावरण एवं परिस्थितियों संतुलन पर अनुकूल प्रभाव पड़ने का उल्लेख किया है। रिपोर्ट प्रस्तुत है।

भवदीय

जिला कलक्टर

उदयपुर

करौली जिले के चिकित्सालयों में रिक्त पद

6. **श्री रमेश चन्द मीणा** (टोडाभीम) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला करौली में कितने स्वास्थ्य तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं?

(2) उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में से किस-किस केन्द्र पर निर्धारित मानकों के अनुसार भवन, लेबररूम, पेयजल आदि सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर कर्मचारी, चिकित्सकों की कुल स्वीकृत संख्या तथा कार्यरत संख्या कितनी-कितनी है तथा कितने पद रिक्त हैं?

(4) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला करौली के अन्तर्गत 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 25 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 4 एडपोस्ट एवं 250 उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं।

(2) जिला करौली के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र, जिनमें निर्धारित नार्म्स के अनुसार भवन, लेबर रूम, पेयजल एवं बिजली उपलब्ध नहीं है उनके नामों का विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(3) जिला करौली के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों के 89 पद स्वीकृत है जिनमें से 68 पद भरे हुए हैं एवं 21 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों, एडपोस्ट एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर कर्मचारियों के 626 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 528 पद भरे हुए है एवं 98 पद रिक्त हैं।

(4) जी हां। वरिष्ठ विशेषज्ञ, कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, वरिष्ठ लिपिक एवं महिला स्वास्थ्य दर्शिका के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक शीघ्र आयोजित कर यथासम्भव प्राथमिकता/आवश्यकता के अनुसार भरे जायेंगे। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी एवं नर्स श्रेणी द्वितीय के रिक्त पदों को

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरे जायेंगे।

चिकित्सा अधिकारी (पीजी निश्चेतन) के रिक्त पद को उसी विशिष्ठता वाला अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरा जावेगा। चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के रिक्त पद को शीघ्र भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

लैब टैक्नीशियन के रिक्त पदों को भरने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त कर लिये गये हैं। नियुक्ति संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त पदों को भरने हेतु सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त हो गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा नियुक्ति पर स्थगन आदेश पारित किया हुआ है। माननीय न्यायालय के निर्णय अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

सहायक रेडियोग्राफर के रिक्त पदों को भरने हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन किया जा चुका है। दन्त टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, वाहन चालक एवं सफाई कर्मचारी के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पदों को कोष एवं लेखा विभाग के द्वारा भरे जायेंगे। जिन्हें भरवाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पोकरण नगरपालिका क्षेत्र में खेल केन्द्र की स्थापना

7. **श्री शाले मोहम्मद** (पोकरण) : क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार नगरपालिका क्षेत्र पोकरण में खेल केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार विद्यालयों में खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु सुविधाओं में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या-क्या व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा नगरपालिका क्षेत्र पोकरण में खेलकूद मैदान के लिए भूमि आबंटित की गई है? क्या सरकार उक्त मैदान के लिए चारदिवारी व अन्य आवश्यक सुविधाएं मुहैया करवाने का भी विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा राज्य में जिला मुख्यालयों पर खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये हुए हैं। इससे निचले स्तर पर पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (PYKKA) योजना के अन्तर्गत समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों को चरणबद्ध तरीके से जोड़ा जायेगा।

(2) विद्यालयों में खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु केन्द्रीय प्रवर्तित योजना पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान के अन्तर्गत खेल मैदान के विकास कार्य के साथ-साथ खेल उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे एवं खेल केन्द्र के संचालन हेतु क्रीड़ाश्री लगाने का कार्य भी प्रगति पर है साथ ही प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने हेतु खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।

(3) जी हां। नगरपालिका क्षेत्र पोकरण में स्टेडियम के लिये जिला कलक्टर, जैसलमेर के आदेश क्रमांक : एफ.12/3/राजस्व/09/3818 दिनांक 06.08.2009 के द्वारा 20 बीघा भूमि आबंटित की गई है। समन्वित स्टेडियम (आधारभूत सुविधायें) विकास कार्यक्रम, 2007 के अन्तर्गत सम्भाग, जिला एवं तहसील स्तर पर स्टेडियम निर्माण के प्रस्ताव प्राप्त होने पर बजट की उपलब्धता के अनुसार स्टेडियम निर्माण का कार्य किया जाता है एवं इस नीति के अन्तर्गत खेल मैदान के लिये बाउन्ड्रीवाल निर्माण करवाये जाने का प्रावधान नहीं है।

प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण

8. **श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में वर्तमान में विभिन्न वर्गों के लिए न्यूनतम मजदूरी क्या-क्या निर्धारित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में न्यूनतम मजदूरी में कब-कब कितनी-कितनी बढ़ोतरी की गई और आखिरी बार न्यूनतम मजदूरी में कब बढ़ोतरी की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार वर्तमान में बढ़ी हुई महंगाई को देखते हुए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कितनी तथा नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में वर्तमान में अकुशल, अर्द्धकुशल व कुशल कामगारों की न्यूनतम मजदूरी निम्नानुसार है :-

श्रमिक वर्ग	**दैनिक दर**	**मासिक दर**
अकुशल	100/-	2600/-
अर्द्धकुशल	107/-	2782/-
कुशल	115/-	2990/-

(2) राज्य में न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी वर्ष 1980, 1982, 1985, 1987, 1990, 1995, 1998, 1999, 2004 एवं 2008 में आखरी बार बढ़ोतरी की गई है। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी हां। राज्य सरकार वर्तमान में बढ़ी हुई मंहगाई को देखते हुए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का विचार रखती है। मजदूरी बढ़ाने की तिथि एवं दर का प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।

परिशिष्ट-1

राजस्थान में न्यूनतम मजदूरी की दरों का वर्षवार विवरण

क्र.सं.	दिनांक	अकुशल श्रमिक		अर्द्धकुशल श्रमिक		कुशल श्रमिक	
		रुपये		रुपये		रुपये	
		प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह
1	1.1.80	7/-	162/-	8/-	208/-	9.25	240.50/-
2	1.4.82	9/-	234/-	10/-	260/-	11.25	292.50/-
3	16.1.85	11/-	286/-	12/-	312/-	13.25	344.50/-
4	1.3.87	14/-	364/-	15.50/-	403/-	17/-	442/-
5	2.7.90	22/-	572/-	23.50/-	611/-	25/-	650/-
6	1.1.95	32/-	832/-	33/-	858/-	34/-	884/-
7	1.5.95	44/-	1144/-	47/-	1222/-	50/-	1300/-
8	16.11.99	60/-	1560/-	64/-	1664/-	68/-	1768/-
9	20.7.04	73/-	1898/-	77/-	2002/-	81/-	2106/-
10	1.3.08	100/-	2600/-	107/-	2782/-	115/-	2990/-

सीकर जिले के थानों में विचाराधीन प्रकरण

9. **श्री पेमाराम** (धोद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सीकर में पुलिस सेवा संवर्ग में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत तथा कितने पद कितने समय से रिक्त हैं?

(2) उक्त जिले में 1 जुलाई, 2008 से 30 जून, 2009 तक तथा 1 जुलाई, 2009 से 31 जुलाई, 2010 तक किस-किस थाने में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने मुकदमे दर्ज हुए? माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें। उक्त में से कितने मुकदमों का चालान प्रस्तुत हो गया तथा अभी तक कितने मुकदमे अनुसंधान में हैं?

(3) उक्त जिले में बढ़ते हुए अपराधों की रोकथाम हेतु सरकार की क्या योजना है?

उत्तर

(1) सीकर जिले में पुलिस विभाग में अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक विभिन्न श्रेणी के स्वीकृत व रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) सीकर जिले में 1 जुलाई, 2008 से 30 जून, 2009 तक तथा 1 जुलाई, 2009 से 31 जुलाई, 2010 तक विभिन्न थानेवार, माहवार व शीर्षकवार दर्ज अपराधों एवं निस्तारण की सूचना परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) सीकर जिले में बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण हेतु निम्न कार्यवाही की जा रही है :-

राजस्थान पुलिस द्वारा वर्ष 2010 के लिए निम्नानुसार प्राथमिकतायें निश्चित की गई हैं:-

संवेदशनील एवं उत्तरदायी पुलिस।

संगठित अपराधियों का चिन्हितिकरण, अभिलेखकरण एवं प्रभावी विधिक कार्यवाही।

सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम।

यातायात नियमों की पालना, सुव्यवस्थित यातायात प्रबन्धन एवं सड़क सुरक्षा उपाय।

राज्य के समस्त जिला पुलिस अधीक्षकगण द्वारा उक्त प्राथमिकताओं की क्रियान्विति हेतु योजनानुसार कार्यवाही की जा रही है। इसी कार्ययोजना के अनुरूप जिला पुलिस सीकर द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जा रही है:-

(गृह मंत्री)

1. लगातार प्रोएक्टिव पुलिसिंग के तहत कार्यवाही की जा रही है।

2. जिले में थाना क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम में सर्वे करवाकर तनाव बिन्दुओं को चिन्हित किया जाकर इन पर निरोधात्मक कार्यवाही की गई।

3. जिले के आदतन अपराधियों का सर्वे कर 42 अपराधियों की एच.एस. पत्रावली खोली गई तथा जिले के सक्रिय अपराधियों को पुनः सूचीबद्ध कर उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है।

4. सर्किल नीमकाथाना, फतेहपुर में अतिरिक्त जाप्ता तैनात किया गया।

5. माह जून-जुलाई, 2010 में अभियान चलाकर 234 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया।

6. गत समय में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग सीकर, राष्ट्रीय राजमार्ग अधीक्षण अभियन्ताओं व परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग का आयोजन कर सड़क सम्बन्धी समस्याओं पर विचार-विमर्श कर जिले में टोटल रोड सर्वे करवाया जाकर सड़कों में रही खामियों को दूर करने के निर्देश दिये गये।

7. इसी प्रकार जिले में स्थित सभी बैंकों के मुख्य प्रबन्धकों की मीटिंग का आयोजन कर बैकों की सुरक्षा सम्बन्धी कार्ययोजना तैयार की जाकर उस पर अमल के निर्देश दिये गये।

8. इसी प्रकार विद्यालयों एवं अन्य शिक्षण संस्थाओं की सम्पत्ति की सुरक्षा के सम्बन्ध में जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं।

9. माह अप्रैल से जुलाई 2010 तक धारा 185 एम.वी. एक्ट के तहत कुल 664 कार्यवाही, धारा 110 द.प्र.सं. के तहत 144 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही, धारा 60 पुलिस एक्ट के तहत 2292 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही तथा स्थानीय एवं विशेष अधिनियम के तहत गत 4 माह में कुल 557 कार्यवाही की गई हैं। जिसके परिणामस्वरूप भा.द.सं. अपराधों में माह अप्रैल से जुलाई 2010 तक 1882 प्रकरण दर्ज हुये हैं जो गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में मात्र 3.18 प्रतिशत की बढ़ोतरी है जो एक सामान्य प्रकिया है।

(विवरण व सूचना विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

मालपुरा विधान सभा क्षेत्र (टोंक) के ग्राम/ढाणियों में आम रास्तों की व्यवस्था

10. **श्री रणवीर पहलवान** (मालपुरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मालपुरा (टोंक) में सरकार द्वारा सेटलमेन्ट की कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो कब? तारीख सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त जिले में भविष्य में सेटलमेन्ट करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, क्यों?

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने गांव-ढाणी ऐसे हैं जिनके राजस्व रिकार्ड में आम रास्ता नहीं है? क्या सरकार उक्त ग्राम/ढाणियों के वासियों को आने-जाने का रास्ता देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में विरासत के कितने नामान्तरण कब से शेष हैं? क्या सरकार इसमें दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार खातेदारी की भूमि में आने-जाने के लिए खातेदार को रास्ता देने का प्रावधान करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के अन्तर्गत तहसील मालपुरा एवं टोडारायसिंह का क्षेत्र आता है। तहसील मालपुरा एवं टोडारायसिंह में प्रथम बन्दोबस्त सम्वत् 2010 में पूर्ण किया जाकर बन्दोबस्त अवधि संवत् 2010-2029 तय रखी गई थी।

तहसील टोडारायसिंह में द्वितीय बन्दोबस्त प्रारम्भ कराये जाने हेतु राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.12.1983 प्रसारित होने पर वर्ष 1985 में भू-प्रबन्ध कार्य प्रारम्भ किया गया एवं भू-प्रबन्ध संक्रियाएं वर्ष 1995 में पूर्ण होने पर राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या प. 13(18)राज./ग्रुप-1/95 दिनांक 6.10.1995 द्वारा भू-प्रबन्ध संक्रियाएं बन्द घोषित होने पर भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार किया गया समस्त अभिलेख वर्ष 1998 में राजस्व एजेन्सी को सम्भला दिया गया था। वर्तमान में भू-प्रबन्ध अधिकारी टोंक के अधीन तहसील निवाई एवं खण्डार अधिसूचित है।

(2) जिला टोंक में गत भू-प्रबन्ध की अवधि (सम्वत् अनुसार) निम्नानुसार है :-

(राजस्व मंत्री)

क्र.सं.	नाम तहसील	प्रथम अवधि बन्दोबस्त	द्वितीय अवधि बन्दोबस्त
1	टोंक	2000-19	2028-47
2	पीपलु	2000-19	2028-47
3	देवली	2000-19	2046-65 मै.
4	उनियारा	2000-19	2041-60 मै.
5	टोडारायसिंह	2010-29	2050-69 मै.
6	निवाई	2011-30	भू-प्रबन्धाधीन
7	मालपुरा	2010-29	-

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि टौंक जिले की मालपुरा तहसील को छोड़कर शेष सभी तहसीलों में दो बार भू-प्रबन्ध हो चुका है अथवा द्वितीय भू-प्रबन्ध प्रक्रियाधीन है। तहसील मालपुरा में द्वितीय भू-प्रबन्ध हेतु जिला कलक्टर से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(3) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में तहसील मालपुरा व टोडारायसिंह सम्मिलित हैं। तहसील टोडारायसिंह के समस्त ग्राम, ढाणियों में राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज है। तहसील मालपुरा की ग्राम पंचायत रिण्डल्या बुजुर्ग के ग्राम सालीलाखापुरा एवं ग्राम पंचायत बरोल के ग्राम माधोनगर व ढाणी बाजोलाव का रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। शेष ग्राम ढाणियों का रास्ता रिकार्ड में दर्ज है।

निजी खातेदारों की खातेदारी की भूमि में से होकर रास्ता कायम करने के प्रावधान वर्तमान में राजस्व विधियों में नहीं हैं। इस हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में समुचित संशोधन का प्रस्ताव मंत्रीमण्डल से अनुमोदित हो चुका है। विधेयक के रूप में विधान सभा में प्रस्तुत किया जाना प्रक्रियाधीन है। उक्त विधेयक पारित होकर लागू होने पर तदनुसार कार्यवाही की जाना सम्भव होगा।

(4) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में तहसील मालपुरा व टोडारायसिंह सम्मिलित हैं। उक्त दोनों तहसीलों में किसी ग्राम में विरासत का कोई नामान्तरकरण निर्धारित समयावधि एवं न्यायालय के स्थगन के अतिरिक्त शेष नहीं है।

(5) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 के तहत खातेदारी भूमि में आने जाने के लिये खातेदार को "सुखाधिकार" के अन्तर्गत रास्ता देने का प्रावधान किया गया है, किन्तु खातेदारों की भूमि में से राजस्व

(राजस्व मंत्री)

रिकार्ड में आम रास्ता कायम करने का प्रावधान वर्तमान में राजस्व विधियों में नहीं है। उसके लिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

सामान्य चिकित्सालय बूंदी का क्रमोन्नयन

11. **श्री अशोक डोगरा** (बूंदी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पं. बृजसुन्दर शर्मा सामान्य चिकित्सालय, बूंदी का निर्माण कब हुआ तथा यह किस श्रेणी का चिकित्सालय है?

(2) उक्त चिकित्सालय में कितने एवं कौन-कौन से विशेषज्ञ एवं चिकित्सक सेवाएं दे रहे हैं एवं कितने पद रिक्त हैं?

(3) क्या सरकार इसे 'अ' श्रेणी का चिकित्सालय बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजकीय जिला चिकित्सालय बूंदी का निर्माण वर्ष 1933 में करवाया गया था। उक्त चिकित्सालय को वित्तीय वर्ष 2010-11 में 200 से 300 शय्याओं (अ श्रेणी) में क्रमोन्नत किया गया है।

(2) राजकीय जिला चिकित्सालय बूंदी में चिकित्सकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(3) वित्तीय वर्ष 2010-11 में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.5.2010 के द्वारा राजकीय जिला चिकित्सालय बूंदी को 200 से 300 शय्याओं (अ श्रेणी) में क्रमोन्नत कर दिया गया है।

परिशिष्ट-अ

राजकीय जिला चिकित्सालय बूंदी में चिकित्सकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का संख्या विवरण निम्न प्रकार है

पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	विशेष विवरण
वरिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1	1	-	-
वरिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	-	1	-
वरिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग)	1	1	-	-

पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	विशेष विवरण
वरिष्ठ विशेषज्ञ (बाल रोग)	1	1	-	-
वरिष्ठ विशेषज्ञ (हड्डी रोग)	1	1	-	-
वरिष्ठ विशेषज्ञ (रेडियोलोजी)	1	-	1	-
वरिष्ठ विशेषज्ञ (निश्चेतन)	1	-	1	-
वरिष्ठ विशेषज्ञ (पैथोलोजी)	1	-	1	-
वरिष्ठ विशेषज्ञ (ईएनटी)	1	-	1	-
कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	2	-	2	-
कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	3	2	1	-
कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग)	2	1	1	-
कनिष्ठ विशेषज्ञ (बाल रोग)	1	1	-	-
कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र रोग)	1	-	1	-
कनिष्ठ विशेषज्ञ (निश्चेतन)	2	1	1	-
कनिष्ठ विशेषज्ञ (हड्डी रोग)	1	1	-	-
कनिष्ठ विशेषज्ञ (ईएनटी)	1	1	-	-
कनिष्ठ विशेषज्ञ (रेडियोलोजी)	1	1	-	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी पद विरुद्ध कार्यरत है
कनिष्ठ विशेषज्ञ (पेथोलोजी)	1	1	-	
कनिष्ठ विशेषज्ञ (मनोरोग)	1	1	-	कनिष्ठ विशेषज्ञ बाल रोग पद विरुद्ध कार्यरत है
कनिष्ठ विशेषज्ञ (रति रोग)	1	1	-	कनिष्ठ विशेषज्ञ सर्जरी पद विरुद्ध कार्यरत है

पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	विशेष विवरण
कनिष्ठ विशेषज्ञ (फोरेंसिक मेडिसन)	1	-	-	
कनिष्ठ विशेषज्ञ (दन्त)	1	1	-	चिकित्सा अधिकारी दन्त पर विरुद्ध कार्यरत है
उप नियंत्रक	1	1	-	
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	3	3	-	
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (दन्त)	1	-	1	
चिकित्सा अधिकारी	24	14	10	
चिकित्सा अधिकारी (पीजी सर्जरी)	3	3	-	चिकित्सा अधिकारी पद विरुद्ध कार्यरत है
चिकित्सा अधिकारी (पीजी हड्डी रोग)	3	2	1	चिकित्सा अधिकारी पद विरुद्ध कार्यरत है
चिकित्सा अधिकारी (पीजी मेडिसन	2	-	2	

चाचान एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसाइटी, अलवर में व्याप्त अनियमितताएं

12. **श्री बनवारी लाल सिंघल** (अलवर शहर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के निजी क्षेत्र में शिक्षण संस्थाओं का संचालन करने हेतु ट्रस्ट या सोसाइटी का गठन अनिवार्य है? यदि हां, तो किन

(श्री बनवारी लाल सिंघल)

नियमों के तहत? सम्बन्धित आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि किसी शिक्षण संस्थान के पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा अनियमितता किये जाने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि चाचान एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसाइटी, अलवर के चेयरमैन एवं अन्य सदस्यों के विरुद्ध फर्जी हस्ताक्षर एवं मोहर द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार करने के आरोप हैं? क्या उक्त प्रकरण जिला कलक्टर की जानकारी में है? उक्त संस्थान के अरोपी चेयरमैन एवं अन्य सदस्यों के विरुद्ध क्या सरकार द्वारा कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है? यदि हां, तो कब व किसके द्वारा तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त प्रकरण के आरोपी पदाधिकारियों एवं अन्य सदस्यों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही नहीं किये जाने में जिला स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत एवं भ्रष्टाचार की संलिप्तता है? यदि हां, तो सम्बन्धित दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार ऐसे शिक्षण संस्थानों के चेयरमेन व अन्य सदस्यों के स्थान पर राज्य स्तर पर प्रशासक नियुक्त कर पारदर्शितापूर्वक संस्थान का संचालन करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 की धारा 3(1) की प्रति संलग्न है।

(2) जी हां। राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 की धारा 5 व गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम 1993 के नियम 7 के अनुसार मान्यता वापिस लिया जाना व राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 की धारा 10 के अनुसार प्रबन्ध ग्रहण करने की शक्ति हैं। सम्बन्धित धाराओं/नियम की फोटो प्रतियां संलग्न हैं।

(3) जी हां। यह जिला कलक्टर की जानकारी में है।

जी नहीं। क्योंकि प्रकरण पहले से ही सी.बी.आई. में चल रहा है।

(शिक्षा मंत्री)

(4) जी नहीं।

(5) सरकार को प्रकरण में जांच उपरान्त पूर्ण तथ्यात्मक स्थिति प्राप्त होने पर तथा तथ्यों का परीक्षण कर आवश्यक होने पर, सक्षम स्तर पर निर्णय लिया जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

जोधपुर शहर की यातायात व्यवस्था हेतु फ्लाईओवर का निर्माण

13. **श्री मलखान सिंह** (लूणी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर की दो मुख्य पुलियाओं (रिक्तियां भैंरूजी एवं डी.आर.एम. आफिस के पास) में वर्षा के समय यातायात गत 35 वर्षों से बाधित हो रहा है? यदि हां, तो उक्त पुलियाओं के नीचे जमा होने वाले पानी की निकासी के लिये सरकार द्वारा गत दो वर्षों (2008-09 एवं 2009-10) में क्या प्रबन्ध किये गये और इन पर कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त पर फ्लाईओवर बनाकर यातायात का स्थायी समाधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस पर कितनी राशि व्यय करने का प्रावधान किया गया है तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जोधपुर शहर के दो मुख्य पुलियाओं (रिक्तियां भैंरूजी एवं डी.आर.एम. आफिस) में वर्षा समय वर्षा का ज्यादा पानी इकट्ठा होने से तथा कभी-कभी सीवर ओवर फ्लो होने से यातायात बाधित हो जाता है। रिक्तियां भैंरूजी पुलिया के नीचे जमा पानी के निकास के लिये रेलवे लाइन के समानान्तरण नाले का निर्माण किया हुआ है। जिससे वर्षा के पानी का निकास किया जाता है। इसके अलावा दोनों पुलियाओं के नीचे से गुजर रही सीवर लाईन से भी वर्षा के पानी का निकास किया जाता है। उक्त दोनों समाधानों से भी पानी का निकास नहीं होने पर नगर निगम के मड पम्प व सीवर जेटिंग मशीनों के माध्यम से डी वाटरिंग कर यातायात को सुगम किया जाता है। उक्त कार्य नगर निगम के नियमित संसाधनों के माध्यम से सम्पादित किये जाते हैं जिन पर कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होता है तथा इस प्रकार के व्यय का अलग से लेखा नहीं रखा जाता है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) जी हां। यातायात के स्थायी समाधान के लिए रिक्तियां भैंरूजी पुलिया के नीचे वर्तमान में स्थापित दो लेन आरयूबी के स्थान पर चार लेन आरयूबी का निर्माण करने के प्रस्ताव विचाराधीन है। डी.आर.एम. आफिस के पासा आरओबी निर्माण की Detail Feasibility Report Consultant द्वारा जारी तैयार की जा रही है।

बाड़मेर जिले की चरागाह, औरण एवं गोचर गैर मुमकिन भूमि पर अतिक्रमण

14. **कर्नल सोनाराम चौधरी** (बायतू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पशुओं के संरक्षण हेतु चरागाह, औरण एवं गोचर गैर मुमकिन भूमि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान है? यदि हां, तो प्रदेश के गठन के समय बाड़मेर जिले में कितनी चरागाह, औरण एवं गोचर किस्म की भूमि उपलब्ध थी और वर्तमान में उक्त किस्मों की कितनी भूमि उपलब्ध है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त भूमि पर कितने अतिक्रमण हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

(3) उक्त जिले में उक्त किस्मों की भूमि पर कितने अतिक्रमणों के मुकदमे चल रहे हैं? क्या सरकार उक्त अतिक्रमणों को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर में पशुओं के लिए चरागाह, ओरण एवं गोचर भूमि ग्रामीण क्षेत्र में विद्यमान है, शहरी क्षेत्र में उक्त प्रकार की भूमि नहीं है। प्रदेश के गठन के समय बाड़मेर जिले में 46082 हैक्टेयर औरण तथा 137746 हैक्टेयर गोचर भूमि कुल 183828 हैक्टेयर चरागाह भूमि उपलब्ध थी। वर्तमान में जिला बाड़मेर में 44027 हैक्टेयर औरण तथा 152480 हैक्टेयर कुल 196507 हैक्टेयर चरागाह भूमि उपलब्ध है।

(2) जिला बाड़मेर में उक्त प्रकार की भूमि पर कुल 836 अतिक्रमण है। जिसमें से 272 अतिक्रमण हटा दिये गये हैं, शेष 564 अतिक्रमण है। जिनके विरुद्ध आर.एल.आर. एक्ट की धारा 91 की कार्यवाही की जा रही है।

(3) बाड़मेर जिले में उक्त किस्मों की भूमि पर 564 अतिक्रमणों के

(राजस्व मंत्री)

मुकदमे चल रहे हैं। जिन्हें नियमानुसार आर.एल.आर. एक्ट की धारा 91 के तहत हटाने की कार्यवाही की जा रही है।

सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार

15. **श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा प्रत्येक नागरिक को सस्ती, सुलभ एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु गत 5 वर्षों में की गई कार्यवाही एवं प्रारम्भ की गई योजनाओं तथा उन पर किए गए व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि चिकित्सकों के लिए सरकार द्वारा आदेश/परिपत्र जारी कर उनकी पालना सुनिश्चित की जा रही है? यदि हां, तो क्या एवं किस प्रकार से? आदेश/परिपत्र की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि प्रदेश की राजधानी, सम्भागीय मुख्यालयों एवं जिला मुख्यालयों में स्थित विभिन्न चिकित्सालयों के आधुनिकीकरण तथा बेहतर व शीघ्र चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाई जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाती रहती है और आगे भी योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो की गई एवं की जाने वाली कार्यवाही की प्रति सहित गत 5 वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या जयपुर स्थित सवाई मानसिंह चिकित्सालय तथा इससे सम्बन्धित विभिन्न यूनिटों, चिकित्सालयों, आपरेशन थिएटरों में बीमारियों की जांच आदि के सम्बन्ध में सम्पूर्ण सुविधाएं उपलब्ध हैं? यदि हां, तो क्या तथा नहीं, तो क्यों? पृथक-पृथक विवरण सहित वर्तमान में उपलब्ध एवं उसमें की जाने वाली बढ़ोतरी के बाबत् तथ्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर का विस्तार करके इसे विशेष दर्जा प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार से व कब तक? सवाई मानसिंह चिकित्सालय के पश्चिमी तरफ स्थित समस्त सरकारी आवासों को सम्मिलित करके बनाई जाने वाली विस्तार योजना के पूर्ण विवरण सहित किए गए विभिन्न पत्र व्यवहार की प्रति मय विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य के नागरिकों को सस्ती, सुलभ एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा सभी उप स्वास्थ्य केन्द्रों, डिस्पेन्सरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं चिकित्सालयों के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है एवं इस हेतु कई प्रकार की योजनाएं एवं परियोजनाएं संचालित हैं जिनका पांच वर्षों का कार्य विवरण एवं व्यय विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। रोगियों को सस्ती, सुलभ दवाइयां उपलब्ध कराने एवं विभिन्न राष्ट्रीय कार्यकमों के क्रियान्वयन के लिए समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं परिपत्र की प्रतियां परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत हैं।

(3) प्रदेश की राजधानी एवं सम्भागीय मुख्यालयों पर चिकित्सा महाविद्यालयों के अधीन संचालित सम्बद्ध चिकित्सालयों एवं जिला मुख्यालयों पर स्थित विभिन्न चिकित्सालयों के आधुनिकीकरण तथा बेहतर व शीघ्र चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाई जाने के लिए आवश्यकता अनुसार योजनाएं बनाकर कार्यवाही की जाती है।

गत 5 वर्षों में चिकित्सालयों के आधुनिकीकरण तथा बेहतर चिकित्सा हेतु किये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट-स पर प्रस्तुत है।

(4) जी हां। जयपुर स्थित सवाई मानसिंह चिकित्सालय तथा इससे संबंधित विभिन्न यूनिटों, चिकित्सालयों, आपरेशन थियटरों में मरीजों के लिए सम्पर्ण जांच सुविधा उपलब्ध है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:- पैथोलोजी, बायोकेमेस्टी, जनरल लैब, ब्लड बैंक, क्लिनीकल माइक्रोबायोलोजी, मेडिसन, ठम्यूनोऐसे लैब, एनर्जी, रेडियोडाइग्नोसिस, न्यूरोलोजी, अल्टासोनोग्राफी, गेस्टोएन्टोलोजी, आफथलमोलोजी, कार्डियोलोजी, आरआरसी, मेडिकल ज्युरिष्ठ, एजियोग्राफी, ईएनटी, रेडियोआईसोटोप लैब, सर्जरी विभाग, यूरोलोजी, सी.टी. सर्जरी, पल्मोनरी लैब, रीनल लैब, कैंसर रेडियेशन, स्पेशन इन्सेस्टिगेशन, वायारोलोजी, माईकोलोजी, बैक्टीरियोलोजी, हेमोलालोजी, सीटी स्केन एवं एमआईआर आदि की जांच सुविधा का पृथक-पृथक विवरण परिशिष्ट-द पर प्रस्तुत है।

निकट भविष्य में आर्गन ट्रान्सप्लांट में आवश्यक एच.एल.ए., कास मैच, साइक्लोस्पोरेन्स एवं टैक्रोलिमस ड्रग एस्टीमेशन जांच की सुविधायें प्रारम्भ की जा रही हैं।

(5) सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर का विस्तार तो विभिन्न चिकित्सा सुविधाओं में निरन्तर वृद्धि किये जाने से हो रहा है लेकिन

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

एसएमएस चिकित्सालय जयपुर को कोई विशेष दर्जा प्रदान करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

चिकित्सालय के पश्चिम की ओर स्थित दो सरकारी आवासों को समाप्त कर आर्थोपेडिक्स ट्रोमोटोलोजी सेन्टर का कार्य निर्माणाधीन है। विवरण परिशिष्ट-य पर प्रस्तुत है।

इसके अतिरिक्त विस्तार के सम्बन्ध में सर्जिकल गेस्ट्रोएन्टोलोजी, आनकोलोजी, कैडेवर ट्रांसप्लांट का कार्य प्रारम्भ करना प्रस्तावित है।

(विवरण व प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पाली शहर में गाडोलिया लौहार परिवारों को भूखण्डों का आबंटन

1. **श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद् पाली द्वारा वर्ष 2004 में पाली शहर में बसे गाडोलिया लौहार परिवारों का सर्वे किया गया था? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) नगर परिषद्, पाली द्वारा वर्ष 2004 से अब तक कितने गाडोलिया लौहारों के परिवारों को नि:शुल्क भूखण्ड आबंटित किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से किन-किन गाडोलिया लौहार परिवारों का सर्वे सूची में नाम होने के बावजूद भी किन कारणों से अब तक भूखण्ड नहीं दिये गए? कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त में से किन-किन गाडोलिया लौहार परिवारों ने सर्वे सूची में नाम दर्ज नहीं होने के कारण नगर परिषद् पाली में नाम जोड़ने हेतु प्रार्थना पत्र या आवेदन पेश किया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) वर्तमान में जहां पूर्व में गाडोलिया लौहार परिवारों को भू-खण्ड आबंटित किये, उसके पास की रिक्त भूमि पर एवं पाली शहर के किस-किस इलाके में कौन-कौन से गाडोलिया लौहार परिवार निवास कर रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार पाली शहर में निवास कर रहे उन गाडोलिया लौहार परिवार को जिन्हें पूर्व में नि:शुल्क भू-खण्ड आबंटित नहीं किये थे, उन्हें भू-खण्ड आबंटन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? परिवारों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। परन्तु जिला कलक्टर पाली के आदेशानुसार नगर परिषद पाली द्वारा वर्ष 2003 में गाडोलिया लौहार परिवारों का सर्वे किया गया था। सर्वे में 87 गाडोलियां लौहार परिवार सूचीबद्ध किये गये थे जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जिला कलक्टर पाली से प्राप्त गाडोलियां लौहारों की अनुमोदित

(स्वायत्त शासन मंत्री)

अन्तिम सर्वे सूची में अंकित 20 परिवारों में से नगर परिषद् पाली द्वारा वर्ष 2004 से अब तक 18 गाडोलियां लौहार परिवारों को निशुल्क भूखण्ड आबंटित किये गये हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) उक्त अनुमोदित सूची में उल्लेखित 20 परिवारों में से दो परिवारों को भूमि आबंटित नहीं की गई है क्योंकि जिला कलक्टर पाली की अनुमोदित अन्तिम सर्वे सूची में क्रमांक 3 पर अंकित श्री मोती लाल एवं उसकी पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाने से भूमि आबंटित नहीं की जा सकी तथा सूची में अंकित श्री अशोक कुमार को अपने पिता श्री भीकाराम को भूखण्ड आबंटित कर दिये जाने से भूखण्ड आबंटन नहीं किया गया।

(4) सर्वे सूची में नाम दर्ज नहीं होने के कारण अपने नाम जोड़ने हेतु 71 व्यक्तियों ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किये हैं जिनका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(5) वर्ष 2003 में किये गये गाडोलियां लौहार परिवारों के सर्वे के पश्चात् नगर परिषद द्वारा पुनः सर्वे नहीं करवाया गया। पुनः सर्वे नहीं करवाया गया अतः सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है।

(6) भूखण्ड हेतु आवेदन प्राप्त होने पर नगर परिषद् द्वारा भूखण्डों की उपलब्धता के आधार पर आबंटन संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी।

(सूची व विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

भरतपुर शहर की सड़कों की मरम्मत

2. **श्री विजय बंसल** (भरतपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार भरतपुर शहर की जर्जर सड़कों की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस सड़क की व कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

शहरी क्षेत्र में स्थित सड़कों के रखरखाव नगर परिषद्, नगर सुधार न्यास एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यक्षेत्र में आता है। तदैव भरतपुर शहर में इनके द्वारा सड़कों के मरम्मत किये जा रहे कार्यों का विवरण संलग्न है।

परिशिष्ट-अ

भरतपुर शहर की सा. नि. वि. द्वारा संधारित सड़कों का विवरण

क्र. सं.	सड़क का नाम	लम्बाई (किमी).	वर्तमान स्थिति		विशेष विवरण
			संतोषजनक (किमी.)	मरम्मत योग्य (किमी.)	
1	सेवर हीरादास सड़क	4.700	4.20	0.50	कार्य दिनांक 14.5.2015 तक संवेदक की गारण्टी अवधि में है। मरम्मत कार्य माह अक्टूबर, 2010 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
2	भरतपुर मथुरा बाइपास	11.00	8.00	3.00	कार्य दिनांक 14.5.2015 तक संवेदक की गारण्टी अवधि में है। मरम्मत कार्य माह अक्टूबर, 2010 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
3	भरतपुर मथुरा रोड से मालगोदाम रोड	1.00	-	1.00	मरम्मत कार्य माह अक्टूबर, 2010 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तवित है।
4	आर.बी.एम. अस्पताल से रीको इण्डस्ट्रीयल रोड	5.00	2.00	3.00	मरम्मत कार्य माह अक्टूबर, 2010 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तवित है।
5	भरतपुर अछनेरा रोड (3/0 से 18/0)	15.00	12.00	3.00	कार्य दिनांक 8.6.2013 तक संवेदक की गारण्टी अवधि में है। मरम्मत कार्य माह अक्टूबर, 2010 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
	योग	**36.700**	**26.20**	**10.50**	

1. अनाह गेट सर्किल पर सी.सी. रोड का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं एक तरफ 120 मीटर लम्बाई 2 लैन में निर्माण पूर्ण किया जा चुका है शेष दूसरी तरफ 15 दिवस पश्चात् प्रारम्भ कराया जावेगा एवं कार्य के 15 अक्टूबर, 2010 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। जिस पर अनुमानित व्यय 12.68 लाख रुपये सम्भावित है।

2. कन्नी गुर्जर सर्किल पर सी.सी. रोड की निविदा आमंत्रित की जा चुकी है एवं पी.एच.ई.डी. द्वारा पानी की लाइन शिफ्टिंग का कार्य चल रहा है। जिसकी राशि भी न्यास द्वारा उपलब्ध कराई गई है। पीएचईडी द्वारा कार्य पूर्ण होने पर सी.सी. रोड के निर्माण का कार्यदेश जारी किया जावेगा। इस कार्य पर अनुमानित व्यय 24.17 लाख रुपये सम्भावित है।

3. नगर सुधार न्यास द्वारा कुम्हेर गेट से चौराहे तक सी.सी. रोड का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं 15 सितम्बर, 2010 तक पूर्ण करवा दिया जावेगा। जिस पर अनुमानित व्यय 874 लाख रुपये सम्भावित है।

4. नगर सुधार न्यास द्वारा डामरीकरण के पेच वर्क का कार्यदेश 10.00 लाख रुपये का दिया हुआ है अमेरिकन गेट से मान सिंह सर्किल एवं कृष्णा नगर की 1-2 सड़कों पर पेच वर्क करवाया जा चुका है। शेष कार्य बरसात के बाद करवाया जावेगा एवं उस कार्य को 31.12.2010 तक करा दिया जावेगा।

5. इसके अलावा नगर सुधार न्यास द्वारा सारस सर्किल के पास सी.सी. रोड का निर्माण एक तरफ लगभग 60 रनिंग मीटर में करवाया जा चुका है। शेष निर्माण 30.09.10 तक करवाया जावेगा।

6. इसके अलावा रेडक्रास से कुम्हेर गेट तक कुछ हिस्से में नाली निर्माण का कार्य प्रगति पर है एवं 31.10.2010 तक पूर्ण होने की सम्भावना है इससे निकट भविष्य में ड्रेनेज सिस्टम प्रोपर होने से सडक टूटने की सम्भावना कम होगी इस कार्य पर अनुमानित व्यय 23.28 लाख रुपये होने की सम्भावना है।

7. सर्कुलर रोड पर कुछ जगह सी.सी. रोड के निर्माण हेतु 24.03 लाख रुपये का तकमीना तैयार किया गया है अत: प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

8. बरसात के समय नियमित रूप से डब्ल्यू बी.एम. पेचिंग का कार्य कराया जा रहा है।

9. नगर परिषद द्वारा अपने क्षेत्राधिकार की डामर की सड़कों में पेच रिपेयर के लिये 10.00 लाख रुपये का कार्यदेश जारी किया जा चुका है।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विश्वेश्वैरया नगर, गोपालपुरा बाईपास पर अनुमोदित कालोनियों में सड़कों की मरम्मत

3. **श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अपोलो गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा काटी गई एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित विश्वेश्वैरया नगर, गोपालपुरा बाइपास की सड़कें सरकार द्वारा बनायी गयी थीं? यदि हां, तो कब-कब व उक्त पर कितनी लागत आई?

(2) सरकार द्वारा उक्त कालोनियों की सड़कों की कब-कब मरम्मत करवायी गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त कालोनी की वर्तमान में सड़कों की हालत जीर्ण-शीर्ण है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों पर पुनः डामरीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। अपोलो गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा काटी गई एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित विश्वेश्वैरया नगर, गोपालपुरा बाइपास की सड़कें जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2003 में बनाई गई थीं, इस पर रुपये 8.21 लाख (रुपये आठ लाख इक्कीस हजार) की लागत आई।

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इस क्षेत्र की अन्य सड़कों के साथ उक्त कालोनी की सडकों के मरम्मत का कार्य वर्ष 2005 में किया गया है।

(3) जी हां। वर्तमान में बरसात के कारण उक्त कालोनी की सड़कों का कुछ भाग क्षतिग्रस्त हुआ है, जिनकी डब्ल्यू.बी.एम. मेटेरियल से मरम्मत की जा रही है तथा बरसात के पश्चात् बिटूमिनस मेटेरियल से पेच मरम्मत का कार्य सम्पादित किया जायेगा। उक्त कालोनी की सड़कों का पुनः डामरीकरण का कार्य संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर हाथ में लिया जायेगा।

प्रश्न संख्या-4

(स्थगित)

सीकर जिले में पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों का शारीरिक परीक्षण

5. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों को शारीरिक रूप से दक्ष बने रहने के सम्बन्ध में मानदण्ड निर्धारित हैं? यदि हां, तो क्या एवं नहीं, तो क्यों? सम्बन्धित आदेशों/परिपत्रों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मानदण्डों की पालना किया जाना प्रत्येक जिला पुलिस अधीक्षक के लिए अनिवार्य है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला सीकर में पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों का गत दो वर्षों में कब-कब शारीरिक परीक्षण किया गया एवं कितने पुलिसकर्मी परीक्षण में शारीरिक रूप से अयोग्य पाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त जिले में गत दो वर्षों में पुलिसकर्मियों का शारीरिक परीक्षण नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों एवं अब कब तक सभी पुलिसकर्मियों का परीक्षण कर अयोग्य पाये जाने वाले पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को फिजीकली फिट होने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शारीरिक रूप से दक्ष बने रहने बाबत पुलिस मुख्यालय के परिपत्र दिनांक 23.04.05 एवं दिनांक 03.04.2008 के द्वारा मानदण्ड निर्धारित है। परिपत्रों की छाया प्रतियां परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) जिला सीकर में दिनांक 25.06.2008, 05.07.2008, 20.06.2008 व 07.12.2009 को कुल 399 पुलिस कर्मियों का शारीरिक परीक्षण करवाया गया। कोई कर्मचारी अनफिट नहीं पाया गया।

(4) जी नहीं।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

ग्राम पंचायतों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों का निस्तारण

6. श्री पेमाराम (धोद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) 01 जनवरी, 2009 से 15 अगस्त, 2010 तक राज्य के किस-

(श्री पेमाराम)

किस जिले की किन-किन ग्राम पंचायतों के विरुद्ध अनियमितता के किस-किस तारीख को कितने मुकदमे दर्ज हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मुकदमों में से कितने मुकदमों में चालान पेश कर दिया गया तथा कितने मुकदमों का अनुसंधान चल रहा है एवं कितने व कौन-कौन से जिलों के कौन-कौन से मुकदमों का अनुसंधान सी.आई.डी., सी.बी. से करवाया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सी.आई.डी., सी.बी. में तीन माह से अधिक समय के कौन-कौन से उक्त मुकदमे अनुसंधान में हैं तथा इनका किस तारीख तक अनुसंधान पूर्ण कर लिया जावेगा?

उत्तर

(1) दिनांक 01 जनवरी, 2009 से दिनांक 15 अगस्त, 2010 तक राज्य में ग्राम पंचायतों में अनियमितताओं के कुल 350 प्रकरण राज्य पुलिस द्वारा एवं 59 मुकदमे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दर्ज किये गये हैं।

राज्य पुलिस द्वारा दर्ज किये गये प्रकरणों का जिलेवार व तारीख वार विवरण परिशिष्ट 'अ' के कालम संख्या 1 से 7 में अंकित है। एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दर्ज किये गये मुकदमों का विवरण परिशिष्ट 'ब' में अंकित है।

(2) राज्य पुलिस द्वारा दर्ज मुकदमों में से 73 मुकदमों में चालान किया गया है। कुल 132 मुकदमे अनुसंधानरत हैं। विवरण परिशिष्ट 'अ' में अंकित है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दर्ज किये गये प्रकरणों में से 1 प्रकरण में चालान पेश किया जा चुका है और 3 प्रकरणों में चालान पेश करने की कार्यवाही की जा रही है। 53 प्रकरणों में अनुसंधान चल रहा है।

पुलिस द्वारा दर्ज प्रकरणों में से एक प्रकरण का अनुसंधान सी.आई.डी.सी.बी. द्वारा किया जा रहा है जिसका विवरण परिशिष्ट 'अ' के क्रम संख्या 120 के कालम संख्या '11' पर अंकित है।

(3) अभियोग संख्या 4/2010 थाना लोसल जिला सीकर का अनुसंधान सी.आई.डी. (सी.बी.) राजस्थान द्वारा किया जा रहा है जो तीन माह से अधिक समय से पैण्डिग चल रहा है। प्रकरण का अनुसंधान शीघ्र पूर्ण कर लिया जावेगा।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

देवली-उनियारा विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में फ्लोराइड समस्या का निराकरण

7. श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पेयजल से उत्पन्न फ्लोरोसिस की समस्याग्रस्त ग्रामों के निवासियों के उपचार तथा समस्या निराकरण बाबत् सरकार द्वारा कार्यवाही की जाती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के विभिन्न ग्रामों में अत्यधिक फ्लोराइड समस्या के कारण हो रही बीमारियों की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा सतर्कता एवं सजगता बरती जा रही है? यदि हां, तो किस प्रकार से तथा किस आदेश के तहत? प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के अधिक फ्लोराइड प्रभावित ग्रामों में उत्पन्न हो रही बीमारियों की वास्तविक स्थिति की जानकारी हेतु सर्वे करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? पृथक-पृथक विवरण एवं की जा रही कार्यवाही के ब्यौरे सहित सूची सदन की मेज पर रखें तथा नहीं, तो अब इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जावेगी?

(4) क्या सरकार उपरोक्त समस्या से प्रभावित ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार से तथा इसके लिए क्या कार्यवाही की जा रही है व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। फ्लोराइड से ग्रस्त रोगियों को लक्षण के आधार पर राजकीय चिकित्सालयों में उपचार दिया जाता है।

(2) फ्लोराइड क्षेत्रों का चिन्हीकरण कर उस पर कार्यवाही जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा की जाती है। पेयजल में अत्यधिक फ्लोराइड की समस्या के स्थाई समाधान बाबत् जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा राजस्थान एकीकृत फ्लोराइड नियंत्रण कार्यक्रम राज्य में चलाया जा रहा है जिसकी क्रियान्विति तीन चरणों में निम्नानुसार की जा रही है :-

प्रथम चरण :- इसमें 2643 ग्राम/ढाणियां जिसमें फ्लोराइड की मात्रा

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

5.0 पीपीएम से अधिक है, की क्रियान्वित वर्ष 2004-05 हेतु निर्धारित की गई, जो कि अब पूर्ण हो चुका है। (मार्च, 2005 से फरवरी, 2008)

द्वितीय चरण- इसमें 5056 ग्राम/ढाणियों को जिनमें फ्लोराइड की मात्रा 3.0 पीपीएम से अधिक किन्तु 5.0 पीपीएम से कम है, को लाभान्वित किया जाना लक्षित किया गया है। यह चरण प्रगति पर है (सितम्बर 2006 से लगातार)। इस चरण में 5056 ग्रामों/ढाणियों को जिनमें फ्लोराइड की मात्रा 3.0 पीपीएम से अधिक व 5.0 पीपीएम से कम है, को लाभान्वित करने हेतु प्रस्ताव लागत रुपये 74.06 करोड़ के तैयार किये जाकर नीति-निर्धारण समिति की 170वीं बैठक में दिनांक 23.06.2006 को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी जा चुकी है।

इस कार्यक्रम के तहत 18 जिलों के 4039 गांवों को घरेलू डी-फ्लोरीडेशन इकाई से तथा 13 जिलों के 921 गांवों को हैण्डपम्प संबद्ध डी-फ्लोरीडेशन इकाई से लाभान्वित किया जाना है। गैर-सरकारी संस्थाओं के चयन का कार्य पूर्ण कर दिया गया है जिसके तहत 18 जिलों में 105 गैर सरकारी संस्थानों का चयन कर लिया गया है। घरेलू डी-फ्लोरीडेशन इकाइयों के क्रय की प्रक्रिया के तहत राज्य के 18 जिलों में 58064 इकाइयों के क्रय हेतु अधिकार पत्र (आथेराईजेशन) जारी कर दिये गये हैं। जिसमें से माह मार्च, 2010 तक विभिन्न जिलों में 36142 इकाइयां प्राप्त हो चुकी हैं। यह कार्यक्रम विभाग के संबंधित अतिरिक्त मुख्य अभियन्ताओं द्वारा उनके क्षेत्र में चयनित जिलों में करवाया जा रहा है। प्राप्त घरेलू-डी-फलोरीडेशन इकाइयों के बीपीएल परिवारों में वितरण का कार्य भी प्रारम्भ हो चुका है। माह मार्च, 2010 तक 26564 इकाइयां वितरित भी की जा चुकी हैं तथा 977 हैण्डपम्प वाली इकाइयां स्थापित की चुकी हैं तथा शेष कार्य प्रगति पर है। यूनिसेफ कर्मचारी की ओरिएन्टेशन कार्यशालाएं भी आयोजित की गई, जिसमें सीसीडीयू द्वारा भी इस कार्यक्रम को गति प्रदान किये जाने के उद्देश्य से संबंधित प्रशिक्षण इत्यादि की जानकारी अधिकारियों को दी गई।

तृतीय चरण- तृतीय चरण के अन्तर्गत 1.5 पीपीएम से अधिक 5.0 पीपीएम तक फ्लोराइड की मात्रा के ग्राम/ढाणियों को लाभान्वित किया जाना लक्षित किया गया है। इस चरण में प्रदेश के 32 जिलों में (जिला बाड़मेर को छोड़कर) उपलब्ध जल स्त्रोतों पर डी-फ्लोरीडेशन यूनिट लगाने के लिए निविदा जारी करने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) फ्लोराइड प्रभावित ग्रामों में उत्पन्न हो रही बीमारियों में होने वाली बीमारियों में मुख्य बीमारी, फ्लोरोसिस है। जो एक जन स्वास्थ्य समस्या

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

है यह मुख्य रूप से फ्लोराइड का अत्यधिक मात्रा में सेवन (पीने का पानी, भोज्य पदार्थ के रूप में) से उतपन्न होती है। नेशनल प्रोग्राम फार प्रीवेन्शन एण्ड कन्ट्रोल आफ फ्लोरोसिस राष्ट्रीय कार्यक्रम है। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार सम्पूर्ण देश में 20 राज्यों एवं स्वपोषित प्रदेशों के 275 जिले इस रोग से ग्रसित है। भारत सरकार द्वारा राजस्थान राज्य में अपने पत्रांक प 13015/13/2008-एमसीएच दिनांक 12.11.2008 द्वारा प्रथम चरण में नागौर जिले में इस कार्यक्रम की शुरूआत की गई। जिसके अन्तर्गत फ्लोरिसिस से ग्रसित गांवों का उचित रूप से सर्वे, संदिग्ध रोगियों की जांच तथा पीडित, रोगियों का इलाज डेफोरमिटी करेक्शन उनका पुर्नवसन, रोकथाम के उपाय एवं जन चेतना के उद्देश्य से किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में राज्य के नागौर जिले को ही सम्मिलित किया गया है। द्वितीय चरण वर्ष 2010-2011 में अन्य प्रभावित जिलों में उक्त कार्यक्रम भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार प्रारम्भ किया जावेगा।

(4) जी हां। राज्य के समस्त जिलों में चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं। फ्लोराइड से ग्रसित रोगियों को लक्षण के आधार पर राजकीय चिकित्सालयों में उपचार दिया जाता है।

प्रदेश में संचालित ब्लड बैंक

8. **श्री बनवारी लाल सिंघल** (अलवर शहर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के किस-किस जिले में कितने सरकारी तथा निजी ब्लड बैंक संचालित हैं? जिलेवार नाम-पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) ब्लड बैंकों में खून संरक्षित करने तथा संक्रमण से बचाने की तकनीक के नवीनीकरण एवं सतत निरीक्षण की क्या प्रक्रिया एवं नियम निर्धारित हैं? संबंधित परिपत्रों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि नेशनल एक्रीडिशन बोर्ड आफ हास्पिटल की ओर से जारी सर्वे रिपोर्ट में प्रदेश के सरकारी तथा निजी ब्लड बैंकों में कई कमियों की ओर इंगित किया गया है? यदि हां, तो किन-किन कमियों की ओर तथा इनको दूर करने हेतु क्या उपाय अब तक किये गये हैं? सर्वे रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ब्लड बैंकों में आमजन को ब्लड समूहों की मात्रा तथा उपलब्धता का सूचना पट्ट लगवाने के कठोर निर्देश जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में सरकारी एवं संस्थागत (निजी) ब्लड बैकों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) ब्लड बैंकों में उपलब्ध रक्त की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु एवं उन्हें संक्रमण से बचाने के लिए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 जो केन्द्रीय अधिनिमय है के पार्ट एक्स-बी के नियम 122 (ई) (ए) से 122-एल के अन्तर्गत प्रावधान निर्धारित है। ब्लड बैंक हेतु वांछित क्षेत्रफल, तकनीकी स्टाफ, आवश्यक मशीन/उपकरण इत्यादि से संबंधित विवरण पार्ट 12-बी में निहित है। नियमों की प्रतिलिपि परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत है।

(3) नेशनल एक्रीडिशन बोर्ड आफ हास्पीटल्स की ओर से जारी सर्वे रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है। ब्लड बैंकों का औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 व नियम 1945 के प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्र व राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त ड्यूल लाइसेन्सिंग सिस्टम के अन्तर्गत लाइसेंस जारी किये जाते हैं।

वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार सम्पूर्ण देश में अब तक सिर्फ 18 ब्लड बैंकों ने ही इस संस्था से एक्रीडिशन करवाया हुआ है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के प्रावधानों के तहत नेशनल एक्रीडिशन बोर्ड आफ हास्पीटल्स से एक्रीडिशन करवाने का कोई प्रावधान वर्तमान में नियमों में नहीं है और न ही इसकी अनिवार्यता है।

(4) राजस्थान राज्य रक्त संचरण परिषद् की आयोजित होने वाली आगामी बैठक में ब्लड बैंकों में आमजन को ब्लड समूहों की मात्रा तथा उपलब्धता की सूचना पट्ट लगवाने हेतु निर्णय होने के उपरान्त शीघ्र निर्देश जारी कर दिये जायेंगे।

(विवरण व प्रतिलिपि विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली द्वारा क्रय की गई सामग्री में अनियमितता की जांच

9. **श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में पाली जिले के किस-किस सब सेन्टर एडपोस्ट चिकित्सालय एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में कौन-कौन सा फर्नीचर एवं अन्य सामग्री कौन-कौन से मद में

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

किस-किस मूल्य की कितनी-कितनी राशि की किस-किस के आदेशों से कितनी-कितनी मात्रा में किस-किस फर्म से कब-कब क्रय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कौन-कौनसा फर्नीचर एवं अन्य सामग्री बिना निविदा आमंत्रित किये एवं कौन-कौन सी निविदा आमंत्रित करके क्रय की गई एवं उक्त में किस-किस फर्म ने किस-किस सामग्री की क्या-क्या दर दी थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सामग्री कहां-कहां कब-कब प्राप्त हुई एवं इनका भुगतान किस-किस अधिकारी द्वारा कब-कब किया गया?

(4) क्या यह सही है कि उक्त सामग्री की गुणवत्ता की जांच हेतु सरकार द्वारा कोई समिति बनाई गयी थी? यदि हां, तो किन-किन अधिकारियों की एवं इसमें क्या-क्या जांच की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो सामग्री की बिना जांच किये भुगतान किस आधार पर किया गया व इसके लिये कौन जिम्मेवार हैं?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में पाली जिले के सब सेन्टर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी पाली एवं सोजत के द्वारा क्रय किये गये फर्नीचर एवं अन्य सामग्री कौन-कौन से मद, कितनी-कितनी राशि, किस-किस के आदेश, कितनी-कितनी मात्रा में किस-किस फर्म से कब-कब क्रय किया गया का विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) सूचना परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(3) सूचना परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(4) सामग्री के गुणवत्ता की जांच हेतु सरकार द्वारा कोई समिति नहीं बनायी गयी है। लोकायुक्त सचिवालय से प्राप्त परिवाद के परिप्रेक्ष्य में जिला स्वास्थ्य समिति पाली के द्वारा वर्ष 2006-07 में अनटाइड फण्ड से उप स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए किये गये क्रय का विशेष अंकेक्षण सहायक लेखाधिकारी एवं लेखाकार के एक दल से कराया गया। अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति टिप्प्णी के साथ लोकायुक्त सचिवालय को प्रेषित करने पर लोकायुक्त सचिवालय ने पत्र दिनांक 18.8.2010 द्वारा अन्य

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

निर्देशों के साथ ही यह निर्देश भी प्रदान किये है कि इस प्रकरण में वित्तीय अनियमितताओं एवं पर्यवेक्षणीय लापरवाही के लिए लोक सेवकों का उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाकर, उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये। इन निर्देशों की पालना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण व प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बायतू (बाड़मेर) में प्रसूति वार्ड का निर्माण

10. **कर्नल सोनाराम चौधरी** (बायतू) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही हे कि संस्थागत प्रसूति हेतु उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रसूति कक्ष एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रसूति कक्ष के साथ वार्ड की आवश्यकता होती है तथा इस हेतु प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है? यदि हां, तो तत्संबंधित आदेश, निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बाड़मेर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बायतू में प्रसूति वार्ड की सुविधा उपलब्ध है? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसी वित्तीय वर्ष में उक्त चिकित्सालय में प्रसूति वार्ड निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसव सेवायें उपलब्ध करवाने हेतु उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रसूति गृह की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत 3000 उप स्वास्थ्य केन्द्रों को आदर्श उप स्वास्थ्य केन्द्रों के रूप में चयनित कर उन पर प्रसूति कक्ष का निर्माण करवाया जा रहा है। जिसमें से 1240 उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रसूति कक्ष के साथ वार्ड की आवश्यकता होती है। संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने के लिए जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत जारी आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत हैं।

(2) जी नहीं। चालू वित्तीय वर्ष में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बायतू में प्रसूति वार्ड का निर्माण वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर प्राथमिकता के आधार पर करवाया जायेगा।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

मालपुरा विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पद

11. श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में रेफरल अस्पताल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कहां-कहां कितने पद? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि मालपुरा रेफरल अस्पताल में ब्लड बैंक की व्यवस्था है? यदि हां, तो कब से व अब तक कितना ब्लड मरीजों को दिया गया और नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उक्त अस्पताल में ब्लड बैंक की सुचारू व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों व हां, तो कब तक?

(3) गत एक वर्ष में रेफरल अस्पताल मालपुरा में सर्जन एवं गायनोलोजिस्ट (प्रसूति रोग विशेषज्ञ) द्वारा कितने सिजेरियन आपरेशन किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (रेफरल अस्पताल) एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के रिक्त पदों का चिकित्सा संस्थानवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पदौन्नति से भरे जाने हैं, शीघ्र विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित कर यथा सम्भव प्राथमिकता/आवश्यकता के अनुसार भरे जायेंगे। चिकित्सा अधिकारी (दंत) के 38 पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त 150 चिकित्सा अधिकारी (दंत) के पदों को संविदा/अनुबंध के आधार पर भरने की प्रक्रिया प्रकियाधीन है। ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरे जायेंगे।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मालपुरा में ब्लड बैक नहीं है, परन्तु ब्लड स्टोरेज यूनिट है जो दिनांक 6.10.2007 से संचालित है। उक्त ब्लड स्टोरेज यूनिट पर 15 अगस्त, 2010 तक 12 यूनिट ब्लड जिला चिकित्सालय

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

टोंक के ब्लड बैंक से प्राप्त हुआ जिसमें से 6 यूनिट ब्लड मरीजों को दिया गया। शेष ब्लड पुन: जिला चिकित्सालय टोंक की ब्लड बैंक को लौटा दिया गया। ब्लड स्टोरेज यूनिट में ब्लड की सुचारू व्यवस्था जिला अस्पताल टोंक के ब्लड बैंक द्वारा की जाती है।

(3) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मालपुरा में सर्जन विशेषज्ञ के द्वारा 1 जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2009 तक 3 सीजेरियन आपरेशन किये गये हैं सूची परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत है। स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा सभी सामान्य प्रसव कराये गये हैं।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (रेफरल अस्पताल) एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के रिक्त पदों का चिकित्सा संस्थावार संख्या विवरण निम्न प्रकार है

क्र. सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या
1	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मालपुरा	कनिष्ठ विशेषज्ञ (निश्चेतन)	1
		कनिष्ठ विशेषज्ञ (ईएनटी)	1
		कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र रोग)	1
		वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (ब्लाक सी.एम.ओ.)	1
		ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी	1
		चिकित्सा अधिकारी (दंत)	1
2	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र टोडारायसिंह	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1
		वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (ब्लाक सी.एम.ओ.)	1
		ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी	1
3	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डिग्गी	ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी	1
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मान्दोलाई	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1
5	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खरेडा	ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी	1

परिशिष्ट-ब

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मालपुरा में सर्जन विशेषज्ञ के द्वारा 1 जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 1999 तक किये गये सीजेरियन आपरेशन का विवरण निम्न प्रकार है

क्र.सं.	नाम	पति का नाम	जाति	पता	आपरेशन की दिनांक	आपरेशन का प्रकार	आपरेशन करने वाले सर्जन का नाम
1	श्रीमती निरमा	श्री शिवराज	जाट	दतोब तहसील टोडारायसिंह	7.4.2009	एलएससीएस विद सीटीटी	डा. ओ.पी. जैन
2	श्रीमती ललिता	श्री चन्दकुमार	जैन	18, आदर्श नगर मालपुरा	7.11.2009	एलएससीएस	डा. ओ.पी. जैन
3	श्रीमती हंसा	श्री गजेन्द्र वर्मा	वर्मा	वार्ड सं. 18 मालपुरा	17.11.2009	एलएससीएस	डा. ओ.पी. जैन

प्रदेश में संनिर्माण कर्मकार अधिनियम के प्रावधानों की सुनिश्चितता

12. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्रमिकों के कल्याण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा लागू किये गये भवन निर्माण व अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम को राज्य में लागू कर दिया गया है? यदि हां, तो कब से? अधिनियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत राज्य में भवन निर्माण पर व्यय राशि पर एक प्रतिशत उपकर वसूले जाने का प्रावधान किया गया है? यदि हां, तो राज्य में इसे लागू करने के पश्चात् से अब तक कितनी राशि उपकर के रूप में वसूली जा चुकी है? माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि राज्य में उक्त अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन नहीं करने से श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करने में बाधा उत्पन्न हो रही है? यदि हां, तो क्यों एवं इसके लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी है व उनके विरुद्ध क्या सरकार कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य में भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत बने नियम राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा की शर्त का विनियमन) नियम 2009 दिनांक 30.4.2009 को अधिसूचित होने से लागू हो गया है। अधिनियम की प्रति सदन के पटल पर रखने हेतु प्रस्तुत है।

(2) जी हां। अधिनियम के प्रावधानों के तहत राज्य में भवन निर्माण पर खर्च राशि पर एक प्रतिशत उपकर वसूले जाने का प्रावधान है। राज्य में इसे लागू करने के पश्चात् अब तक माहवार निम्नानुसार उपकरण राशि वसूल की जा चुकी है :-

1. जून, 2010 तक 3,26,24,230/-
2. जुलाई, 2010 तक 3,75,27,824/-

(श्रम एवं नियोजन मंत्री)

3. अगस्त, 2010 तक 2,89,67,791/-

कुल जमा राशि 9,91,19,845/-

(3) जी नहीं। अधिनियम के प्रावधानों की कड़ाई से पालना की जा रही है। श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं अधिनियम एवं राज्य नियमों के अन्तर्गत गठित राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा तैयार की जा रही है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में छात्र एवं शिक्षकों का अनुपात

13. **श्रीमती कमला कस्वां** (सादुलपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में ऐसे कितने विद्यालय शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में संचालित हैं, जो एक कि.मी. की परिधि में आते हैं तथा ऐसे विद्यालय में छात्र संख्या व शिक्षकों का अनुपात क्या है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय एक ही विद्यालय में चल रहे हैं? यदि हां, तो ऐसे कितने विद्यालय हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में 1 कि.मी. की परिधि में संचालित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का विवरण शिक्षक छात्र अनुपात सहित परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में संचालित विद्यालयों में से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र का एक भी विद्यालय ऐसा नहीं है जो एक कि.मी. की परिधि में संचालित हो रहा है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के उक्त विद्यालयों में से जो विद्यालय एक ही विद्यालय भवन में संचालित हैं उनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	नाम विद्यालय
1.	राप्रावि वार्ड नं. 1 राजगढ़
2.	राप्रावि वार्ड नं. 3 राजगढ़
3.	राप्रावि वार्ड नं. 28 राजगढ़
4.	राप्रावि वार्ड नं. 23 राजगढ़

परिशिष्ट 'क'

सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र में 01 किलोमीटर परिधि में संचालित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा उनमें शिक्षक-छात्र अनुपात का विवरण

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	शिक्षक-छात्र अनुपात
1	राप्रावि, टुण्डा खेडी	1 : 18
2	राउप्रावि, बास किशनपुरिया	1 : 14
3	राउप्रावि, बीझावास	1 : 15
4	राप्रावि, इन्द्रपुरा	1 : 25
5	राउप्रावि, बेरासर बड़ा	1 : 29
6	राप्रावि, बेरासर मझंला	1 : 23
7	राप्रावि, वार्ड नं. 1, राजगढ़	1 : 51
8	राप्रावि वार्ड नं. 3, राजगढ़	1 : 22
9	राप्रावि वार्ड नं. 28, राजगढ़	1 : 31
10	राप्रावि वार्ड नं. 23, राजगढ़	1 : 22

राज्य में सेवनिवृत्ति की तिथि के पश्चात् भी सेवानिवृत्त नहीं करने के प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

14. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में विगत दो वर्षों में सेवानिवृत्ति की आयु पूर्ण कर लेने के पश्चात् भी राज्य सेवा में लगातार बने रहने का प्रकरण उजागर हुआ है? यदि हां, तो किस कार्यालय में कार्यरत किस कर्मचारी का? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि किसी भी राजकीय कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति तिथि के दिन सेवा से निवृत्त करने का उत्तरदायित्व जिला शिक्षा अधिकारी का होता है? यदि हां, तो भाग संख्या एक में वर्णित प्रकरण में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन न करने वाले अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विगत दो वर्षों में सेवानिवृत्ति की आयु पूर्ण कर लेने के पश्चात् भी राज्य सेवा में बने रहने के निम्न प्रकरण उजागर हुए हैं :-

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	कर्मचारी का नाम पद मय पदस्थापन स्थान
1	जिशिअ, प्राशि, जयपुर	श्री जगदीश प्रसाद मीणा, च.श्रे.क. जिशिअ, प्राशि, जयपुर
2	जिशिअ, प्राशि, बीकानेर	श्रीमती धापू बाई, च.श्रे.क. राउप्रावि, नया शहर, बीकानेर
3	बी.ई.ई.ओ. खेराबाद (कोटा)	श्रीमती प्रेमलता गहलोत, अध्यापिका, राउप्रावि, उण्डवा, पं.स. खेरबाद

(2) राजकीय कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति तिथि के दिन सेवा से निवृत्त करने का दायत्वि नियुक्ति अधिकारी का होता है। प्रश्नोत्तर के भाग संख्या 01 में वर्णित प्रकरणों की जांच कार्यवाही की जा रही है, जांचोपरान्त दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जा सकेगी।

प्रश्न संख्या-15

(स्थगित)

प्रदेश के विद्यालयों अध्यापकों एवं व्याख्याताओं के समानीकरण के अन्तर्गत स्थानान्तरण प्रकरण

16. **श्री ओम बिरला** (कोटा-दक्षिण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में वर्ष 2010 में कितने स्कूल अध्यापक एवं व्याख्याताओं को समायोजन के नाम पर किस के आदेश से स्थानान्तरित किया गया? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) समायोजन पारदर्शितापूर्ण न होने के कारण कितने प्रकरणों में न्यायालय ने स्थगनादेश जारी किये एवं उन आदेशों की पालना में कितने अध्यापकों एवं व्याख्याताओं को पुन: अपने मूल स्थान पर पदस्थापन के आदेश जारी किये गये? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री ओम बिरला)

(3) क्या यह सही है कि समायोजन के नाम पर स्थानान्तरण एवं वापिस निरस्तीकरण के आदेश सरकार द्वारा स्वैच्छिक प्रार्थना पत्र पर जारी किया गया है? यदि हां, तो ऐसे समस्त अध्यापकों/व्याख्याताओं द्वारा प्रस्तुत स्वैच्छिक स्थानान्तरण प्रार्थना पत्रों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) समायोजन के नाम पर स्थानान्तरण एवं वापस निरस्तीकरण करने पर अध्यापकों/व्याख्याताओं का जो टीए/डीए सरकार द्वारा वहन किया जाना है, उस पर कितनी राशि खर्च होनी है एवं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) समानीकरण के तहत अधिशेष होने पर वर्ष 2010 में शिक्षा विभाग में स्थानतरण किये गये अध्यापकों एवं व्याख्याताओं की जिलेवार सूचना परिशिष्ट 'क' तथा 'ख' पर संलग्न है।

(2) समानीकरण का कार्य पूर्णतया पारदर्शितापूर्ण ढंग से छात्रों के हितार्थ शैक्षणिक व्यवस्था के मध्यनजर किया गया है, कतिपय मामलों में माननीय न्यायालय के द्वारा आदेशों के क्रम में विधि अनुरूप किये गये पुन: पदस्थापन के आदेशों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'क' में समाहित है।

(3) समानीकरण के तहत समयोजन से पूर्व सभी अध्यापकों से अपने इच्छित 05 स्थान बताने हेतु निर्देश जारी किये गये थे, जिसके अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत 3078 अध्यापकों ने अपने इच्छित स्थान पर समायोजन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये।

(4) उक्त समायोजन एवं स्थानान्तरण से लगभग 28,50,680/- रुपये टीए/डीए के रूप में व्यय होने की सम्भावना है।

(सूचना विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बाड़मेर जिले के ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण

17. **कर्नल सोनाराम चौधरी** (बायतू) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में कई ऐतिहासिक मंदिर, कुण्ड, कुऐं एवं बावड़ियां हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी एवं कहां-कहां? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ऐतिहासिक संपदा अपने मूल स्वरूप को खोते जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

(3) क्या यह भी सही है कि अधिकांश ऐतिहासिक मंदिर, कुण्ड, कुऐं एवं बावड़ियां अतिक्रमण के शिकार हो रहे हैं? क्या सरकार इन ऐतिहासिक इमारतों को अपने अधीन लेकर उनके संरक्षण एवं अतिक्रमण हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा बाड़मेर जिले के निम्न स्मारक संरक्षित घोषित है :-

1. सिवाना का किला, सिवाना
2. किराडू का मन्दिर, हातमा,
3. जैन मन्दिर, जूनापतरासर
4. सूर्य मन्दिर, देवका
5. माता का मन्दिर, बीसूकला

इनके अतिरिक्त जवाहर लाल कला केन्द्र के माध्यम से बाड़मेर जिले में कराये गये सर्वेक्षण के आधार पर चिन्हित किये गये ऐतिहासिक मंदिरों, कुओं एवं बावड़ियों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा बाड़मेर जिले के संरक्षित स्मारक, जैन मंदिर-जूनापतरासर, सूर्य मंदिर-देवका, विष्णु मंदिर-किराडू एवं सिवाना फोर्ट में वर्ष 2003-04 से अब तक राशि रु. 281.05 लाख संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं विकास कार्यों पर खर्च गई है, जिसका विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। बाड़मेर जिले के किसी भी संरक्षित समारक पर अतिक्रमण नहीं है।

राज्य सरकार द्वारा संरक्षित घोषित करने योग्य स्मारकों को संरक्षित घोषित कर उनके संरक्षण/जीर्णोद्धार/रखरखाव का कार्य समय-समय पर करवाती है।

(सूची व विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

राज्य में बालिका क्षमता विकास एवं कौशल उन्नयन हेतु आबंटित राशि

18. **श्रीमती कमला कस्वां** (सादुलपुर) : क्या महिला व बाल विकास पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती कमला कस्वां)

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बालिका क्षमता विकास एवं कौशल उन्नयन हेतु बजट आबंटित किया गया है? यदि हां, तो विगत दो वर्षों में इस मद में कितना व्यय किया गया? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। बालिका क्षमता विकास एवं कौशल उन्नयन हेतु सरकार द्वारा किशोरी शक्ति योजना एवं देव नारायण योजना अन्तर्गत बालिका क्षमता विकास एवं कौशल उन्नयन हेतु बजट आबंटित किया गया है। विगत 2 वर्षों में इस मद में निम्नानुसार बजट आबंटन एवं व्यय किया गया है :-

वर्ष	किशोरी शक्ति योजना (लाखों में)		देवनारायण योजना (लाखों में)	
	आबंटन	व्यय राशि	आबंटन	व्यय राशि
2008-09	150.70	59.72	-	-
2009-10	-	52.22*	30.94	13.38
	150.70	111.94	30.94	13.38

*वर्ष 2009-10 में किशोरी शक्ति योजना हेतु कोई राशि आबंटित नहीं की गई थी। पूर्व वर्षों की अवशेष राशि से व्यय किया गया है।

उक्त योजनाओं में बजट आबंटन एवं व्यय की जिलेवार सूचना परिशिष्ट 'अ' पर संलगन है।

परिशिष्ट 'अ'

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	जिले का नाम	किशोरी शक्ति योजना				देवनारायण योजना			
		वर्ष 2008-09		वर्ष 2009-10		वर्ष 2008-09		वर्ष 2009-10	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1	अजमेर	-	0.15	-	3.75	-	-	-	-
2	अलवर	13.00	13.00	-	1.19	0.00	0.00	7.71	0.00
3	बांसवाड़ा	8.00	8.07	-	1.57	-	-	-	-
4	बारां	7.00	1.17	-	5.09	-	-	-	-
5	बाड़मेर	5.00	2.83	-	1.56	-	-	-	-
6	भरतपुर	9.00	0.81	-	4.00	-	-	-	-
7	भीलवाड़ा	8.00	4.89	-	0.29	-	-	-	-

क्र. सं.	जिले का नाम	किशोरी शक्ति योजना				देवनारायण योजना			
		वर्ष 2008-09		वर्ष 2009-10		वर्ष 2008-09		वर्ष 2009-10	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
8	बीकानेर	2.00	-	-	0.45	-	-	-	-
9	बूंदी	4.00	-	-	2.83	-	-	-	-
10	चित्तौड़गढ़	9.00	4.56	-	4.78	-	-	-	-
11	चूरू	4.00	2.56	-	2.85	-	-	-	-
12	दौसा	2.00	4.75	-	0.06	-	-	-	-
13	धौलपुर	-	0.03	-	-	0.00	0.00	3.85	0.00
14	डूंगरपुर	4.00	0.17	-	1.81	-	-	-	-
15	हनुमानगढ़	2.00	0.14	-	0.15	-	-	-	-
16	जयपुर	11.70	-	-	-	-	-	-	-
17	जैसलमेर	1.00	-	-	0.18	-	-	-	-
18	जालौर	-	0.71	-		-	-	-	-
19	झालावाड़	5.00	0.72	-	4.18	0.00	0.00	5.78	4.98
20	झुन्झुनूं	-	-	-	-	-	-	-	-
21	जोधपुर	-	1.65	-	2.38	-	-	-	-
22	करौली	-	3.05	-	-	0.00	0.00	3.85	3.10
23	कोटा	5.00	-	-	4.00	-	-	-	-
24	नागौर	9.00	-	-	8.33	-	-	-	-
25	पाली	7.00	-	-	-	-	-	-	-
26	राजसमंद	3.00	-	-	-	-	-	-	-
27	सवाई माधोपुर	5.00	0.77	-	0.77	0.00	0.00	3.85	0.00
28	सीकर	8.00	8.00	-	0.53	-	-	-	-
29	श्रीगंगानगर	3.00	0.00	-	-	-	-	-	-
30	सिरोही	2.00	1.25	-	-	-	-	-	-
31	टोंक	2.00	0.44	-	1.35	-	-	-	-
32	उदयपुर	12.00	-	-	0.12	-	-	-	-
33	प्रतापगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-
	मुख्यालय	-	-	-	-	**0.00**	**0.00**	**5.90**	**5.30**
	योग	**150.70**	**59.72**	**0.00**	**52.22**	**0.00**	**0.00**	**30.94**	**13.38**

(महिला एवं बाल विकास पर्यटन मंत्री)

*किशोरी शक्ति योजना वर्ष 2009-10 में कोई राशि आबंटित नहीं की गई थी। गत वर्ष की अवशेष राशि में से व्यय किया गया।

*देवनारायण योजना पांच जिलों एवं मुख्यालय पर क्रियान्वित की गई।

भरतपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना

19. डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा भरतपुर में मेडिकल कालेज खोलने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार भरतपुर में उक्त मेडिकल कालेज शीघ्र प्रारम्भ करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय द्वारा भरतपुर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधार पर वर्ष 2008-09 के बजट में मेडिकल कालेज स्थापित करने की घोषणा की गयी थी।

भरतपुर में पब्लिक प्राइवेट पार्टरशिप के अन्तर्गत प्रस्तावित मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु निविदाएं आमंत्रित की गयी थीं। टेण्डर बिड खोले जाने हेतु तकनीकी समिति का गठन किया गया तथा तकनीकी रूप से सफल घोषित निविदादाताओं से प्राप्त वित्तीय निविदाओं को खोलने व अन्तिमीकरण हेतु एक समिति का गठन किया गया था केवल दो निविदाएं समय पर प्राप्त हुई। एक निविदा समय के पश्चात् प्राप्त हुई। समिति ने समय पर प्राप्त दो निविदाओं का परीक्षण कर एक निविदा का मैसर्स एनआरआई एकेडमी आफ साइन्स, गुन्टूर (आन्ध्राप्रदेश) की तकनीकी निविदा को योग्य माना जबकि मैसर्स दीनदयाल डेन्टल कालेज, नासिक की निविदा को निरस्त किया गया। इसी दौरान मैसर्स दीनदयाल डेन्टल कालेज ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पीपीपी मोड में परिवर्तन के कुछ सुझाव दिये। इस पर वित्त विभाग को परीक्षण के लिए प्रेषित किया गया। इसी दौरान भरतपुर में स्थापित होने वाले मेडिकल कालेज को पीपीपी मोड के अन्तर्गत स्थापित नहीं करने का निर्णय लिया गया।

(2) नवीन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जावेगा।

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-3 का विवरण)

परिशिष्ट 'क'

भरतपुर विधान सभा क्षेत्र में संचालित 07 थानों में पदस्थापित पुलिस निरीक्षक/उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को दी गयी सजा/ जांच का विवरण

क्र. सं.	नाम पुलिस निरीक्षक	पदस्थापन स्थान मय दिनांक	सजाओं का विवरण	ए.सी.बी. ट्रेप	आपराधिक प्रकरण/ गबन
1	श्री महेन्द्र गुप्ता	थानाधिकारी थाना कोतवाली दिनांक 22.02.2009	एक वार्षिक वेतन वृद्धि छह माह के लिए बिना भविष्य प्रभाव से बन्द की गई।	-	-
2	श्री बृजेश कुमार मीणा	थानाधिकारी थाना सेवर दिनांक 28.05.2010	1. एक वार्षिक वेतन वृद्धि बिना भविष्य प्रभाव से बन्द की गई। 2. एक प्रकरण में भविष्य के लिए चेतावनी दी गई।	-	-
3	श्री राजकुमार शर्मा	थानाधिकारी थाना अटलबन्ध दिनांक 28.5.2010	1. बंदी की फरारी के कारण दो वार्षिक वेतन वृद्धि भावी प्रभाव से बंद की गई। 2. तीन प्रकरणों में परिनिंदा की सजा दी गई। 3. एक प्रकरण में भविष्य के लिए चेतावनी दी गई।	-	-

क्र. सं.	नाम पुलिस निरीक्षक	पदस्थापन स्थान मय दिनांक	सजाओं का विवरण	ए.सी.बी. ट्रेप	आपराधिक प्रकरण/ गबन
उप निरीक्षकगण					
1	श्री रामादयाल	थाना मथुरागेट 10.07.2010	1. आठ प्रकरणों में परिनिंदा की सजा दी गई।	-	-
2	श्री रामप्रसाद	थानाधिकारी चिकसाना 19.03.2010	1. एक वेतनवृद्धि बिना भविष्य प्रभाव के बंद की गई। 2. तीन प्रकरणों में परिनिदां की सजा दी गई।	-	-
3	श्री दुलीचन्द चाहर	थाना मथुरागेट 10.07.2010	1. एक वेतनवृद्धि बिना भविष्य प्रभाव से बंद की गई। 2. तीन प्रकरणों में परिनिदां की सजा दी गई।	-	-
4	श्री रामनिवास	चौकी अस्पताल थाना मथुरागेट 10.07.2010	1. चार प्रकरण में परिनिंदा की सजा दी गई। 2. एक प्रकरण में भविष्य के लिए चेतावती दी गई।	-	-
5	श्री विक्रमसिंह	थाना मथुरागेट 20.12.2009	1. एक वार्षिक वेतन वृद्धि बिना भविष्य प्रभाव के बन्द की गई। 2. एक प्रकरण में परिनिंदा की सजा दी गई।		-
6	श्री रघुनाथसिंह	थाना उद्योगनगर 10.07.2010	एक प्रकरण में परिनिंदा की सजा दी गई।	-	-

क्र. सं.	नाम पुलिस निरीक्षक	पदस्थापन स्थान मय दिनांक	सजाओं का विवरण	ए.सी.बी. ट्रेप	आपराधिक प्रकरण/ गबन
7	श्री जलदीप सिंह	थाना कोतवाली 25.02.2009	1. एक वेतन वृद्धि बिना भविष्य प्रभाव से बन्द की गई। 2. एक प्रकरण में भविष्य में सतर्क रहकर कार्य करने की चेतावनी दी गई। 3. पांच प्रकरणों में परिनिंदा की सजा दी गई।	-	-
8	श्री विमलचन्द	थाना अटलबन्ध 10.7.2010	1. एक वार्षिक वेतन वृद्धि बिना भविष्य प्रभाव से बन्द की गई। 2. दो प्रकरणों में परिनिंदा की सजा दी गई। 3. आठ प्रकरणों में भविष्य के लिए चेतावनी दी गई।	-	-

परिशिष्ट 'ख'

भरतपुर विधान सभा क्षेत्र में संचालित 07 थानों में पदस्थापित पुलिस निरीक्षक/उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध लम्बित जांच का विवरण

पुलिस निरीक्षक - शून्य

क्र. सं.	नाम पुलिस उप निरीक्षक	पदस्थापन स्थान मय दिनांक	विचाराधीन /प्रस्तावित विभागीय कार्यवाही का विवरण	ए.सी. बी. ट्रेप	आपराधिक प्रकरण/ गबन
1	श्री रामप्रसाद	उप निरीक्षक, थानाधिकारी, थाना चिकसाना 19.03.2010	1	-	-
2	श्री दुलीचन्द चाहर	उप निरीक्षक, थाना मथुरागेट 01.07.2010	1	-	-